**किताब-ए-अक़दस**

**परम पावन पुस्तक**

**बहाउल्लाह**

**विषय-सूची**

पृष्‍ठ संख्या

प्रस्तावना 3

परिचय 5

किताब-ए-अक़दस का शोगी एफेन्दी द्वारा संक्षिप्त विवरण 14

किताब-ए-अक़दस 18

कुछ अनुपूरक पाठ 69

प्रश्‍न और उत्तर 80

किताब-ए-अक़दस के विधानों और अध्यादेषों का सार

संकलन और संहिताकरण 105

टिप्पणियाँ 123

शब्दावली 205

संकेत और सन्दर्भ 208

**प्रस्तावना**

1953 ई. में बहाई धर्म के संरक्षक शोग़ी एफेन्दी ने अपनी दस वर्षीय योजना के अन्तर्गत एक लक्ष्य यह भी रखा था कि ‘किताब-ए-अक़दस’ के अनुवाद की आवश्यक भूमिका के रूप में इसके विधानों और अध्यादेशों का एक सारांश और नियमों का संग्रह तैयार किया जाए। इस संग्रह पर उन्होंने स्वयं कार्य किया था, परन्तु 1957 में उनके देहावसान के समय तक यह कार्य सम्पन्न नहीं हुआ था। उन्होंने स्वयं सार-संहिता पर कार्य किया था जिसे जारी रखा गया और 1973 ई. में विधानों का संक्षिप्त सार-संग्रह प्रकाशित हो गया। इस प्रकाशित पुस्तक में सारांश और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ तो शामिल थीं ही, **किताब-ए-अक़दस** के अनुच्छेदों का एक संकलन भी जुड़ा हुआ था। इन अनुच्छेदों का अनुवाद शोग़ी एफेन्दी पहले ही कर चुके थे और कई किताबों में वे छप भी चुके थे। **किताब-ए-अक़दस** के सारांश और नियम-संग्रह में प्रश्न और उत्तर के पाठ भी शामिल थे क्योंकि **‘‘प्रश्न और उत्तर’’** अक़दस की एक पूरक परिशिष्ट है। 1986 में विश्व न्याय मंदिर ने यह निर्णय लिया कि वह समय आ गया है जब परम पावन ग्रंथ के पूरे अंश का अंग्रेजी अनुवाद सम्भव और अनिवार्य हो गया है। इसे छः वर्षीय योजना (1986-1992) की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले एक लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया।

यह तय किया गया कि **किताब-ए-अक़दस** जो एक पवित्र ग्रंथ है, इस आकार में प्रस्तुत किया जाए कि उसे सहजता और श्रद्धा के साथ पढ़ा जा सके और यह भी कोशिश की गई कि आमतौर पर विद्वतापूर्ण ग्रंथों में पाई जाने वाली पाद-टिप्पणियों और संकेत सूचक संख्याओं से भी इसे अबाधित और मुक्त रखा जाए। तथापि, पाठ के प्रवाह और विषय-वस्तु के परिवर्तन के अनुरूप अनुच्छेद-विभाजन इस तरह किया गया है कि पाठकों को अर्थ समझने में सुविधा हो, हालाँकि अरबी साहित्य की रचनाओं में इस तरह का अनुच्छेद विभाजन बहुत प्रचलित नहीं है और फिर ऐसे अनुच्छेदों को संकेत सूचक संख्याओं से अंकित किया गया है ताकि पाठक सन्दर्भ-ग्रंथों से परिचित हो सकें। इस तरह से संकेतित करने का एक लाभ यह भी है कि सभी भाषाओं में संकेतों की एकरूपता बनी रहे।

**अक़दस** के पाठ के अन्त में बहाउल्लाह के लेखों का एक संक्षिप्त संकलन भी दिया गया है जो सर्वाधिक पवित्र पुस्तक का अनुपूरक है तथा **‘‘प्रश्न और उत्तर’’** का अनुवाद भी जोड़ दिया गया है जो यहाँ पहली बार प्रकाशित किया जा रहा है।

शोग़ी एफेन्दी ने कहा था कि **अक़दस** का अंग्रेजी अनुवाद ‘‘विस्तृत रूप से व्याख्याकृत’’ होना चाहिए। व्याख्याएँ प्रस्तुत करने में ऐसे बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करने की नीति अपनाई गई है जो किसी गैरअरबी भाषी पाठक के लिए उलझनपूर्ण न हो या जो विभिन्न कारणों से व्याख्या अथवा विस्तृत परिचय के उपयुक्त हो। बुनियादी रूप से जरूरी, ऐसी व्याख्याओं का उद्देश्य इस ग्रंथ के लिए विशद विश्लेषण प्रस्तुत करना नहीं है।

‘‘सार-संकलन और संहिताकरण’’ के अंत में जो टिप्पणियाँ दी गई हैं, उन्हें क्रमवार रूप से अंकित किया गया है। ऐसी प्रत्येक टिप्पणी से पहले उससे सम्बन्धित अंश का एक उद्धरण-वाक्यांश दिया गया है और जिस अनुच्छेद में वह प्रकट हुआ है उसकी संख्या अंकित कर दी गई है। ऐसा करने से पाठ और टिप्पणियों के बीच संदर्भ-संकेतों की पहचान आसान हो गई है और यदि पाठक चाहें तो वे पाठ पलट कर देखे बिना केवल टिप्पणियाँ भी पढ़ सकते हैं। आशा की जाती है कि इस तरीके से विभिन्न रुचियों और पृष्ठभूमियों के पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

परिशिष्ट के माध्यम से ग्रंथ के अनेक विभागों के विषयों को समझने में मार्गदर्शन मिलेगा।

**किताब-ए-अक़दस** के महत्व और विलक्षण स्वरूप तथा इसमें सन्निहित विविध विषयों का वृत्‍तांत शोग़ी एफेन्दी ने प्रथम बहाई शताब्दी के अपने इतिहास **गॉड पासेज बाइ** में निरूपित किया है। पाठकों की सहायता के लिए ये अंश इस पुस्तक के ‘‘परिचय’’ के बाद वाले हिस्से में दिए जा रहे हैं। **किताब-ए-अक़दस का सार-संकलन और संहिताकरण** जो इस पुस्तक में एक बार पुनः प्रकाशित किया जा रहा है, वह इस पवित्र ग्रंथ पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालने में सहायक सिद्ध होगा।

**परिचय**

यह 149 वाँ बहाई वर्ष मानवजाति को सामूहिक वयस्कता की ओर ले जाने के उद्देश्य से अवतरित ईश्वर के विश्वव्यापी प्रकटीकरण के संवाहक बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण की शताब्दी का स्मृति वर्ष है। बहाउल्लाह के अवतरण से उत्पन्न एकता की शक्तियों का अनुभव इस बात से होता है कि विगत मात्र 150 वर्षों में धर्मानुयायियों का एक समुदाय पृथ्वी के दूर-दूर के कोनों में स्थापित हो चुका है और आज मानवजाति की हर एक नस्ल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इन शक्तियों की क्रियाशीलता का एक और प्रमाण तब मिलता है जब हम देखते हैं कि मानव जीवन के अनेकानेक पहलुओं में आज जो अनुभव सत्यापित हो रहे हैं उनका पूर्व चित्रण बहाउल्लाह के धर्मदर्शन में पहले ही हो चुका है। उनके प्रकटीकरण के इस **मातृग्रंथ**, उनके इस **परम पावन ग्रंथ**, जिसमें उन्होंने ईश्वर के विधानों की स्थापना की है, के प्रथम प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन का यह मांगलिक मुहूर्त है। ये विधान ईश्वर के उस युग के लिए हैं जिसकी पूरी अवधि एक हजार वर्ष से कम नहीं है।

बहाउल्लाह के पवित्र लेखों के एक सौ से भी अधिक संग्रहों में **किताब-ए-अक़दस** का महत्व अनूठा है। उनके संदेश का दावा और चुनौती है ‘‘पूरे विश्व का नवनिर्माण’’ और **किताब-ए-अक़दस** भविष्य की उस विश्व सभ्यता का घोषणा-पत्र है जिसकी स्थापना के लिए बहाउल्लाह का अवतरण हुआ है। इसके प्रावधान मूल रूप से अतीत के धर्मों द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर आधारित है क्योंकि बहाउल्लाह ने कहा है कि *‘‘यह धर्म ईश्वर का अपरिवर्तनीय धर्म है, यह अतीत में भी अनन्त था, यह भविष्य में भी अनन्त रहेगा।’’* इस प्रकटीकरण में बीते युग की धारणाओं को ज्ञान के नए स्तर पर लाया गया है और सामाजिक नियमों को नये युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बदल दिया गया है, उनकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि वे मानवजाति को एक ऐसी विश्व-सभ्यता की ओर ले जा सकें जिसके सौन्दर्य की कल्पना अभी शायद ही कोई कर सके।

अतीत के महान धर्मों को आज भी समीचीन घोषित करते हुए **किताब-ए-अक़दस** उस सदा शाश्वत सत्य को दुहराती है जिनका उल्लेख ईश्वर के सभी संदेशवाहकों ने किया है। ईश्वर की एकता, पड़ोसियों से प्यार और सांसारिक जीवन में नैतिक उद्देश्यों की जरूरत - ये कुछ ऐसे ही चिरन्तन सत्य हैं। किन्तु, साथ ही, **किताब-ए-अक़दस** प्राचीन धर्मों की नियम-संहिताओं के उन तत्वों को दूर करती है जो विश्व की उभरती हुई एकता और मानव-समाज की पुनर्स्‍थापना के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

इस अवतारकाल का ईश्वरीय विधान मानव रूपी सम्पूर्ण परिवार की आवश्यकताओं का सामंजस्य करता है। **‘किताब-ए-अक़दस’** में कुछ ऐसे भी नियम हैं जो मुख्य रूप से मानवजाति के वर्ग विशेष के लिए निर्देशित लगते हैं और ऐसे वर्ग के लोग उन नियमों को बखूबी समझ सकते हैं, परन्तु पहले-पहल पढ़ने में वे किसी अन्य सभ्यता में रहने वाले लोगों के लिए समझ से परे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वह नियम जिसमें किसी मनुष्य के सामने किए हुए पाप को स्वीकार करना मना किया गया है, ईसाइयों की समझ में तो आ सकता है परन्तु अन्य लोगों को उलझन में डाल सकता है। बहुत से नियमों का सम्बन्ध पिछले अवतारों, विशेष रूप से निकट अतीत के अवतार, मुहम्मद और बाब, के समय के विधानों से है जो उन दोनों ने क्रमशः ‘‘कुरआन’’ और ‘‘बयान’’ में अंकित किए थे। तथापि, अक़दस के कुछ अध्यादेश एक बिन्दु विशेष पर केन्द्रित होते हुए भी सार्वभौमिक अर्थों से युक्त हैं। अपने विधानों के द्वारा बहाउल्लाह शनैः-शनैः नये स्तरों के ज्ञान और आचरण की महत्ता का उद्घाटन करते हैं और विश्व के लोगों को उस आचार-संहिता के पालन के लिए आमंत्रित करते हैं। अपने उपदेशों को वे आध्यात्मिक व्याख्यान की शैली में प्रस्तुत करते हैं और पाठकों के सामने उस सिद्धान्त को हमेशा स्पष्ट रखते हैं जो इन विधानों का मूल तत्व है। वे विधान चाहे किसी भी विषय से सम्बन्धित हों, मानव समाज में चिरस्थायी शांति लाने, मानव व्यवहार का स्तर ऊपर उठाने, उसके ज्ञान-विवेक के दायरे को विस्तृत करने और प्रत्येक के जीवन को आध्यात्मिक रूप देने के बहुआयामी उद्देश्यों को पूरा करते हैं। धर्म के विधानों का आदि से अंत तक चरम उद्देश्य है व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ना और उसकी आध्यात्मिक नियति को परिपूर्ण करना। बहाउल्लाह ने स्वयं कहा है: ‘‘ऐसा मत सोचो कि हमने तुम्हारे सम्मुख मात्र विधानों का एक संग्रह प्रकट किया है। नहीं, बल्कि तुम यह जान लो कि शक्ति और क्षमता की उँगलियों से हमने दिव्य मदिरा का पात्र खोल दिया है।’’ विधानों की उनकी पुस्तक ‘‘सभी लोगों के लिए उनका सबसे सशक्त साक्ष्य है तथा धरती और आकाश के निवासियों के लिए सर्वदयालु ईश्वर का प्रमाण है।’’

**किताब-ए-अक़दस** में दिये गये आध्यात्मिक विश्व का परिचय अधूरा रहेगा अगर पाठकों को उन व्याख्यापरक और वैधानिक संस्थाओं के बारे में न बता दिया जाये जिन्हें बहाउल्लाह ने अपने प्रकटित विधानों की प्रणाली से अविछिन्न रूप से जोड़ा है। इस मार्गदर्शन के मूल में निस्सन्देह **किताब-ए-अक़दस** में बहाउल्लाह के वे वचन हैं, जिनमें उनके ज्येष्ठ पुत्र, अब्दुल बहा को एक अनूठा उत्तरदायित्व दिया गया है। यह विलक्षण विभूति, एक ही समय, अपने पिता द्वारा उपदिष्ट जीवन-पद्धति का आदर्श उदाहरण, उनकी शिक्षाओं की दिव्य प्रेरणा से सम्पन्न प्राधिकृत व्याख्याकार तथा उस संविदा के केन्द्र तथा धुरी हैं, जिस संविदा की स्थापना बहाउल्लाह ने अपने अनुयायियों के साथ की है। अपने उन्नतीस वर्षों के नेतृत्व-काल में अब्दुल बहा ने बहाई जगत को अपनी जीवन्त व्याख्याओं का ऐसा विपुल भण्डार प्रदान किया जो उनके पिता के जीवन और उद्देश्य के गहरे ज्ञान के विभिन्न परिदृश्यों को खोलते हैं।

अपने ‘इच्छापत्र और वसीयतनामा’ में अब्दुल बहा ने अपने सबसे बड़े नाती शोग़ी एफेन्दी को धर्मसंरक्षक तथा प्रभुधर्म की शिक्षाओं के अचूक व्याख्याकार के पद पर आसीन किया और इसके साथ ही ऐसे सभी विषयों के लिए जिनका प्रत्यक्ष उल्लेख बहाउल्लाह के ग्रंथ में नहीं है, उन्होंने विश्व न्याय मंदिर को बहाउल्लाह द्वारा दिए गए अधिकार तथा मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। इस तरह धर्मसंरक्षक तथा विश्व न्याय मंदिर की संस्थाओं को, शोग़ी एफेन्दी के शब्दों में, बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के युगल उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा सकता है। ये दोनों ही उस प्रशासनिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्थाएँ हैं जिसकी स्थापना और पूर्वकल्पना ‘किताब-ए-अक़दस’ में की गई और जिसकी विस्तृत व्याख्या अब्दुल बहा ने अपने ‘‘इच्छापत्र’’ और वसीयतनामा में की है।

अपने छत्तीस वर्षों के नेतृत्व-काल में शोग़ी एफेन्दी ने उन निर्वाचित आध्यात्मिक सभाओं की संरचना को स्वरूप दिया, जिनका उल्लेख **किताब-ए-अक़दस** में न्याय मन्दिरों के नाम से किया गया है और जो अभी अस्तित्व की भ्रूणावस्था में हैं। इन्हीं आध्यात्मिक सभाओं के सहयोग से शोग़ी एफेन्दी ने पूरे विश्व में, धर्म प्रसार के उद्देश्य से, अब्दुल बहा द्वारा दी गई दिव्य योजना की प्रक्रिया शुरु की। नवस्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के दृढ़ आधार पर उन्होंने वे प्रक्रियाएँ भी प्रारम्भ कीं जो विश्व न्याय मंदिर के निर्वाचन की तैयारी के लिए आवश्यक थीं। यह संस्था, जो अप्रैल 1963 में अस्तित्व में आई, पूरे विश्व के प्रौढ़ बहाइयों के गुप्त मतदान और बहुमत के माध्यम से तीन-स्तरीय चुनाव प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। बहाउल्लाह द्वारा प्रकटित शब्द सहित, संविदा के केन्द्र और धर्मसंरक्षक की व्याख्यायें और विवरण ही विश्व न्याय मंदिर के संदर्भ में बंधनकारी विषय और उसकी मूलभूत आधारशिला हैं।

जहाँ तक नियमों की बात है, सावधानी से देखें तो मालूम होता है कि उनका सम्बन्ध तीन क्षेत्रों से है: पहला, व्यक्ति का परमात्मा से सम्बन्ध, दूसरा, व्यक्ति का प्रत्यक्ष कल्याण करने वाले भौतिक और आध्यात्मिक विषय, तथा तीसरा, व्यक्ति का व्यक्तियों और समाज के साथ सम्बन्ध। इन सारे नियमों को इस प्रकार अलग-अलग विभागों में बाँट सकते हैं: प्रार्थना और उपवास, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार सम्बन्धी व्यक्तिगत श्रेणी के मामले, अन्य प्रकार के नियम, अध्यादेश, निषेध और उपदेश तथा अन्त में पिछले ईश्वरीय अवतार के कालों के खास नियमों और अध्यादेशों को रद्द करने वाले नियम। नियमों की संक्षिप्तता उनकी एक खास विशेषता है। ये उन विशाल नियमों का सार प्रस्तुत करते हैं जो आने वाली शताब्दियों में दृष्टिगोचर होंगे। बहाउल्लाह द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार इन विस्तृत नियमों को विश्व न्याय मंदिर लागू करेगा। अपनी एक पाती में अब्दुल बहा ने इसे स्पष्ट किया है:

*‘‘वे सर्वाधिक महत्व के विषय जो ईश्वर के विधान का आधार तैयार करते हैं, पवित्र ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, किन्तु सापेक्ष रूप से गौण महत्व के नियम न्याय मंदिर पर छोड़ दिए गए हैं। इसके पीछे यह विवेक काम करता है कि समय हमेशा एक-सा नहीं रहता और परिवर्तन इस जगत, काल और स्थान का आवश्यक और अपरिहार्य गुण है। इसलिए न्याय मंदिर तदनुसार निर्णय लेगा। ...’’*

*संक्षेप में, सामाजिक नियमों को विश्व न्याय मन्दिर पर जानबूझ कर छोड़ने के पीछे यह विवेक है। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी हर एक अध्यादेश स्पष्टतः प्रकट नहीं किया गया था। यहाँ तक की दसवें का दसवाँ हिस्सा भी पवित्र ग्रन्थ में दर्ज नहीं था। हालाँकि अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों का खास निर्देश दिया गया था परन्तु निःसन्देह ऐसे हजारों नियम थे, जिनका स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया था। इस्लाम के नियमों के अनुसार उस न्यायप्रणाली का विकास धर्माधिकारियों ने किया और कई धर्मगुरुओं ने तो मूल रूप से प्रकट अध्यादेशों के विवादास्पद निष्कर्ष भी निकाले। फिर भी, इन सभी नियमों को लागू किया गया। आज निर्णय का हर अधिकार न्याय मंदिर को सौंपा गया है। जब तक न्याय मंदिर स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक बड़े-से-बड़े विद्वान व्यक्तियों के निष्कर्ष वैध नहीं हैं। संक्षेप में, फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया भर के बहाई समुदाय द्वारा चुने गये विश्व न्याय मंदिर के निष्कर्ष और स्वीकृत तथ्य मतभेदों को जन्म नहीं देंगे, जबकि धर्मगुरुओं और विद्वानों के निष्कर्ष निश्चित रूप से विवाद उत्पन्न करेंगे तथा हमें फूट, विभाजन और बिखराव की ओर ले जाएंगे, पावन शब्दों की एकरूपता नष्ट हो जाएगी और प्रभुधर्म का भव्य भवन प्रकम्पित हो जायेगा।*

हालाँकि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ बहाई नियमावली में आवश्यक लोच उत्पन्न करते हुए विश्व न्याय मंदिर अपने ही अध्यादेशों को बदलने या खारिज करने का अधिकार रखता है, परन्तु यह उन विधि-विधानों को परिवर्तित या रद्द नहीं कर सकता जो पवित्र ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं।

वह समाज जिसके लिए ‘‘अक़दस’’ के कुछ नियम खास तौर पर बनाए गए हैं, धीरे-धीरे अस्तित्व में आएगा और बहाउल्लाह ने भी इन विधानों को विकास की प्रक्रिया के साथ लागू करने का प्रबन्ध किया है:

*‘‘वास्तव में, ईश्वर के विधान महासागर की तरह हैं और मानव की सन्तान जैसे मछली; काश ! वे यह जानते। जो भी हो, इन नियमों के प्रतिपालन में वे अवश्य ही विवेक और बुद्धि का सहारा लें..... क्योंकि ज्यादातर लोग दुर्बल हैं और ईश्वर के उद्देश्य की पहचान से अत्यंत दूर। इसलिए वे हर हालत में विवेक और दूरदर्शिता से काम लें ताकि बाधा अथवा विवाद उत्पन्न होने की स्थिति न आ जाये और असावधान लोगों के बीच कोलाहल न मच जाये। उसकी कृपा यथार्थ में पूरे विश्व की सीमा से भी परे है और उसकी अनुकम्पायें धरती के सभी निवासियों को प्राप्त हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह प्यार और सहिष्णुता के ऊर्जवस्ति भाव से लोगों को सच्चे ज्ञान के महासिन्धु तक ले जाये। यह ‘किताब-ए-अक़दस’ ईश्वर की स्नेहपूर्ण कल्याण-भावना का स्वयं ही सुस्पष्ट प्रमाण है।’’*

विधानों के इस प्रगतिशील अनुकरण के सिद्धान्त का विश्लेषण 1935 ई. में शोग़ी एफेन्दी द्वारा एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को लिखे गये एक पत्र में किया गया है:

*‘‘बहाउल्लाह द्वारा* ***किताब-ए-अक़दस*** *में प्रकटित विधान प्रत्येक धर्मानुयायी और बहाई संस्था पर, चाहे वे पूर्व के हों या पश्चिम के, उस समय पूरी तरह लागू होंगे जब उनका व्यवहारिक प्रयोग सम्भव हो जाएगा और जब किसी भू-भाग के नागरिक कानूनों से उनके प्रत्यक्ष टकराव की स्थिति नहीं रहेगी। वर्तमान समय में कुछ खास विधानों का पालन पूरे विश्व के अनुयायियों द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। कुछ विधानों की रचना वर्तमान उथल-पुथल की दशा से जन्म लेने वाले समाज की स्थिति के प्रसंग में की गई है। जो कुछ* ***अक़दस*** *में शामिल नहीं किया गया है, उनकी वैधानिक स्थापना विश्व न्याय मंदिर करेगा। ऐसे विषयों में विस्तार की कई बातें और माध्यमिक महत्व के वे विषय भी होंगे जो बहाउल्लाह द्वारा दिये गये विधानों को लागू किए जाने से उत्पन्न होंगे। यह संस्था पूरक नियम बना सकती है परन्तु बहाउल्लाह द्वारा दिये गये विधानों को न तो खारिज कर सकती है और न ही उनके रूप में अंश मात्र का भी परिवर्तन ला सकती है। धर्मसंरक्षक को भी अधिकार नहीं है कि वह इसके बाध्यकारी प्रभाव को थोड़ा कम कर दें, ऐसे आधारभूत और पवित्र ग्रंथ की व्यवस्थाओं को रद्द करने की बात तो दूर है।’’*

इस अनुवाद के प्रकाशन से बहाइयों पर लागू विधानों की संख्या बढ़ा दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब समय आएगा, बहाई समुदायों को यह समझा दिया जाएगा कि उन पर और कौन से नये नियम लागू हो गए हैं तथा अन्य मार्गदर्शन और आवश्यक पूरक नियमों से उन्हें परिचित करा दिया जाएगा।

सामान्यतः **किताब-ए-अक़दस** के विधान संक्षिप्त रूप में लिखे गए हैं। इस संक्षिप्तता का उदाहरण ऐसे देखा जा सकता है कि कई विधान सिर्फ पुरुषों के लिए बताए गए प्रतीत होते हैं परन्तु जैसा कि धर्मसंरक्षक के लेखों से स्पष्ट होता है, बहाउल्लाह जब किसी विधान की चर्चा पुरुष और नारी के प्रसंग में करते हैं तो प्रसंगानुसार वह पुरुष और नारी दोनों पर ही लागू होता है बशर्ते उस सन्दर्भ में उस नियम का दोनों पर लागू होना बिल्कुल असम्भव न हो। उदाहरण के लिए, **किताब-ए-अक़दस** में किसी पुरुष को अपनी सौतेली माँ से विवाह करने की मनाही है। धर्मसंरक्षक ने लिखा है कि ठीक इसी तरह किसी औरत को अपने सौतेले पिता से विवाह करने की मनाही है। विधानों के इस तरह से लागू होने का ज्ञान स्‍त्री-पुरुष की समानता सम्बन्धी बुनियादी बहाई सिद्धान्त के प्रकाश में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करता है। पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते समय यह बात भूलनी नहीं चाहिए। कुछ खास लक्षणों और कार्यविधियों में स्‍त्री-पुरुष एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न हैं। यह प्रकृति का एक अपरिहार्य सत्य है और इसी भिन्नता के कारण सामाजिक जीवन के कई क्षेत्रों में वे अपनी-अपनी भूमिका निभा पाते हैं परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि अब्दुल बहा के अनुसार इस अवतार काल में *‘‘कुछ गौण उदाहरणों को छोड़कर, स्‍त्री-पुरुष की समानता पूर्णतः और स्पष्टतः घोषित कर दी गई है।’’*

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि **किताब-ए-अक़दस** और प्राचीन युग के धर्मों के पवित्र ग्रंथों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। बाब द्वारा प्रकटित विधानों के ग्रंथ ‘‘बयान’’ से इसका सम्बन्ध कुछ और गहरा है। धर्मसंरक्षक की ओर से लिखे गए निम्नलिखित पत्रांशों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है:

*‘‘शोग़ी एफेन्दी महसूस करते हैं कि बाब के धर्म को शामिल कर इस बहाई प्रकटीकरण की समग्र एकता को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। बाब और बहाउल्लाह के धर्मों में सम्बन्ध विच्छेद करने की जरूरत नहीं। हालाँकि* ***अक़दस*** *के विधानों के माध्यम से* ***बयान*** *की शिक्षाओं को संशोधित किया गया है किन्तु इस सच्चाई के आधार पर कि बाब स्वयं को बहाउल्लाह का अग्रदूत कहते थे, हम उनके धर्मकाल को बहाउल्लाह के युगधर्म के साथ-साथ एक पूर्ण वास्तविकता के रूप में देखेंगे।’’*

*‘‘बाब कहते हैं कि उनके नियम अस्थायी हैं और बाद में आने वाले अवतार की स्वीकृति पर निर्भर हैं। यही कारण है कि* ***अक़दस*** *की पुस्तक में बहाउल्लाह उनके कुछ नियमों को स्वीकृत और कुछ को रूपान्तरित करते हैं तथा अनेक नियम निरस्त करते हैं।’’*

जिस तरह बाब ने **बयान** का प्रकटीकरण अपने नेतृत्व के मध्य काल में किया था वैसे ही बहाउल्लाह ने 1873 ई. के आस-पास **किताब-ए-अक़दस** को प्रकट किया था। यह तेहरान के सियाहचाल नामक कारागार में उनके प्रकटीकरण की ईश्वरीय अनुभूति की घटना के 22 वर्षों बाद की बात है। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रकट किए जाने के बाद भी उन्होंने **किताब-ए-अक़दस** को कुछ समय तक स्वयं तक ही सीमित रखा और बाद में इसे ईरान के कुछ मित्रों तक पहुँचाया। इसके बाद, जैसा कि शोग़ी एफेन्दी ने वर्णन किया है:

*‘‘बहाउल्लाह द्वारा* ***‘किताब-ए-अक़दस’*** *में प्रतिपादित आधारभूत विधानों के बाद उनके आध्यात्मिक उद्देश्य की पूर्णता के करीब आते-आते कई और मार्गनिर्देश और सिद्धान्त भी दिए गए जो उनके धर्म के केन्द्रीय सार तत्व हैं। उन्होंने उन सच्चाइयों को दुहराया जिनकी घोषणा उन्होंने पहले की थी, ऐसे कुछ नियमों का पुनः विस्तार से उल्लेख किया जिनकी स्थापना उन्होंने पहले की थी, उन्होंने भविष्यवाणियाँ और चेतावनियाँ दीं तथा अपने परम पावन ग्रंथ की व्यवस्थाओं को पूर्ण करने वाले सहायक अध्यादेशों का प्रतिष्ठापन किया। ये सब उन अनगिनत पातियों में सुरक्षित हैं जिन्हें वे अपने पार्थिव जीवन के अन्त तक प्रकट करते रहे।’’...*

ऐसी ही कृतियों में से एक है - *‘‘प्रश्न और उत्तर’’* जो बहाउल्लाह के एक अत्यंत प्रतिभावान लिपिक जै़नुल मुकर्रबीन द्वारा तैयार किया गया संकलन है। अनेक अनुयायियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर बहाउल्लाह ने दिए थे, यह पुस्तक उन्हीं का एक संकलन है और **किताब-ए-अक़दस** का एक अमूल्य पूरक हिस्सा है। इसी प्रकार की अन्य अति महत्वपूर्ण पातियों के संग्रह का 1978 ई. में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन हुआ था और उस संग्रह का नाम था *-‘किताब-ए-अक़दस’ के बाद प्रकटित बहाउल्लाह की पातियाँ’’*।

**‘किताब-ए-अक़दस’** के प्रकाशन के कुछ वर्षों बाद बहाउल्लाह ने इसकी हस्तलिखित प्रतियाँ ईरान के बहाइयों के पास भेज दीं और 1890-91 में, अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में उन्होंने पुस्तक के मूल अरबी पाठ को बम्बई में प्रकाशित करवाने की व्यवस्था की।

उस भाषाशैली, जिसमें ‘किताब-ए-अक़दस’ को अंग्रेजी में अनुदित किया गया है, के सम्बन्ध में दो शब्द कहना उचित होगा। बहाउल्लाह का अरबी भाषा पर असाधारण अधिकार था और जहाँ आधारभूत सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए इस भाषा की अर्थ-संक्षिप्तता का उपयोग खास तौर पर जरूरी था वहाँ ऐसी पातियों और लेखों में उन्होंने अरबी भाषा का इस्तेमाल किया है; परन्तु भाषा के चुनाव से भी बढ़कर है उनकी उदात्त और भावात्मक शैली जो किसी को भी गहराई तक उद्वेलित कर देती है, विशेषकर उन लोगों को जो अरबी भाषा की उस महान साहित्यिक परम्परा के जानकार हैं। अनुवाद का यह कार्य हाथ में लेते समय शोग़ी एफेन्दी को अंग्रेजी की ऐसी शिल्प शैली ढूँढ़ने की चुनौती का सामना करना पड़ा था जो न केवल ग्रन्थ के अर्थ को ठीक-ठीक प्रकट कर दे बल्कि पाठक के हृदय में मननशील आदर का भाव भी जगा दे जो मूल ग्रन्थ को पढ़ने से खास तौर पर लक्षित होता है। भाव प्रकट करने का जो स्वरूप उन्होंने अपनाया, वह उस शिल्प की याद दिलाता है जिसका प्रयोग 17 वीं शताब्दी में बाइबिल के अनुवादकों ने किया था। इस प्रकार का शिल्प-सौन्दर्य बहाउल्लाह की अरबी भाषा का उदात्त रूप भी प्रकट करता है और समसामयिक पाठक के लिए ग्राह्य भी है। किन्तु यह भी ध्यान रहे कि शोग़ी एफेन्दी मूल ग्रन्थ के उद्देश्य और अभिव्यक्ति को समझने वाले दिव्य प्रेरणा सम्पन्न पुरुष भी थे और उनके अनुवाद इस अनोखी विशेषता से सम्पन्न थे।

हालाँकि अरबी और अंग्रेजी - ये दोनों ही भाषाएँ विपुल शब्दावली और अभिव्यक्ति के विविध रूपों से समानतः सम्पन्न हैं, किन्तु दोनों की वाक्य-रचना एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। **किताब-ए-अक़दस** के अरबी पाठ में अभिव्यक्ति की अत्यंत सघन संक्षिप्तता मिलती है। इस शैली की विशेषता यह है कि अगर कोई व्याख्या स्वतः स्पष्ट है तो उसे और खुलकर कहने की जरूरत नहीं होती। ऐसी स्थिति में उन लोगों को बड़ी समस्या होती है जिनकी सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषायी पृष्ठभूमि अरबी से भिन्न है। एक अंश का शाब्दिक अनुवाद अगर अरबी में स्पष्ट है तो अंग्रेजी में जटिल हो सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि ऐसे अंशों के अंग्रेजी अनुवाद में अरबी वाक्य रचना के उन तत्वों को भी शामिल किया जाए जो मूल ग्रंथ में बिल्कुल अस्पष्ट हैं। मगर इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया को इतना ज्यादा न खींचा जाए कि मूल पाठ में अपनी ओर से जोड़े हुए अर्थों और भावार्थ की संक्षिप्तता या उनका बाहुल्य हो जाए। एक ओर भाव-अभिव्यक्ति की सुन्दरता और स्पष्टता के बीच संतुलन कायम करना और दूसरी ओर अर्थ को जैसा का तैसा सामने रख देना - ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें थीं, जिनके लिए अनुवादकों को घोर संघर्ष करना था। कई अंशों के अनुवाद पर इसी दृष्टि से अनेक बार विचार करना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कुछ खास अरबी शब्दों का कानूनी अभिप्राय प्रकट करना क्योंकि अंग्रेजी में ठीक उनसे मिलते-जुलते शब्दार्थ नहीं है।

पवित्र ग्रंथों के अनुवाद में विशेष सावधानी और निष्ठा की जरूरत होती है। एक विधि-विधानों के ग्रन्थ के संदर्भ में यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ इस बात की बड़ी जरूरत है कि पाठक को कहीं दिग्भ्रमित न कर दिया जाए या उसे निरर्थक विवाद में न घसीटा जाए। जैसा कि पहले ही स्पष्ट लग रहा था, सर्वाधिक पवित्र पुस्तक के अनुवाद का काम अत्यंत ही जटिल था और कई जगहों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की जरूरत थी। चूँकि ग्रन्थ का एक तिहाई हिस्सा शोग़ी एफेन्दी द्वारा पहले ही अनूदित किया जा चुका था, इसलिए बचे हुए अंशों के अनुवाद में तीन विशेषताओं के लिए प्रयास करना अपरिहार्य हो गया था: अर्थ की परिशुद्धता, अंग्रेजी भाषा का सौन्दर्य तथा शोग़ी एफेन्दी की लेखन-शैली के साथ एकरूपता। हम सन्तुष्ट हैं कि अनुवाद उस स्तर तक आ पहुँचा है जो मूल पाठ की स्वीकार्य प्रतिकृति को झलकाता है। फिर भी यह निःसन्देह ऐसे प्रश्नों और सुझावों को जन्म दे सकता है जो इस अनुवाद के सन्दर्भ में नए प्रकाश बिखेरेंगे। हम **अक़दस** के अनुवाद और मूल्यांकन तथा टिप्पणी-लेखन के लिए नियुक्त की गई समितियों के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभारी हैं जिन्होंने सतत और सावधान परिश्रम के साथ यह काम पूरा किया है। हम आश्वस्त हैं कि **किताब-ए-अक़दस** का यह प्रथम प्राधिकृत (अंग्रेजी) संस्करण अपने पाठकों को बहाई युगधर्म के इस मातृ-ग्रन्थ की चमक-दमक की एक झलक तो दिखा ही देगा।

अपने समस्त उथल-पुथल भरे इतिहास में हमारा यह विश्व एक सर्वाधिक बुनियादी परिवर्तन के युग के अन्धकार भरे केन्द्र में पहुँच चुका है। इस धरती के लोगों को, चाहे वे किसी भी प्रजाति, राष्ट्रीयता या धर्म से सम्बन्धित हों, यह चुनौती मिल रही है कि पृथ्वी ग्रह रूपी इस एकमेव परिवार के नागरिक के रूप में वे अपनी एकता के आगे कम महत्व की निष्ठा और सीमित पहचान को तिलांजलि दे दें। बहाउल्लाह ने कहा है:

*‘‘मानवजाति का कल्याण, इसकी शांति और सुरक्षा, तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक इसकी एकता दृढ़ता से स्थापित नहीं हो जाती।’’* ईश्वर करे कि **किताब-ए-अक़दस** के इस अनुवाद का प्रकाशन एक विश्वव्यापी पुनर्रचना के पटल खोलते हुए विश्व-दृष्टि की अनुभूति के लिए नई उत्प्रेरणा जगा दे।

-विश्व न्याय मंदिर

**किताब-ए-अक़दस**

**संक्षिप्त विवरण**

**शोगी एफेंदी द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘‘नवयुग की पहली शताब्दी’’**

**(गॉड पासेज बाइ) का एक अंश**

विलक्षण और विराट थी वह दिव्य घोषणा, किन्तु यह बस एक भूमिका थी दिव्य प्रकटीकरण की रचनात्मक शक्ति के रचनाकार द्वारा उनके युगधर्म के सर्वविशिष्ट ग्रंथ **किताब-ए-अक़दस** की घोषणा की। प्रभुदूत ईशाइया द्वारा पूर्वनिर्धारित विधान के प्रधान संग्रह-ग्रंथ **किताब-ए-ईक़ान** में जैसा कि संकेत दिया गया है और बाइबिल के अंतिम भाग के लेखकों द्वारा *‘‘नया आकाश,‘‘ ‘‘नई पृथ्वी’’, ‘‘ईश्वर का शिविर’’, ‘‘पवित्र नगरी’’, ‘‘नववधू’’, ‘‘और ईश्वर की ओर से आता हुआ नया जेरूसेलम’’* यह परम पावन ग्रंथ, जिसके विधान कम से कम एक सहस्राब्दी तक अखंडित बने रहेंगे, जिसकी प्रणाली पूरी पृथ्वी को समाहित कर लेगी, बहाउल्लाह के मस्तिष्क की सबसे प्रखर किरण है। यह उनके युगधर्म का मातृग्रंथ है और दस्तावेज है उनकी नई विश्व व्यवस्था का।

उदी खमार के घर में जाने के तुरन्त बाद बहाउल्लाह ने 1873 में इसे प्रकट किया जबकि अभी भी वह अपने शत्रुओं और धर्म के प्रति अपनी खुली निष्ठा प्रदर्शित करने वाले तथाकथित अनुयायियों के कारनामों से उत्पन्न यातनाएँ झेल रहे थे। यह उनके प्रकटीकरण के अमूल्य रत्नों का कोष है। बहाउल्लाह के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों, प्रशासनिक संस्थाओं के निर्धारण, धर्म का उत्तराधिकारी नियुक्त करने और उन्हें उत्तरदायित्व सौंपने जैसी विशेषताओं के कारण यह परम पावन ग्रंथ विश्व के पवित्र धर्मग्रंथों में अनूठा और अतुलनीय है, क्योंकि जहाँ पूर्वविधान और उसके पहले के पवित्र ग्रन्थों में अवतार द्वारा दिया गया मूल वक्तव्य कहीं नहीं है तथा ‘‘गॉस्पेल’’ की वाणियों में भी ईसा मसीह के कथित थोड़े से वक्तव्यों में उनके धर्म के भावी प्रशासन के बारे में कोई स्पष्ट मार्गनिर्देश नहीं है और यहाँ तक कि कुरआन में भी अवतार द्वारा प्रकटित विधान और अध्यादेश तो स्पष्ट हैं, लेकिन उत्तराधिकार के महत्वपूर्ण विषय पर खामोशी है, वहीं **किताब-ए-अक़दस** - जो शुरु से अंत तक बहाउल्लाह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट की गई है - न केवल भविष्य की विश्व व्यवस्था के लिए अपरिहार्य आधारभूत विधानों और अध्यादेशों को सुरक्षित करती है बल्कि धर्म के उत्तराधिकारी को सौंपे गए धर्मतत्व निरूपण के कार्य के अलावा उन आवश्यक संस्थाओं का सृजन भी करती है जो प्रभुधर्म की एकता और समग्रता सुनिश्चित करने वाली हैं।

भविष्य की विश्व सभ्यता के इस घोषणापत्र में इसके लेखक, जो न्यायाधिपति, विधानों के रचयिता तथा समस्त मानवजाति को एक करने वाले और मोक्षदाता हैं, उस *‘‘सर्वाधिक महान विधान’’* की घोषणा धरती के राजाओं के समक्ष करते हैं, उन्हें अपना सेवक बतलाते हैं, अपने आप को *‘‘राजाओं का राजा’’* घोषित करते हैं, इस सम्भावना से इंकार करते हैं कि वे कभी उन राजाओं के साम्राज्य को हाथ भी लगाएंगे, यह अधिकार अपने लिये सुरक्षित रखते हैं कि वह मनुष्यों के हृदय में निवास करें। दुनिया के धर्मगुरुओं को चेतावनी देते हैं कि *‘‘ईश्वर की पुस्तक’’* को वे अपने मापदंडों से न मापें और स्पष्ट करते हैं कि यह पुस्तक स्वयं ही लोगों के बीच स्थापित एक *‘‘अचूक तुला’’* है। इस पावन पुस्तक में उन्होंने औपचारिक रूप से *‘‘न्याय मंदिर’’* की संस्था भी निश्चित की है, इसके क्रियाकलाप तय किए हैं, इसके द्वारा धन प्राप्ति (राजस्व) के साधन सुनिश्चित किए हैं और इसके सदस्यों को *‘‘न्याय के मानव’’*, *‘‘ईश्वर के सहायक’’* और *‘‘सर्वदयालु के न्यासधारी’’* जैसे अलंकरणों से विभूषित किया है, अपनी संविदा के भावी केन्द्र का संकेत दिया है और उन्हें अपने पवित्र लेखों के व्याख्याकार का पद दिया है, धर्मसंरक्षक की संस्था का अभिप्राय बतलाया है, अपनी विश्व-व्यवस्था के आन्दोलनकारी प्रभाव की गवाही दी है, ईश्वर के अवतार की *‘‘महान अचूकता’’* के सिद्धान्त का निरूपण किया है, बतलाया है कि यह अचूकता ईश्वर के अवतारों का सहज और विशेष गुण है और इस सम्भावना से साफ इन्कार किया है कि कम-से-कम हजार वर्षों की परिसमाप्ति से पूर्व ईश्वर का अन्य कोई भी अवतार प्रकट होगा।

इसके अलावा इस पुस्तक में उन्होंने अनिवार्य प्रार्थनाएँ दी हैं; उपवास की अवधि बतलाई है, दिवंगतों के लिए की जाने वाली प्रार्थना के अतिरिक्त अन्य प्रार्थनाओं को सामूहिक रूप से न करने का विधान दिया है; *‘‘किब्ला’’* अर्थात् *‘‘आराधना बिन्दु’’* निर्धारित किया है; हुकूकुल्लाह को संस्थापित किया है, उत्तराधिकार के नियम बतलाये हैं; *‘‘मश़रिकुल-अज़कार’’* की संस्था निर्धारित की है; उन्नीस दिवसीय सहभोज संस्थापित किया है; बहाई उत्सवों और अधिदिवसों की स्थापना की है; पुरोहितवाद को समाप्त किया है; गुलामी, संन्यास, भिक्षावृत्ति, एकान्त जीवन, तप-प्रायश्चित, उपदेश देने के लिए मंच या विशेष आसन के प्रयोग और हाथों को चूमने की क्रिया का निषेध किया है, एकल विवाह की सलाह दी है; पशुओं पर अत्याचार करने, सुस्ती और शिथिलता बरतने, चुगलखोरी और मिथ्या दोषारोपण की निन्दा की है; तलाक की आलोचना की है; जुआ खेलने, अफीम, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों का उपभोग करने का निषेध किया है; हत्या, आगजनी, व्यभिचार और चोरी के लिए दंड निर्धारित किया है; विवाह को महत्वपूर्ण बतलाते हुए इसकी आवश्यक शर्तों को रेखांकित किया है; व्यक्ति को किसी व्यापार या व्यवसाय में व्यस्त रहने की अनिवार्यता बतलाई है और ऐसे कर्त्‍तव्‍य-बोध से किए गए कार्यों को ईश्वर की आराधना का दर्जा दिया है; बच्चों की शिक्षा के लिए साधन जुटाने की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बतलाया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वसीयत लिखने तथा सरकार की आज्ञा मानने का आदेश दिया है।

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त बहाउल्लाह ने अपने अनुयायियों को प्रत्येक धर्म के अनुयायियों के साथ सौहार्द और समरसतापूर्वक रहने का उपदेश दिया; उन्हें धर्मोन्माद, राजद्रोह, अहंकार, विभेद और कलह से सावधान रहने के लिए कहा है, उन्हें निष्कलंक पावनता, अटूट सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, आतिथ्य-सत्कार, स्वामिभक्ति, शिष्टाचार, सहिष्णुता, निष्पक्ष न्यायपरायणता के गुणों को अपनाने की सलाह दी है; उन्हें ‘‘एक हाथ की अंगुलियों और एक ही शरीर के अंगों’’ की तरह रहने की सलाह दी है, ‘‘धर्म की सेवा के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया है और आश्वासन दिया है कि उनकी सहायता सबको अवश्य ही प्राप्त होगी। फिर वह बतलाते हैं कि मानव-जगत की घटनाएँ सदा एक-सी नहीं रहतीं; घोषित करते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता ईश्वर की आज्ञाओं के आगे नतमस्तक हो जाने में निहित है; वह दो अविभाज्य कर्त्‍तव्यों को निश्चित करते हैं कि लोग *‘‘ईश्वरीय प्रकटीकरण के उद्गमस्थल’’* को पहचानें और उनके द्वारा प्रकटित विधानों का पालन करें। वे कहते हैं कि दोनों में से किसी एक कर्त्‍तव्‍य का पालन करना ही ईश्वर की दृष्टि में पर्याप्त नहीं है।

अमेरिकी महाद्वीप के गणराज्यों के शासनाध्यक्षों को किये गये आह्वान में कहा है कि वे ईश्वर के दिवस में अपना अवसर न चूकें और न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करें, विश्व के सांसदों को आदेश दिया है कि पूरी दुनिया के लिए एक ही लिपि और भाषा अपनाई जाए; नेपोलियन तृतीय को परास्त करने वाले विलियम प्रथम को दी गई उनकी चेतावनी; ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ की की गई भर्त्‍सना; ‘‘राइन नदी के तटों’’ को सम्बोधित श्लोक में ‘‘बर्लिन के विलाप’’ की ओर उनका संकेत; कौस्टेंटिनोपल में स्थापित ‘‘नृशंसता के राज्य’’ को धिक्कार और उनकी यह भविष्यवाणी कि इसकी ‘‘बाहरी चमक-दमक’’ और निवासियों पर ढाए गए जुल्म शीघ्र समाप्त होंगे; अपने आवास-नगर को सम्बोधित उनके उल्लास और सान्त्वना के शब्द कि ईश्वर ने उस नगर को ‘‘मानवमात्र के आनन्द का स्रोत’’ बनाया है; उनकी यह भविष्यवाणी कि *‘‘खुरासान के शूरमाओं की आवाज’’* उनके प्रभु के महिमा- मण्डन में बुलन्द होगी; यह वक्तव्य कि किरमान में उनके नामोच्चारण के लिए *‘‘प्रबल शूरता से सम्पन्न’’* लोग उठ खड़े होंगे; और फिर उन्हें घोर कष्टों और पीड़ाओं से उत्पीड़ित करने वाले विश्वासघाती भाई को दिया गया उनका यह उदार वचन कि अगर वह पश्चाताप कर ले तो *‘‘सदा क्षमाशील, सर्वदयालु’’* ईश्वर उसके अन्यायों के लिए उसे क्षमा कर देगा - ये सब बातें उस पुस्तक की विषय-सामग्री को समृद्ध करती हैं जिसे उसके ग्रन्थकार ने *‘‘सच्चे आनन्द का स्रोत’’*, *‘‘अचूक तुला’’*, *‘‘सीधा रास्ता’’* तथा *‘‘मानवमात्र को विद्युत-गति से भर देने वाला’’* जैसे नामों से विभूषित किया है।

इस ग्रंथ की प्रमुख विषय-वस्तु विधान और अध्यादेश है जिसका महत्व बहाउल्लाह ने इन शब्दों में बतलाया है: वे ‘‘प्रत्येक रचित वस्तु पर फूँकी गयी जीवन की श्वांस’’ हैं, वे ‘‘सबसे शक्तिशाली दुर्ग’’ हैं, उनके ‘‘वृक्ष’’ के ‘‘फल’’ हैं, ‘‘विश्व में सुव्यवस्था और इसके निवासियों की सुरक्षा के सबसे कारगर उपाय’’ हैं, उनके ‘‘दिव्य विवेक और स्नेहिल कल्याण-भावना के दीपक’’, उनके ‘‘परिधान की मोहक सुरभि’’ और रचित जीवों के प्रति उनकी ‘‘दया’’ की ‘‘कुंजी’’ हैं। बहाउल्लाह स्वयं प्रमाणित करते हैं कि *‘‘यह पुस्तक एक आकाश है जिसे हमने अपने विधानों और निषेधों के नक्षत्रों से सुशोभित किया है।’’* उन्होंने आगे कहा है कि *‘‘धन्य है वह मनुष्य जो इसका पाठ करेगा और इसमें स्वयं सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्‍य के स्वामी, ईश्वर द्वारा दिये गये श्लोकों पर मनन करेगा। मैं कहता हूँ, हे लोगो, पूर्ण रूप से समर्पित हाथों से इसे दृढ़ता से थाम लो... मेरे जीवन की सौगन्ध! यह इस तरह प्रकट किया गया है कि लोगों की बुद्धि आश्चर्य से भर उठती है। सत्य ही, यह सब लोगों के लिए मेरी सबसे सशक्त वसीयत है और आकाश तथा धरती के निवासियों के लिए सर्वदयालु का प्रमाण है।’’* बहाउल्लाह ने आगे कहा है कि *‘‘धन्य है वह आत्मा जो इसके माधुर्य का रसास्वादन करती है, वह भेदक दृष्टि जो इसमें समाहित खजानों को पहचानती है और वह विवेकी हृदय जो इसके संकेतों और रहस्यों को समझता है। ईश्वर की सौगन्ध ! जो कुछ इसमें प्रकटित है उसकी भव्यता ऐसी है और ऐसा प्रचण्ड है इसके रहस्यमय संकेतों का प्राकट्य कि उनका वर्णन करने के प्रयास में वाणी कांप उठती है।’’* अन्त में बहाउल्लाह के ही शब्दों में: ***‘‘किताब-ए-अक़दस’’*** *इस तरह प्रकट की गई है कि यह ईश्वर द्वारा नियुक्त सभी अवतारों के युग-विधानों को आकर्षित और समाविष्ट करती है। धन्य हैं वे जो इसका अध्ययन करते हैं। धन्य हैं वे जो इसके श्लोकों को ग्रहण करते हैं। धन्य हैं वे जो इस पर चिन्तन करते हैं। धन्य हैं वे जो इसके अर्थ पर विचार करते हैं। इसका दायरा इतना बड़ा है कि इसने उन लोगों को भी समाहित कर लिया है जो इसे नहीं पहचानते। शीघ्र ही इसकी सार्वभौम शक्ति, इसका सर्वव्यापी प्रभाव, इसके सामर्थ्‍य की महानता पृथ्वी पर प्रकट हो जाएगी।’’*

**किताब-ए-अक़दस**

**उसके नाम से जो सर्वोपरि शासक है उन सबका जो अस्तित्व में आ चुके हैं  
और उन सबका जो अस्तित्व में आयेंगे**

1. ईश्वर द्वारा अपने सेवकों के लिए निर्धारित प्रथम कर्त्‍तव्‍य यह है कि वे उसे पहचानें जो उसके प्राकट्य का उद्गमस्थल और उसके विधानों का स्रोत है, जो अपने धर्म के साम्राज्य और इस सृजन के संसार, दोनों में ही, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। जिस किसी ने इस कर्त्‍तव्‍य का निर्वाह किया है, उसने सभी अच्छाइयों को पा लिया है और जो इस कर्त्‍तव्‍य से वंचित रह गया वह भटका हुआ है, चाहे वह सभी सद्कार्यों का प्रणेता ही क्यों न हो। जिस किसी ने यह महान स्थान प्राप्त कर लिया है, उसने अति उच्च गरिमा का शिखर छू लिया है। उसका कर्त्‍तव्‍य है कि वह उसके प्रत्येक विधान का पालन करे जो विश्व का मनोरथ है। ये दोनो कर्त्‍तव्‍य अविभाज्य हैं। एक के बिना दूसरा स्वीकार्य नहीं है। ऐसा ही आदेश दिया है ‘‘उसने, जो दिव्य प्रेरणा का उद्गम है।

2. वे, जिन्हें ईश्वर ने अन्तर्दृष्टि प्रदान की है, शीघ्र जान जाएंगे कि ईश्वर द्वारा निर्धारित विधान विश्व की सुव्यवस्था और इसके लोगों की सुरक्षा के लिये सबसे कारगर उपायों की रचना करते हैं। जो कोई उनसे मुँह मोड़ता है, उसे अधमों और मूर्खों में गिना जाता है। हमने ‘सत्यतः’ तुम्हें यह आज्ञा दी है कि अपनी कुत्सित भावनाओं और भ्रष्ट इच्छाओं के प्रलोभनों से बचो और उन सीमाओं को मत लांघो जिन्हें सर्वाधिक महान की लेखनी ने निर्धारित किया है क्योंकि वे सभी सृजित वस्तुओं पर फूँकी गयी जीवन की श्वांस हैं। दिव्य विवेक और दिव्य वाणी के सागर सर्वदयालु की शीतल हवा की श्वांसों तले तरंगित हो उठे हैं। हे ज्ञान-विवेक सम्पन्न लोगो ! शीघ्रता करो और जी भर पान कर लो। जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को ठुकराकर ईश्वर की संविदा का अतिक्रमण किया है और जो उल्टे पाँव लौट गये हैं, उन्होंने सर्वसम्पन्न, सर्वोच्च ईश्वर की दृष्टि में घोर भूल की है।

3. हे दुनिया के लोगो ! तुम यह निश्चित जान लो कि मेरे आदेश मेरे सेवकों के बीच मेरी स्नेहिल कल्याण-भावना के दीपक हैं और मेरे सृजित प्राणियों के लिए मेरी करुणा की कुंजी हैं। इस तरह इसे तुम्हारे स्वामी, प्रकटीकरण के प्रभु, की इच्छा के आकाश से भेजा गया है। अगर कोई मनुष्य सर्वदयालु ईश्वर के मुखारविन्द से निकले शब्दों की मधुरता का आस्वादन कर पाता तो धरती के सभी ख़ज़ानों को पाकर भी उनसे विमुख हो जाता ताकि ईश्वर की उदार कृपा और स्नेहिल दयालुता के उद्गमस्थल के ऊपर चमकते उसके आदेशों में से एक का भी सत्य वह प्रमाणित कर सके।

4. कहो: मेरे विधानों से मेरे परिधान की मोहक सुरभि की अनुभूति की जा सकती है और उसके सहारे विजय-ध्वज उच्चतम शिखरों पर स्थापित किए जा सकेंगे। मेरी सर्वशक्तिशाली महिमा के आकाश से मेरी शक्ति की जिह्वा ने, सृष्टि को ये शब्द सुनाए हैं: ‘‘मेरे सौन्दर्य से प्रेम के कारण मेरी आज्ञाओं का पालन करो।’’ आनन्दित है वह प्रेमी जिसने इन शब्दों से अपने प्रियतम की उस दिव्य सुरभि का आस्वादन किया है जो कृपा की सुगंध से इतनी भरपूर है कि कोई भी जिह्वा उसका वर्णन नहीं कर सकती। मेरे जीवन की सौगन्ध ! जिसने मेरी उदार कृपा के हाथों न्याय की दिव्य मदिरा का पान कर लिया है, वह मेरे आदेशों की परिक्रमा करेगा, जो मेरी सृष्टि के उद्गमस्थल पर चमकते हैं।

5. ऐसा मत सोचो कि हमने तुम्हारे सम्मुख मात्र विधानों का एक संग्रह प्रकट किया है। नहीं, बल्कि शक्ति और क्षमता की उँगलियों से हमने दिव्य मदिरा का पात्र खोल दिया है। इसका साक्षी है वह जिसे प्रकटीकरण की महालेखनी ने प्रकट किया है। इस पर मनन करो, हे अंतर्दृष्टिसम्पन्न लोगो !

6. हमने तुम्हारे लिये अनिवार्य प्रार्थना का नियम लागू किया है, जिसमें नौ रक्‍आत हैं और जिसका पाठ श्लोकों के प्रकटकर्ता ईश्वर के लिए दोपहर, प्रातः और संध्याकाल में किया जाना चाहिए। ईश्वरीय पुस्तक के विधान में हमने तुम्हें इससे अधिक की संख्या से छूट दी है। वह सत्य ही विधाता, सर्वशक्तिमान, अप्रतिबन्धित है। जब तुम्हें यह प्रार्थना करने की इच्छा हो तो स्वयं को मेरी सर्वाधिक पावन उपस्थित के दरबार की ओर उन्मुख कर लो - उस पवित्र स्थल की ओर जिसे ईश्वर ने वह केन्द्र बनाया है जिसके चारों ओर उच्च लोक के निवासी परिक्रमा करते हैं और जिसे उसने अनन्त काल के नगरों के निवासियों का उपासना बिन्दु और आकाश में तथा धरती पर सभी निवासियों के लिए आज्ञा का स्रोत निर्धारित किया है और जब सत्य तथा वाणी का सूर्य अस्त हो जाए, तब तुम अपना मुख हमारे द्वारा निर्दिष्ट उसी स्थल की ओर करो। वह, सत्य ही,सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता है।

7. जो कुछ भी अस्तित्व में है वह उसी के अप्रतिबाधित निर्णय से प्रतिफलित है। जब कभी मेरे विधान मेरी वाणी के गगन में सूर्य की भांति प्रकट हों तब अवश्य ही सब के द्वारा निष्ठापूर्वक उनका पालन किया जाना चाहिये। भले ही, मेरे निर्णय के कारण प्रत्येक धर्म के आकाश छिन्न-भिन्न ही क्यों न हो जाएं। उसकी जो इच्छा होती है, वह करता है। वह जो चुनाव कर लेता है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। वह परम प्रियतम जो निर्धारित कर देता है, सत्य ही, वही प्रिय है। इसके लिए मेरा साक्षी है वह जो सारी सृष्टि का प्रभु है। जिस किसी ने सर्वदयालु की मधुर सुरभि को ग्रहण किया है और उसकी वाणी के उद्गम को पहचाना है, वह पूरी दृढ़ता से शत्रुओं के तीरों की बौछार का स्वागत करेगा ताकि वह लोगों के बीच ईश्वर के विधानों की सत्यता स्थापित कर सके। कल्याण हो उसका जिसने दिव्य निर्णय की ओर अपना मुख कर लिया है और उसके निर्णायक आदेश का अर्थ समझ लिया है।

8. हमने अनिवार्य प्रार्थना का विस्तृत विवरण एक अन्य पाती में दिया है। धन्य है वह जो समस्त मानवजाति पर शासन करने वाले के आदेशों का पालन करता है। मृतकों के लिए की जाने वाली प्रार्थना में छह विशिष्ट अंश श्लोकों के प्रकटकर्ता ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं। जो कोई पढ़ सकता है, इन अंशों से पहले प्रकट किए गए श्लोकों का गान करे और जो नहीं पढ़ सकता है, ईश्वर ने उसे इस दायित्व से मुक्त किया है। वह सत्य ही शक्तिशाली, क्षमाशील है।

9. बाल अथवा ऐसी वस्तुएँ, जिनसे प्राण विलग हो गये हैं, जैसे हड्डी या अन्य ऐसे पदार्थ - तुम्हारी प्रार्थनाओं को अमान्य नहीं कर सकते। तुम नेवले, उदविलाव, गिलहरी या अन्य जन्तुओं के रोएं से बने वस्‍त्र पहन सकते हो, जिनके प्रयोग न करने का नियम क़ुरआन से नहीं बल्कि धर्मगुरुओं की गलत धारणाओं से निकला है। वह वस्तुतः सर्वमहिमावान, सर्वज्ञाता है।

10. प्रौढ़ता प्राप्त करने के प्रारम्भ से ही प्रार्थना और उपवास रखने का आदेश हमने तुम्हें दिया है। यह ईश्वर द्वारा निर्धारित विधान है, जो तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का स्वामी है। इस दायित्व से उसने उन्हें मुक्त किया है जो बीमारी या अधिक आयु के कारण अशक्त हैं। यह छूट उसकी ओर से उदारता के रूप में है और वह क्षमाशील, उदार है। ईश्वर ने यह तुम पर छोड़ दिया है कि तुम किसी भी साफ-सुथरे स्थान पर माथा टेक कर ईश्वर का अभिवादन करो, क्योंकि इस विषय में पवित्र पुस्तक में बाँधी गई सीमाएँ हमने हटा ली हैं। ईश्वर को यथार्थतः उन सब बातों का ज्ञान है जो तुम नहीं जानते। वह, जिसे प्रक्षालन के लिए जल उपलब्ध न हो, पाँच बार इन शब्दों को दुहराए: ‘‘ईश्वर के नाम से, जो परम पावन, परम पावन है’’ और तब वह आराधना करे। सभी लोकों के स्वामी का ऐसा ही आदेश है। ऐसे भू-भागों में जहाँ दिन और रात की अवधि लम्बी होती है, वहाँ प्रार्थना के समय का निर्धारण घड़ियों तथा समयमापी अन्य यंत्रों से किया जाए। वह वस्तुतः व्याख्याता है, बुद्धिमान है।

11. हमने तुम्हें प्रतीकों की प्रार्थना करने के दायित्व से मुक्त किया है। भयावह प्राकृतिक घटनाओं के होने पर तुम प्रभु की शक्ति और गरिमा का ध्यान करो, जो सब सुनने और सब देखने वाला है और कहो: ‘‘साम्राज्य ईश्वर का, जो दृश्य और अदृश्य का स्वामी, सृष्टि का स्वामी है।’’

12. ऐसा आदेश दिया गया है कि अनिवार्य प्रार्थना का पाठ तुममें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से करना है। दिवंगतों के लिए की जाने वाली प्रार्थना को छोड़कर, सामूहिक प्रार्थना का विधान निरस्त कर दिया गया है। वह, सत्यतः नियामक, सर्वप्रज्ञ है।

13. ईश्वर ने ऋतुवती नारियों को अनिवार्य प्रार्थना और उपवास करने से छूट दी है। इसके बदले, प्रक्षालन के बाद, वे ईश्वर का गुणगान करें और उस दिन तथा अगले दिन की दोपहर के बीच पंचानवे बार यह पाठ करें: ‘‘आभा और सौन्दर्य के स्वामी ईश्वर की स्तुति हो।’’ पवित्र ग्रंथ में ऐसा ही आदेश दिया गया है, यदि तुम उनमें हो जो समझते हैं।

14. यात्रा करते समय, यदि तुम किसी सुरक्षित स्थान पर ठहरो या विश्राम करो तो तुम, स्त्री या पुरुष समान रूप से, छूट गई प्रत्येक अनिवार्य प्रार्थना की जगह एक बार धरती पर माथा टेकते हुए कहो: ‘‘शक्ति और गरिमा, कृपा और उदारता के स्वामी, ईश्वर की स्तुति हो।’’ जो कोई ऐसा न कह सके वह केवल इतना कहे: ‘‘ईश्वर की स्तुति हो।’’ उसके लिए इतना ही निश्चित रूप से पर्याप्त होगा। ईश्वर, सत्य ही सब कामनाओं को पूरा करने वाला, चिरंतन, क्षमाशील और करुणामय है। तब पालथी लगाकर बैठो और अठारह बार यह दोहराओ: ‘‘धरती और आकाश के साम्राज्य के स्वामी ईश्वर की स्तुति हो।’’ इस तरह ईश्वर ने सत्य और मार्गदर्शन के पथ को सरल बनाया है, वह पथ जो इस ‘‘सीधे रास्ते’’ की ओर ले जाता है। इस कृपा के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो, जो आकाश और धरती को चतुर्दिक घेरे हुए है; उसकी इस उदारता के लिए उसका गुणगान करो, इस पूरी सृष्टि में व्याप्त उसकी दया के लिए उसकी स्तुति करो।

15. कहो, ईश्वर ने मेरे गुप्त प्रेम को अपने कोष की कुंजी बनाया है, काश ! तुम यह जान पाते। उस कुंजी के बिना वह ख़ज़ाना अनन्त काल तक छिपा रहता; काश ! तुम इस पर विश्वास कर पाते। कहो, यह प्रकटीकरण का स्रोत, दिव्य ज्ञान का उदयस्थल है, जिसकी चमक ने विश्व के क्षितिज को प्रकाशित कर दिया हैं। काश! तुम इसे समझ पाते। यह, सत्यतः, वह अटल आदेश है जिसके माध्यम से सारे बाध्यकारी निर्णय स्थापित किए गए हैं।

16. हे सर्वोच्च की लेखनी ! कहो, हे दुनिया के लोगो ! हमने कम अवधि के लिए तुम्हें उपवास धारण करने का आदेश दिया है और इसके अंत में तुम्हारे लिए नवरूज़ का पर्व निर्धारित किया है। इस तरह दिव्य वाणी का सूर्य, आदि तथा अन्त के प्रभु के आदेश से, ‘ग्रंथ’ के क्षितिज पर चमका है। अधिदिवस उपवास के महीने के पहले रखे जाएँ। हमने यह निश्चित किया है कि सभी रातों और दिवस के बीच के ये दिवस ‘‘हा’’ अक्षर के प्रकटीकरण होंगे और इस प्रकार वे वर्ष और महीनों की सीमाओं के बन्धन में नहीं रखे गए हैं। इन दिनों के दौरान बहा के लोगों को चाहिए कि वे अपने आप को, अपने आत्मीय जनों को और उनसे भी बढ़कर निर्धनों और आवश्यकताग्रस्त लोगों को प्रसन्नता प्रदान करें और भाव-विभोर होकर अपने प्रभु की महिमा का गान करें, उसके गुण गाएँ और उसके नाम को व्यापक बनाएँ और जब इस आत्मसंयम काल से पहले आने वाले दान के दिनों का अंत हो तो वे उपवास में प्रवेश करें। ऐसा ही निर्धारित किया गया है उसके द्वारा जो समस्त मानव का प्रभु है। यात्रा करने वाले, बीमार तथा वे महिलायें जो गर्भवती हैं या स्तनपान कराती हैं, उन्हें अपनी करुणा के संकेत-स्वरूप परमात्मा ने इस नियम से छूट दी है। वह सत्यतः सर्वशक्तिमान, परम् उदार है।

17. ये ईश्वर के अध्यादेश हैं जो उसकी सर्वोच्च महिमामयी लेखनी ने ‘ग्रन्थों’ और ‘पातियों’ में अंकित किये हैं। तुम उसके विधानों और आदेशों को दृढ़ता से धारण करो और उनमें से न बनो जो अपने अर्थहीन विचारों और व्यर्थ कल्पनाओं के पीछे भागते हुए अपने ही बनाये हुए मापदंडों से चिपके हुए हैं और जिन्होंने ईश्वर के बताए हुए मापदंडों को त्याग दिया है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक खान-पान से परहेज करो और सावधान रहो कि तुम्हारी वासना इस ‘ग्रंथ’ में निर्दिष्ट इस कृपा से तुम्हें वंचित न कर दे।

18. ऐसा आदेश दिया गया है कि न्याय के स्वामी ईश्वर में विश्वास करने वाला प्रत्येक आस्थावान व्यक्ति प्रति दिन पहले अपने हाथ-मुँह धोकर आसन ग्रहण करे और ईश्वर की ओर उन्मुख होकर पंचानवे बार ‘अल्लाह-ओ-अब्हा’ का पाठ करे। आकाशों के रचयिता का ऐसा ही आदेश था, जब गरिमा और शक्ति के साथ वह अपने नामों के सिंहासनों पर आरूढ़ हुआ था। इसी तरह तुम अनिवार्य प्रार्थना के लिए भी प्रक्षालन करो; यह अतुलनीय, अप्रतिबन्धित ईश्वर का आदेश है।

19. तुम्हें हत्या या व्यभिचार करने, परनिन्दा और मिथ्या दोष लगाने से मना किया गया है, अतः, जो कुछ भी पवित्र ग्रन्थ और पातियों में निषिद्ध है, उससे बचो।

20. सम्पत्ति के उत्तराधिकार को हमने सात भागों में बाँटा है। बच्चों के लिए हमने नौ हिस्से निर्धारित किए हैं जिसमें पाँच सौ चालीस अंश होंगे; पत्नी को आठ हिस्से जिसमें चार सौ अस्सी अंश होंगे; पिता को सात हिस्से जिसमें चार सौ बीस अंश होंगे; माता को छह हिस्से जिसमें तीन सौ साठ अंश होंगे; भाइयों को पाँच हिस्से या तीन सौ अंश; बहनों को चार हिस्से या दो सौ चालीस अंश; और शिक्षकों को तीन हिस्से अथवा एक सौ अस्सी अंश। मेरे अग्रदूत का ऐसा ही अध्यादेश था - उसका जो रात्रि और प्रभात बेला में मेरे नाम का गुणगान करता है। जब हमने अब तक अजन्मे बच्चों के कोलाहल सुने तो उनके अंश हमने दुगुना कर दिए और दूसरों के अंश घटा दिए। उसे यथार्थ में यह शक्ति है कि वह जो चाहे सो करे और अपनी सार्वभौम प्रभुता के बल पर वह जो चाहता है, करता है।

21. यदि मृतक की कोई सन्तान न हो तो उनके अंश न्याय मंदिर को प्राप्त होंगे और सर्वदयालु के न्यासधारी उसे अनाथों और विधवाओं अथवा जनसामान्य के लाभ के कार्यों पर खर्च करेंगे ताकि सब ईश्वर का धन्यवाद करें जो सर्वकरुणामय, क्षमाशील है।

22. यदि मृतक की सन्तान तो हो परन्तु इस ग्रंथ में वर्णित अन्य श्रेणी के उत्तराधिकारी न हों तो सन्तानों को पैतृक सम्पत्ति का दो तिहाई हिस्सा प्राप्त होगा और शेष न्याय मन्दिर को मिलेगा। ऐसा ही आदेश महिमा तथा गरिमा के साथ उसने दिया है, जो सर्वसम्पदामय, सर्वोच्च है।

23. यदि मृतक का उपरोक्त में से कोई भी उत्तराधिकारी न हो, परन्तु उसके सगे-सम्बन्धियों में बहन अथवा भाई के पक्ष के भतीजे या भतीजियाँ हों, तो उत्तराधिकार का दो तिहाई हिस्सा उन्हें प्राप्त होगा अथवा उनके न होने पर मृतक के पिता या माता के पक्ष के चाचा और मामा को और फिर उनके बेटे-बेटियों को। ऐसे किसी भी प्रसंग में उत्तराधिकार का तीसरा शेष हिस्सा न्याय के आसन को उपलब्ध होगा, इस तरह अंकित किया गया है ग्रंथ में उसके द्वारा जो सभी लोगों पर शासन करता है।

24. इनमें से कोई भी व्यक्ति यदि मृतक के बाद जीवित न हो तो सर्वोच्च की लेखनी द्वारा अंकित उसकी सारी सम्पत्ति पूर्वोल्लिखित ‘न्याय के आसन’ को प्राप्त होगी ताकि उसे ईश्वर द्वारा प्रस्तावित कार्यों पर खर्च किया जाए। वह सत्य ही विधाता, सर्वशक्तिसम्पन्न है।

25. हमने मृतक के घर और निजी पोशाक का अधिकार उसके पुत्रों को दिया है, पुत्रियों को नहीं और न ही अन्य प्रकार के उत्तराधिकारियों को। वह यथार्थ में अतिशय दाता, सर्वउदार है।

26. यदि मृतक का पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में ही दिवंगत हो गया हो और यदि उसके बच्चे हैं तो, ईश्वरीय पुस्तक के अनुसार, वे अपने पिता के अंश के अधिकारी होंगे। उनका अंश पूर्ण न्यायसंगत रूप से विभाजित करो। इस प्रकार ईश्वरीय वाणी के महासागर की लहरें मानव मात्र के प्रभु द्वारा निर्णीत विधानों के मोती बिखेरते हुए तरंगित हुई हैं।

27. यदि मृतक अपने पीछे नाबालिग संतानों को छोड़ गया है तो उत्तराधिकार के उनके अंश अवश्य ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था को सौंप दिए जाएँ ताकि वयस्कता प्राप्त करने तक उनकी ओर से इस पूँजी का निवेश किसी पेशे या व्यापार में किया जा सके। इस तरह के काम के लिए न्यासधारी को उस सम्पत्ति से उत्पन्न लाभ का एक उचित अंश प्रदान किया जाए।

28. हुकूकुल्लाह का भुगतान कर दिए जाने, कर्जों को निबटाने, अंत्येष्टि सम्बन्धी खर्चों को अलग करने तथा ऐसी व्यवस्थाएँ जिससे मृतक को उसके समाधि-स्थल तक प्रतिष्ठापूर्वक पहुँचाया जा सके, सम्पन्न कर लेने के बाद ही सम्पत्ति का बँटवारा होना चाहिए। ऐसा ही आदेश है उसका जो आदि और अन्त का स्वामी है।

29. कहो: यही वह निगूढ़ ज्ञान है जो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि इसका प्रारम्भ नौ से हुआ है, जो गुप्त और अप्रत्यक्ष, अलंघनीय तथा अगम्य उच्चता के नाम की ओर संकेत करने वाला प्रतीक है। बच्चों के लिए जो कुछ हमने निर्धारित किया है, वह उन पर ईश्वर की उदारता का दान है ताकि वे अपने करूणामय दयालु स्वामी के प्रति धन्यवाद अर्पित कर सकें। ये निस्सन्देह ईश्वर के विधान हैं, अपनी अधम स्वार्थभरी इच्छाओं के वश में आकर उनका उल्लंघन न करो। दिव्य वाणी के उद्यस्थल द्वारा प्रस्तावित इन विधानों का पालन करो। उसके निष्ठावान सेवक ईश्वरीय उपदेशों को सभी धर्मावलम्बियों के लिए जीवन-जल के रूप में देखेंगे और उन्हें आकाश तथा धरती के सभी निवासियों के लिए विवेक और कल्याण की भावना का दीपक समझेंगे।

30. प्रभु ने आदेश दिया है कि प्रत्येक नगर में एक न्याय मंदिर स्थापित किया जाए जहाँ परामर्शकर्ता बहा की संख्या में इकट्ठे होंगे और यदि इससे अधिक संख्या हो तो भी कोई बात नहीं है। उन्हें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि वे उदात्त, सर्वोच्च ईश्वर की उपस्थिति के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं और उसे देख रहे हैं, जो अदृश्य है। उन्हें चाहिए कि लोगों के बीच वे दयालु ईश्वर के विश्वासपात्र बनें और अपने आप को ईश्वर द्वारा नियुक्त समस्त धरती के निवासियों के संरक्षक समझें। यह उनके लिए आवश्यक है कि वे मिल-जुलकर परामर्श करें और ईश्वर के नाम पर उसके सेवकों के हितों की चिन्ता ऐसे करें मानों वे उनके अपने हित हों और वह चुनें जो उचित और सुयोग्य हो। इस तरह आदेश दिया है तुम्हें तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे ईश्वर ने। सावधान रहो कि जो कुछ उसकी पाती में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है, उसकी तुम उपेक्षा न करो। हे प्रज्ञावान लोगो ! ईश्वर से डरो।

31. हे दुनिया के लोगो ! समस्त भू-भाग में उपासना मंदिरों की स्थापना करो, उसके नाम पर जो सभी धर्मों का प्रभु है। उन्हें इतना परिपूर्ण बनाओ, जितना अस्तित्व के संसार में सम्भव हो सकता है और उन्हें उनके योग्य वस्तुओं से सजाओ, मूर्तियों और प्रतिमाओं से नहीं और तब, आनन्दमग्न होकर, उनमें अपने सर्वाधिक दयावान प्रभु के गौरव का गान करो। सत्य ही, उसके स्मरण से आँखें प्रफुल्लित और हृदय प्रकाशित हो उठते हैं।

32. ईश्वर ने आदेश दिया है कि तुममें से जो समर्थ हो वह पवित्र गृह की तीर्थयात्रा करेगा और उसने महिलाओं को अपनी दया के रूप में इससे छूट दी है। वह यथार्थतः, असीम प्रदाता, सर्वाधिक उदार है।

33. हे बहा के लोगो ! तुममें से प्रत्येक के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यवसाय या पेशे में स्वयं को लगाये, जैसे शिल्प, व्यापार या ऐसा ही कुछ। ऐसे किसी कार्य में तुम्हारे व्यस्त होने को हमने एकमेव सत्य ईश्वर की उपासना का दर्जा दिया है। हे लोगो ! अपने प्रभु की कृपा और उसके आशीर्वादों पर विचार करो तथा प्रातः और संध्या उसे धन्यवाद दो। अपना समय आलस्य और प्रमाद में न बिताओ बल्कि स्वयं को ऐसे कार्य में लगाओ जो तुम्हें तथा औरों को लाभ दे। जिसके क्षितिज से विवेक और वाणी का सूर्य चमका है, उसने इस पाती में ऐसा ही निर्णय दिया है। ईश्वर की दृष्टि में सबसे तिरस्कृत लोग वे हैं जो निष्क्रिय बैठे रहते हैं और भीख माँगते हैं। साधनों की डोर को कसकर पकड़ो और सभी साधनों का प्रबन्ध करने वाले ईश्वर में भरोसा रखो।

34. पवित्र ग्रन्थ में हाथ चूमने की क्रिया का निषेध किया गया है। महिमा और आदेश के प्रभु ईश्वर ने इस प्रथा पर रोक लगा दी है। किसी को यह अनुमति नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति से वह पापों से मुक्ति दिलाने की याचना करे, पश्चाताप तुम्हारे और ईश्वर के बीच होना चाहिए। वह सत्य ही क्षमाप्रदाता, कृपालु, भव्य, पश्चाताप करने वालों को मुक्ति देने वाला है।

35. हे दयालु के सेवको ! प्रभुधर्म की सेवा के लिए उठो, इस तरह उठो कि ईश्वर के चिह्नों के उद्गमस्थल पर विश्वास न करने वाले लोगों द्वारा दी गई व्यथाएँ तुम्हें उद्विग्न न कर सकें। जब ईश्वरीय प्रतिज्ञा पूरी हुई और प्रतिज्ञापित अवतार का प्रकटीकरण हुआ, तब धरती के लोगों में विभेद उत्पन्न हुए और प्रत्येक जाति के लोग अपनी ही कल्पनाओं और व्यर्थ भावनाओं के पीछे दौड़ पड़े।

36. लोगों के बीच वह भी है जो दरवाज़े के पास जूतों के बीच बैठता है जबकि उसके दिल में सम्मान के आसन का लोभ है। कहो: कैसा व्यक्ति है तू, हे तुच्छ और असावधान ! तू जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और लोगों के बीच वह भी है जो अंतर्ज्ञान का और उस ज्ञान के भीतर और भी गहरे ज्ञान के छिपे होने का दावा करता है। कहो: झूठ बोलता है तू। ईश्वर की सौगन्ध ! जो कुछ तेरे पास है, वह भूसा है, जिसे हमने तेरे लिए वैसे ही छोड़ दिया है जैसे श्वानों के लिए हड्डियाँ छोड़ दी जाती हैं। ईश्वर की न्यायप्रियता की सौगन्ध ! अगर कोई पूरी मानवजाति के पाँव धो दे तथा जंगलों, घाटियों, पर्वतों और उच्च गिरिश्रृंगों पर ईश्वर की आराधना कर ले और अपनी आराधना के साक्ष्य रूप में चाहे एक-एक पेड़ या चट्टान या मिट्टी के टुकड़े को खड़ा कर ले, तो भी उसके कर्म ईश्वर को तब तक स्वीकार्य नहीं होंगे जब तक उसे मेरी कृपा की सुगन्ध न मिल जाए। ऐसा ही निर्णय दिया है उसने जो सब का स्वामी है। न जाने कितने लोगों ने स्वयं को भारतवर्ष के किसी एकान्त में अलग-थलग कर लिया, उन वस्तुओं के सेवन से इन्कार कर दिया जिन्हें ईश्वर ने उचित ठहराया है, स्वयं पर कठोरता और कुंठाएँ लाद लीं, फिर भी ऋचाओं के प्रकटकर्ता ईश्वर ने कभी उनका स्मरण नहीं किया। अपने कर्मों को तुम ऐसा जाल न बनाओ जिसमें तुम्हारी महत्वाकांक्षा का उद्देश्य उलझ कर रह जाये और स्वयं को उस सबसे अन्तिम उद्देश्य से वंचित न करो जिसके लिए सदा वे सभी लालायित रहे हैं जो ईश्वर के निकट पहुँच गए हैं। कहो: सभी कर्मों का वास्तविक जीवन-तत्त्व मेरी सद्कृपा है और सभी वस्तुएँ मेरी स्वीकृति पर निर्भर हैं। सर्वमहिमामय, सदा उदार कृपालु ईश्वर के ग्रन्थों में क्या निर्दिष्ट किया गया है इसे तुम पातियाँ पढ़कर जानो। जिसने मेरा प्रेम प्राप्त कर लिया है, वह प्रतिष्ठापूर्वक पूरे विश्व के ऊपर स्वर्णसिंहासन पर बैठने का अधिकारी है और जो उस प्रेम से वंचित है, वह हालाँकि धूल पर ही आसीन होगा, किन्तु वह धूल भी सभी धर्मों के स्वामी ईश्वर से शरण की याचना करेगी।

37. पूरे हजार वर्षों की परिसमाप्ति के पहले जो कोई ईश्वर से सीधे प्रकटीकरण का दावा करता है, वह निश्चय ही मिथ्यावादी और बढ़-चढ़ कर बोलने वाला होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे अपना दावा छोड़ देने में वह उदारतापूर्वक सहायता करे। यदि वह पश्चाताप करेगा तो ईश्वर उसे निःसंदेह क्षमा करेगा। किन्तु यदि वह अपनी भूल पर डटा रहा तो निश्चित रूप से ईश्वर उसे भेजेगा जो उसके साथ निर्दयतापूर्वक पेश आएगा। ईश्वर दंड देने में सत्य ही बड़ा भयानक है। जो कोई भी इस श्लोक की इसके सुस्पष्ट अर्थ से भिन्न व्याख्या करेगा, वह ईश्वरीय चेतना और सभी सृजित वस्तुओं को चतुर्दिक घेरे हुए उसकी करूणा से वंचित रहेगा। ईश्वर से डरो और अपनी व्यर्थ कल्पनाओं के पीछे मत भागो, बल्कि अपने सर्वशक्तिशाली, सर्वविवेकी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। शीघ्र ही अधिकांश भू-भागों में कोलाहल भरी आवाजें उठेंगी। हे मेरे लोगो ! उनकी ओर ध्यान न देना तथा अन्यायियों और दुष्ट हृदयों का अनुसरण न करना। यह पूर्व चेतावनी हमने तुम्हें तब भी दी थी जब हम इराक में निवास कर रहे थे, फिर तब जब हम ‘रहस्य- भूमि’[[1]](#footnote-1) में थे और अब इस ‘प्रभासित स्थल’[[2]](#footnote-2) में।

38. निराश मत होना, हे जगत के लोगो ! जब मेरे सौन्दर्य का सूर्य अस्त हो जाए और मेरा काया रूपी आकाश तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो जाए। मेरे धर्म के अभ्युत्थान और लोगों के बीच मेरे शब्द के उन्नयन के लिए उठ खड़े होना। हम सदासर्वदा तुम्हारे साथ हैं और सत्य की शक्ति से तुम्हें सुदृढ़ करते रहेंगे। हम यथार्थतः सर्वशक्तिमान हैं। जिस किसी ने मुझे पहचान लिया है वह ऐसे दृढ़निश्चय के साथ मेरी सेवा के लिए उठ खड़ा होगा कि धरती और आकाश की सारी शक्तियाँ उसके उद्देश्य को विफल नहीं कर पाएँगी।

39. दुनिया के लोग गहरी नींद में सोए पड़े हैं। यदि वे अपनी निद्रा से जाग पाते तो वे तीव्र उत्कंठा से सर्वज्ञ, सर्वप्रज्ञ ईश्वर की ओर दौड़ पड़ते। वे अपना सर्वस्व त्याग देते - चाहे वह पृथ्वी की समस्त सम्पदा ही क्यों न हो - ताकि उनके प्रभु उन्हें मात्र एक शब्द से भी सम्बोधित करने का स्मरण कर पायें। अपनी एक पाती में, जिसे सृष्टि की आँखों ने नहीं देखा है और जिसे उन लोकों के सर्वशक्तिमान संरक्षक ने अपने आत्मरूप को छोड़कर अन्य किसी के आगे प्रकट नहीं किया है, उन निगूढ़ वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले के द्वारा तुम्हें ऐसा ही निर्देश दिया गया है। अपनी दुष्ट इच्छाओं की मदिरा के उन्माद में वे इतने किंकर्त्‍तव्‍यविमूढ़ हैं कि वे सभी सृजित वस्तुओं के प्रभु को पहचानने में असमर्थ हैं जिसकी आवाज प्रत्येक दिशा से पुकार रही है: ‘‘मुझ शक्तिमान, सर्वप्रज्ञ के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है।’’

40. कहो: अपने अधिकार की वस्तुओं के लिए आनन्दमग्न न हो, आज रात वे तुम्हारी हैं, कल वे किसी और की हो जाएंगी। वह जो सर्वज्ञाता, सर्वसूचित है, तुम्हें इस प्रकार चेतावनी देता है। कहो: क्या तुम यह दावा कर सकते हो कि जो कुछ तुम्हारा है, वह चिरस्थायी और संरक्षित है ? नहीं, मुझ सर्वदयालु की सौगन्ध ! तुम यह दावा नहीं कर सकते यदि तुम उनमें से हो जो न्यायोचित निर्णय लेते हैं। तुम्हारे जीवन के दिन हवा की झोकों की तरह भागते जा रहे हैं और तुम्हारा सारा यश और वैभव उसी तरह सिमट जायेगा जैसे उनके यश और वैभव सिमट गए जो तुमसे पहले चले गये हैं। हे लोगो ! विचार करो, तुम्हारे विगत दिनों का क्या हुआ, तुम्हारी विगत शताब्दियों का क्या हुआ ? आनन्द के हैं वे दिन जो ईश्वर के स्मरण हेतु अर्पित किए गए हैं और धन्य हैं वे घड़ियाँ जो उस सर्वप्रज्ञ के गुणगान में व्यतीत की गई हैं। मेरे जीवन की सौगन्ध ! न तो ताकतवर की शान, न धनवानों के वैभव और न ही ईश्वर से विमुख लोगों के प्रभुत्व का स्थायी अस्तित्व होगा। उसके एक शब्द से सब विनष्ट हो जायेंगे। वह सत्य ही सर्वशक्तिमान, सबको बाध्य करने वाला, सर्वाधिक सामर्थ्‍यवान है। उन पार्थिव वस्तुओं से क्या लाभ हैं जो मनुष्य के अधिकार में हैं ? जो उनके लिए लाभदायक हैं, उनकी तो सर्वथा उपेक्षा की गई है। शीघ्र ही वे अपनी निद्रा से जागेंगे और सर्वशक्तिमान, सर्वप्रशंसित ईश्वर के दिनों में जो उनसे छूट गए हैं, उन्हें पाने में वे स्वयं को असमर्थ महसूस करेंगे। काश ! वे यह जानते तो वे अपना सब कुछ त्याग देते ताकि उनके नाम का उल्लेख ईश्वरीय सिंहासन के समक्ष हो सके। सत्य ही ऐसे लोग मृतकों में गिने जाते हैं।

41. लोगों के बीच वह भी है, जिसके ज्ञान ने उसे अभिमान से भर दिया है और इस कारण मुझ स्वयंजीवी के नाम को पहचानने में विफल हो गया है। जब वह अपने पीछे जूतों की आहट सुनता है तो आत्माभिमान में नमरूद से भी ज्यादा फूल जाता है। कहो: अरे हे बहिष्कृत ! अब कहाँ है उसका ठिकाना ? ईश्वर की सौगन्ध! यह सबसे निम्न कोटि की आग है। कहो: हे धर्मगुरुओ के समूह ! क्या तुम मेरी सर्वाधिक श्रेष्ठ लेखनी की तीक्ष्ण पुकार नहीं सुनते ? क्या तुम सर्वमहिमावान क्षितिज के ऊपर देदीप्यमान आभा से चमकते इस सूर्य को नहीं देखते ? कब तक तुम अपनी कुत्सित भावनाओं की मूर्तियों को पूजते रहोगे ? त्याग दो अपनी निरर्थक कल्पनाएँ और अपने अनन्त स्वामी ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाओ।

42. परोपकार सम्बन्धी कार्यों के लिए समर्पित सम्पत्ति संकेतों को प्रकट करने वाले ईश्वर के अधीन होगी। प्रकटीकरण के उदयस्थल की अनुमति के बिना उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसके बाद यह अधिकार अग़सानो को प्राप्त होगा, तत्पश्चात् न्याय मंदिर को, यदि उस समय तक दुनिया में उसकी स्थापना हो गई हो, ताकि वे इन सम्पत्तियों का उपयोग इस धर्म में महिमामंडित किए गए स्थलों के हित के लिए तथा जो कुछ भी शक्ति और सामर्थ्‍य के परमेश्वर द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनके लिए करें अन्यथा ये सम्पत्तियाँ बहा के लोगों के सुपुर्द मानी जाएंगी। वे परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं बोलते और ईश्वर द्वारा इस पाती में दिए गए निर्णय के अनुसार ही न्याय करते हैं। अरे, वे तो धरती और आकाश के बीच विजय के महारथी हैं। इन सम्पत्तियों का उपयोग वे उस विधि से करें जिसको शक्तिमान, उदार ईश्वर द्वारा ग्रन्थ में निर्धारित किया गया है।

43. अपनी परीक्षा की घड़ियों में विलाप न करो, न ही आनन्द मनाओ। तुम मध्यम मार्ग अपनाने की चेष्टा करो। अपनी व्यथाओं में मेरा स्मरण करो और भविष्य में जो कुछ तुम पर आ पड़ने वाला है, उस पर चिन्तन करो। यही मध्यम मार्ग है। इस प्रकार तुम्हें सूचित करता है वह जो सर्वज्ञ है, जो प्रत्येक बात से अवगत है।

44. अपने सिरों का मुण्डन न करो। ईश्वर ने उन्हें बालों से सुशोभित किया है और इसमें सृष्टि के प्रभु द्वारा उनके लिए संकेत है जो प्रकृति की ज़रूरतो पर विचार करते हैं। वह सत्य ही शक्ति और विवेक का परमेश्वर है। फिर भी यह जान लो कि बालों को अपने कानों की सीमा से परे जाने देना शोभनीय नहीं है। उसके द्वारा, जो सभी लोगों का स्वामी है, ऐसा ही आदेश दिया गया है।

45. चोर के लिए जेल और देशनिकाला देने का आदेश दिया गया है। यदि वह तीसरी बार भी अपराध करे तो तुम उसकी ललाट पर एक निशान अंकित कर दो। इस तरह पहचाने जाने पर वह ईश्वर के नगरों और देशों में स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। सावधान रहो, कहीं दया के वशीभूत होकर तुम ईश्वरीय धर्म के विधान को क्रियान्वित करने में उपेक्षा न बरतने लगो। वही करो जो उस करूणामय और दयावान ने तुम्हें करने को कहा है। हम विवेक और विधानों की छड़ी से तुम्हें वैसे ही अनुशासित करते हैं जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षित करता है और वह भी तुम्हारी अपनी ही सुरक्षा के लिए, तुम्हारा स्थान ऊपर उठाने के लिए। मेरे जीवन की सौगन्ध ! काश ! अगर तुम यह खोज पाते कि अपने पवित्र विधानों को प्रकट करने में हमने तुम्हारे लिए क्या इच्छा की है तो इस पवित्र, शक्तिशाली, सर्वोच्च धर्म के लिए तुम अपनी आत्माएँ समर्पित कर देते।

46. जो कोई सोने-चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहे, स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। सावधान रहो, भोजन ग्रहण करते समय तुम कटोरी और तश्तरियों में रखे भोजन में अपने हाथ न डुबा लो। ऐसी विधि अपनाओ जो सर्वाधिक उत्कृष्ट कोटि की हो। वह सत्य ही तुम्हें अपने सामर्थ्‍यवान और सर्वाधिक उच्च स्वर्ग के सहचरों की तरह व्यवहार करते देखना चाहता है। प्रत्येक दशा में तुम उत्कृष्टता का दामन थामो ताकि तुम्हारी आँखें उन्हें देखने से बचें जो स्वयं तुम्हारे तथा स्वर्ग के निवासियों की दृष्टि में घृणा के योग्य हैं। अगर कोई इस नियम से परे हटेगा तो उसके कर्म उस क्षण निष्फल हो जायेंगे; किन्तु यदि उसके पास उचित कारण है तो ईश्वर उसे क्षमादान देगा। वह यथार्थतः दयालु, परम उदार है।

47. वह जो ईश्वर के धर्म का उदयस्थल है, उसकी परम महान दोषमुक्तता में उसका कोई सहभागी नहीं है। वह वही है जो सृष्टि के साम्राज्य में ‘‘वह जो चाहता है, करता है’’ का आविर्भाव है। दोषमुक्त होने की इस विशेषता को ईश्वर ने सिर्फ अपने ही आत्मस्वरूप तक सीमित रखा है और इस अत्यंत उच्च व ज्ञानातीत पद का सहभागी किसी भी अन्य को नहीं बनाया है। यह ईश्वर का निर्णय है जो अब तक अभेद्य रहस्य के आवरण में छिपा हुआ था। इस प्राकट्य काल में हमने उसे अनावृत किया है और उसके द्वारा उन सबके आवरणों को एक साथ छिन्न-भिन्न कर दिया है जो ईश्वर की पुस्तक में प्रस्तावित विधानों को पहचानने में विफल रहे हैं और जिनकी गणना असावधानों में की जाती थी।

48. प्रत्येक पिता पर यह दायित्व दिया गया है कि वह अपने पुत्र-पुत्रियों को पढ़ने-लिखने में और जो कुछ भी पवित्र पाती में है उसमें निपुण बनाये। वह जो इस आदेश की उपेक्षा करे, यदि वह अमीर हो तो न्यासधारी उसके बच्चों के शिक्षण के लिए आवश्यक धन उससे प्राप्त करें और यदि वह निर्धन हो तो यह विषय न्याय मंदिर के निर्णयाधीन होगा। निश्चय ही न्याय मंदिर को हमने गरीबों और ज़रूरतमंदों का शरणस्थल बनाया है। जो कोई अपने या किसी अन्य के पुत्र का पालन-पोषण करता है वह मानों मेरे ही पुत्र का पोषण करता है, उस पर मेरा प्रताप, मेरी स्निग्ध करूणा और मेरी दया विराजे, जिसने विश्व को घेर रखा है।

49. प्रत्येक व्यभिचारी पुरुष और स्‍त्री पर ईश्वर ने दण्ड का विधान लागू किया है जो न्याय मंदिर को भुगतान किया जाएगा। यह दण्ड नौ मिसक़ाल सोना होगा और यदि दुबारा अपराध किया गया तो दोगुना जुर्माना लागू होगा। वह जो नामों का स्वामी है, उसने इस लोक में उन पर यही दंड निर्धारित किया है जबकि परलोक में उनके लिए अवमाननापूर्ण क्लेश निश्चित किया गया है। यदि कोई किसी पाप से उत्पीड़ित हो तो उसके लिए उचित है कि वह पश्चाताप करे और अपने प्रभु की ओर उन्मुख हो। वह निश्चित रूप से उसे क्षमा कर देता है जिसे वह क्षमा कर देना चाहता है और जो कुछ भी वह निर्धारित करना चाहता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। वह सत्य ही सर्वदा क्षमाशील, सर्वशक्तिमान, सर्वप्रशंसित है।

50. सावधान रहो, अभिमान के आवरण कहीं तुम्हें इस जीवन्त निर्झर के शुभ और शुद्ध जल के रसास्वादन से वंचित न कर दें। उसके नाम पर, जो प्रभात के आगमन का कारण है, इस उषाकाल में तुम मुक्ति के इस अमृतपात्र को ग्रहण करो और उस सर्वमहिमावान और अतुलनीय की जय-जयकार करते हुए इसका जी भर कर पान करो।

51. हमने इस बात को विधिसम्मत बनाया है कि तुम गीत-संगीत का श्रवण कर सकते हो। परन्तु सावधान रहो, उनके श्रवण से कहीं तुम औचित्य और मर्यादा की सीमा न लाँघ जाओ। तुम्हारा आनन्द मेरे सर्वोच्च नाम से जन्मा हुआ आनन्द हो, वह नाम जो हृदय को भावविभोर कर देता है और जो ईश्वर के सन्निकट है उनके मन-मस्तिष्क को आनन्दविभोर कर देता है। हमने सत्य ही, संगीत को तुम्हारी आत्माओं के लिए एक सीढ़ी के रूप में रचा है, एक ऐसे साधन के रूप में जिससे तुम्हारी आत्माएँ उच्च अवस्था को प्राप्त हों। अतः उसे स्वार्थ और वासना के पंख मत बनाओ। सचमुच हमें इस बात से घृणा है कि हम तुम्हें मूर्खों में गिने जाते देखें।

52. हमने आदेश दिया है कि सभी प्रकार के दंडों का तीसरा अंश ‘न्याय के आसन’ को प्राप्त होगा और इसके सदस्यों को हम विशुद्ध न्याय करने की चेतावनी देते हैं, ताकि इस प्रकार संचित धन को वे ऐसे उद्देश्यों में खर्च करें जिनके लिए उसने, जो सर्वज्ञ और सर्वप्रज्ञ है, उन्हें उत्तरदायी ठहराया है। हे न्याय करने वालो ! ईश्वर के साम्राज्य में उनकी भेड़ों के चरवाहे की तरह बनो और छद्मवेष में उनके आखेट के लिए मँडराते भेड़ियों से उनकी वैसे ही रक्षा करो जैसे तुम अपने बच्चों की रक्षा करते हो। वह जो परामर्शदाता, विश्वास का पात्र है, तुम्हें इस तरह का उपदेश देता है।

53. यदि तुम्हारे बीच किसी विषय पर मतभेद उत्पन्न हो तो उसे ईश्वर के पास ले जाओ, जब तक इस दिव्याकाश के क्षितिज पर सूर्य प्रकाशमान है, और जब वह डूब जाए तो जो कुछ भी उसने तुम्हारे पास भेजा है, उसी के पास अपने विवाद का हल ढूँढ़ो। सत्य ही, विश्व के लोगों के लिए यह पर्याप्त है। कहोः जब मेरी उपस्थिति की महिमा सिमट जाए और मेरी वाणी का महासागर शांत हो जाए तो अपने हृदयों को व्यथित मत होने देना। तुम्हारे बीच मेरे उपस्थित रहने में एक प्रकार का विवेक है और मेरे अनुपस्थित होने में एक अन्य प्रकार का विवेक जो अतुलनीय, सर्वज्ञ ईश्वर के सिवाय अन्य सबके लिए अगम्य है। सत्य ही, हम अपनी महिमा के साम्राज्य से तुम्हें निहारते हैं और जो कोई भी हमारे धर्म की विजय के लिए उठ खड़ा होगा, हम उसकी मदद उच्च लोक की असंख्य आत्माओं और अपने चुने हुए देवदूतों के समूह के द्वारा करेंगे।

54. हे धरती के लोगो! शाश्वत सत्य ईश्वर मेरा साक्षी है कि तुम्हारे अप्रतिबंधित स्वामी द्वारा उच्चरित शब्दों के माधुर्य के माध्यम से चट्टानों से होकर स्वच्छ और मन्दप्रवाही जल के सोते प्रवाहित हुए हैं और तुम अब भी सोए हो। जो कुछ भी तुम्हारे अधीन है उसे त्याग दो और अनासक्ति के पंखों पर सवार होकर सभी सृजित वस्तुओं से ऊपर उड़ान भरो। इस प्रकार आज्ञा देता है तुम्हें सृष्टि का प्रभु, जिसकी लेखनी के स्पन्दन ने मानव की आत्मा को आन्दोलित कर दिया है।

55. क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सर्वमहिमावान प्रभु तुम्हें किन ऊँचाईयों से पुकार रहा है ? क्या तुम सोचते हो कि तुमने उस लेखनी को पहचान लिया है जिससे तुम्हारा स्वामी, सभी नामों का प्रभु, तुम्हें आदेश देता है ? नहीं, मेरे जीवन की सौगन्ध ! अगर तुम यह जानते तो पूरी दुनिया को त्याग देते और अपने पूरे हृदय से परम प्रियतम के दरबार की ओर दौड़ जाते। उसके शब्दों से तुम्हारी आत्मायें इतना ऊपर उठ जातीं कि आनन्द के अतिरेक में आकर तुम वृहत ब्रह्माण्ड में उथल-पुथल मचा देते, इस लघु विश्व की तो बात ही क्या है ! इस तरह मेरी उदारता की फुहारें मेरी दया के प्रतीकस्वरूप, मेरी प्रेमपूर्ण दयालुता के आकाश से बरसी हैं, काश, तुम कृतज्ञ बन पाते!

56. किसी व्यक्ति को घायल करने या उसे चोट पहुँचाने के दंडस्वरूप न्याय के स्वामी ने एक खास मुआवजा निर्धारित किया है जो चोट की गम्भीरता पर निर्भर है। वह, सत्यतः विधाता है, सामर्थ्‍यवान है, सर्वोच्च है। यदि हमारी इच्छा होगी तो हम इन मुआवजों को उचित परिमाण में निर्धारित कर देंगे। यह हमारी ओर से वचन है और वह निश्चय ही अपने वचन का रखवाला है, सभी वस्तुओं का ज्ञाता है।

57. निश्चित रूप से तुम्हें यह आदेश दिया गया है कि प्रत्येक माह में तुम एक सहभोज का आयोजन करो, भले ही केवल जल से आतिथ्य-सत्कार किया जाये, क्योंकि ईश्वर की योजना लौकिक और पारलौकिक दोनों ही साधनों से दिलों को जोड़ने की है।

58. सावधान रहो ! दैहिक कामनायें और भ्रष्ट प्रवृत्तियाँ तुम्हारे बीच विभेद न उत्पन्न कर दें। तुम सब एक ही हाथ ही अंगुलियों, एक ही शरीर के अंगों की तरह बनो। दिव्य प्रकटीकरण की लेखनी तुम्हे इस भाँति परामर्श देती है, अगर तुम उनमें से बनो जो आस्थावान हैं।

59. ईश्वर की करूणा और उसके उपहारों का विचार करो। वह तुम्हारे लिए वही आदेशित करता है जिससे तुम्हारा कल्याण हो, हालाँकि वह स्वयं ही सभी रचित वस्तुओं से स्वतंत्र है। तुम्हारे दुष्कर्म हमें कोई हानि नहीं पहुँचा सकते और न ही तुम्हारे सद्कार्य हमें कोई लाभ पहुँचा सकते हैं। हम सिर्फ ईश्वर के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। प्रत्येक विवेकशील और अन्तर्दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति इस बात का साक्षी देगा।

60. यदि तुम्हें शिकार पकड़ने वाले पशु-पक्षियों की मदद से आखेट करना हो तो उन्हें इस कार्य के लिए भेजते हुए ईश्वर के नाम का आह्वान करो क्योंकि तब वे जो कुछ भी पकड़ कर लायेंगे वह तुम्हारे लिए विधिसम्मत होगा, भले ही उनके द्वारा पकड़ा हुआ शिकार तुम्हें मृत रूप में उपलब्ध हो। ईश्वर यथार्थ रूप में सर्वज्ञ, सर्वसूचित है। तथापि सावधान रहो, कहीं तुम आवश्यकता से अधिक शिकार न करने लगो। प्रत्येक विषय में तुम न्याय और समता के पथ पर चलो। तुम्हें इस प्रकार आदेश देता है वह, जो प्रकटीकरण का उदयस्थल है, काश, तुम इसे समझ सको।

61. ईश्वर ने तुम्हें आदेश दिया है कि मेरे परिवार के लोगों के प्रति तुम दयालुता प्रदर्शित करो परन्तु ‘उसने’ दूसरों की सम्पत्ति पर उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया है। वह, सत्य ही, स्वयंमेव पर्याप्त है, और अपने प्राणियों की किसी प्रकार की आवश्यकता से परे है।

62. यदि कोई जान-बूझकर किसी के घर में आग लगाए तो तुम उसे भी अग्निसात् कर दो। यदि कोई जान-बूझकर किसी की जान ले तो तुम उसे भी प्राणदंड दो। अपनी पूरी शक्ति से तुम ईश्वर के निर्देशों का अवलम्बन लो और अज्ञानियों के तौर-तरीके त्याग दो। यदि तुम आगजनी करने वाले या हत्यारे को आजीवन कारावास में डालना चाहो तो ‘‘ग्रंथ’’ इसकी अनुमति देता है। सत्य ही उसे शक्ति है कि वह जो चाहे आदेश दे।

63. ईश्वर ने तुम्हारे लिए विवाह का नियम निर्धारित किया हैं। सावधान रहो, तुम दो से अधिक पत्नियाँ न रखो। जो कोई भी ईश्वर की सेविकाओं में से किसी एक को पत्नी बनाकर संतुष्ट हो जाए तो वे दोनों ही स्‍त्री-पुरूष शांति से निवास करेंगे। और जो कोई किसी कुमारिका को अपनी सेवा में रखेगा वह मर्यादा के साथ ऐसा करे। दिव्य प्रकटीकरण की लेखनी द्वारा सत्य और निष्पक्ष रूप से ऐसा ही अध्यादेश अंकित किया गया है। हे लोगो ! विवाह के बन्धन में बंधो ताकि तुम उसे जन्म दे सको जो मेरे सेवकों के बीच मेरा उल्लेख करेगा। यह तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, अपनी सहायता के रूप में दृढ़ता से इसका पालन करो।

64. हे दुनिया के लोगो ! स्वार्थ के बहकावे में न आओ क्योंकि यह तुम्हें धूर्तता और वासना की ओर प्रेरित करता है। तुम उसका अनुसरण करो जो सभी सृजित वस्तुओं का अधिपति है और जो तुम्हें पवित्रता धारण करने तथा ईश्वर से भय रखने की आज्ञा देता है। वह सत्य ही अपनी सभी सृजित वस्तुओं से स्वतंत्र है। सावधान रहो, धरती पर सुसंस्थापित व्यवस्था में तुम बाधा न उत्पन्न करो। जो कोई ऐसा करता है, वह हमारा नहीं है और हम उससे अलग हैं। प्रकटीकरण के आकाश से, सत्य की शक्ति के द्वारा, ऐसा ही आदेश प्रकट किया गया है।

65. ‘बयान’ में निर्धारित किया गया है कि विवाह दोनों ही पक्षों की सहमति पर निर्भर है। अपने सेवकों के बीच प्रेम, एकता और सहमति बनाए रखने की कामना से हमने विवाह को, युवक-युवती की इच्छा स्पष्ट हो जाने के बाद, दोनों पक्षों के माता-पिता की अनुमति पर आधारित किया है ताकि उनके बीच मतभेद और विद्वेष का जन्म न हो। इसमें हमारे अन्य उद्देश्य भी हैं। इस तरह हमारा आदेश निर्धारित किया गया है।

66. कोई भी विवाह दहेज अदा किए बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता जो कि नगर के निवासियों के लिए 19 मिसक़ाल विशुद्ध सोना और ग्रामवासियों के लिए उतनी ही चाँदी के रूप में निश्चित किया गया है। यदि कोई इससे अधिक अदा करना चाहे तो उसे पंचानवें मिसक़ाल से आगे बढ़ने से मना किया गया है। गरिमा और सामर्थ्‍य के साथ ऐसा ही आदेश अंकित किया गया है। यदि वह न्यूनतम सीमा के भुगतान पर ही संतोष कर ले तो ग्रन्थ के अनुसार यह उसके लिए उपयुक्त होगा। सत्य ही, ईश्वर जिस किसी को भी चाहता है उसे धरती और आकाश दोनों के ही साधनों से सम्पन्न बना देता है। उसका आधिपत्य सत्यतः, प्रत्येक वस्तु पर है।

67. ईश्वर द्वारा यह आदेश दिया गया है कि यदि उसका कोई सेवक यात्रा पर जाना चाहे तो उसे अपनी पत्नी के लिए अपने वापस लौटने का समय अवश्य ही निर्धारित कर देना चाहिए। यदि वह वचन दिए हुए समय के अन्तराल में लौट आता है तो उसने अपने प्रभु के दिए हुए आदेश का पालन किया है और उसकी आज्ञा की लेखनी द्वारा ऐसे व्यक्ति की गणना सच्चरित्र लोगों में की जाएगी। यदि देर होने का कोई उचित कारण हो तो वह अपनी पत्नी को अवश्य ही सूचित करे और उसके पास लौट आने का पूर्ण प्रयास करे। यदि दोनों ही बातें घटित न हुई हों तो पत्नी को चाहिए कि वह नौ महीने की अवधि तक इन्तजार करे जिसके बाद दूसरा पति खोज लेने में उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। किन्तु यदि कोई महिला इससे ज्यादा समय इन्तजार कर सके तो, सत्य ही, ईश्वर धैर्य प्रदर्शित करने वाले प्रत्येक स्‍त्री-पुरुष को प्रेम करता है। तुम मेरे आदेशों का पालन करो और उनका अनुसरण न करो जो अधर्मी हैं, ईश्वर की पवित्र पाती में ऐसे लोगों की गणना पापियों में की गई है। यदि प्रतीक्षा की अवधि में उसके पति का संदेश उसे प्राप्त हो जाए तो उसे वही मार्ग चुनना चाहिए जो प्रशंसनीय हो। ईश्वर यथार्थ में यह चाहता है कि उसके दास-दासी परस्पर शांति के साथ रहें। सावधान रहो, कि तुम ऐसा कुछ न करो जो तुम्हारे बीच दुराग्रह भड़काए। इस तरह दिव्य निर्णय निर्धारित कर दिया गया है और दिव्य वचन को पूर्ति की स्थिति में ला दिया गया है। यदि उसके पति की मृत्यु अथवा हत्या की खबर मिल जाये और सामान्य ब्योरों से अथवा दो निष्पक्ष गवाहों के प्रमाण से उसकी पुष्टि हो जाए तो पत्नी के लिए योग्य है कि वह अकेली ही रहे और महीनों की निर्धारित समयावधि के उपरान्त वह अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है। वह जो अपने आदेश में शक्तिशाली और सामर्थ्‍यवान है, ऐसी ही आज्ञा देता है।

68. यदि पति-पत्नी के बीच अप्रसन्नता या विरोध उत्पन्न हो जाये तो पति उसे त्याग न दे बल्कि पूरे एक वर्ष की अवधि तक धैर्य के साथ रहे ताकि कहीं संयोगवश उन दोनों के बीच स्नेह की सुगन्ध का नवसृजन हो जाये। अगर इस अवधि की समाप्ति के बाद भी उनमें स्नेह भावना न उत्पन्न हो तो परित्याग किया जा सकता है। ईश्वर के विवेक ने प्रत्येक वस्तु को चतुर्दिक घेर लिया है। अपने आदेश की लेखनी से अंकित एक पाती में ईश्वर ने उस परम्परा का निषेध किया है जिसके अन्तर्गत तुम पहले पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक दे सकते थे। ऐसा ईश्वर ने अपनी ओर से कृपा के रूप में किया है ताकि तुम्हारी गिनती कृतज्ञ लोगों में की जा सके। वह जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, उससे प्रत्येक माह की समाप्ति पर पुनर्विवाह कर सकता है, बशर्ते दोनों के बीच परस्पर स्नेह और सहमति हो जाये और स्‍त्री दूसरे पुरुष का वरण न कर चुकी हो। यदि उस स्‍त्री ने अन्यत्र विवाह कर लिया है तो इस संयोग से परित्याग की पुष्टि हो जाती है और विषय का पटाक्षेप हो जाता है, जब तक उसकी परिस्थितियाँ बदल नहीं जाती हैं। इस तरह इस गौरवमय पाती में उसके द्वारा दिव्य निर्णय की महिमा अंकित की गई है, जो सौन्दर्य का उद्यस्थल है।

69. यदि पत्नी अपने पति के साथ यात्रा पर हो और दोनों के बीच मार्ग में ही मतभेद उत्पन्न हो जाए तो पति को चाहिए कि उसे पूरे एक वर्ष के खर्च की राशि दे और या तो खुद उसे वहाँ तक पहुँचाए जहाँ से वह आई थी या यात्रा की आवश्यक वस्तुओं के साथ उसे ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दे जो उसे घर तक सुरक्षित पहुँचा दे। तेरा प्रभु, सत्य ही, धरती के लोगों को आच्छादित करने वाली अपनी सम्प्रभुता के कारण जैसा चाहता है वैसा आदेश देता है।

70. यदि किसी महिला को विश्वासघात के किसी प्रमाणित आचरण के कारण तलाक दिया गया हो तो उसे प्रतीक्षा की घड़ी में जीवन-यापन का कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस तरह हमारे ईश्वरीय आदेश का सूर्य न्याय के आकाश से दैदीप्यमान होकर चमका है। सत्य ही, ईश्वर एकता और समरसता से प्रेम करता है तथा पृथकता और तलाक से घृणा करता है। हे लोगो ! आनन्द और उल्लास के साथ तुम मिलजुल कर रहो। मेरे जीवन की सौगन्ध ! धरती पर जो कुछ भी है वह विनष्ट हो जाएगा जबकि केवल अच्छे कर्म ही अविनाशी रहेंगे। मेरे शब्दों की सत्यता का साक्षी स्वयं ईश्वर है। हे मेरे सेवको ! अपने मतभेदों को भुला दो और तब हमारी महिमा की लेखनी की चेतावनी पर ध्यान दो और हठधर्मियों और पथभ्रष्टों के मार्ग पर न चलो।

71. सतर्क रहो, दुनिया तुम्हें भी उसी तरह न छले जैसे उसने तुमसे पहले आए लोगों को छला है। अपने प्रभु के विधानों और उपदेशों का पालन करो और उसी ‘मार्ग’ पर चलो जो तुम्हारे समक्ष सत्य और सद्वृत्ति में प्रशस्त किया गया है। जो कुटिलता और दोष से बचते हैं तथा पुण्य कर्मों का दामन थामते हैं, वे एकमेव सत्य ईश्वर की दृष्टि में उसकी सभी सृजित वस्तुओं में श्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च लोक के देवदूत और ईश्वर के नाम पर लगाये गए इस मंडपवितान के निवासी उनके नामों का गुणगान करते हैं।

72. तुम्हें दास-व्यापार में लिप्त होने से मना किया गया है, चाहे वह स्‍त्री हो अथवा पुरुष। जो स्वयं एक दास है उसके लिए ईश्वर के अन्य दासों को खरीदना उचित नहीं है और ईश्वर की पवित्र पाती में ऐसा करना निषिद्ध है। उसकी करुणा से न्याय की लेखनी ने इस तरह आदेश लिपिबद्ध किया है: ‘‘कोई व्यक्ति अपने को दूसरे से श्रेष्ठ न समझे, प्रभु के समक्ष सभी उसके क्रीतदास हैं और वे सभी दृष्टांत यही सत्य उद्घाटित करते हैं कि उसके सिवा अन्य कोई ईश्वर नहीं है। वह सत्य ही, सर्वप्रज्ञ है, जिसका विवेक सभी वस्तुओं को चतुर्दिक घेरे हुए है।’’

73. स्वयं को शुभ कर्मों के परिधान से अलंकृत करो। जिसके कर्म ईश्वर की सद्कृपा को प्राप्त होते हैं वह निश्चितरूपेण बहा का जन है और उसके सिंहासन के समक्ष स्मरण किया जाता है। सच्चरित्र कर्मों तथा विवेक और वाणी से तुम सम्पूर्ण सृष्टि के स्वामी की सहायता करो। सर्वकरुणामय की अनेकानेक पातियों में तुम्हें वस्तुतः ऐसा ही आदेश दिया गया है। वह सत्य ही मेरे कथन का अभिज्ञाता है। कोई भी किसी से विवाद न करे और कोई भी आत्मा दूसरी आत्मा का हनन न करे। यथार्थतः, गौरव के शिविर में छिपा कर रखे गए ग्रन्थ में तुम्हें इस बात से मना किया गया है। यह क्या ! क्या तुम उसकी जान लोगे जिसे ईश्वर ने स्पन्दित किया है, जिसे अपनी एक श्वाँस से उसने अस्तित्ववान बनाया है ? उसके सिंहासन के आगे तुम्हारा यह सीमोल्लंघन महा दुखदायी होगा। ईश्वर से डरो और जिसे उसने स्वयं निर्मित किया है उसे विनष्ट करने के लिए अन्याय और अत्याचार के हाथ मत बढ़ाओ। नहीं, उस एकमेव सत्य ईश्वर के मार्ग पर चलो। दिव्य उद्घोष के ध्वज लिए हुए सत्य ज्ञान के सेनानियों के आते ही धर्मों के सम्प्रदाय भाग खड़े हुए, बच गए सिर्फ वे जो सर्वमहिमावान की श्वाँस से सृजित स्वर्ग में अनन्त जीवन के निर्झर के नीर पीने की अभिलाषा से भरे थे।

74. अपने जीवों पर अपनी करुणा के संकेतस्वरूप ईश्वर ने निर्णय दिया है कि वीर्य अपवित्र नहीं है। आनन्द और प्रफुल्लता से उसका धन्यवाद करो और उनका अनुसरण मत करो जो उसकी निकटता के उदयस्थल से दूर हैं। प्रत्येक परिस्थिति में धर्म की सेवा के लिए उठो, क्योंकि ईश्वर, निश्चितरूपेण, सभी लोकों को आच्छादित करने वाली अपनी सम्प्रभुता से तुम्हारी सहायता करेगा। तुम इतनी दृढ़ता से उत्कृष्टता का दामन पकड़ो कि तुम्हारे वस्‍त्रों पर गन्दगी का नामोनिशान न हो। उसका, जो सभी उत्कृष्टताओं से परे महापावन है, ऐसा ही आदेश है। जो कोई समुचित कारण से इस मापदंड पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता, वह दोषी नहीं माना जाएगा। ईश्वर यथार्थतः क्षमाशील, दयावान है। प्रत्येक दूषित या मैली वस्तु को ऐसे जल से स्वच्छ करो जिसमें तीन में से एक भी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो। सावधान रहो कि तुम ऐसे जल का प्रयोग न करो जो हवा अथवा अन्य कारणों से प्रदूषित हो। तुम लोगों के बीच स्वच्छता का सारतत्व बनकर रहो। सत्यतः, यही है जिसे तुम्हारा स्वामी, अतुलनीय, सर्वप्रज्ञ, तुम्हारे लिए चाहता है।

75. ईश्वर ने अपनी ओर से उदारतास्वरूप ‘‘अस्वच्छता’’ की वह धारणा, जिसके अन्तर्गत विविध वस्तुओं और लोगों को अशुद्ध करार दिया गया है, समाप्त कर दी है। वह निश्चित रूप से सदा क्षमाशील, सर्वाधिक उदार है। सत्य ही, रिज़वान के उस प्रथम दिन जबकि हमने सम्पूर्ण सृष्टि पर अपने सर्वोत्कृष्ट नामों तथा सर्वोच्च गुणों की आभाएं बिखेरी थीं तब, सभी सृजित वस्तुएँ पवित्रता के सागर में समाहित हो गई थीं। यथार्थ रूप में यह मेरी स्नेह भरी कल्याण-भावना का प्रतीक है जिसने सम्पूर्ण विश्व को घेर रखा है। अतः, तुम प्रत्येक धर्मावलम्बी के साथ मिल-जुल कर रहो और अपने सर्वाधिक दयावान प्रभु के धर्म का उद्घोष करो। यदि तुम समझदारों में से हो तो यही सभी कर्मों का सिरमौर है।

76. ईश्वर ने तुम्हें अतिशय स्वच्छता बरतने का आदेश दिया है। अत्यधिक मलिनता की बात तो छोड़ो, परमात्मा ने धूल से धूसरित वस्तु को धो डालने की सीमा तक अतिशय स्वच्छता बरतने की तुम्हें आज्ञा दी है। उससे डरो और उनमें से बनो जो पवित्र हैं। यदि किसी के वस्‍त्र पर एक दाग भी दिखलाई पड़ता हो तो उसकी प्रार्थनाएँ ईश्वर तक नहीं पहुँचेंगी और स्वर्ग के देवदूत उससे मुँह फेर लेंगे। गुलाबजल और विशुद्ध इत्र का प्रयोग करो। अनादि काल से ईश्वर ने वस्तुतः यही चाहा है ताकि तुमसे वह निःसृत हो जो तुम्हारे अतुलनीय प्रभु सर्व-प्रज्ञ की इच्छा है।

77. ईश्वर ने ‘बयान’ में उल्लिखित पुस्तकों के विनाश से सम्बन्धित अधिनियम से तुम्हें मुक्त किया है। हमने तुम्हें ऐसे विज्ञानों के अध्ययन की अनुमति दी है जो तुम्हारे लिए लाभदायक हों, न कि ऐसे जो निरर्थक विवादों को जन्म देने वाले हों। यही तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते तुम उनमें से हो जो समझते हैं।

78. हे धरती के सम्राटो ! वह जो सबका सम्प्रभु स्वामी है, आ गया है। साम्राज्य सर्वशक्तिमान, संरक्षक, स्वयंजीवी ईश्वर का है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी की आराधना न करो और प्रफुल्ल हृदय से अपने मुखड़ों को अपने प्रभु की ओर उन्मुख करो, जो सभी नामों का स्वामी है। काश ! तुम यह जान सकते कि यह वह दिव्य प्रकटीकरण है जिसकी तुलना तुम्हारी समस्त सम्पदा से भी नहीं की जा सकती।

79. हम देखते हैं कि तुम उन वस्तुओं में आनन्दमग्न हो जिनका संग्रह तुमने दूसरों के लिए किया है और तुम अपने लिए उन लोकों के द्वार बन्द कर रहे हो जिनका संकेत मेरी संरक्षित पातियों के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। जो ख़ज़ाने तुमने इकट्ठे किए हैं वे तुम्हें तुम्हारे परम उद्देश्य से दूर कर चुके हैं। काश ! तुम समझ सकते, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अपने हृदयों से पार्थिव अशुद्धियों को धो डालो और अपने प्रभु के साम्राज्य में प्रवेश पाने की शीघ्रता करो, जो आकाश और धरती का रचयिता है, जिसने विश्व को कम्पायमान और इसके सभी लोगों को शोकमग्न कर दिया है, सिवाय उनके जिन्होंने सभी वस्तुओं को त्याग दिया है और उससे जुड़ गए हैं, जिसका निगूढ़ पाती ने आदेश दिया है।

80. यह वह दिवस है जिसमें उसने, जिसने ईश्वर से वार्तालाप किया है, चिरन्तन के दिवसों का प्रकाश पा लिया है और समुद्रों को तरंगित करने वाले अमृतपान से पुनर्मिलन के विशुद्ध जल का पान किया है। कहो: एकमेव सत्य ईश्वर की सौगन्ध! सिनाई पर्वत ईश्वरीय प्रकटीकरण के उद्गम स्थल के चतुर्दिक घूम रहा है, जबकि दैवी साम्राज्य की ऊँचाइयों से ईश्वरीय चेतना यह घोषित करती हुई सुनी जा रही है: ‘‘हे धरती के अभिमानी जीवो ! स्वयं को प्रेरित करो और तुम उसके पास पहुँचने की शीघ्रता करो।’’ इस दिवस में कार्मल पर्वत ने उत्कट अभिलाषा भरी श्रद्धा से उसके दरबार में पहुँचने की शीघ्रता की है और ज़ियॉन के हृदय से यह पुकार उभरी है: ‘‘वचन पूरा किया जा चुका है। वह, जिसकी घोषणा सर्वाधिक श्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, श्रेष्ठतम प्रियतम ईश्वर के पवित्र ग्रंथ में की गई थी, प्रकट कर दिया गया है।’’

81. हे धरती के सम्राटो ! महानतम विधान इस पावन स्थल पर अति उत्तम वैभवशाली दृश्य में प्रकट कर दिया गया है। उस परमोच्च आदेशकर्ता की इच्छा के द्वारा प्रत्येक छिपी हुई वस्तु प्रकाश में ला दी गई, वह जिसने अन्तिम घड़ी को घोषित कर दिया है और जिसके द्वारा चन्द्रमा में दरार आई और जिसने प्रत्येक अकाट्य आदेश को स्पष्ट किया है।

82. हे धरती के सम्राटो ! तुम सब मात्र सेवक हो। वह, जो सम्राटों का सम्राट है, अपनी महाविलक्षण महिमा से सुसज्जित होकर प्रकट हो गया है और तुम्हें अपने समीप बुला रहा है, वह जो संकट में सहायक, स्वयंजीवी है। सावधान रहो, तुम्हारा अहंकार कहीं तुम्हें ‘‘प्रकटीकरण के उद्गम’’ को पहचानने में बाधक न बन जाये, कहीं इस लोक की वस्तुएँ तुम्हारे और उस आकाश के रचयिता के बीच आवरण न बन जायें। उठो और उसकी सेवा करो जो सभी राष्ट्रों की कामना है, जिसने तुम्हें अपने एक शब्द से रचा है और यह निर्धारित किया है कि तुम सर्वदा उसके साम्राज्य के प्रतीकचिह्न बनकर रहो।

83. ईश्वर के न्याय की सौगन्ध ! हमारी इच्छा तुम्हारे राज्यों पर आधिपत्य करने की नहीं है। हमारा उद्देश्य तो है लोगों के दिलों को जीतना। बहा की आँखें उन्हीं पर जमी हैं। इसका साक्ष्य है नामों का साम्राज्य। काश, तुम इसे समझ सकते। जो कोई अपने प्रभु का अनुसरण करता है वह संसार तथा उसकी सभी वस्तुओं का परित्याग कर देगा, तब फिर उसकी त्यागभावना कितनी बड़ी होगी जो स्वयं ऐसे भव्य पद का स्वामी है। अपने महलों को छोड़ दो और उसके साम्राज्य में प्रवेश पाने की शीघ्रता करो। इस लोक में तथा परलोक में, वस्तुतः यही तुम्हारे लिए लाभप्रद है। इसका साक्षी है उच्च लोक का प्रभु, काश ! तुम यह जानते।

84. कितना महान है वह आशीर्वाद जिसे उस सम्राट की प्रतीक्षा है जो मेरे साम्राज्य में मेरे धर्म की सहायता के लिए उठ खड़ा होगा, जो मेरे सिवाय अन्य सभी वस्तुओं से विरक्त होगा। ऐसे सम्राट की गिनती ‘‘अरुणाभ नौका’’ के सहचरों में होगी, वह ’नौका‘ जिसे ईश्वर ने बहा के लोगों के लिए बनाई है। सबको चाहिए कि वे ऐसे सम्राट के नाम को महिमामंडित करें, उसके पद का सम्मान करें और उसकी सहायता करें ताकि मेरे नाम की कुंजी से वह नगरों के द्वार खोल दे; वह नाम जो गोचर और अगोचर साम्राज्यों में व्याप्त हर वस्तु का सर्वशक्तिशाली संरक्षक है। ऐसा सम्राट मानवजाति का साक्षात नेत्र है, सृष्टि के ललाट का चमकता हुआ आभूषण और समस्त विश्व को प्राप्त होने वाली कृपाओं का मुख्य स्रोत है। हे बहा के लोगो! उसकी सहायता के लिए तुम अपनी धन-सम्पदा ही नहीं, अपना जीवन तक न्योछावर कर दो।

85. हे ऑस्ट्रिया के सम्राट ! जब तू अक़सा की मस्जिद की यात्रा पर चला था तो वह, जो ईश्वरीय प्रकाश का उद्गम-स्थल है, अक्का के कैदखाने में था। तू उसके पास से गुजरा और तूने उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं की जिससे हर घर को सम्मान मिला और जिससे हर उन्नत द्वार के ताले खुल गए हैं। हमने सत्य ही इसे वह स्थल बनाया है जिसकी ओर समस्त विश्व को उन्मुख होना चाहिए ताकि वे मेरा स्मरण कर सकें। फिर भी जब वह, तेरे और सभी लोकों के प्रभु, ईश्वर के साम्राज्य के साथ अवतरित हुआ तो तूने उसकी उपेक्षा कर दी जो इस स्मरण का लक्ष्य है। हम सदा तेरे साथ रहे और हमने तूझे ‘‘जड़’’ के प्रति बेपरवाह और ‘‘शाखा’’ से अनुरक्त पाया है। निश्चित रूप से, तेरा प्रभु मेरे कथन का साक्षी है। तूझे हमसे अनभिज्ञ किन्तु हमारे नाम के गिर्द घूमते देख कर हमें दुख हुआ हालाँकि हम तेरे सम्मुख थे। अपनी आँखें खोल ताकि तू यह भव्य दृश्य देख सके और उसे पहचान सके जिसका आह्वान तू दिन-रात करता है तथा उस प्रकाश को निहार सके जो इस उद्भासित ‘क्षितिज’ पर चमक रहा है।

86. कहो, हे बर्लिन के सम्राट ! इस ‘प्रत्यक्ष मंदिर’ से आती आवाज़ को सुन: वस्तुतः मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं। मैं ही अनन्त, अनुपम और प्राचीनतम हूँ। सावधान रह, तेरा अहंकार प्रकटीकरण के उद्गमस्थल को पहचानने से तुझे रोक न दे, कहीं सांसारिक कामनाएं पर्दा बनकर सर्वोच्च लोक और वसुधा के सिंहासन के स्वामी तक पहुँचने में बाधा न डाल दें। सर्वोच्च की लेखनी तुझे इस प्रकार परामर्श देती है। वह सत्य ही सर्वकृपालु, सर्वउदार है! क्या तुझे उसकी याद है[[3]](#footnote-3) जिसकी शक्ति तेरी शक्ति से बढ़-चढ़ कर थी और जिसकी सत्ता तेरी सत्ता से भी श्रेष्ठ थी। कहाँ है वह? उसकी भौतिक सम्पदा कहाँ चली गई ? सावधान रह, और उनमें से न बन जो गहरी नींद में सोए हैं। यह वही था जिसने हमारे ईश्वर की पाती की उपेक्षा की थी, यह बतलाने के बावजूद कि अत्याचारियों के समूह हमें उत्पीड़ित कर रहे हैं। इसीलिए तो वह चारों ओर से अनादर का शिकार हुआ और घोर क्षति के साथ धूल में मिल गया। हे सम्राट ! उसके तथा अपने जैसे उन लोगों के विषय में तू गहराई से सोच, जिन्होंने नगरों पर विजय प्राप्त की और लोगों पर शासन किया। सर्वदयालु ने उन्हें महलों से निकालकर मिट्टी में मिला दिया। सचेत हो जा, उनमें से बन जो चिन्तनशील हैं।

87. हमने तुमसे कुछ भी नहीं माँगा है। हे सम्राटों के समूह ! वस्तुतः ईश्वर के लिए हम तुम्हें सलाह देते हैं। हम धैर्य रखेंगे, वैसे ही जैसे हमने तुम्हारे हाथों सबकुछ सहनकर भी धैर्य रखा है।

88. हे अमेरिका के शासको और उसके अधीनस्थ गणतंत्रों के शासनाध्यक्षो ! अनन्तता की शाखा पर कलरव करते कपोत की बातें ध्यान से सुनो: ‘‘मुझ चिरस्थायी, क्षमाशील, सर्वउदार के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है।’’ अपने साम्राज्य के मन्दिर को तुम न्याय और ईश्वर के भय रूपी आभूषण से सजाओ और इसके मस्तक को आकाशों के रचयिता अपने प्रभु के स्मरण रूपी मुकुट से सुशोभित करो। सर्वज्ञ, सर्वप्रज्ञ ईश्वर के आदेश से दिव्य नामो का उद्गम स्थल तुम्हें इस प्रकार परामर्श देता है। वह चिरप्रतिज्ञापित इस महिमाशाली स्थान पर प्रकट हुआ है जिससे दृश्य और अदृश्य सभी जीव आनन्दित हुए हैं। तुम ईश्वर के दिवस से लाभ उठाओ। वस्तुतः, सूर्य से प्रकाशित सभी चीजों की तुलना में उससे तुम्हारा मिलन ही बेहतर है। काश ! तुम यह जान सकते ! हे शासकगण ! ‘भव्यता के उद्गमस्थल’ से मुखरित वाणी पर ध्यान दो: ‘‘मुझ दिव्य वाणी के प्रभु, मुझ सर्वज्ञ के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है’’। टूटे हुए लोगों को न्याय के हाथों से जोड़ दो और बढ़ते हुए अत्याचारी को अपने विधाता, सर्वप्रज्ञ प्रभु के आदेश रूपी दंड से कुचल दो।

89. हे कुस्तुन्तुनिया के लोगो ! तुम्हारे ही बीच से हम उल्लू की अनिष्टकरी आवाज सुन रहे हैं। क्या तुम्हें वासना के उन्माद ने जकड़ लिया है या तुम असावधानी की दशा में निमग्न हो ? हे दो महासागरों के तटों पर बसे ‘‘स्थल’’! सत्य ही, तुझ पर नृशंसता का राज्य है और तेरे हृदय में घृणा की लपटें इस तरह सुलगा दी गई हैं कि सर्वोच्च लोक के देवदूत और उदात्त सिंहासन की परिक्रमा करने वाले विलाप कर उठे हैं। तुझमें हम यह देख रहे हैं कि मूर्ख, बुद्धिमानों पर शासन कर रहे हैं और अंधकार प्रकाश पर गर्व कर रहा है। वस्तुतः, तू साक्षात् अहंकार से भरा है। क्या तेरी ऊपरी चमक-दमक ने तुझे मिथ्याभिमानी बना दिया है ? उसकी सौगन्ध जो मानवमात्र का प्रभु है ! यह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तेरी बेटियाँ, तेरी विधवाएँ और तुझमें निवास करने वाले तेरे अपने सभी वासी विलाप करेंगे। सर्वज्ञ, सर्वप्रज्ञ तूझे इस तरह सूचित करता है।

90. हे राइन नदी के किनारो ! हमने तुम्हें ख़ून से लथपथ देखा है क्योंकि तुम्हारे विरूद्ध प्रतिशोध की तलवारें खींच ली गई थीं और एक बार फिर तुम्हारी बारी आएगी। और हम बर्लिन का विलाप भी सुन रहे हैं; भले ही आज वह गौरव की चमक-दमक से ओतप्रोत हो।

91. हे ‘ता’[[4]](#footnote-4) की भूमि ! तू किसी बात से दुखी न हो, क्योंकि, ईश्वर ने तुझे समस्त मानव के आनन्द का स्रोत बनाया है। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो वह तेरे सिंहासन पर ऐसे व्यक्ति को विराजमान करेगा, जो भेड़ियों द्वारा तितर-बितर कर दी गई ईश्वर की भेड़ों को एकत्रित करेगा। ऐसा शासक आनन्द और उल्लास के साथ बहा के लोगों की ओर उन्मुख होगा और उन्हें अपनी कृपा प्रदान करेगा। ईश्वर की दृष्टि में, सत्य ही, वह मानव-रत्न के रूप में गिना गया है। उस पर सदा-सदा के लिए ईश्वर और उसके प्रकटीकरण के साम्राज्य के सभी निवासियों की गरिमा विराजे।

92. तू अति आनन्द से पुलकित हो जा, क्योंकि ईश्वर ने तुझे ‘‘अपने प्रकाश का उद्गमस्थल’’ बनाया है, क्योंकि उसकी गरिमा का प्रकटीकरण तुझ में ही जन्मा था। तू इस नाम के लिए प्रसन्न हो, जो तुझे दिया गया है, एक ऐसा नाम जिसके द्वारा कृपा के सूर्य ने अपनी आभा बिखेरी है, जिसके द्वारा आकाश और धरती दोनों को आलोकित किया गया है।

93. शीघ्र ही तेरे हालात बदल जाएंगे और सत्ता जनता के हाथों में होगी। सत्य ही, तेरा प्रभु सब कुछ जानने वाला है। उसकी सम्प्रभुता के दायरे में हर वस्तु है। तू अपने प्रभु की उदार कृपा में भरोसा रख। उसकी स्नेह भरी करुणा की दृष्टि सर्वदा तुझ पर रहेगी। वह दिन आ रहा है जब तेरी उथल-पुथल अमन-चैन में बदल जाएगी। अद्भुत ग्रन्थ में इस तरह का आदेश दिया गया है।

94. हे ‘ख़ा’[[5]](#footnote-5) की भूमि ! हम तुझसे तेरे सर्वसम्पदामय, सर्वोच्च प्रभु की महिमा में गूंजी वीरों की आवाज सुन रहे हैं। धन्य होगा वह दिन जब सृष्टि के साम्राज्य में दिव्य नामों की ध्वजाएँ मुझ सर्वमहिमावान के नाम से फहराई जाएँगी। उस दिन निष्ठावान लोग ईश्वर की विजय पर आनन्दित होंगे और आस्थाहीन लोग विलाप करेंगे।

95. कोई भी उनसे विवाद न करे जो लोगों पर शासन करते हैं; जो उनका है, उन्हीं के लिए छोड़ दो और तुम अपना ध्यान लोगों के दिलों पर केन्द्रित करो।

96. हे महाशक्तिशाली महासागर ! राष्ट्रों पर वह अभिसिंचित कर जिसका दायित्व तुझे उसने दिया है, जो ‘अनन्तता का सम्राट’ है, और धरती के सभी निवासियों के देहरूपी मन्दिर को ईश्वरीय विधान के परिधान से सुसज्जित करो ताकि सभी हृदय आनन्दित हों और सभी आँखों में चमक जाग जाए।

97. यदि कोई व्यक्ति एक सौ मिस्काल सोना उपार्जित करे तो उसमें से उन्नीस मिस्काल, आकाश और पृथ्वी के रचयिता ईश्वर का है। सावधान, हे लोगो ! कहीं तुम स्वयं को इस महान कृपा से वंचित न कर लो। हमने यह विधान तुम्हारे लिए बनाया है जबकि हम तुमसे और आकाश तथा पृथ्वी पर विद्यमान सभी वस्तुओं से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। इसमें ऐसे रहस्य और लाभ अंतर्निहित हैं जो सर्वज्ञ, सर्वसूचित ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सबकी समझ से परे हैं। कहो: इसके द्वारा ईश्वर तुम्हारी सम्पदा को पवित्र बनाना चाहता है और तुम्हें उस महान पद के निकट आने योग्य बनाना चाहता है जिसे कोई भी समझ नहीं सकता, सिवाय उसके जिसकी ईश्वर ने इच्छा की हो। वह वस्तुतः परोपकारी, कृपालु, उदार है। हे लोगो! ईश्वर के अधिकार के सम्बंध में विश्वासघात का आचरण न करो और न ही ईश्वर की अनुमति के बिना इसका उपयोग अपनी इच्छा से करो। इस तरह आज्ञा दी गयी है उसकी पावन पातियों में तथा इस भव्य पुस्तक में। जो कोई भी ईश्वर के साथ विश्वासघात करेगा न्यायानुसार उसके साथ भी विश्वासघात होगा। और जो कोई भी इस आज्ञा का पालन करेगा उसे परम दाता, कृपालु, अति उदार, चिर प्राचीन, ईश्वर की उदारता के आकाश से कृपा के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे। वास्तव में वह तुम्हारे लिए वह चाहता है जो अभी तुम्हारे लिए अगम्य है, हालाँकि तुम तब स्वतः ही उसे समझ जाओगे जब क्षणभंगुर जीवन के बाद तुम्हारी आत्माएं आकाश की ओर उड़ान भरेंगी और जब तुम्हारी भौतिक लिप्साओं के जाल सिमट जायेंगे। इस तरह चेतावनी देता है तुम्हें वह जिसके आधिपत्य में संरक्षित पाती है।

98. दृश्य और अदृश्य जगत तथा सभी लोकों के स्वामी ईश्वर के विधानों के सम्बन्ध में अनुयायियों की ओर से हमारे सिंहासन के समक्ष कई याचनायें पहुँची हैं। परिणामतः हमने यह ‘‘पवित्र पाती’’ प्रकट की है और इसे ईश्वर के विधानों के परिधान से सुसज्जित किया है ताकि लोग अपने प्रभु के आदेश का पालन कर सकें। पिछले कई वर्षों से हमसे इसी तरह के अन्य आग्रह भी किए गए थे, परन्तु अपने विवेक से हमने अपनी लेखनी को रोक रखा था, लेकिन जबकि हाल के दिनों में अनेक मित्रों की ओर से पत्र आने लगे, हमने सत्य की शक्ति से ऐसा समाधान किया है जो लोगों के हृदयों को स्पंदित कर देगा।

99. कहो: हे धार्मिक नेतागण ! ईश्वर के ग्रंथ का मूल्यांकन ऐसे मापदण्डों और ऐसे शास्‍त्रों से मत करो जो तुम्हारे बीच प्रचलित हैं क्योंकि यह ग्रंथ स्वयं ही लोगों के बीच संस्थापित एक ‘‘अचूक तुला’’ है। इस सर्वाधिक पूर्ण तुला में धरती के लोगों और बन्धुओं के अधिकार की सभी वस्तुओं का माप-तौल किया जाना चाहिए किन्तु स्वयं इसके वजन का लेखा-जोखा इसके अपने ही पैमाने से किया जाना चाहिए, काश ! तुम यह जान पाते।

100. मेरी स्नेहिल दयालुता की दृष्टि तुम पर फूट-फूट कर रोती है क्योंकि तुम उसे पहचानने में असफल रहे हो जिसे तुम रात-दिन, साँझ-सवेरे पुकारते रहे हो। हे लोगो ! हिमधवल चेहरों और प्रभासित हृदयों से उस आशीर्वादित और अरुणाभ स्थल की ओर बढो़ जहाँ ‘सद्रतुल-मुन्तहा’ यह पुकार रहा है: ‘‘वस्तुतः, मुझ सर्वशक्तिमान संरक्षक, स्वयंजीवी के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है।’’

101. हे धार्मिक नेतागण ! कौन है तुम्हारे बीच वह व्यक्ति जो ज्ञान और अन्तर्दृष्टि में मेरा मुकाबला कर सकता है ? कहाँ मिलेगा वह जो वाणी और विवेक में मेरे समतुल्य होने का दावा करने का साहस कर सकता है ? नहीं, सर्वदयालु मेरे प्रभु की सौगन्ध ! धरती पर से सभी गुज़र जायेंगे; और यही है तुम्हारे प्रभु सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ प्रियतम का मुखमण्डल।

102. हे लोगो ! हमने यह आदेश दिया है कि प्रत्येक ज्ञान का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए उसका अभिज्ञान जो समस्त ज्ञान का अन्तिम लक्ष्य है, फिर भी जरा यह देखो कि किस तरह तुमने अपने ज्ञान को वह अवरोधक आवरण बना लिया है जो तुम्हें इस प्रकाश के उद्गमस्थल तक पहुँचने से रोकता है, जिसके द्वारा प्रत्येक छिपी हुई वस्तु प्रकट हो गई है। अगर तुम उस स्रोत को पहचान पाते जहाँ से इस दिव्य वाणी की आभा बिखेरी गई है तो तुम दुनिया के सभी लोगों और उनकी सारी सम्पत्तियों की उपेक्षा कर महिमा के इस परम आशीर्वादित स्थल के निकट आ जाते।

103. कहो: यह सत्य ही वह आकाश है जिसमें मातृग्रन्थ को संचित किया गया है, काश! तुम इसे समझ पाते ! यह ‘वह’ है, जिसने महा चट्टान को आवाज लगाने के लिए और प्रज्वलित झाड़ी को पवित्र भूमि में सिर उठाते ‘पर्वत’ पर अपनी आवाज ध्वनित करने और यह घोषित करने की प्रेरणा दी है: ‘‘साम्राज्य सबके सम्प्रभु स्वामी, सर्वशक्तिमान, परम स्नेही ईश्वर का है।’’

104. हमने किसी पाठशाला में प्रवेश नहीं लिया और न ही तुम्हारे शोध प्रबन्धों का अध्ययन किया। इस निरक्षऱ के शब्दों की ओर ध्यान दो जिनके सहारे वह तुम्हें चिरन्तन ईश्वर के निकट बुलाता है। धरती के सभी खजानों की तुलना में यह तुम्हारे लिए बेहतर है, काश ! तुम यह समझ पाते !

105. प्रकटीकरण के आकाश से जो भेजा गया है, जो भी उसकी व्याख्या करेगा और इसके प्रत्यक्ष अर्थ को बदलेगा, वह उनमें से होगा जिन्होंने ईश्वर के ‘उदात्त शब्द’ को विकृत किया है और ‘बोधगम्य पुस्तक’ में वह भटके हुए लोगों में है।

106. तुम्हें आदेश दिया गया है कि, तुम अपने नाखूनो को काटो, प्रति सप्ताह इतने पानी में स्नान करो जो तुम्हारे शरीर को डुबा सके और पहले से प्रयुक्त विधियों से स्वयं को स्वच्छ करो। सावधान रहो कि अपनी उपेक्षा के कारण तुम उनका पालन करने में असफल न हो जाओ, जिन्हें तुम्हारे लिए उसने प्रस्तावित किया है जो अतुलनीय, कृपालु है। स्वयं को स्वच्छ जल से निमज्जित करो, तुम्हें ऐसे जल में नहाने की अनुमति नहीं है, जिसे पहले से उपयोग में लाया गया हो। ध्यान रखो कि तुम फारस के सार्वजनिक स्नानागारों के निकट न जाओ। जो कोई इन स्नानागारों की ओर रुख़ करेगा, उसे उनमें प्रवेश करने से पहले ही उनकी दुर्गन्ध का सामना करना होगा। हे लोगो ! उनसे बचो और ऐसे लोगों की तरह मत बनो जो निर्लज्जतापूर्वक ऐसी तुच्छता स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में वे मलिनता और अशुद्धता के गड्ढे हैं, बशर्ते तुम उनमें हो जो समझते हैं। इसी तरह फारस के घरों के आंगन में जो दुर्गन्धपूर्ण जलकुंड हुआ करते हैं, उनसे भी परहेज करो और तुम शुद्ध तथा पवित्र बनो। हम सत्य ही यह इच्छा करते हैं कि धरती पर तुम स्वर्ग के प्रकट रूप जैसे दिखो, कि तुमसे ऐसी सुगन्ध व्याप्त हो, जो ईश्वर के कृपा-पात्रों के दिलों को आनन्दमग्न कर दे। नहाने वाला अगर पानी में प्रवेश करने के बदले शरीर को ऊपर से ही पानी डालकर स्नान कर ले तो यह उसके लिए बेहतर होगा और इससे पूरे शरीर के निमज्जन की आवश्यकता से उसे छुटकारा मिल जाएगा। वास्तव में ईश्वर ने अपनी ओर से कृपास्वरूप यह इच्छा प्रकट की है कि तुम्हारे लिए जीवन अधिक सरल हो जाए ताकि तुम उनमें से बन सको जो सत्यतः कृतज्ञ होते हैं।

107. तुम्हारे लिए अपने पिताओं की पत्नियों से विवाह करने का निषेध है। अत्यंत लज्जा से, हम लड़कों के विषय पर चर्चा करने में संकोच करते हैं। दुनिया के लोगो ! दयालु ईश्वर से डरो। वह कर्म न करो, जिसका हमारी पवित्र पाती में निषेध किया गया है और उन लोगों जैसे मत बनो जो वहशियों की भाँति अपनी इच्छाओं के बियाबान में भटकते रहते हैं।

108. किसी को यह अनुमति नहीं है कि लोगों के समक्ष गलियों और बाजारों में गुजरते हुए वह पवित्र श्लोकों को बुदबुदाता चले; नहीं, बल्कि अगर वह प्रभु की महिमा का गान करना चाहता है तो उसके लिए उचित है कि वह ऐसे कार्यों के लिए निर्मित किए गए स्थलों या अपने घर में ही ऐसा करे। यह आचरण निष्ठा और देवत्व के अधिक अनुरूप है। हमारी वाणी के क्षितिज पर हमारे दिव्य आदेश का सूर्य इसी भांति दीप्तिमान हुआ है। अतः धन्य हैं वे जो हमारी आज्ञा का अनुपालन करते हैं।

109. हर किसी को अपनी वसीयत लिखने का आदेश दिया गया है। वसीयत लिखने वाला उस दस्तावेज का प्रारम्भ सर्वमहान नाम के आभूषण से करे, उसमें वह ईश्वरीय प्राकट्य के उद्गमस्थल में निहित ईश्वर की एकता का साक्षी दे तथा यदि वह चाहे तो उसमें प्रशंसनीय तत्वों का उल्लेख करे ताकि प्रकटीकरण के साम्राज्य तथा सृष्टि में यह उसके लिए प्रमाण की वस्तु और उसके प्रभु के पास संचित ख़ज़ाना हो सके; वह प्रभु जो सर्वोच्च संरक्षक और विश्वसनीय है।

110. सभी उत्सवों का चरम बिन्दु ‘‘दो महानतम उत्सवों’’ तथा दो अन्य उत्सवों, जो दो संयुक्त दिवसों में पड़ते हैं, में निहित है। ‘महानतम उत्सवों’ में पहला उन दिनों में आता है जब सर्वदयालु ने सम्पूर्ण सृष्टि पर अपने सर्वोत्कृष्ट नामों और अपने परम उदात्त गुणों का उज्ज्वल गौरव बिखेरा था और दूसरा वह दिन है जब हमने ‘उसे’ खड़ा किया था जिसने मानव मात्र के सम्मुख इस महान नाम के शुभ समाचार की घोषणा की थी, जिसके द्वारा मृतक पुनर्जीवित हो उठे और धरती पर तथा आकाश में जो भी विद्यमान हैं, एकत्रित किये गये। ऐसा आदेश दिया गया है उसके द्वारा जो विधाता, सर्वज्ञ है।

111. धन्य है वह जो ‘‘बहा’’ महीने के प्रथम दिवस में प्रवेश करता है - वह दिन जिसे ईश्वर ने इस ‘‘महान नाम’’ के लिए निर्धारित किया है और धन्य है वह जो इस दिन में उन कृपाओं की साक्षी देता है जो ईश्वर ने उसे प्रदान की हैं। वस्तुतः, वह उनमें से है जो अपने कर्मों के माध्यम से सभी लोगों को आवृत करने वाली प्रभु की उदारता के लिए धन्यवाद प्रदर्शित करता है। कहो: यह दिन वास्तव में सभी महीनों का शीर्षमुकुट और उनका उद्गम है। यह वह दिन है जब सभी सृजित वस्तुओं पर जीवन की श्वांस प्रवाहित की गई है। अहोभाग्य है उसका जो उल्लास और आनन्द से इसका स्वागत करता है। हम प्रमाणित करते हैं कि वह, यथार्थ में, उन लोगों में से है जो दिव्य आनन्द से परिपूर्ण हैं।

112. कहो: महानतम उत्सव वस्तुतः उत्सवों का सम्राट है। हे लोगो ! उस कृपा का स्मरण करो जो ईश्वर ने तुम्हे प्रदान की है। तुम निद्रा में निमग्न थे और देखो ! उसने अपने प्राकट्य के जीवनदायी समीर से तुम्हें जगाया और तुम्हें अपने प्रत्यक्ष तथा अविचल पथ से परिचित कराया।

113. अस्वस्थ होने पर तुम सुयोग्य चिकित्सकों के पास जाओ। हमने भौतिक साधन के प्रयोग की उपेक्षा नहीं की, बल्कि हमने इस महालेखनी से, उसका अनुमोदन किया है, जिसे ईश्वर ने अपने दीप्तिमान और गौरवशाली धर्म का उदयस्थल बनाया है।

114. ईश्वर ने पहले प्रत्येक अनुयायी के लिए यह कर्त्‍तव्‍य निर्धारित किया था कि वे हमारे सिंहासन के समक्ष अपनी सम्पदा में से बहुमूल्य उपहार अर्पित करे। अब अपनी भव्य कृपा के संकेतस्वरूप, हमने उन्हें इस बाध्यता से मुक्त किया है। वह सत्यतः महाउदार, सर्वकृपालु है।

115. धन्य है वह जो उषाकाल में ईश्वर पर ध्यान केन्द्रित किए हुए, उसके स्मरण में तल्लीन और उससे क्षमा-याचना करते हुए मशरिकुल-अज़कार की ओर कदम बढ़ाता है और उसमें जाकर सम्प्रभु, शक्तिमान, सर्वप्रशंसित ईश्वर के श्लोकों को सुनने के लिए मौन भाव से बैठता है। कहो: वह प्रत्येक भवन जो नगरों और गांवों में मेरे गुणगान के लिए निर्मित किया गया है, मशरिक़ुल-अज़कार है। महिमा के सिंहासन के सम्मुख यही नाम प्रदान किया गया है, काश ! तुम उनमें से होते जो समझते हैं !

116. वे जो सर्वदयालु के श्लोकों का पाठ मधुरतम सुरों में करते हैं, वे अपने अन्दर वह अंतर्ज्ञान पायेंगे जिसकी तुलना धरती और आकाश के साम्राज्य के साथ भी नहीं की जा सकती। उनसे वे मेरे लोकों की दिव्य सुरभि ग्रहण करेंगे - वे लोक जिनका अन्तर्बोध आज कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता सिवाय उनके जिन्हें इस उदात्त, इस सौन्दर्यमय प्रकटीकरण ने अन्तर्दृष्टि से सम्पन्न किया है। कहो: ये श्लोक उन हृदयों को, जो विशुद्ध हैं, उन आध्यात्मिक लोकों की ओर आकर्षित करते हैं जिनका न तो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है और न ही संकेत से परिचय कराया जा सकता है। धन्य हैं वे जो ध्यान से सुनते हैं।

117. हे मेरे लोगो ! मेरे उन चुने हुए सेवकों की सहायता करो जो मेरे द्वारा रचित जीवों के बीच मेरा उल्लेख करने और सम्पूर्ण राज्य में मेरे शब्द के उन्नयन के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये, सत्य ही, मेरी स्नेहमयी कल्याण-भावना के आकाश के नक्षत्र और समस्त मानवजाति को दिये गये मेरे मार्गदर्शन के दीपक हैं। परन्तु वह मेरा नहीं है जिसके शब्द उसके विरूद्ध हैं जो पवित्र पातियों में लिखित हैं। सावधान रहो, कहीं तुम किसी अधर्मी पाखंडी का अनुसरण न करने लगना। ये पातियाँ उसकी मुहर से अलंकृत हैं जो प्रभात के उदय का कारण है, जिसने आकाशों और धरती के बीच अपनी वाणी ध्वनित की। इस ‘सुनिश्चित संचालक’ तथा मेरे शक्तिमान और अनाक्रमणीय धर्म की डोर दृढ़ता से थामो।

118. जो कोई भी चाहे, उसे ईश्वर ने यह अनुमति दी है कि वह विश्व की विविध भाषाओं की शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जिससे वह सम्पूर्ण पूर्व तथा पश्चिम में ईश्वरीय धर्म का संदेश पहुँचा सके और दुनिया के लोगों और बन्धुओं के बीच वह ईश्वर का उल्लेख इस तरह कर सके कि हृदयों को नवजीवन प्राप्त हो और जर्जर अस्थि में स्फूर्ति भर जाए।

119. यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि वह मनुष्य जो तर्कबुद्धि से सम्पन्न है, ऐसी वस्तु का सेवन करे जो उसे क्षीण कर दे। नहीं, बल्कि उसके योग्य तो यह है कि वह मानव के पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करे और असावधान तथा शंकित आत्मा के कुकृत्यों की राह पर न चले।

120. अपने ललाट को विश्वासपात्रता और निष्ठा के पुष्पहारों से, हृदय को ईश्वर के भय रूपी परिधान से, जिह्वा को पूर्ण निष्ठा से और शरीर को शिष्टाचार की पोशाक से शोभायमान करो। यथार्थ में मानव-शरीर के ये ही सुयोग्य अलंकरण हैं, बशर्ते तुम उनमें से हो जो चिन्तनशील हैं। हे बहा के लोगो ! एकमेव सत्य ईश्वर की दासता की डोर से बँधे रहो, क्योंकि उसी के द्वारा तुम्हारे पद स्पष्ट किए जाएंगे, तुम्हारा नाम लिखा और संरक्षित किया जाएगा, तुम्हारा स्थान उच्च किया जाएगा और ‘‘संरक्षित पाती’’ में तुम्हारे स्मरण को उच्चता दी जाएगी। सावधान रहो कि कहीं इस धरती के निवासी तुम्हें इस उच्च गरिमामय पद को प्राप्त करने से रोक न दें। अपनी अधिकांश पातियों में और अब इस ‘पवित्र पाती’ में, जिसके ऊपर प्रभु, तुम्हारे ईश्वर, शक्तिमान, सर्वप्रज्ञ के विधानों का सूर्य चमका है, हमने तुम्हें यही उपदेश दिया है।

121. जब मेरी उपस्थिति का महासागर शान्त हो जाए और ‘मेरे प्रकटीकरण का ग्रन्थ' परिसमाप्त हो जाए तो अपने मुखड़ों को उसकी ओर उन्मुख करना जिसे ईश्वर ने इसी उद्देश्य के लिए रचा है, जो इस ‘प्राचीन मूल’ से फूटी हुई शाखा है।

122. लोगों की बुद्धि की क्षुद्रता पर विचार करो। वे उस चीज की माँग करते हैं जो उन्हें हानि पहुँचाती है और जो वस्तु उनके लिए कल्याणकारी है, उसे वे त्याग देते हैं। वे, यथार्थतः, ऐसे लोगों में से हैं जो दूर भटक गए हैं। कुछ लोगों को हम स्वच्छंदता की कामना और उसमें गर्व अनुभव करते हुए पाते हैं। ऐसे लोग अज्ञान के रसातल में हैं।

123. स्वच्छंदता अन्ततः विद्रोह की ओर ले जाती है, जिसकी लपटों को कोई नहीं बुझा सकता। तुझे इस प्रकार सावधान करता है ‘वह’ जो तेरा लेखा-जोखा रखने वाला, सर्वज्ञ है। तू यह जान कि स्वच्छंदता का मूर्त रूप और उसका प्रतीक है पशु। मनुष्य के लिए जो शोभनीय है वह है ऐसे प्रतिबन्धों के प्रति समर्पण जो उसके ही अज्ञान से उसकी रक्षा करते हैं और अनिष्टकारियों से होने वाली हानि से उसे बचाते हैं। स्वच्छंदता के कारण मनुष्य औचित्य की सीमाएँ लाँघता है और अपने पद की मर्यादा से परे चला जाता है। यह उसके स्तर को भ्रष्टता और दुष्टता के निम्नतम स्तर तक गिरा देता है।

124. लोगों को भेड़ों के झुंड के समान समझ, जिसकी रक्षा के लिए एक गड़ेरिए की जरूरत है। यथार्थतः, यह सत्य है, निश्चित सत्य है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हम स्वच्छंदता का अनुमोदन करते हैं और अन्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति देने से इन्कार करते हैं। हम यथार्थतः सर्वज्ञ है।

125. कहो: सच्ची स्वच्छंदता मेरी आज्ञाओं के प्रति मनुष्य के समर्पण में निहित है, किन्तु तुम इसे नहीं जानते। अगर लोग उसका पालन करते जो प्रकटीकरण के आकाश से हमने उनके लिए भेजा है तो सत्य ही उन्होंने सच्ची स्वच्छंदता को प्राप्त कर लिया होता। धन्य है वह मनुष्य जिसने सभी सृजित वस्तुओं में व्याप्त ‘ईश्वर के उद्देश्य को, जो उसने अपनी इच्छा के आकाश से प्रकट किया है, समझ लिया है। कहोः तुम्हें लाभ पहुँचाने वाली स्वच्छंदता तुम्हें अन्यत्र नहीं मिल सकती सिवाय ‘शाश्वत सत्य’ ईश्वर के आदेश के प्रति पूर्ण समर्पण में। जिस किसी ने इसका माधुर्य चख लिया है, वह धरती और आकाश के समस्त साम्राज्य के बदले भी उसका सौदा करना स्वीकार नहीं करेगा।

126. ‘बयान’ में तुम्हें हमसे प्रश्नों को पूछने से मना किया गया था। अब प्रभु ने तुम्हें इस निषेध से मुक्त किया है ताकि तुम स्वतंत्र होकर वह पूछ सको जो तुम पूछना चाहते हो। परन्तु पिछले समय के लोगों की तरह व्यर्थ वाद-विवाद में मत पड़ो। ईश्वर से डरो और धर्मपरायण लोगों में से बनो। तुम वह पूछो जो ईश्वर के धर्म और उसके साम्राज्य में तुम्हारे लिए कल्याणकारी है क्योंकि उसकी मृदुल करूणा के कपाट उन सबके लिए खोल दिए गए हैं जो धरती तथा आकाश में निवास करते हैं।

127. ईश्वर के ग्रन्थ में एक वर्ष के महीनों की संख्या उन्नीस निर्धारित की गई है। उनमें से पहले महीने को उस नाम से विभूषित किया गया है, जो सम्पूर्ण सृष्टि को आच्छादित करने वाला है।

128. प्रभु ने आदेश दिया है कि मृतकों को स्फटिक, कठोर और प्रतिरोधी पत्थर अथवा उत्कृष्ट और टिकाऊ लकड़ी से बने बक्से में रखा जाये और उनकी अंगुलियों में उत्कीर्ण अंगूठियाँ पहनाई जाएँ। सत्य ही, वह सर्वोच्च विधाता, सबका ज्ञान रखने वाला है।

129. इन अँगूठियों पर, पुरुषों के लिए, यह अंकित होना चाहिए: ‘‘आकाश और धरती तथा उनके बीच जो भी है, वह ईश्वर का है और उसे, वस्तुतः, हर चीज का ज्ञान है’’ तथा स्त्रियों के लिए, ‘‘आकाश और धरती का साम्राज्य तथा उनके बीच जो कुछ है वह ईश्वर का है और वह, यथार्थतः, सभी वस्तुओं पर सामर्थ्‍य रखता है।’’ यह वे श्लोक हैं जिन्हें पूर्वकाल में प्रकट किया गया था किन्तु, देखो ! ‘बयान के बिन्दु’ ने अब ये भाव अभिव्यक्त किए है: ‘‘हे लोको के सर्वश्रेष्ठ प्रियतम ! उनके स्थान पर तू ऐसे शब्द प्रकट कर दे जो मानवमात्र के ऊपर तेरी भव्य कृपाओं की सुरभि प्रवाहित कर दें। हमने सबके सामने यह घोषित किया है कि तेरा एक शब्द उन सबसे श्रेष्ठ है जो ‘बयान’ में निहित किया गया है। तू वस्तुतः, वह करने में समर्थ है, जो तू करना चाहता है। अपने सेवकों को अपनी करुणा के महासागर की विपुल कृपाओं से वंचित मत कर। तू सत्यतः वह है जिसकी कृपा अनन्त है।’’ देखो, हमने उनकी पुकार सुनी है और अब उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वह, यथार्थतः, सर्वश्रेष्ठ प्रियतम है, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। अगर मृतक पुरुषों और स्त्रियों, दोनों की अंगुठियों पर इस क्षण ईश्वर द्वारा प्रेषित यह छन्द अंकित किया जाए तो यह उनके लिए बेहतर रहेगा, हम निश्चित रूप से महानतम विधाता हैं: ‘‘मैं ईश्वर की ओर से आया हूँ और उसी की ओर लौट रहा हूँ, उसके अतिरिक्त अन्य सबसे मुक्त और उसके कृपालु तथा करूणामय नाम को दृढ़ता से थामे हुए हूँ।’’ इस प्रकार, अपनी उदारता के लिए ईश्वर जिस किसी को भी चाहता है, उसे चुन लेता है। वह सत्य ही शक्ति और सामथ्र्य का ईश्वर है।

130. ईश्वर ने यह आदेश दिया है कि मृतक को रेशम या सूत की पाँच चादरों में लपेटा जाए। जिनके साधन सीमित हैं उनके लिए दोनों में से किसी भी प्रकार की एक ही चादर पर्याप्त होगी। इस तरह आदेश दिया गया है उसके द्वारा जो सर्वज्ञ, सर्वसूचित है। मृतक की देह को नगर से एक घंटे की यात्रा से ज्यादा दूर पर ले जाने से तुम्हें मना किया गया है, बल्कि दीप्ति और शांत भाव के साथ उसे किसी निकट स्थल पर ही भूमिगत किया जाए।

131. ईश्वर ने ‘बयान’ में यात्रा पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटा दिये हैं। वह सत्य ही अप्रतिबन्धित है। वह जैसा चाहता है, करता है और उसकी जो इच्छा होती है, वह आदेश देता है।

132. हे दुनिया के लोगो! उसकी पुकार पर ध्यान दो जो ‘नामों का स्वामी’ है, जो महानतम कारागार के अपने निवास स्थल से तुम्हें पुकार कर कह रहा है: ‘‘सत्य ही, मुझ शक्तिमान, सामर्थ्‍यवान, सर्ववशकारी, सर्वाधिक महान, सर्वज्ञ, सर्वप्रज्ञ के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है।’’ वास्तव में, सभी लोकों के उस सर्वशक्तिमान शासक के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है। यदि उसकी इच्छा हो तो वह अपनी ओर से निःसृत केवल एक शब्द के माध्यम से समस्त मानवजाति को अपने अधीन कर ले। सावधान, इस धर्म को स्वीकारने में तुम जरा भी न हिचको। ऐसा धर्म, जिसके आगे सर्वोच्च लोक के देवदूत और ‘नामों के नगरों’ के निवासी नतमस्तक हुए हैं। ईश्वर से डरो और उनमें से न बनो जो किसी आवरण से बाधित हैं। मेरे प्रेम की अग्नि से सारे आवरणों को जला दो और अपने जिस नाम के द्वारा हमने सम्पूर्ण सृष्टि को अपने अधीन किया है, उसकी शक्ति से निरर्थक कल्पनाओं की धुंध मिटा डालो।

133. दो पवित्र स्थलों पर तथा अन्य स्थानों में, जहाँ तुम्हारे सर्वदयालु स्वामी का सिंहासन स्थापित है, वहाँ भव्य प्रासादों का निर्माण करो और उन्हें गरिमा प्रदान करो। प्रत्येक विवेकशील हृदय का स्वामी तुम्हें इस प्रकार आदेश देता है।

134. सावधान रहो, इस जगत की चिन्ताएँ और व्यस्तताएँ तुम्हें उसका पालन करने से न रोक दें जो तुम्हारे लिए उस शक्तिमान और विश्वसनीय प्रभु द्वारा आदेशित है। मानवमात्र के बीच तुम ऐसे दृढ़निश्चय का मूर्तिमान रूप बनो कि तुम्हें उन लोगों के कारण ईश्वर से दूर न हो जाना पड़े जिन्होंने शक्तिमान, सम्प्रभुता सम्पन्न ईश्वर के प्रकटीकरण की घड़ी में उस पर सन्देह किया था। सावधान रहो, कहीं तुम वह सुनने से वंचित न रह जाओ जो इस ‘जीवन्त ग्रन्थ’ में अंकित किया गया है, वह ग्रन्थ, जो यह सत्य घोषित करता है: ‘‘मुझ सर्वोत्कृष्ट सर्वप्रशंसित के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है।’’ तुम न्याय की दृष्टि से उसे देखो जो दिव्य इच्छा और शक्ति के आकाश से अवतरित हुआ है और उन लोगों में से मत बनो जो अन्यायपूर्ण आचरण करते हैं।

135. तत्पश्चात इन शब्दों का स्मरण करो जो इस प्रकटीकरण के प्रति सम्मानस्वरूप मेरे अग्रदूत की लेखनी से प्रवाहित हुए थे और विचार करो कि मेरे दिनों में अत्याचारियों के हाथों ने क्या कुछ नहीं किया है। उन्हें सत्य ही, पथभ्रष्टों में गिना गया है। उन्होंने कहा था: ‘‘यदि तुम्हें उसका सान्निध्य मिले, जिसे हम प्रकट करेंगे तो ईश्वर से, उसकी दया के नाम पर, यह याचना करना कि वह तुम्हारे स्थान पर आसन ग्रहण करना स्वीकार कर ले क्योंकि यह व्यवहार स्वयं ही तुम्हे अद्वितीय और असीम सम्मान देगा। यदि वह तुम्हारे घरों में एक प्याला जल ग्रहण कर ले तो यह तुम्हारे लिए न केवल प्रत्येक आत्मा, बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि को जीवनजल का दान देने से महत्तर फल देगा। इसे जान लो, हे मेरे सेवको।’’

136. ऐसे हैं वे शब्द, जिनसे मेरे अग्रदूत ने मेरे अस्तित्व का गुणगान किया है, काश ! तुम इसे समझ पाते। जो भी इन श्लोकों पर चिन्तन करता है और यह अनुभव करता है कि उनमें कैसे मोती छिपे हैं, तो ईश्वर के न्याय की सौगन्ध ! उसे इस कारागार से प्रवाहित होती सर्वदयालु की सुरभि का बोध होगा और सम्पूर्ण हृदय से वह ऐसी उत्कट अभिलाषा से उसकी ओर दौड़ पड़ेगा कि धरती और आकाश के सभी लोग उसे रोकने में असमर्थ होंगे। कहो: यह वह दिव्य प्रकटीकरण है, जिसके चतुर्दिक सारे प्रमाण और साक्ष्य परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार यह तुम्हारे प्रभु, करुणामय ईश्वर, द्वारा भेजा गया है, बशर्ते तुम उनमें से हो जो सही निर्णय करते हैं। कहो: सर्वोच्च की लेखनी में फूँकी गई यह सभी पवित्र पुस्तकों की आत्मा ही है जो सभी सृजित वस्तुओं को हतप्रभ कर देती है, सिवाय उनके जो मेरी स्निग्ध करुणा के मृदुल समीर से और सर्वत्र व्याप्त मेरी कृपा के मधुर आस्वादन से आनन्दविभोर हो गए हैं।

137. हे बयान के लोगो ! उस महान करुणामय प्रभु से डरो और एक-दूसरे अंश में उसने जो प्रकट किया है, उस पर विचार करो। उसने कहा: ‘‘वस्तुतः किब्ला वह है जिसे ईश्वर प्रकट करेगा। किब्ला उसी तरफ होगा जहां वह जायेगा, जब तक वह चिर विश्रांति को नहीं प्राप्त हो जाता।’’ सर्वोच्च विधाता द्वारा ऐसा ही निर्देश दिया गया, जब उसने इस महानतम सौन्दर्य का उल्लेख करना चाहा। हे लोगो! इस पर चिन्तन करो और उनमें से न बनो जो भूलों के बियाबान में मतभ्रमित की तरह भटकते रहते हैं। हे असावधानो के समूह ! यदि अपनी निरर्थक कल्पनाओं के वशीभूत तुम उसे अस्वीकार करते हो तो कहाँ है तुम्हारा किब्ला जिसकी ओर तुम उन्मुख होगे ? तुम इस श्लोक पर गम्भीरता से मनन करो और ईश्वर के समक्ष निष्पक्षतापूर्वक निर्णय करो ताकि, दैवयोग से, तुम मुझ सर्व महिमावान, सर्वोच्च के नाम से तरंगित होते महासागर से रहस्यों के मोती चुन सको।

138. आज के दिवस में किसी को भी किसी अन्य की ज़रूरत नहीं है सिवाय उसके जो इस प्रकटीकरण में व्यक्त किया गया है। पहले और अब भी ईश्वर का यही आदेश रहा है - ऐसा आदेश जिसके द्वारा पहले के सभी ईश्वरीय सन्देशवाहकों के पवित्र ग्रन्थ अलंकृत किए गए हैं। पहले और अब भी ईश्वर की यही चेतावनी रही है - ऐसी चेतावनी जिससे जीवन की पुस्तक की भूमिका आभूषित की गई है, बशर्ते तुम इसे समझ पाते। पहले और अब से ईश्वर की यही आज्ञा रही है, सावधान रहो कि कहीं इसके बदले तुम निरादर और पतन का हिस्सा न चुन लो। इस दिवस में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी तुम्हारा सहायक नहीं होगा और न ही उस सर्वज्ञ, सर्वप्रज्ञ के अतिरिक्त तुम्हारा कोई अन्य शरणस्थल है। जिस किसी ने मुझे जान लिया है, उसने सभी इच्छाओं के लक्ष्य को जान लिया है और जो कोई भी मेरी ओर उन्मुख हुआ है वह समस्त आराधना के लक्ष्य की ओर उन्मुख हुआ है। ग्रन्थ में ऐसा ही प्रतिपादित किया गया है और सभी लोकों के स्वामी ईश्वर द्वारा ऐसा ही आदेश दिया गया है। मेरे प्रकटीकरण के एक श्लोक का पाठ करना अतीत और भविष्य दोनो ही पीढ़ियों के धर्मग्रंथों के पाठ करने से बढ़कर है। यह सर्वदयालु की वाणी है, काश ! तुम्हारे पास सुनने योग्य कान होते। कहो: यह ज्ञान का सारतत्व है, यदि तुम समझ सको।

139. और अब उस पर विचार करो जो एक-दूसरे अनुच्छेद में प्रकट किया गया है ताकि, संयोगवश, तुम अपनी धारणाओं को त्याग सको और अस्तित्व के स्वामी ईश्वर की ओर उन्मुख हो सको। उसने[[6]](#footnote-6) कहा है, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना अवैधानिक है जो बयान में विश्वास नहीं रखता। यदि विवाह सूत्र में बंधने वाला एक पक्ष इस धर्म में विश्वास नहीं करता तो उसकी सम्पत्ति पर दूसरे पक्ष का तब तक वैधानिक अधिकार नहीं हो सकता, जब तक दूसरा पक्ष भी इस धर्म को स्वीकार न कर ले। परन्तु, यह नियम तब लागू होगा जब उसका धर्म प्रतिष्ठापित होगा, जिसे हम सत्य में प्रकट करेंगे या जो न्यायतः पहले ही प्रकट किया जा चुका है। इसके पहले तुम्हें यह स्वतंत्रता है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करो ताकि सम्भवतया इस संयोग से तुम ईश्वर के धर्म को महिमामंडित कर सको। इस प्रकार उस दिव्य कोकिला ने अपने सर्वदयालु स्वामी की स्तुति में स्वर्गिक शाखा पर सुमधुर स्वरगान किया है। धन्य हैं वे जो इसे ध्यान से सुनते हैं।

140. हे बयान के लोगो ! मैं तुम्हारे स्वामी, करुणामय ईश्वर की सौगन्ध देकर कहता हूँ कि सत्य की शक्ति द्वारा सम्प्रेषित इस वाणी पर निष्पक्ष दृष्टि डालो और उनमें से न बनो जो ईश्वर का प्रमाण देखते हैं, फिर भी उसे त्याग देते हैं और अस्वीकार कर देते हैं। वस्तुतः, वे ऐसे लोग हैं जिनका विनाश सुनिश्चित है। ‘बयान के बिन्दू’ ने इस श्लोक में अपने धर्म की तुलना में मेरे धर्म की महानता का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रत्येक निष्पक्ष और विवेकी व्यक्ति इस बात का साक्ष्य देगा। जैसा कि तुम आज के दिवस में स्पष्ट रूप से यह प्रमाण प्राप्त करोगे, इस धर्म की महानता से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता सिवाय उनके जिनकी आँखें इस नश्वर जीवन के नशे में चूर हैं और जिन्हें परलोक में लज्जास्पद दंड मिलना अभी शेष है।

141. कहो: ईश्वर के न्याय की सौगन्ध ! मैं वस्तुतः उसका[[7]](#footnote-7) सर्वश्रेष्ठ प्रियतम हूँ और इस क्षण वह प्राकट्य के आकाश से अवतरित होते इन श्लोकों को सुन रहा है और उस छलपूर्ण आचरण के लिए विलाप कर रहा है जो तुमने इन दिनों में किया है। ईश्वर से डरो और आक्रमणकारियों का साथ न दो। कहो: हे लोगो ! यदि तुम उसमें[[8]](#footnote-8) विश्वास न करना ही पसन्द करते हो तो भी कम-से-कम उसके विरुद्ध खड़े होने से दूर रहो। ईश्वर की सौगन्ध ! पर्याप्त है अत्याचारियों की वह सेना जो उसके विरुद्ध खड़ी हुई है।

142. वस्तुतः, उसने[[9]](#footnote-9) कुछ नियम इसलिए प्रकट किये कि इस युगधर्म में उस सर्वोच्च की लेखनी को अपने परम स्थान तथा अपने सर्वाधिक ज्योतिर्मय सौन्दर्य के यशोगान के अतिरिक्त अन्य कुछ लिखने की आवश्यकता न हो। तथापि, हमने तुम्हारे प्रति अपनी उदारता दिखलाने की इच्छा व्यक्त की है, विधानों को स्पष्टरूपेण सत्य की शक्ति द्वारा प्रतिपादित किया है और उन्हें इतना सरल बनाया है जितना हम तुमसे पालन करवाना चाहते थे। वह, वस्तुतः, महानदाता, उदार है।

143. दिव्य प्रज्ञा के इस उद्गमस्थल द्वारा जो भी कहा जाएगा उसका ज्ञान उसने[[10]](#footnote-10) तुम्हें पहले ही दे दिया है। उसने कहा और वह सत्य वचन कहने वाला है: ‘‘वह[[11]](#footnote-11) वो है जो हर परिस्थिति में यह घोषणा करेगा: सत्य ही, मुझ एकमेव, अतुलनीय, सर्वज्ञाता, सर्वसूचित के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है।’’ यह वह पद है जो ईश्वर ने विशुद्धतः इस उदात्त, इस अनूठे और विलक्षण प्रकटीकरण को प्रदान किया है। यह उसकी उदार कृपा का संकेत है और उसके अप्रतिबन्धित आदेश का चिह्न है; यदि तुम उनमें से हो जो समझते हैं। यह उसका महानतम नाम, उसका सर्वाधिक प्रशंसित शब्द और उसकी सर्वोत्कृष्ट उपाधियों का उद्गमस्थल है, यदि तुम समझ सको। यही नहीं, उसी के माध्यम से दिव्य मार्गदर्शन का प्रत्येक निर्झर, प्रत्येक दिव्य मार्गदर्शन का उदयस्थल प्रकट हुआ है। हे लोगो ! उस पर विचार करो जो वस्तुतः भेजा गया है, उस पर मनन करो और उल्लंघन करने वालों में से न बनो।

144. सभी धर्मों के साथ मिल-जुलकर रहो ताकि उन्हें तुमसे ईश्वर की मधुर सुरभि प्राप्त हो। सावधान रहो, लोगों के बीच व्याप्त मूर्खतापूर्ण अज्ञान की ज्वाला तुम्‍हें अपनी लपेट में न ले ले। सभी वस्तुएं ईश्वर की ओर से आती हैं और सभी उसी की ओर लौट जाती हैं। वह सभी वस्तुओं का स्रोत है और सभी वस्तुयें उसमें समाप्त हो जाती हैं।

145. सावधान रहो, गृह के स्वामी की अनुपस्थिति में उसकी अनुमति के बिना तुम उसके घर में प्रवेश न करो। हर परिस्थिति में औचित्यपूर्ण आचरण करो और पथभ्रष्टों में न गिने जाओ।

146. तुम्हें आदेश दिया गया है कि अपनी आजीविका के साधनों और ऐसी ही अन्य वस्तुओं को तुम ज़कात का भुगतान कर पवित्र करो। इस महान पाती में उसके द्वारा, जो श्लोकों का प्रकटकर्ता है, ऐसा ही कहा गया है। अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो शीघ्र ही हम इसका मापदण्ड निर्धारित कर देंगे। वस्तुतः, वह अपनी इच्छा की व्याख्या अपने ही ज्ञान के द्वारा करता है। सत्य ही, वह सर्वज्ञाता और सर्वप्रज्ञ है।

147. भीख मांगना विधान के विरुद्ध है और जो भीख माँगे उसे भीख देने का निषेध किया गया है। हर किसी को यह आदेश दिया गया है कि वह अपनी जीविका अर्जित करे और जो ऐसा करने में असमर्थ हैं, उनके लिए पर्याप्त साधन जुटाने का कर्त्‍तव्‍य ईश्वर के सहायकों तथा धनिकों का है। तुम ईश्वर के विधानों और आदेशों का न केवल पालन करो, बल्कि उनकी इस प्रकार रक्षा करो जैसे तुम अपनी आँखों की रक्षा करते हो और उनमें से न बनो, जो घोर क्षति प्राप्त करते हैं।

148. ईश्वर के ग्रन्थ में तुम्हें विवाद और संघर्ष, दूसरों को चोट पहुँचाने तथा ऐसे अन्य कार्य करने से मना किया गया है जिनसे हृदय और आत्मा को खिन्नता प्राप्त हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो दूसरों के दुख के कारण बनेंगे, मानव मात्र के प्रभु द्वारा उन्नीस मिस्क़ाल सोने का अर्थदंड प्रस्तावित किया गया था परन्तु इस अवतारकाल में उसने तुम्हें इस दंड से मुक्त किया है और तुम्हें आदेश दिया है कि तुम सच्चरित्रता और पवित्रता प्रदर्शित करो। ऐसी है वह आज्ञा जो इस ज्योतिर्मय पाती में उसने तुम्हें दी है। दूसरों के लिए वह मत चाहो जो तुम स्वयं अपने लिए नहीं चाहते हो। ईश्वर से डरो और अहंकारियों में से मत बनो। तुम सभी की रचना जल से की गई है और तुम सब धूल में विलीन हो जाओगे। उस अन्त पर विचार करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अत्याचारियों के मार्ग पर न चलो। ईश्वर के उन श्लोकों को गम्भीरता से सुनो जो वह पवित्र ‘सद्रतुल-मुन्तहा’[[12]](#footnote-12) तुम्हें सुनाता है। ये श्लोक निश्चित रूप से अचूक तुला हैं जिसे इहलोक और परलोक के प्रभु ने स्थापित किया है। उनके द्वारा मानव की आत्मा को प्रकटीकरण के उद्गमस्थल की ओर उड़ान भरने की प्रेरणा दी गई है और प्रत्येक सच्चे अनुयायी का हृदय प्रकाश से भर गया है। ऐसे हैं वे विधान जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए आदेशित किये हैं और उसकी पवित्र पाती में तुम्हारे लिए नियत किये गये हैं। आनन्द और उल्लास के साथ उनका पालन करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, यदि तुम यह जान सको।

149. प्रत्येक सुबह और शाम तुम ईश्वर के श्लोकों का सस्वर पाठ करो। जो भी उनका पाठ करने से चूकता है वह ईश्वर की संविदा और उसकी वसीयत के प्रति निष्ठावान नहीं होता और जो भी इस दिवस में उनसे मुँह मोड़ता है, वह उनमें से है जो अनादिकाल से ईश्वर से विमुख रहा है। हे मेरे सेवको ! तुम सब ईश्वर से डरो। ईश्वरीय श्लोकों के अत्यधिक पाठ और दिन-रात किए गए विपुल पुण्य कर्मों पर अहंकार न करो क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए संकटों में सहायक और स्वयंजीवी ईश्वर के सभी पवित्र ग्रंथों का उदासीनता से पाठ करने की अपेक्षा आनन्द और प्रफुल्लता से मात्र एक श्लोक का पाठ करना ही अच्छा है। पवित्र श्लोकों का उतना ही पाठ करो कि तुम थकान का अनुभव न करने लगो। अपनी आत्मा पर बोझ मत डालो जो उसे थका दे और बोझिल कर दे, बल्कि वह करो जो उसे उन्नत और उल्लसित कर दे, ताकि दिव्य श्लोकों के पंखों पर आरूढ़ होकर वे उसके सुस्पष्ट संकेतों के उदयस्थल की ओर उड़ान भर सके। यही तुम्हें ईश्वर के अधिक निकट ला सकता है, काश ! तुम यह जान पाते।

150. अपने बच्चों को गरिमा और शक्ति के आकाश से प्रकट किए गए श्लोकों की शिक्षा दो ताकि वे मशरिक़-उल-अज़कार के कोष्ठों में अत्यंत मधुर स्वर से सर्वदयालु की पातियों का पाठ कर सकें। जो भी मुझ परम करुणावान के नाम के प्रति श्रद्धा से नत होकर असीम आनन्द से भर उठा है, वह ईश्वर के श्लोकों का इस तरह पाठ करेगा कि सुसुप्त हृदय भी मुग्ध हो उठेंगे। धन्य है वह जिसने मेरे नाम पर अपने दयालु प्रभु की वाणी रूपी अनन्त जीवनदायिनी रहस्यमयी मदिरा का पान किया है; वह नाम जिसकी शक्ति ने विशाल पर्वतों को भी धूल-धूसरित कर दिया है।

151. तुम्हें यह आदेश दिया गया है कि हर उन्नीस वर्ष बाद अपने घर के साज़-ओ-सामान को नया कर लो। उसके द्वारा जो सर्वज्ञ, सर्वसूचित है, ऐसा ही आदेश दिया गया है। सत्य ही, वह तुम्हें और तुम्हारी सम्पत्ति, दोनों को उत्तम अवस्था में देखना चाहता है। ईश्वर से डरो और असावधान न बनो। जो कोई इस विधान के पालन के लिए अपने साधनों को अपर्याप्त समझता है, उसे सदा क्षमाशील, परम उदार ईश्वर ने क्षमा-दान दिया है।

152. गर्मी में प्रत्येक दिन और जाड़े में प्रत्येक तीन दिन में एक बार अपने पैरों को धोओ।

153. यदि कोई तुम पर क्रोधित हो जाये तो उसे सज्जनता से उत्तर दो और यदि कोई तुम्हारी भर्त्‍सना करे तो तुम उसकी भर्त्‍सना से बचो। उसे उसके हाल पर छोड़ दो और सर्वशक्तिमान प्रतिशोधकारी, सामर्थ्‍य और न्याय के प्रभु, ईश्वर पर भरोसा रखो।

154. प्रवचन-मंच का प्रयोग करने का निषेध किया गया है। जो कोई तुम्हें अपने प्रभु के श्लोक सुनाना चाहता है, उसे एक तख्त पर कुर्सी रखकर बैठने दिया जाए ताकि वह अपने प्रभु और समस्त मानवजाति के प्रभु की चर्चा कर सके। ईश्वर के लिए यह आनन्ददायक होगा कि उसके और उसके भव्य तथा आलोकित धर्म के प्रति स्नेह और सम्मान दिखलाते हुए तुम सब कुर्सियों या बेंचों पर बैठो।

155. तुम्हें जुआ खेलने और अफीम का प्रयोग करने से मना किया गया है। हे लोगो ! इन दोनों से परहेज करो और उन लोगों में से न बनो जो विधान का उल्लंघन करते हैं। ऐसे किसी भी तत्व के प्रयोग से सावधान रहो जो मानव-शरीर में शिथिलता और प्रमाद उत्पन्न करता हो और शरीर को हानि पहुँचाता हो। सत्य ही, हम तुम्हारे लिए सिर्फ वही चाहते हैं जो तुम्हें लाभ पहुँचाए और उसका साक्ष्य देती हैं सभी रचित वस्तुएँ; यदि, तुम्हारे पास सुनने वाले कान होते।

156. जब कभी तुम्हें किसी दावत या समारोह में आमंत्रित किया जाए तो आनन्द और उल्लास से इसे स्वीकार करो। जो भी अपना वादा निभाएगा, वह निन्दा से बचेगा। यह वह दिवस है जब ईश्वर के प्रत्येक विवेकपूर्ण निर्णय की व्याख्या की गयी है।

157. देखो, ‘‘सर्वोच्च शासक के चिह्न में निहित महाउत्क्रमण का रहस्य’’ अब प्रकट कर दिया गया है। कल्याण हो उसका, जिसे ईश्वर ने ‘सीधे अलिफ़’ के कारण स्थापित ‘छः’ की पहचान करने में सहायता दी है। वह, सत्यतः, उनमें से है, जिनका विश्वास सच्चा है। ऐसे अनेक हैं जो ऊपर से तो पुण्यात्मा लगते हैं किन्तु भीतर से ईश्वर से विमुख हैं। अनेक ऐसे भी हैं जिन्होंने ईश्वर से विमुख दिखते हुए भी ‘महिमा हो तेरी, हे सभी लोकों की कामना’ जैसे उद्गार व्यक्त करते हुए, ईश्वर का सान्निध्य पा लिया है। वास्तव में, यह ईश्वर के हाथ में है कि वह जो चाहे सो दे, जिसे चाहे उसे दे और जिस किसी को भी वह जो न देना चाहे सो न दे। वह हृदय के भीतरी रहस्यों को जानता है और व्यंग्य करने वाले के पलक-निमेष में छिपे अर्थ को समझता है। असावधानी से अनेक मूर्तरूप, जो हृदय की शुद्धता लेकर हमारे निकट आए, को हमने अपनी स्वीकृति के आसन पर विराजमान किया और विवेक के अनेक व्याख्याताओं को हमने अपने समग्र न्याय के कारण आग में झोंक दिया है। सत्यतः, हम एकमात्र न्यायकर्ता हैं। यह वह है जो ‘‘ईश्वर जो चाहता है, करता है’’ का प्रकट रूप है और ‘‘वह जो चुनता है, सुनिश्चित करता है’’ के सिंहासन पर विराजने वाला है।

158. धन्य है वह जो सम्पूर्ण सृष्टि पर अपने स्पन्दन से ईश्वर के मधुर समीर को प्रवाहित करने वाली इस लेखनी के संकेतों से निगूढ़ अर्थों की सुगन्ध उद्घाटित करता है; वह लेखनी जिसकी स्थिरता के माध्यम से अस्तित्व के संसार में प्रशान्ति का निहित तत्व प्रत्यक्ष हुआ है। ऐसी अपरिमेय उदारता को प्रकट करने वाला सर्वकरुणामय महिमामंडित हो। कहो: उसने अन्याय सहन किया, इसलिए पृथ्वी पर न्याय का अवतरण हुआ और चूँकि उसने अपमान स्वीकार किया, इसलिए मानव के बीच ईश्वर की महिमा बढ़ी।

159. यदि आवश्यक न हो तो तुम्हें हथियार लेकर चलने से मना किया गया है। तुम्हें रेशमी वस्‍त्र पहनने की अनुमति दी गई है। अपनी दया के रूप में ईश्वर ने तुम्हें उन प्रतिबन्धों से मुक्त किया है जो पहले वस्‍त्र पहनने और दाढ़ी बनाने पर लागू थे। वह, सत्य ही, विधाता, सर्वज्ञाता है। तुम्हारे चाल-चलन में ऐसा कुछ भी न हो जिसे स्वस्थ और सुदृढ़ मस्तिष्क के लोग अस्वीकृत करें, स्वयं को अज्ञानी लोगों के उपहास की वस्तु न बनाओ। कल्याण हो उसका जिसने स्वयं को शोभनीय आचरण और प्रशंसनीय चरित्र की पोशाक से सुसज्जित कर लिया है। उसकी गिनती निश्चित रूप से ऐसे लोगों में की जाती है जो विशेष और उल्लेखनीय कर्मों से अपने स्वामी की सहायता करते हैं।

160. तुम ईश्वर के नगरों और उसके राष्ट्रों को सुविकसित करो और उनमें उसके प्रियजनों की उल्लसित स्वर-लहरियों में उसका गौरवगान करो। वस्तुतः, लोगों के हृदय जुड़ते हैं जिह्वा की शक्ति से, ठीक वैसे ही जैसे गृह और नगरों की रचना हाथ और अन्य साधनों से होती है। प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने एक साधन निर्धारित किया है, तुम उसका लाभ उठाओ और सर्वज्ञाता, सर्वप्रज्ञ ईश्वर में विश्वास रखो।

161. धन्य है वह व्यक्ति, जिसे ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और उसके संकेतों में अपने विश्वास का अभिज्ञान है और वह, जो यह जानता है कि ‘‘उससे उसके कर्मों के विषय में नहीं पूछा जाएगा।’’ ईश्वर ने ऐसे अभिज्ञान को प्रत्येक विश्वास का आभूषण और वास्तविक आधार बनाया है। प्रत्येक शुभ कर्म की स्वीकृति इसी पर आश्रित है। अपनी दृष्टि इस पर केन्द्रित करो, ताकि कहीं विद्रोह करने वालों की कानाफूसी तुम्हें पथ से विचलित न कर दे।

162. अगर वह अनादि काल से निषिद्ध की गई वस्तु को विधिसम्मत और विधिसम्मत वस्तु को निषिद्ध घोषित कर दे, तब भी उसकी सत्ता पर प्रश्न चिह्न लगाने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि कोई क्षण मात्र के लिये भी हिचकता है तो वह विधान का उल्लंघन करने वालों में समझा जायेगा।

163. जो भी इस उदात्त और मूल वास्तविकता को नहीं पहचान सका है और इस परमोच्च स्थान को प्राप्त करने में असफल रहा है, उसे संशय की आंधी प्रकम्पित कर देगी और निष्ठाहीनों के वचन उसकी आत्मा को विचलित कर देंगे। जिस किसी ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है, उसे सम्पूर्ण स्थिरता का वरदान प्राप्त होगा। सभी कीर्ति उस परम प्रतापी पद को प्राप्त हो, जिसका स्मरण प्रत्येक महान पाती को आभूषित करता है। ऐसी है वह शिक्षा जो ईश्वर ने तुम्हे दी है; वह शिक्षा जो तुम्हे हर प्रकार की शंका और उलझन से बचाएगी और दोनो ही लोकों में तुम्हें मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनाएगी। वह, सत्य ही, सदा क्षमाशील, परम उदार है। यही है वह जिसने दिव्य सन्देशवाहकों को भेजा है और यह घोषणा करने के लिए अपने ग्रन्थ सम्प्रेषित किए हैं कि ‘‘मुझ सर्वशक्तिमान, सर्वप्रज्ञ के सिवा अन्य कोई ईश्वर नहीं है।’’

164. हे ‘काफ’ और ‘रा’[[13]](#footnote-13) की भूमि ! हम, सत्य ही, तुझे ऐसी स्थिति में देखते हैं जो ईश्वर को अप्रिय है और तुझसे वह निकलते हुए देख रहे है जिसको सर्वज्ञाता, सर्वसूचित ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता और हमें उसका अन्तर्बोध हो रहा है जो छिप कर गुप्त रूप से शनैः-शनैः तेरे अन्दर से निकल रहा है। हमारे पास हर वस्तु का ज्ञान है जो एक स्पष्ट पाती में अंकित है। तुझ पर जो कुछ आ पड़ा है, उसके लिए दुखी न हो। शीघ्र ही ईश्वर तेरे बीच से महान पराक्रम से सम्पन्न लोगों को उत्पन्न करेगा जो ऐसी दृढ़ता से मेरे नाम का प्रसार करेंगे कि न तो धर्मगुरुओं के दुष्परामर्श और न ही संदेह की बौछारें उन्हें प्रतिबन्धित कर सकेंगी। वे अपनी ही आँखों से ईश्वर को देखेंगे और अपना जीवन देकर उसे विजयी बनाएंगे। वे, वस्तुतः उनमें से होंगे जो अटल हैं।

165. हे धर्मोपदेशको के समूह ! जब मेरे श्लोक तुम्हारे पास भेजे गए थे और मेरे स्पष्ट संकेत उजागर किए गए थे तब हमने तुम्हें आवरण में पाया। यह वस्तुतः एक विचित्र बात है। तुम मेरे नाम पर गर्व करते हो किन्तु जब तुम्हारा सर्वकरुणामय स्वामी साक्ष्य और प्रमाणों के साथ तुम्हारे बीच आया तो तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। हमने उन आवरणों के चीथड़े कर दिये। सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम लोगों को किसी और पर्दे से ढ़क दो। सब लोगों के स्वामी के नाम पर, व्यर्थ कल्पनाओं की जंजीरों को पूरी तरह तोड़ दो और प्रपंचियों में से न बनो। यदि तुम ईश्वर की ओर उन्मुख हो और उसके धर्म का आलिंगन करो तो इसके भीतर अव्यवस्था मत फैलाओ तथा ईश्वर के धर्मग्रन्थ का मूल्यांकन अपनी स्वार्थ भरी इच्छाओं के अनुसार न करो। यह वस्तुतः, पहले भी ईश्वर का परामर्श था और आगे भी रहेगा और इसके साक्षी हैं उसके चुने हुए अनुयायी, हममें से प्रत्येक, इसे दृढ़ता से सत्यापित करता है।

166. तू उस शेख की याद कर जिसका नाम था मुहम्मद हसन, जिसकी गिनती उसके समय के परम विद्वान धर्मगुरुओं में की जाती थी। जब एकमेव सत्य प्रकट हुआ तो अपने अन्य साथियों के साथ इस शेख ने ‘उसे’ अस्वीकार कर दिया जबकि गेहूँ और जौ साफ करने वाले ने ‘उसे’ तत्काल स्वीकार किया और वह अपने प्रभु की ओर अभिमुख हुआ। हालाँकि वह रात-दिन उन विधानों और अध्यादेशों की व्याख्या में तल्लीन था जो उसकी समझ में ईश्वरीय विधान थे, परन्तु जब वह ‘अप्रतिबन्धित’ प्रकट हुआ तो उसके एक भी अक्षर का लाभ उसे नहीं मिला, अन्यथा वह उस मुखड़े से कभी विमुख नहीं होता, जिससे प्रभु के अत्यंत प्रियपात्रों के मुखों की कांति जगमगाई थी। जब ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया तब यदि तुमने उसमें विश्वास किया होता तो लोग न तो ‘उससे’ किनारा करते और न ही वे मुसीबतें ‘हम’ पर आ पड़तीं, जिन्हें तुम आज देख रहे हो। ईश्वर से डरो और असावधानों में से न बनो।

167. सावधान रहो, कोई नाम तुम्हें उससे दूर न कर दे जो सभी नामों का अधिपति है, या कोई शब्द तुम्हारे बीच विवेक के इस स्रोत परमात्मा के स्मरण से वंचित न कर दे। हे धर्मोपदेशको के समूह ! ईश्वर की ओर उन्मुख हो और उसका संरक्षण पाने का यत्न करो और अपने आप को मेरे तथा मेरी सृष्टि के बीच आवरण मत बनने दो। इस तरह तुम्हारा प्रभु तुम्हें चेतावनी देता है और तुम्हें न्यायनिष्ठ होने की आज्ञा देता है ताकि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म निष्फल हो जाएं और अपनी दुखद स्थिति को तुम स्वयं भूल जाओ। क्या, वह जो इस धर्म को अस्वीकार करेगा, पूरी सृष्टि में किसी भी धर्म के सत्य को प्रमाणित कर पाएगा ? नहीं, उसकी सौगन्ध जो ब्रह्मांड का रचयिता है, फिर भी लोग प्रत्यक्ष पर्दे से ढके हैं। कहो: इस धर्म के द्वारा प्रमाण का सूर्य उदित हुआ है और साक्ष्य के प्रज्वलित नक्षत्र ने धरती के सभी निवासियों पर अपनी आभा बिखेरी है। हे अन्तर्दृष्टिसम्पन्न लोगो ! ईश्वर से डरो और उनमें से न बनो जो मुझमें अविश्वास करते हैं। सावधान रहो, कहीं ‘नबी’ शब्द तुम्हें इस ‘महानतम घोषणा’ से रोक न दे अथवा ‘प्रतिनिधित्व’ का कोई सन्दर्भ तुम्हें ‘उसके’ साम्राज्य से वंचित न कर दे जो सम्पूर्ण विश्व को आच्छादित करने वाले ईश्वर के प्रतिनिधि का साम्राज्य है। प्रत्येक नाम की रचना उसी के शब्द से हुई है और प्रत्येक धर्म उसी के अदम्य, शक्तिमान और विलक्षण धर्म पर आश्रित है। कहो: यह ईश्वर का ‘दिवस’ है, वह ‘दिवस’ जब ‘उसके’ आत्मस्वरूप के सिवा अन्य किसी का उल्लेख नहीं होगा जो समस्त ब्रहमाण्ड का सर्वशक्तिसम्पन्न संरक्षक है। यह वह धर्म है जिसने तुम्हारे सभी अंधविश्वासों और मूर्तियों को कम्पायमान कर दिया है।

168. तुम्हारे बीच हम, वस्तुतः, उसे देख रहे हैं जो ईश्वर का धर्मग्रन्थ लेकर उसमें से ऐसे प्रमाण और तर्क उद्धरत कर रहा है, जिससे वह अपने स्वामी का खण्डन कर सके, ठीक वैसे ही जैसे अन्य सभी धर्मों के मतावलम्बी अपने पवित्र ग्रन्थों में उसे असत्य सिद्ध करने के तर्क ढूँढ़ते हैं, जो संकट में सहायक और स्वयंजीवी है। कहो: एकमेव सत्य ईश्वर मेरा साक्षी है कि न तो दुनिया भर के धर्मग्रन्थ और न ही अस्तित्वमान सारे लेख तुम्हें आज के युग में लाभ पहुँचा सकेंगे, सिवाय इस ‘जीवन्त पुस्तक’ के जो सृष्टि के हृदय-पटल पर यह घोषणा करती है: ‘‘वस्तुतः, मुझ सर्वज्ञ, सर्वप्रज्ञ के अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है।’’

169. हे धर्मोपदेशको के समूह ! सावधान रहो, कहीं तुम किसी भू-भाग में संघर्ष का कारण न बन जाओ जैसे कि धर्म के प्रारम्भिक दिनों में तुम ‘उसकी’ अस्वीकृति के कारण बने थे। लोगों को इस ‘शब्द’ के चारो ओर एकत्रित करो जिसके प्रभाव से पत्थर भी पुकार उठे हैं: ‘‘साम्राज्य ईश्वर का है, उसका जो सभी चिह्नों का उदयस्थल है।’’ इस तरह अपनी दयालुता के कारण तुम्हारा प्रभु तुम्हे चेतावनी देता है। वह सचमुच सदा क्षमाशील, परम उदार है।

170. तुम करीम को याद करो, जब हमने उसे ईश्वर की ओर आमंत्रित किया था तो किस प्रकार वह अपने स्वार्थ के वशीभूत हो, घृणा प्रदर्शित करने लगा। ‘हमने’ फिर भी उसके पास वह भेजा जो अस्तित्व के जगत में प्रमाण की दृष्टि के लिए एक सांत्वना थी तथा धरती और आकाश के सभी निवासियों के लिए ईश्वर के प्रमाण की पूर्ति थी। वह जो सर्वाधिपति और सर्वोच्च है, ‘उसकी दया’ के स्वरूप हमने उसे सत्य को अंगीकार करने का आदेश दिया। परन्तु उसने मुँह फेर लिया, जब कि ईश्वरीय न्याय की प्रक्रिया में कोप-दूतों का शिकार हो गया। ‘हम’ स्वयं सत्यतः, इसके साक्षी थे।

171. एक साथ सभी पर्दों को इस तरह चीर डालो कि उनके चीरने की ध्वनि दिव्य साम्राज्य के सहचरों तक पहुँचे। विगत और आगामी दिनों के लिए यह ईश्वर की आज्ञा है। धन्य है वह व्यक्ति जो दिए गए आदेश का पालन करता है और जो इसकी अवहेलना करता है उस पर दुःखों का ज्वार उमड़ेगा।

172. वस्तुतः, इस पार्थिव साम्राज्य में ईश्वर और उसके साम्राज्य को प्रकट करने के अतिरिक्त हमारा कोई और उद्देश्य नहीं था, इसका पर्याप्त साक्षी है ईश्वर। निश्चितरूप से, दिव्य साम्राज्य में उसके धर्म के उन्नयन और उसकी स्तुति के महिमागान के अतिरिक्त हमारा और कोई उद्देश्य नहीं था। एक रक्षक के रूप में मेरे लिए ईश्वर पर्याप्त है। सत्य ही, सर्वोच्च साम्राज्य में ईश्वर तथा जो कुछ भी ईश्वर द्वारा भेजा गया है, उसके गुणगान के अतिरिक्त हमारी और कोई इच्छा नहीं थी। एक सहायक के रूप में मेरे लिए ईश्वर पर्याप्त है।

173. हे बहा के ज्ञानी जनो ! धन्य हो तुम सब ! प्रभु की सौगन्ध ! तुम ‘सर्वाधिक सामर्थ्‍यवान महासागर’ के ज्वार हो, महिमा के गगन के नक्षत्र हो, धरती और आकाश के बीच फहराते विजय-ध्वज हो। लोगों के बीच तुम दृढ़ता के प्रकट रूप और धरती के सभी निवासियों के बीच दिव्य वाणी के उद्गमस्थल हो। कल्याण हो उसका जो तुम्हारी ओर अभिमुख है और जो विमुख है उस पर विपत्ति का ज्वार टूटे। आज के दिन जिस किसी ने अपने करुणामय प्रभु परमेश्वर की स्निग्ध करुणा के हाथों अनन्त जीवन की रहस्यमयी मदिरा का पान कर लिया है, उसके लिए योग्य है कि वह मानवमात्र के शरीर में स्पन्दन करती हुई धमनी की तरह धड़के ताकि उसके माध्यम से विश्व और उसकी जर्जर होती अस्थियाँ जीवंत हो उठें।

174. हे दुनिया के लोगो ! जब ‘रहस्यमय कपोत’ अपने ‘गुणगान के पवित्र स्थल’ से उड़कर अपने सुदूर लक्ष्य, अपने प्रच्छन्न आवास को प्राप्त कर चुके तब जो कुछ भी ग्रन्थ में तुम्हें ज्ञात न हो सके, उसके लिए तुम उससे निर्देश पाना जो इस शक्तिमान वृक्ष से फूटी हुई शाखा है।

175. हे परमोच्च की महालेखनी ! आकाशों के रचयिता, अपने स्वामी के निर्देश पर तू उसकी पाती पर चल और उस समय का संकेत दे जब उस दिव्य एकता के उद्गमस्थल ने ज्ञानातीत एकता की पाठशाला की ओर अपने पग बढ़ाये थे, ताकि शुद्ध हृदय के लोग तेरे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता प्रभु के रहस्यों की एक झलक पा सकें, भले ही वह झलक सूई के छिद्र के समान सूक्ष्म ही क्यों न हो। कहो: हम सचमुच तब निगूढ़ अर्थ और व्याख्या की उस पाठशाला की ओर अग्रसर हुए, जब सृष्टि की सभी वस्तुएँ असावधान थीं। ‘हमने’ उन शब्दों को देखा जिन्हें सर्वदयालु ने भेजा था और ‘हमने’ संकटों में सहायक, स्वयंजीवी ईश्वर के उन श्लोकों को स्वीकार किया जो ‘उसने’[[14]](#footnote-14) हमारे लिए भेंट किये और उसे ध्यान से सुना जिसकी दृढ़ पुष्टि ‘उसने’ अपनी पाती में की है। हमने यह निश्चित रूप से देखा और अपनी आज्ञा के माध्यम से उसकी इच्छा से हम सहमत हुए क्योंकि हम वस्तुतः आज्ञा देने में समर्थ हैं।

176. हे बयान के लोगो ! जब तुम सोए हुए थे, तब हमने सचमुच ईश्वर की पाठशाला में कदम रखा था और जब तुम गहरी निद्रा में सो रहे थे तब हमने पाती को पढ़ा था। एकमेव सत्य ईश्वर की सौगन्ध ! हमने प्रकट होने से पहले ही पाती को पढ़ा था जबकि तुम अनभिज्ञ थे और जब तुम जन्मे भी नहीं थे, तब हमें ग्रन्थ का पूर्ण ज्ञान था। ये शब्द तुम्हारे मापदंड के अनुसार हैं, ईश्वर के मापदंड के अनुसार नहीं। इसका प्रमाण है वह जो उसके ज्ञान में लिप्त है; यदि तुम उनमें से हो, जिन्हें बोध है और इसकी साक्षी है सर्वशक्तिमान की जिह्वा, यदि तुम उनमें से हो जो समझते हैं। मैं ईश्वर की सौगन्ध खाता हूँ, अगर ‘हम’ पर्दा उठा देते तो तुम अवाक रह जाते।

177. सावधान रहो, तुम सर्वशक्तिमान और उसके धर्म के विषय में व्यर्थ विवाद न करो; वह तुम्हारे बीच ऐसे महान प्रकटीकरण के रूप में अवतरित हुआ है जो सभी वस्तुओं को चतुर्दिक घेरे हुए है, चाहे वे वस्तुएँ अतीत की हों या भविष्य की। यदि हम इस स्थान पर अपने विषय की घोषणा दिव्य साम्राज्य के सहचरों की भाषा में करते तो हम यह कहते: ‘‘वस्तुतः, ईश्वर ने उस पाठशाला की रचना आकाश और धरती से भी पहले की और हमने उसमें तभी प्रवेश लिया जब ‘‘भ’’ और ‘‘व’’ अक्षर परस्पर संयुक्त नहीं हुए थे। हमारे साम्राज्य में हमारे सेवकों की भाषा ऐसी है, तो इस पर विचार करो कि हमारे सर्वोच्च साम्राज्य के निवासियों की भाषा कैसी होगी, क्योंकि उन्हें तो हमने अपने ही ज्ञान से सम्पन्न किया है और उनके समक्ष वह सब कुछ प्रकट किया है जो ईश्वर के विवेक में अन्तर्निहित है। तब कल्पना करो कि अपने सर्वमहिमामय आवास में सामर्थ्‍य और भव्यता की जिह्वा का उद्घोष कैसा होगा !

178. यह कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसे तुम अपनी व्यर्थ कल्पनाओं की क्रीड़ा की सामग्री बना लो और न ही मूर्ख और दुर्बल हृदयों का क्षेत्र है यह। ईश्वर की सौगन्ध ! यह अन्तर्दृष्टि और अनासक्ति, दर्शन और उत्थान की वह रंगभूमि है जहाँ दयालु ईश्वर के ऐसे महापराक्रमी अश्वारोहियों के अतिरिक्त, जो इस जगत की समस्त मोह-माया से परे है, अन्य कोई भी, इसकी शक्ति से संचालित नहीं हो सकता। वे सचमुच ऐसे लोग हैं जो धरती पर ईश्वर को विजयी बनाते हैं तथा मानवमात्र के बीच उसकी परम शक्ति के उदयस्थल हैं।

179. सावधान रहो कि जो कुछ भी बयान में प्रकटित है, तुम्हें कहीं महान करुणावान ईश्वर से दूर न कर दे। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मेरे गुणगान के सिवा बयान को अन्य किसी उद्देश्य से नहीं भेजा गया था, काश ! तुम यह जान पाते। शुद्ध हृदय के लोगों को इसमें केवल मेरे प्रेम की सुरभि मिलेगी, केवल मेरा नाम ही है जो उन सबको आच्छादित किये है जो देखते हैं और देखे जाते हैं। कहो: हे लोगो ! उसकी ओर उन्मुख हो जो मेरी परम उच्च लेखनी से निःसृत हुआ है। यदि उससे तुम्हें ईश्वर की सुगन्ध प्राप्त हो तो तुम उसके विरुद्ध न जाओ और न ही उसकी करुणामय कृपा और असंख्य वरदानों से मुँह मोड़ो। इस प्रकार तुम्हारा प्रभु तुम्हें चेतावनी देता है, वह सत्य ही, परामर्शदाता, सर्वज्ञाता है।

180. जो कुछ भी बयान में तुम न समझ सको तो ईश्वर से पूछो जो तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का स्वामी है। यदि वह चाहेगा तो जो भी उसमें प्रकटित है, उसकी व्याख्या कर देगा और अपने शब्दों के महासागर में छिपे दिव्य ज्ञान और विवेक के मोती उद्घाटित कर देगा। वह सत्य ही सभी नामों से श्रेष्ठ है; उसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, संकट में सहायक, स्वयंजीवी।

181. इस नई, सर्वमहान विश्व-व्यवस्था के स्पन्दनकारी प्रभाव ने विश्व के संतुलन को डगमगा दिया है। इस विलक्षण प्रणाली, जिसके समान इन नश्वर आँखों ने कभी नहीं देखा है, के कारण मानवमात्र के व्यवस्थित जीवन में क्रान्ति आ गई है।

182. स्वयं को मेरी वाणी के महासिंधु में निमग्न कर लो ताकि तुम इसके रहस्यों को उद्घाटित कर सको और विवेक के उन सभी मोतियों को खोज पाओ जो इसकी गहराइयों में छिपे हैं। सावधान रहो कि इस धर्म के सत्य का आलिंगन करने में तुम्हारा निश्चय कहीं डगमगा न जाए - वह धर्म जिसके माध्यम से ईश्वर के सामर्थ्‍य की क्षमताएँ प्रकट हुई हैं और उसकी सम्प्रभुता संस्थापित हुई है। आनन्द से, दीप्तिमान मुखड़ों से उसकी ओर शीघ्रता से बढ़ो। यह ईश्वर का अपरिवर्तनशील धर्म है, जो अतीत में सनातन था और भविष्य में भी सनातन रहेगा। जो इसकी खोज करता है, वह इसे प्राप्त करता है और जो इसे प्राप्त करने से मुँह मोड़ता है उसके लिये, वस्तुतः, ईश्वर आत्मनिर्भर है, अपने प्राणियों की आवश्यकता से परे।

183. कहो: यह वह अचूक तुला है जिसे ईश्वर के हाथ ने थाम रखा है, जिसमें वे सभी तौले जाते है जो आकाश में हैं या धरती पर और उनके भाग्य नियत किए जाते हैं, यदि तुम उनमें से हो जो इस सत्य में विश्वास करते और इसे पहचानते हैं। कहो: यह सर्व महान प्रमाण है जिसके द्वारा युग युगांतर में प्रत्येक प्रमाण की वैधता स्थापित की गयी है, काश ! तुम इस पर विश्वास कर पाते। कहो: इसके द्वारा निर्धनों को समृद्ध, विद्वानों को प्रज्ञावान और अन्वेषियों को ईश्वर के सान्निध्य तक पहुँचने में समर्थ बनाया गया है। सावधान ! कहीं ऐसा न हो कि इसे तुम अपने बीच मतभेद का कारण बना लो। तुम अपने सर्वशक्तिशाली सर्वप्रेममय ईश्वर के धर्म में अटल पर्वत की भाँति अडिग बनो।

184. कहो: हे विकृति के स्रोत ! तू जान-बूझकर अपनाये गये अपने अंधेपन को छोड़ दे और लोगों के बीच सत्य बोल। ईश्वर की सौगन्ध, जिसने तुझे रचा और तुझे अस्तित्ववान् बनाया, उसी को त्याग, तुझे अपनी स्वार्थपूर्ण वासनाओं के पीछे भागते देख मैंने तेरे लिए रुदन किया है। अपने प्रभु की सुकोमल कृपा का स्मरण कर और याद कर कि रात-दिन हमने किस भाँति तेरा पालन-पोषण किया है ताकि तू धर्म की सेवा कर सके। ईश्वर से डर और सच्चे मन से पश्चाताप करने वालों में बन। मान लिया कि तेरे स्थान के बारे में लोग भ्रमित हो गये थे, क्या इससे यह अनुमान किया जाये कि तू स्वयं भी उसी प्रकार भ्रमित है ? अपने प्रभु से भय कर और उन दिनों का स्मरण कर जब तू हमारे सिंहासन के समक्ष खड़ा हुआ था और तूने वे पद लिपिबद्ध किए थे, जिन्हें हमने तुझे लिखाया था - वे पद जो उस सर्वशक्तिमान रक्षक, सामर्थ्‍य तथा शक्ति के स्वामी, परमात्मा ने सम्प्रेषित किए थे। सावधान, कहीं तेरी धृष्टता की आग तुझे परमात्मा के पावन दरबार में उपस्थित होने से रोक न दे। उसकी ओर उन्मुख हो और अपने कर्मों के कारण भयभीत मत हो। सत्य ही वह अपनी उदारता के फलस्वरूप जिसे चाहता है उसे क्षमादान देता है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, सर्वदा क्षमाशील, सर्वकृपालु! हम मात्र ईश्वर के निमित्त ही तुझे सावधान करते हैं। तू यदि यह परामर्श मान ले तो तू यह अपने ही लिए करेगा और यदि तू इसे अस्वीकार करता है, तो तेरा प्रभु, सत्य ही, तेरे बिना और उन सबके बिना जो स्पष्ट रूप से भ्रमवश तेरे अनुयायी हैं, अच्छी तरह अपना काम चला सकता है। देख ! ईश्वर ने उसे अपने अधीन कर लिया है, जिसने तुझे पथभ्रष्ट कर दिया था। दीन, अधीन, अकिंचन तू परमेश्वर की ओर वापस आ ! सत्यतः, वह तुझे तेरे पापों से मुक्त कर देगा, क्योंकि तेरा प्रभु निश्चित रूप से क्षमाशील, सामर्थ्‍यवान, सर्वदयालु है।

185. यह ईश्वर का परामर्श है, काश ! तू इस पर ध्यान देता ! यह परमेश्वर की दया है, काश ! तू इसे प्राप्त कर पाता ! यह परमात्मा की वाणी है, यदि तू इसे जान पाता! यह परमेश्वर की निधि है, यदि तू मात्र इसे समझ पाता !

186. यह वह ग्रंथ है जो विश्व के लिए शाश्वत प्रकाश बन गया और पृथ्वी के लोगों के लिए परमात्मा का अटल एवं सीधा पथ बन गया है। कहो: यह दिव्य ज्ञान का उद्गमस्थल है, यदि तू उनमें से हो जो समझते हैं। यह परमात्मा की आज्ञाओं का उदयस्थल है, यदि तुम उनमें से हो, जो समझते हैं।

187. पशु जितना वहन कर सकता है, उससे अधिक भार उस पर मत डालो। हमने, सत्य ही, इस ग्रन्थ में एक अत्यन्त बाध्यकारी निषेधाज्ञा द्वारा ऐसा व्यवहार वर्जित किया है। सम्पूर्ण सृष्टि के बीच तुम न्याय तथा औचित्य का साकार रूप बनो।

188. यदि कोई अनजाने में किसी के प्राण ले ले तो उसके लिए मृतक के परिवार को एक सौ मिस्क़ाल स्वर्ण की क्षतिपूर्ति करने का आदेश है। इस पाती में तुम्हें जो आदेश दिया गया है, तुम उसका पालन करो और उन जैसे मत बनो जो उसकी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं।

189. हे विश्व के सांसदो ! पृथ्वी पर समस्त जनों के उपयोग के लिए किसी एक भाषा का चयन करो और इसी प्रकार एक सामान्य लिपि अपनाओ। वस्तुतः, ईश्वर ने उसे सुगम बनाया है जो तुम्हारे लिये लाभकारी हो और तुम्हें दूसरों पर आश्रित न रहने में समर्थ बनाता है। वह सचमुच सर्वाधिक उदार, सर्वज्ञाता, सर्वसूचित है। यह एकता का कारण बनेगा। काश ! तुम इसे समझ पाते। सामंजस्य तथा सभ्यता के उन्नयन का यह महानतम उपकरण होगा, काश ! तुम इसे समझ पाते। मानवजाति की परिपक्वता के लिए हमने दो चिह्न निर्धारित किए हैं: प्रथम वह दृढ़तम नींव है, जिसका हमने अपनी अन्य पातियों में उल्लेख किया है, जबकि दूसरा इस अनूठे ग्रंथ में प्रकट किया गया है।

190. अफीम का धूम्रपान तुम्हारे लिए वर्जित किया गया है। हमने, सत्य ही, इस ग्रंथ में एक अत्यन्त बाध्यकारी निषेधाज्ञा द्वारा ऐसे प्रयोग का निषेध किया है। यदि कोई ऐसा करता है, तो निश्चित ही वह मेरा नहीं है। हे तुम प्रज्ञापूर्ण मानव, परमात्मा से डरो !

**बहाउल्लाह द्वारा प्रकट किये गये**

**किताब-ए-अक़दस**

**के कुछ अनुपूरक पाठ**

किताब-ए-अक़दस के बाद बहाउल्लाह द्वारा प्रकट की गई कुछ पातियों में ऐसे अंश सन्निहित हैं जो परम पावन ग्रंथ के विधि-विधानों के अनूपूरक हैं। इनमें से अति महत्वपूर्ण लेख किताब-ए-अक़दस के बाद प्रकट की गई ‘‘बहाउल्लाह की पातियों’’ में प्रकाशित हो चुके हैं। इस खंड में ‘‘इशराकात की पाती’’ के अंश भी जोड़ दिये गये हैं। उसी तरह ‘‘प्रश्न और उत्तर’’ में संकेतित तीन अनिवार्य प्रार्थनाओं के पाठ और पवित्र ग्रन्थ में निर्दिष्ट मृतकों की प्रार्थना भी यहाँ पुनर्मुद्रित है।

**इशराक़ात की पाती**

**आठवाँ इशराक़**

गरिमा की लेखनी द्वारा लिखा गया यह अंश परम पावन ग्रन्थ के एक भाग के रूप में लिया गया है। ईश्वर के न्याय मन्दिर के सदस्यों को जनसामान्य के मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। वे सत्य ही प्रभुसेवकों के बीच ईश्वर के न्यासधारी और प्रभु के देशों में अधिकारसत्ता के उद्गमस्थल हैं।

हे ईश्वर के लोगो ! वह जो विश्व को प्रशिक्षित करता है न्याय है क्योंकि यह पुरस्कार और दंड के दो स्तम्भों पर टिका है। ये दो स्तम्भ विश्व के जीवन-स्रोत हैं, क्योंकि हर दिन की एक नई समस्या है और हर समस्या का एक सामयिक निदान। ऐसे मामलों की प्रस्तुति न्याय मंदिर के सामने की जानी चाहिए ताकि उसके सदस्य समय की आवश्यकता के अनुरूप कदम उठा सकें। वे जो ईश्वर के नाम पर उसके धर्म की सेवा के लिये उठ खड़े होते हैं, अदृश्य साम्राज्य से दिव्य प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह सबके लिए अनिवार्य है कि वे उनके आज्ञाकारी बनें। देश के हर तरह के मामले न्याय मन्दिर के समक्ष रखे जाने चाहिए, लेकिन उपासना के क्रियाकलापों को ईश्वर द्वारा उसके ग्रन्थ में निर्दिष्ट विधान के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए।

हे बहा के लोगो ! तुम सब ईश्वर के प्रेम के उदयस्थल और उसकी स्नेहिल करुणा के उद्गमस्थल हो। अन्य किसी आत्मा को अभिशाप देकर या उसके लिए दुर्वचन निकालकर अपनी जिह्वा को दूषित न करो और अपनी आँखों को अशोभनीय दर्शन से बचाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बाँटो। अगर उसे कोई सहर्ष स्वीकार कर लेता है तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, यदि नहीं तो विरोध करना व्यर्थ है। उस आत्मा को स्वयं उसके ऊपर छोड़ दो और उस स्वामी की ओर उन्मुख हो जो संरक्षक, स्वयंजीवी है। विवाद और संघर्ष की बात तो छोड़ो, तुम दुःख के कारण भी न बनो। यह ईश्वर की इच्छा है कि तुम उसकी मृदुल कृपाओं के वृक्ष की शरण में सच्ची शिक्षा प्राप्त करो और वैसे ही आचरण करो जैसा ईश्वर चाहता है। तुम सब एक ही वृक्ष की पत्तियाँ, एक ही महासागर की बूँदें हो।

**(किताब-ए-अक़दस के बाद बहाउल्लाह द्वारा प्रकटित पाती)**

**लम्बी अनिवार्य प्रार्थना**

**(चौबीस घंटे में एक बार करने के लिये)**

जो कोई भी इस प्रार्थना का पाठ करना चाहे वह खड़ा होकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो, फिर दायें और बायें देखे जैसे परम कृपालु, दयालु परमेश्वर की दया के लिये आतुर हो और फिर कहे:

हे तू, जो सभी नामों का स्वामी और आकाशों का सृजनहार है ! मैं तुझसे याचना करता हूँ कि जो तेरे अदृश्य सार, सर्वोच्च, सर्वप्रतापशाली के उद्गमस्थल हैं उनके नाते मेरी प्रार्थना को ऐसी ज्वाला बना दे जो जला डाले उन परदों को जिन्होंने तेरे सौन्दर्य से मुझे दूर रखा है और एक ऐसी ज्योति बना दे जो तेरे सानिध्य के महासागर की ओर ले जाये।

**प्रार्थी तब अपने हाथ आशीर्वादित और परमोच्च परमेश्वर की प्रार्थना में ऊपर की ओर उठाये और कहे:**

हे तू, जो समस्त विश्व की कामना है और है राष्ट्रों का प्रियतम !

तू मुझे अपनी ओर उन्मुख होते हुये देख रहा है, तेरे अतिरिक्त अन्य सभी के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हुये, मैंने तेरी डोर थाम ली है, जिसके स्पन्दन से समस्त सृष्टि आन्दोलित हो उठी है। मैं तेरा सेवक हूँ, हे मेरे स्वामी और हूँ तेरे सेवक का पुत्र ! देख, मैं तेरी इच्छा और आकाँक्षा को पूरा करने के लिये उठ खड़ा हुआ हूँ और तेरी सुप्रसन्नता के अतिरिक्त मेरी और कोई कामना नहीं है। तेरी दया के महासागर और तेरी अनुकम्पा के दिवानक्षत्र के नाम पर मैं तुझसे याचना करता हूँ कि तू अपने सेवकों के साथ जैसा चाहे वैसा कर। तेरी शक्ति की सौगन्ध! जो समस्त उल्लेख और प्रशंसा से परे है। जो कुछ भी तेरे द्वारा प्रकट किया गया है वह मेरे हृदय की कामना और मेरी आत्मा को प्रिय है। हे ईश्वर, मेरे परमेश्वर ! मेरी आशा और मेरे कर्मो को न देख, देख केवल अपनी इच्छा को, जिसने धरती और आकाशों को घेर रखा है। हे सभी राष्ट्रों के स्वामी ! तेरे सर्वमहान नाम की सौगंध ! मैंने वही चाहा है जो तूने चाहा है और उसी से प्रेम किया है, जिससे तूने प्रेम किया है।

**तब प्रार्थी घुटनों के बल धरती पर माथा टेक कर कहे:**

तू अपने सिवाय किसी अन्य के वर्णन और किसी अन्य की समझ से परे है।

**प्रार्थी तब खड़ा हो जाए और कहे:**

हे मेरे स्वामी, मेरी प्रार्थना को जीवंत जल की एक निर्झरनी बना दे ताकि मैं तब तक जीवित रहूँ जब तक तेरी प्रभुसत्ता कायम है और तेरे लोकों के हर लोक में तेरी चर्चा कर सकूँ।

**तब प्रार्थी पुनः याचना भरे अपने हाथ ऊपर उठाये और कहे:**

हे तू, जिसके वियोग में हृदय और आत्मायें द्रवित हो गई हैं और जिसके प्रेम की ज्वाला से पूरा संसार दमक उठा है, मैं तेरे उस नाम पर जिसके द्वारा तूने सम्पूर्ण सृष्टि को अपने अधीन किया है, तुझसे याचना करता हूँ कि जो तेरे पास है उससे मुझे वंचित मत कर; हे तू जो सब पर शासन करता है। तू देखता है, हे मेरे स्वामी, इस अजनबी को तेरी विराटता के वितान तले, तेरी दया की परिधि में, अपने सर्वोच्च निवास की ओर शीघ्रता से जाते हुये; और इस पथ भटके पथिक को तेरी क्षमा के सागर की याचना करते हुये; और इस पतित को तेरी महिमा के आंगन की आकांक्षा लिये; और इस दीन-हीन को तेरी अक्षय सम्पदा की चमक की ओर निहारते ! प्रभुसत्ता तेरी है, तू जो चाहे आदेश दे सकता है। मैं साक्षी देता हूँ कि तू अपने कर्मो में स्तुत्य है और तेरे आदेशों का पालन किया ही जाना चाहिये और तू सदा अप्रतिबंधित रहा है अपने आदेश देने में।

**तब प्रार्थी अपने हाथ ऊपर उठाये और महानतम नाम का उच्चारण तीन बार करे। फिर अपने घुटनों पर हाथ रखकर वह कमर के बल झुक जाये और मंगलकारी, सर्वोच्च प्रभु की स्तुति में कहे:**

तू देखता है, हे मेरे परमेश्वर, कि किस प्रकार मेरे अंग-प्रत्यंग में मेरी चेतना तेरी आराधना की आकाँक्षा लिये तेरे स्मरण और गुणगान के लिये स्पन्दित हुई है; किस प्रकार तेरे आदेश की जिह्वा ने उसे प्रमाणित किया है जिसे तेरी वाणी के साम्राज्य और तेरे ज्ञान के आकाश में प्रमाणित किया गया है। ऐसी अवस्था में, हे मेरे प्रभु, तेरे पास जो कुछ भी है वह मुझे तुझसे मांगना प्रिय लगता है, ताकि मैं अपनी दरिद्रता दिखा सकूं और तेरे असीम दातारपन और तेरी सम्पदाओं की महिमा का बखान कर सकूं, और अपनी शक्तिहीनता की घोषणा कर सकूं और तेरी शक्ति तथा सामर्थ्‍य को व्यक्त कर सकूं।

**तब प्रार्थी खड़ा हो जाये और याचना भरे अपने हाथ ऊपर उठाये और कहे:**

तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, सर्वशक्तिशाली, सर्वउदार! तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, तू ही है आदि और अन्त का आदेशकर्ता! हे ईश्वर, मेरे परमेश्वर! तेरी क्षमाशीलता ने मुझे साहस दिया है और तेरी दया ने मुझे शक्ति दी है; तेरी पुकार ने मुझे जगाया है और तेरे अनुग्रह ने मुझे खड़ा किया है और तुझ तक पहुँचने की राह दिखलाई है। अन्यथा मैं कौन हूँ, कि मैं तेरी निकटता के नगर के द्वार तक पहुँचने का साहस जुटा पाता या फिर तेरी इच्छा के आकाश से प्रस्फुटित प्रकाश की ओर उन्मुख हो पाता ? देखता है तू, हे मेरे ईश्वर, तेरी कृपा के द्वार पर यह तुच्छ प्राणी दस्तक दे रहा है और यह क्षणभंगुर जीव तेरी उदारता के हाथों अमर सरिता का आकाँक्षी बना बैठा है।

हर काल में यह तेरा आदेश रहा है, हे समस्त नामों के स्वामी, तेरा आधिपत्य सदैव रहा है। हे आसमानों के रचयिता, तेरी इच्छा के प्रति मेरी स्वीकृति और सहर्ष समर्पण !

**तब प्रार्थी तीन बार अपने हाथ उठा कर कहे:**

जो कुछ भी महान है, परमात्मा उन सबसे महानतर है !

**तब प्रार्थी घुटनों के बल धरती पर अपना मत्था टेकते हुये कहेः**

तू इस से परे है कि तेरे निकट जनों की स्तुति तेरी निकटता के आकाश तक पहुँच सके अथवा तेरे प्रति समर्पित लोगों के हृदय-पखेरू तेरे द्वार की दहलीज तक पहुँच सकें। मैं साक्षी देता हूँ कि तू समस्त गुणों और नामों से परे, परम पावन रहा है। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं, सर्वोच्च, परम महिमाशाली।

**प्रार्थी तब बैठ जाये और कहे:**

मैं प्रमाणित करता हूँ वह, जिसे सभी सृजित वस्तुओं ने, देवदूतों ने, सर्वोच्च स्वर्ग के निवासियों ने और इन सबसे परे सर्वमहिमाशाली क्षितिज से स्वयं भव्यता की जिह्वा ने प्रमाणित किया है कि तू ही ईश्वर है, तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं और यह कि जिसे अवतरित किया गया है वह गूढ़ रहस्य है, एक ऐसा संचित प्रतीक है जिसके द्वारा ‘भ’ और ‘व’ अक्षर परस्पर जोड़े गये हैं। मैं प्रमाणित करता हूँ कि वही है जिसके नाम का उल्लेख उस महालेखनी द्वारा किया गया है और जिसकी चर्चा सर्वोच्च सिंहासन और धरती के स्वामी की पावन पुस्तकों में की गई है।

**प्रार्थी तब सीधा खड़ा हो जाये और कहे:**

हे सभी प्राणियों के स्वामी और सभी दृश्य-अदृश्य वस्तुओं के मालिक! तू देखता है मेरे आँसुओं और मेरी आहों को और सुनता है मेरी कराह और मेरे चीत्कार को, और मेरे हृदय के विलाप को। तेरी शक्ति की सौगंध! मेरे अपराधों ने मुझे तेरे समीप आने से रोका है और मेरे पापों ने मुझे तेरी पावनता के दरबार से बहुत दूर कर दिया है। हे मेरे स्वामी, तेरे प्रेम ने मुझे समृद्ध बनाया है और तेरे वियोग ने मुझे निष्प्राण कर दिया है और तुझसे दूरी ने मुझे नष्ट कर दिया है। इस वीराने में तेरे पदचापों के नाम पर, और इन शब्दों के सहारे कि ‘‘मैं यहाँ हूँ’’, ‘‘मैं यहाँ हूँ’’, जिन शब्दों का तेरे प्रियजनों ने इस विराटता में उच्चारण किया है, और तेरे प्रकटीकरण की श्वांसों के नाम पर, और तेरे अवतरण के प्रभात की मृदुल बयारों के नाम पर, मैं तुझसे याचना करता हूँ कि ऐसा विधान कर कि मैं तेरे सौन्दर्य के दर्शन कर सकूं और जो कुछ भी तेरे पावन ग्रंथ में है उसका अनुपालन कर सकूँ।

**तब वह महानतम नाम का तीन बार उच्चारण करे और घुटनों पर हाथ रखते हुये झुके और कहे:**

तेरा गुणगान हो, हे मेरे ईश्वर, कि तेरा स्मरण करने और तेरा यशगान करने में तू ने मेरी सहायता की है; तू ने ही दिया है उसका ज्ञान जो तेरे चिह्नों का उद्गमस्थल है, तू ने ही बनाया है इस योग्य मुझे कि तेरे प्रभुत्व के समक्ष विनत हो सकूं और तेरे ईश्वरत्व के प्रति विनम्र रह सकूं और तेरे ऐश्वर्य की जिह्वा द्वारा जो कुछ भी उचारा गया है उसे स्वीकार कर सकूं।

**तब वह खड़ा हो जाये और कहे:**

हे ईश्वर, मेरे ईश्वर! मेरे पापों के बोझ से झुक गई है मेरी कमर और मेरी लापरवाहियों ने मुझे बर्बाद कर दिया है; जब कभी भी मैं अपने दुष्कर्मों और तेरी दयालुता के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय अन्दर-ही-अन्दर द्रवित हो उठता है और मेरा रक्त मेरी धमनियों में उद्वेलित हो उठता है। तेरे सौंन्दर्य की सौगंध, हे तू विश्व की कामना, लज्जित हूँ मैं तेरी ओर देखने में, याचना भरे अपने हाथ तेरी कृपा के आकाश की ओर फैलाने में। तू देखता है, हे मेरे ईश्वर, कैसे अवरोध बने हैं मेरे आँसू तुझे याद करने में, गुणगान करने में तेरा, हे तू, जो सर्वोच्‍च सिंहासन और धरती का स्वामी है। तेरे साम्राज्य के चिह्नों और तेरी सम्प्रभुता के रहस्यों के द्वारा मैं तुझसे याचना करता हूँ, हे सबके स्वामी, कि अपने प्रियजनों के साथ अपनी अनुकम्पा और अपनी गरिमा के अनुरूप व्यवहार कर, हे गोचर और अगोचर के सम्राट !

**तब वह तीन बार महानतम नाम का उच्चारण करे और घुटनों के बल माथा धरती पर टेक कर कहे:**

तेरा गुणगान हो, हे हमारे ईश्वर ! कि तू ने हम तक वह भेजा है जो तेरी समीपता की ओर हमें आकर्षित करता है और तेरे पावन ग्रंथ और पवित्र लेखनी में चर्चित प्रत्येक उत्तम वस्तु हमें प्रदान करता है। हम याचना करते हैं, हे मेरे स्वामी, हमें व्यर्थ विचारों और निरर्थक कल्पनाओं से बचा। तू सत्य ही शक्तिशाली, सर्वज्ञ है।

**तब वह अपना सर उठाये, बैठ जाये और कहे:**

हे मेरे ईश्वर, मैं उसका साक्षी देता हूँ जिसके साक्षी हैं तेरे प्रियजन! स्वीकारता हूँ मैं उस सत्य को जिसे सर्वोच्च स्वर्ग के निवासियों ने और तेरे शक्तिशाली सिंहासन की परिक्रमा करने वालों ने स्वीकारा है। आकाश और धरती का साम्राज्य तेरा ही है, हे समस्त लोकों के स्वामी !

**मध्यम अनिवार्य प्रार्थना**

**इस अनिवार्य प्रार्थना का पाठ प्रतिदिन**

**सुबह, दोपहर और शाम के समय किया जाना चाहिये**

**जो भी इस प्रार्थना का पाठ करना चाहे उसे पहले अपने हाथ-मुँह धो लेने चाहिये और हाथ धोते समय कहना चाहिये:**

हे मेरे प्रभु ! मेरे हाथों को शक्ति दे कि ये तेरे ग्रंथ को ऐसी दृढ़ता के साथ थाम सकें कि दुनिया की कोई भी ताकत इन्हें विचलित न कर पाये। तब किसी भी वस्तु में हस्तक्षेप करने से इनकी रक्षा कर जो इनका नहीं है। तू, सत्य ही, शक्तिशाली, परम बलशाली है।

**और अपना चेहरा धोते समय उसे कहना चाहिये:**

मैं तेरी ओर उन्मुख हुआ हूँ, हे मेरे ईश्वर ! मुझे अपने मुखमंडल की ज्योति से आलोकित कर। तेरे अतिरिक्त किसी अन्य की ओर उन्मुख न होने में इसकी रक्षा कर।

**तब उसे खड़ा हो जाना चाहिये और क़िब्ले की ओर मुँह करके कहना चाहिये:**

स्वयं प्रभु साक्षी है कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं। प्रकटीकरण और सृष्टि के साम्राज्य उसी के हैं। सत्यतः उसने ही उसे प्रकट किया है, जो प्रकटीकरण का उद्गमस्थल है, जिसने सिनाई पर संवाद किया है, जिसके द्वारा सर्वोच्च क्षितिज आलोकित किया गया है,

वह दिव्य तरुवर, जिसके आगे कोई राह नहीं है, बोल उठा है और जिसने उन सबके लिये जो इस धरती पर और आकाश में हैं, पुकार लगाई है: ‘‘देखो ! सर्वसमर्थ परमेश्वर आ गया है।’’ पृथ्वी और आकाश, महिमा और साम्राज्य ईश्वर के हैं, वह सभी लोगों का स्वामी है और है परमोच्च सिंहासन तथा धरती का मालिक।’’

**तब उसे झुक कर अपने घुटनों के ऊपर हाथ रखकर यह कहना चाहिये:**

तू मेरी और मेरे अतिरिक्त अन्य किसी की प्रशंसा से बहुत ऊपर है, तू मेरे और आकाश तथा पृथ्वी पर निवास करने वालों के वर्णन से भी परे है।

**तब खुले हाथों से हथेली चेहरे के सामने करते हुये उसे कहना चाहिये:**

हे मेरे ईश्वर ! उसे निराश न कर जिसने याचना भरी उंगलियों से तेरी दया और कृपा के दामन को थाम रखा है। हे प्रभु ! जो दयालु हैं, उन सब में तू सर्वाधिक दयालु है।

**तब वह बैठ जाए और कहे:**

मैं तेरी एकता और एकमेवता का साक्षी हूँ। और यह कि तू ही है ईश्वर और तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है। सत्य ही तूने प्रकट किया है अपना धर्म, पूरी की है अपनी संविदा। तूने उन सब के लिए, जो आकाश में और पृथ्वी पर निवास करते हैं, अपनी कृपा के द्वार खोल दिये हैं। आशीष और शांति, नमन और यश, तेरे प्रियजनों पर विराजे जिन्हें जगत के परिवर्तनों और संयोगों ने तुझ से विमुख नहीं किया और जो तेरे पास है उसे प्राप्त करने की आशा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सत्य ही तू सदा क्षमाशील, सर्वकृपालु है।

**इस लम्बे पद के स्थान पर यदि कोई यह कहना चाहे कि:**

‘‘प्रभु साक्षी है कि उसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, वही है संकटों में सहायक, स्वयंजीवी’’; तो

**यह पर्याप्त होगा और इसी तरह बैठने के बाद अगर कोई इतना कहना चाहे कि**

‘‘मैं तेरी एकता और एकमेवता का साक्षी हूँ और इसकी भी साक्षी देता हूँ कि तू ही ईश्वर है और तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है’’

**तो यह पर्याप्त होगा।**

**लघु अनिवार्य प्रार्थना**

**चौबीस घंटे में एक बार, दोपहर में इस प्रार्थना का पाठ करना चाहिये**

मैं साक्षी देता हूँ, हे मेरे ईश्वर ! कि तुझे जानने और तेरी आराधना करने हेतु तूने मुझे उत्पन्न किया है। मैं इस क्षण अपनी शक्तिहीनता और तेरी शक्तिमानता, अपनी दरिद्रता तथा तेरी सम्पन्नता का साक्षी हूँ। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं, तू ही है संकटों में सहायक, स्वयंजीवी।

**दिवंगतों के लिए प्रार्थना**

हे मेरे परमेश्वर ! यह तेरा सेवक है और तेरे सेवक का पुत्र है जिसने तुझ पर और तेरे चिह्नों में आस्था रखी है और जो तेरी ओर उन्मुख हुआ है तथा जो तेरे अतिरिक्त अन्य सब कुछ से अनासक्त हो चुका है। तू सत्य ही उन सब से, जो दया करते हैं; परम दयालु है।

हे तू, जो मनुष्यों के पापों को क्षमा करता है और उनके दोषों पर पर्दा डालता है, इसके साथ वैसा ही व्यवहार कर, जैसा कि तेरी अक्षय सम्पदाओं के आकाश और तेरी कृपा के महासागर को शोभा देता है। अपनी उस ज्ञानातीत दया की परिधि में, जो धरती और आकाश की स्थापना से पहले भी विद्यमान थी, इसे प्रवेश दे। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, तू है सदा क्षमाशील; परम उदार !

**इसके बाद महानतम नाम (अल्लाह-ओ-अब्हा) का एक बार उच्चारण करने के बाद 19-19 बार दिये गये छंदों का निम्न प्रकार पाठ करें।**

अल्लाह-ओ-अब्हा (एक बार)

हम सब सत्य ही, प्रभु की आराधना करते हैं ! (19 बार)

अल्लाह-ओ-अब्हा (एक बार)

हम सब सत्य ही, प्रभु के सम्मुख नमन करते हैं ! (19 बार)

अल्लाह-ओ-अब्हा (एक बार)

हम सब सत्य ही, प्रभु के प्रति समर्पित हैं ! (19 बार)

अल्लाह-ओ-अब्हा (एक बार)

हम सब सत्य ही, प्रभु की स्तुति करते हैं ! (19 बार)

अल्लाह-ओ-अब्हा (एक बार)

हम सब सत्य ही, प्रभु को धन्यवाद देते हैं! (19 बार)

अल्लाह-ओ-अब्हा (एक बार)

हम सब सत्य ही, प्रभु की इच्छा के प्रति धैर्यवान हैं ! (19 बार)

**(यदि दिवंगत आत्मा नारी हो तो, प्रार्थना करने वाला कहे - यह तेरी सेविका है और तेरी सेविका की पुत्री है, इत्यादि ! )**

**प्रश्‍न और उत्‍तर**

1. **प्रश्न:** सर्वमहान उत्सव के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** सर्वमहान उत्सव का आरम्भ ‘‘बयान’’ में वर्णित वर्ष के दूसरे महीने के तेरहवें दिन के तीसरे प्रहर से होता है। पहले, नौवें और बारहवें दिन काम-काज वर्जित है।

2.  **प्रश्न:** युगल जन्मोत्सव के सम्बन्ध में।

उत्तर: अब्हा सौन्दर्य[[15]](#footnote-15) का जन्म मुहर्रम के महीने[[16]](#footnote-16) के दूसरे दिन हुआ था, जिसका पहला दिन उनके अग्रदूत के जन्म का द्योतक है। ईश्वर की दृष्टि में ये दोनों ही दिन एक माने गए हैं।

3. प्रश्न: वैवाहिक श्लोकों के सम्बन्ध में।

उत्तर: स्त्री-पुरुष दोनो ही के लिए: ‘‘हम, सत्य ही, परमेश्वर की इच्छा का अनुपालन करेंगे।’’[[17]](#footnote-17)

4.  **प्रश्न:** यदि कोई व्यक्ति अपनी वापसी का समय सुनिश्चित किए बिना या, दूसरे शब्दों में, बिना यह स्पष्ट किए कि वह कितने दिनों तक अनुपस्थित रहेगा, यात्रा पर चला जाये और यदि उसका कोई सन्देश प्राप्त न हो और न ही उसका कोई पता-ठिकाना मिले तब उसकी पत्नी के लिए क्या करना उचित होगा ?

**उत्तर:** इस विषय में किताब-ए-अक़दस के विधान को जानते हुए भी यदि वह वापसी के लिए समय निर्धारित नहीं करता तो उसकी पत्नी को चाहिए कि वह पूरे एक साल तक प्रतीक्षा करे। इस अवधि की समाप्ति के बाद वह स्वतंत्र है कि वह ऐसा कदम उठाये जो प्रशंसनीय है अथवा दूसरा विवाह कर ले। किन्तु यदि पति को किताब-ए-अक़दस के इस विधान का ज्ञान न हो तो पत्नी को चाहिए कि वह तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करे, जब तक ईश्वर उसके पति की नियति स्पष्ट न कर दे। इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कदम का अर्थ है धैर्य रखना।

5.  **प्रश्न:** इस पवित्र श्लोक के सन्दर्भ में: ‘‘जब हमने अजन्मे शिशुओं का कोलाहल सुना तो हमने उनके हिस्से दोगुने कर दिए और दूसरों के हिस्से कम’’।

**उत्तर:** ईश्वर के ग्रन्थ के अनुसार, मृतक की सम्पत्ति को 2520 अंशों में विभक्त किया जाता है। यह संख्या नौ तक के सभी अंकों का लघुत्तम समापवर्तक है। इन अंशों को फिर सात अंशों में बांटा जाता है, जिन्हें ग्रंथ के अनुसार वारिसों की विभिन्न श्रेणियों में वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों को 60-60 अंशों के नौ खंड अर्थात् 540 अंश दिए जाते हैं। ‘‘हमने उनका हिस्सा दुगना कर दिया’’ इस कथन का अर्थ यह है कि बच्चों को 60 अंशों के नौ अतिरिक्त खंड, अर्थात् कुल 18 खंड दिए जायेंगे। ये अतिरिक्त अंश अन्य श्रेणी के वारिसों के अंशों को घटाकर पूरे किए गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रकट यह किया गया है कि पति/पत्नी को ‘‘आठ खंड अर्थात् चार सौ अस्सी अंश’’ प्राप्त होंगे परन्तु अब इस पुनर्सन्तुलन की स्थिति में पति/पत्नी के डेढ़ खंड अर्थात् 90 अंश घटाकर बच्चों को प्रदान किए गए हैं। अन्य श्रेणियों में भी ऐसा ही किया गया है। परिणामतः कुल घटाए गए हिस्से बच्चों को दिए जाने वाले नौ अतिरिक्त खंडों के बराबर हैं।

6.  **प्रश्न:** क्या यह जरूरी है कि उत्तराधिकार का अंश प्राप्त करने के लिए भाई को मृतक के माता और पिता दोनों ही से उत्पन्न होना चाहिए ? क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है कि दोनों के केवल पिता या केवल माता एक ही हैं ?

**उत्तर:** यदि भाई पिता से उत्पन्न हो तो ग्रन्थ में प्रस्तावित मात्रा में वह सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करेगा, परन्तु यदि वह माता से उत्पन्न हो तो वह दो तिहाई का ही हकदार होगा और बचा हुआ एक तिहाई भाग न्याय मन्दिर को मिलेगा। यही नियम बहन पर भी लागू होगा।

7.  **प्रश्न:** उत्तराधिकार सम्बन्धी विधानों में यह प्रस्तावित किया गया है कि यदि मृतक की कोई संतान न हो तो उस संतान के हिस्से की सम्पत्ति न्याय मन्दिर को प्राप्त होगी। क्या अन्य कोटि के उत्तराधिकारियों, जैसे पिता, माता, भाई, बहन और शिक्षक की अनुपस्थिति होने पर भी उनके अंश न्याय मन्दिर को ही प्राप्त होंगे या उनका निपटारा अन्य विधि से होगा ?

**उत्तर:** पवित्र श्लोक पर्याप्त है। धन्य हैं उसके शब्द, उसने कहा: ‘‘यदि मृतक की कोई संतान न हो तो उसके हिस्से विश्व न्याय मन्दिर को प्राप्त होंगे’’ और यदि मृतक की सन्तान हो, परन्तु ग्रन्थ में वर्णित अन्य श्रेणी के उत्तराधिकारी न हों तो वह सन्तान दो तिहाई हिस्सा प्राप्त करेगी। शेष एक तिहाई हिस्सा न्याय मन्दिर को प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, संतान के न होने पर उनके लिए निर्धारित हिस्से न्याय मन्दिर को मिलेंगे। परन्तु सन्तान के होने और अन्य श्रेणी के उत्तराधिकारियों के न होने पर उस श्रेणी के उत्तराधिकारी का दो तिहाई हिस्सा सन्तान को प्राप्त होगा और शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को। इस नियम का प्रयोग सामान्य भी है और विशेष भी। अर्थात् जब कभी भी बाद वाली श्रेणी के उत्तराधिकारी न होंगे तो उनके दो तिहाई हिस्से संतान को और बाकी एक तिहाई हिस्सा न्याय मन्दिर को मिल जाएगा।

8.  **प्रश्न:** मूल राशि, जिस पर हुकूकुल्लाह देय है।

**उत्तर:** वह मूल धनराशि जिस पर हुकूकुल्लाह देय है, उन्नीस मिस्काल स्वर्ण है। दूसरे शब्दों में, जब इस मूल्य के बराबर धन अर्जित कर लिया जाता है, तो हुकूकुल्लाह का भुगतान देय हो जाता है। इसी तरह जब अन्य प्रकार की सम्पत्ति का मूल्य, संख्या नहीं, निर्धारित राशि के बराबर हो जाता है, तब हुकूक देय हो जाता है। उसी राशि पर हुकूकुल्लाह एक बार से अधिक देय नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने एक हजार मिस्काल स्वर्ण उपार्जित किया है और वह हुकूक अदा करता है तो इस धनराशि पर उसके लिए दोबारा हुकूक अदा करने का बन्धन नहीं है। परन्तु उक्त राशि से वाणिज्य-व्यवसाय इत्यादि के माध्यम से जो आय होती है उस पर हुकूकुल्लाह देय हो जाता है। जब यह लाभ बढ़कर निर्धारित मात्रा तक पहुँच जाता है तो व्यक्ति को वही करना चाहिए जो ईश्वर ने आदेश दिया है। केवल जब मूल धनराशि का हस्तांतरण (स्वामित्व परिवर्तन) हो जाये तो वह फिर पहले की भाँति हुकूकुल्लाह का विषय हो जाता है। ‘‘आदि बिन्दु’’ ने निर्देश दिया है कि हुकूकुल्लाह उस प्रत्येक धनराशि पर देय है जो व्यक्ति ने अर्जित किया है परन्तु ‘‘सर्वाधिक शक्तिशाली धार्मिक व्यवस्था’’ में हमने घरेलू साज-ओ-समान जो अत्यावश्यक हैं, तथा आवासीय भवन को इससे मुक्त कर दिया है।

9. प्रश्न: हुकूकुल्लाह, मृतक पर ऋण अथवा मृतक के अंतिम क्रियाकर्मों पर व्यय, में किसे वरीयता दी जानी चाहिए ?

उत्तर: अंतिम क्रियाकर्म सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। इसके उपरांत ऋणों की अदायगी और इसके उपरांत हुकूकुल्लाह का भुगतान। यदि मृतक की सम्पत्ति उसके ऋणों हेतु पूर्ण न हो तो उसकी बची भू-सम्पत्ति इन ऋणों के आकार के अनुपात में बाँटी जानी चाहिए।

10. प्रश्न: किताब-ए-अक़दस में बालों का मुंडन वर्जित है, किन्तु ‘‘सूरा-ए-हज’’ में इसकी अनुमति है।

उत्तर: सब किताब-ए-अक़दस की आज्ञा से संचालित हैं, उसमें जो कुछ भी प्रकाशित है, वह ईश्वर के सेवकों के बीच उसका विधान है। पवित्र गृह की तीर्थयात्रा से सम्बन्धित सिर-मुंडन का आदेश उठा लिया गया है।

11. प्रश्न: यदि पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध-विच्छेद के लिए प्रस्तावित ‘‘धैर्य’’ के वर्ष के अन्दर सहवास हो जाए और तदुपरांत वे पहले की तरह अलगाव की मनोदशा मे आ जायें तो क्या ‘‘धैर्य’’ का वर्ष नए सिरे से प्रारम्भ होगा अथवा सहवास के पहले का समय भी इसी अवधि का हिस्सा माना जाएगा ? और यदि एक बार तलाक हो जाए तो क्या यह आवश्यक है कि प्रतीक्षा की अगली अवधि का पालन किया जाए ?

उत्तर: यदि पति-पत्नी के बीच ‘‘धैर्य’’ के वर्ष के दौरान ही स्नेह का फिर से संचार हो जाए तो विवाह वैध है। ईश्वर के ग्रन्थ में जो भी आदेश दिया गया है, उसका पालन होना चाहिए। परन्तु यदि एक बार धैर्य का वर्ष पूरा हो जाए और ईश्वर का आदेश सामने आ जाए तो प्रतीक्षा की अगली अवधि आवश्यक नहीं है। धैर्य के वर्ष में पति-पत्नी के बीच लैंगिक समागम मना है और जो भी ऐसा करता है, वह अवश्य ही ईश्वर से क्षमा-याचना करे और बतौर दंड न्याय मन्दिर को 19 मिस्क़ाल स्वर्ण का अर्थदंड अदा करे।

12. प्रश्न: यदि किसी दम्पति के बीच वैवाहिक श्लोक के पाठ और दहेज की अदायगी के पश्चात् विद्वेष के भाव प्रकट हो जायें तो क्या धैर्य के एक वर्ष के परिपालन के बिना ही तलाक सम्भव है ?

उत्तर: वैधानिक रूप से वैवाहिक श्लोक के पाठ और दहेज की अदायगी के बाद तलाक की मांग की जा सकती है, परन्तु सहजीवन प्रारम्भ होने के पहले। ऐसी परिस्थिति में धैर्य के वर्ष का परिपालन आवश्यक नहीं है। परन्तु, दहेज वापस करने की अनुमति भी नहीं है।

13. प्रश्न: क्या विवाह की यह पूर्व शर्त है कि दोनों ही पक्षों के माता-पिता की अनुमति आवश्यक है। अथवा एक ही पक्ष के माता-पिता की स्वीकृति पर्याप्त है? क्या यह नियम केवल कुमारी कन्याओं पर लागू है अथवा औरों पर भी ?

उत्तर: विवाह अनिवार्यतः दोनों ही पक्षों के माता-पिता की स्वीकृति पर निर्भर है और इस सिलसिले में इस बात का कोई भी भेद नहीं है, वधू कुमारी हो अथवा नहीं।

14. प्रश्न: अनिवार्य प्रार्थनाएँ पढ़ते समय अनुयायियों को ‘‘किब्ले’ की दिशा में उन्मुख होने को कहा गया है। अन्य प्रार्थना और उपासना के समय उन्हें किस ओर मुख करना चाहिये ?

**उत्तर:** ‘‘किब्ले’’ की दिशा में उन्मुख होना अनिवार्य प्रार्थना के पाठ के लिए एक निर्धारित आवश्यकता है, परन्तु अन्य प्रार्थनाओं अथवा उपासना के समय वह उसी का अनुपालन करे जिसे कृपालु प्रभु ने ‘‘कुरआन’’ में प्रकट किया है, ‘‘तू जिस ओर भी उन्मुख हो, उधर ही ईश्वर का मुखड़ा है।’’

15.  **प्रश्न:** प्रभात बेला में मशरिक-उल-अज़कार में ईश्वर के स्मरण के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** हालाँकि ईश्वर के ग्रन्थ में ‘प्रभात बेला में’ शब्दों का प्रयोग है, परन्तु ईश्वर के लिए प्रातः का अर्थ उषाकाल से सूर्योदय तक या सूर्योदय के दो घंटे उपरांत तक का समय भी स्वीकार्य है।

16. **प्रश्न:** यह आदेश कि मृतक के शरीर को एक घंटे की यात्रा से अधिक दूरी तक न ले जाया जाए - क्या स्थल और जल दोनों ही परिवहनों पर लागू है ?

उत्तर: यह आदेश स्थल और जल दोनों ही मार्गों से तय की गई दूरी पर लागू है: चाहे यह एक घंटा जहाज से हो या रेलमार्ग से। मतलब है एक घंटे के समय से, चाहे परिवहन का माध्यम कुछ भी हो। तथापि शव को जितनी जल्दी भूमिगत किया जाए, उतना ही उपयुक्त और स्वीकार्य है।

17.  **प्रश्न:** खोई हुई सम्पत्ति के मिलने पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए ?

**उत्तर:** यदि ऐसी सम्पत्ति शहर में प्राप्त हो तो एक बार शहर में मुनादी करने वाले के द्वारा इसके मिलने की घोषणा करवा देनी चाहिए। तब यदि सम्पत्ति का स्वामी सामने आ जाए तो उसे सौंप देना चाहिए। अन्यथा सम्पत्ति प्राप्त करने वाला एक वर्ष प्रतीक्षा करे और यदि इस अवधि में सम्पत्ति का स्वामी मिल जाए तो सम्पत्ति प्राप्त करने वाला उससे मुनादी करने वाले का शुल्क ले लें और सम्पत्ति के स्वामी की पहचान न हो पाने की दशा में ही सम्पत्ति प्राप्त करने वाला उस सम्पत्ति का स्वामी हो सकता है। यदि सम्पत्ति का मूल्य मुनादी करने वाले के शुल्क के बराबर या कम है तो प्राप्तकर्ता सम्पत्ति प्राप्ति के समय से सिर्फ एक दिन प्रतीक्षा करें जिसकी समाप्ति पर यदि सम्पत्ति का स्वामी सामने न आए तो वह स्वयं उस पर अधिकार कर सकता है। किसी निर्जन स्थान पर प्राप्त सम्पत्ति के प्रसंग में प्राप्तकर्ता को तीन दिनों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिसकी सम्पत्ति पर यदि सम्पत्ति के स्वामी की पहचान न हो सके तो उसे प्राप्त सम्पत्ति का स्वामित्व पाने की स्वतंत्रता है।

18. प्रश्न: प्रक्षालन के प्रसंग में: यदि किसी व्यक्ति ने अभी-अभी सम्पूर्ण स्नान किया है तो भी क्या उसे ‘‘प्रक्षालन’’ करना चाहिए ?

उत्तर: प्रक्षालन सम्बन्धी आदेश का पालन हर स्थिति में होना चाहिए।

19. प्रश्न: यदि कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर जाकर बसना चाहे और उसकी पत्नी इसके पक्ष में न हो तथा इस विषय पर उत्पन्न असहमति के कारण तलाक हो जाए तथा उसकी यात्रा सम्बन्धी तैयारी एक साल की समाप्ति तक के लिए लम्बित हो जाए तो क्या इस अवधि को ‘‘धैर्य के वर्ष’’ में गिना जाए या उस अवधि का प्रारम्भ तब से माना जाए जब दम्पति अलग हो जाएँ ?

उत्तर: गणना का आरम्भ-बिन्दु वह दिन है जब दम्पत्ति पृथक हो जाएं और यदि इस कारण से पति की यात्रा से पूर्व एक वर्ष अलग रहे हों और उनके बीच स्नेह की सुगन्ध ताजा न हुई हो तो तलाक होगा। अन्यथा साल की गिनती उसकी यात्रा के दिन से की जाए और किताब-ए-अक़दस में प्रस्तावित शर्तों का पालन किया जाए।

20. प्रश्न: धार्मिक कर्त्‍तव्‍यों के प्रसंग में प्रौढ़ता की अवस्था के सम्बन्ध में।

उत्तर: पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रौढ़ता की आयु पन्द्रह वर्ष है।

21. प्रश्न: इस पवित्र श्लोक के बारे में - ‘‘यात्रा करते हुए यदि तुम किसी सुरक्षित जगह पर ठहरो..... तो प्रत्येक छूट गई अनिवार्य प्रार्थना के बदले तुम एक बार धरती पर माथा टेको..।’’

उत्तर: यह धरती पर माथा टेकने का विधान यात्रा के दौरान अथवा असुरक्षित स्थिति के कारण न कही जा सकी अनिवार्य प्रार्थना के बदले में है। यदि यात्रा के दौरान यात्री स्वयं को उपयुक्त स्थान में पाये तो वह अनिवार्य प्रार्थना करे। धरती पर माथा टेक कर इस प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विधान घर पर और यात्रा के दौरान, दोनों ही स्थितियों में लागू है।

22.  **प्रश्न:** यात्रा की परिभाषा के सम्बन्ध में।[[18]](#footnote-18)

उत्तर: यात्रा का अर्थ है घड़ी के अनुसार नौ घंटे। यदि यात्री किसी जगह रुके और उसे अनुमान हो कि बयान की गणना के अनुसार वह कम-से-कम एक महीना वहाँ रुकेगा तो उसके लिए आवश्यक है कि वह उपवास के नियम का पालन करे। परन्तु यदि वह एक महीने से कम अवधि के लिए रुकने वाला हो तो उसे उपवास न करने की छूट है। यदि वह किसी जगह उपवास की अवधि में पहुँचता है और वहाँ वह बयान के अनुसार एक महीना ठहरने वाला है तो जब तक तीन दिन न बीत जाएं वह उपवास न प्रारम्भ करे और उसके बाद उपवास के शेष दिनों के लिए वह उपवास जारी रखे लेकिन, यदि वह अपने घर आए जहाँ वह पहले स्थायी तौर पर रहा करता था तो वहाँ पहुँचने के पहले ही दिन से वह उपवास प्रारम्भ करे।

23. प्रश्न: व्यभिचारी स्त्री-पुरुष के लिए दंड के सम्बन्ध में।

उत्तर: प्रथम अपराध के लिए नौ मिस्क़ाल, दूसरी बार के लिए अठारह मिस्क़ाल, तीसरी बार के लिए छत्तीस मिस्क़ाल और इसी तरह हर अगली बार किये जाने वाले अपराध के लिए पिछली बार से दोगुना अर्थदंड देय है। बयान के उल्लेखानुसार एक मिस्क़ाल का मूल्य-भार उन्नीस नखूद है।

24.  **प्रश्न:** शिकार करने के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** उस महिमावंत की वाणी यह है: ‘‘अगर तुम शिकारी पशुओं या पक्षियों की सहायता से शिकार करो’’ इत्यादि-इत्यादि। साथ ही इसमें शिकार के अन्य साधन भी निहित हैं, जैसे: तीर-धनुष, बन्दूक तथा इसी तरह के अन्य आखेटक अस्त्र। तथापि अगर फंदे या जाल के प्रयोग किए गए हों और वहाँ तक पहुँचने से पहले ही शिकार की मृत्यु हो गई हो तो ऐसे शिकार का भक्षण करना विधिसम्मत नहीं है।

25. **प्रश्न:** तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** दो में से एक पवित्र गृह की तीर्थयात्रा करना आवश्यक है किन्तु यह निर्णय करना तीर्थयात्री पर निर्भर है कि दो में से किस एक पवित्र गृह की तीर्थयात्रा वह करे।

26. **प्रश्न:** दहेज के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** जहाँ तक दहेज का सम्बन्ध है, वह न्यूनतम सीमा जिस पर सबको सन्तुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए उन्नीस मिस्क़ाल चाँदी है।

27.  **प्रश्न:** इस पवित्र श्लोक के सम्बन्ध में: ‘‘तथापि, यदि उसके पति की मृत्यु अथवा हत्या की खबर उसे प्राप्त हो’’, इत्यादि।

**उत्तर:** ‘‘निर्धारित महीनों में संख्या’’ के संदर्भ में नौ महीनों की अवधि का आशय है।

28.  **प्रश्न:** उत्तराधिकार के संदर्भ में शिक्षक के अंश के सम्बन्ध में एक बार पुनः पूछा गया है।

**उत्तर:** यदि शिक्षक की मृत्यु हो गई हो तो उसके उत्तराधिकार का एक तिहाई अंश न्याय मन्दिर को प्राप्त होगा तथा शेष दो तिहाई अंश मृतक की संतान को प्राप्त होंगे, शिक्षक की संतान को नहीं।

29.  **प्रश्न:** तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में पुनः जिज्ञासा की गयी है।

**उत्तर:** पुरुषों के लिए आवश्यक पवित्र गृह की तीर्थयात्रा से तात्पर्य है बगदाद स्थित ‘‘महानतम गृह’’ और शीराज़ स्थित ‘‘आदि बिन्दु’’ का गृह। दोनों में से किसी एक भी गृह की तीर्थयात्रा पर्याप्त है। वे अपने निवास स्थल से दोनों में से किसी भी एक निकट स्थित गृह की तीर्थयात्रा कर सकते हैं।

30. प्रश्न: इस श्लोक के सम्बन्ध में: ‘‘जो कोई भी अपनी सेवा में किसी कुमारिका को रखना चाहे वह मर्यादापूर्वक ऐसा करे।’’

उत्तर: यह नितान्त रूप से ऐसी सेवा के प्रसंग में है जो अन्य किसी भी कोटि के सेवकों द्वारा मजदूरी के बदले में की जाती है, चाहे वह सेवक जवान हो या वृद्ध। ऐसी कोई भी कुमारिका जब चाहे अपने पति रूप में किसी का वरण कर सकती है। औरतों को खरीदने और दो से अधिक पत्नियाँ रखने-दोनों ही का निषेध किया गया है।

31. प्रश्न: निम्नलिखित पवित्र श्लोक के सम्बन्ध में: ‘‘ईश्वर ने उस परम्परा का निषेध किया है जिसके अंतर्गत तुम पहले पत्नी को तीन बार ‘‘तलाक’’ कहकर तलाक दे सकते थे।’’

उत्तर: संदर्भ उस प्राचीन विधान का है जिसके अंतर्गत अपने पहले पति से पुनर्विवाह के पूर्व किसी औरत का दूसरे पुरुष के साथ विवाह करना आवश्यक था। किताब-ए-अक़दस में इस प्रथा का निषेध कर दिया गया है।

32. प्रश्न: ‘‘दो स्थलों’’ पर ‘‘दो गृहों’’ तथा अन्य स्थानों जहाँ सिंहासन स्थापित किए गए हैं, के पुनर्स्‍थापना और संरक्षण के सम्बन्ध में।

उत्तर: ‘‘दो गृहों’’ से तात्पर्य है ‘‘महानतम गृह’’ तथा ‘‘आदि बिन्दु’’ का गृह। जहाँ तक अन्य स्थानों का सवाल है, इन क्षेत्रों के निवासी स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि या तो वे प्रत्येक गृह, जिसमें प्रभु-सिंहासन स्थापित हुए हैं, या उनमें से एक का संरक्षण करें।

33. प्रश्न: शिक्षक के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एक बार फिर जिज्ञासा व्यक्त की गई है।

उत्तर: यदि शिक्षक ‘‘बहा’’ के लोगों में नहीं है तो उसे उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। यदि कई शिक्षक हों तो उनमें सम्पत्ति का विभाजन बराबर-बराबर होगा। यदि शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतान उसके अंश को पाने की हकदार नहीं है, बल्कि उस अंश का दो तिहाई हिस्सा सम्पत्ति के स्वामी की संतानों में वितरित होगा और शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को प्राप्त होगा।

34.  **प्रश्न:** मृतक के भवन के सम्बन्ध में जो विशुद्धरूपेण पुत्र को देय है।

**उत्तर:** यदि कई भवन हैं तो उनमें से उत्कृष्टतम भवन पुत्र को दिया जाये तथा शेष सम्पत्ति को सभी उत्तराधिकारियों के बीच वितरित किया जाये। किसी भी श्रेणी का ऐसा उत्तराधिकारी सम्पत्ति का हकदार नहीं है जो प्रभुधर्म का अनुयायी नहीं है।

35.  **प्रश्न:** नवरोज़ के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** नवरोज़ का उत्सव उस दिन पड़ता है जबकि सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है।[[19]](#footnote-19) भले ही यह प्रवेश सूर्यास्त से पूर्व एक मिनट के लिए ही क्यों न हो।

36.  **प्रश्न:** यदि ‘‘दो जन्मदिवसों’’ अथवा ‘‘बाब की घोषणा’’ का वार्षिकोत्सव उपवास-अवधि में आ पड़े तो क्या किया जाए ?

**उत्तर:** यदि ‘‘दो जन्मदिवसों’’ अथवा ‘‘बाब की घोषणा’’ के वार्षिकोत्सव के सहभोज उपवास के महीने में आ पड़े तो उपवास रखने की आज्ञा उस दिन लागू नहीं मानी जाएगी।

37. प्रश्न: उत्तराधिकार सम्बन्धी पवित्र आदेशों में मृतक के भवन और व्यक्तिगत परिधान पुरुष संतान को आवंटित किए गए हैं। क्या यह विधान केवल पिता की सम्पत्ति से सम्बन्धित है या माता की सम्पत्ति पर भी प्रभावी है ?

उत्तर: माँ द्वारा पहने गए परिधान बराबर-बराबर पुत्रियों के बीच बाँट दिए जायें परन्तु उसकी शेष सम्पत्ति, धन-दौलत, आभूषण और न पहने गए परिधान, उसके सभी उत्तराधिकारियों में किताब-ए-अक़दस में प्रकटित विधानानुसार बाँटे जायें। परन्तु यदि मृतक स्त्री की कोई पुत्री न हो तो उसकी समस्त सम्पत्ति पवित्र ग्रंथ में पुरुषों के लिए निर्धारित विधि के अनुसार वितरित की जाए।

38. प्रश्न: तलाक के सम्बन्ध में जिसके पहले एक वर्ष की ‘धैर्य की अवधि’ का पालन किया गया हो। यदि पुनर्मिलन की आकांक्षा एकपक्षीय हो तो क्या किया जाए ?

उत्तर: किताब-ए-अक़दस में प्रकटित आदेश के अनुसार, दोनों ही पक्षों का संतुष्ट होना आवश्यक है। जब तक पति-पत्नी दोनों की इच्छा न हो, पुनर्मिलन सम्भव नहीं।

39. प्रश्न: दहेज के सम्बन्ध में। यदि वर दहेज का पूर्ण भुगतान न कर सके किन्तु औपचारिक रूप से यह वचन-पत्र जारी करे कि जब कभी सम्भव होगा वह अपनी पत्नी को इसका भुगतान कर देगा।

उत्तर: ‘प्राधिकार के स्रोत’ ने इसकी आज्ञा दी है।

40. प्रश्न: यदि ‘‘धैर्य के वर्ष’’ में प्रेम की सुरभि उत्पन्न हो परन्तु फिर विद्वेष का जन्म हो जाए और वर्ष भर पति-पत्नी प्रेम और विरक्ति के बीच डोलते रहें तथा वर्ष की समाप्ति विद्वेष के बिन्दु पर हो तो तलाक होगा अथवा नहीं ?

**उत्तर:** प्रत्येक मामले में, किसी भी समय, जब विद्वेष के भाव उपजे हों तो उसी दिन से ‘धैर्य का वर्ष’ भी प्रारम्भ होगा और यह अवधि पूरे वर्ष भर का चक्र पूरा करेगी।

41.  **प्रश्न:** मृतक का भवन और उसके व्यक्तिगत परिधान पुरुष संतान को देय हैं, स्त्री संतान या अन्य कोटि के उत्तराधिकारियों को नहीं। यदि मृतक को पुरुष संतान न हो तो क्या करना चाहिए ?

**उत्तर:** उस महिमावंत ने कहा है: ‘‘यदि मृतक की कोई सन्तान न हो तो उसके अंश न्याय मन्दिर को प्राप्त होंगे....।’’ इस पवित्र श्लोक के अनुसार, मृतक का भवन और उसके व्यक्तिगत परिधान न्याय मन्दिर को देय हैं।

42. **प्रश्न:** हुकूकुल्लाह के भुगतान का विधान ‘अक़दस में प्रकटित है। क्या भवन और उससे संलग्न साज-ओ-सामान उस सम्पत्ति में शामिल हैं, जिन पर हुकूक देय है?

**उत्तर:** फारसी में प्रकटित विधानों में हमने यह निर्धारित किया है कि इस ‘सर्वाधिक शक्तिशाली व्यवस्था’ में भवन और उसके अत्यंत आवश्यक साज-ओ-सामान मुक्त कर दिए गए हैं।

43.  **प्रश्न:** किसी कन्या की प्रौढ़ता प्राप्त करने से पहले वाग्दान के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** ‘‘प्राधिकार के स्रोत’’ ने इस प्रथा को विधि-विरुद्ध घोषित किया है। विवाह समारोह से पंचानवे दिन से पहले विवाह की घोषणा करना विधान के विरुद्ध है।

44.  **प्रश्न:** अगर किसी व्यक्ति के पास, उदाहरण के लिए, एक सौ तुमान हैं और वह इस धन-राशि पर हुकूक अदा कर देता है, बाद में लेन-देन में आधी धन-राशि खो देता है इसके बाद पुनः व्यापार आदि से यह राशि बढ़कर हुकूक अदा करने की सीमा तक पहुँच जाती है तो क्या उसे इस राशि पर हुकूक अदा करना होगा?

**उत्तर:** ऐसी परिस्थिति में हुकूक देय नहीं है।

45. **प्रश्न:** यदि हुकूक अदा किए जाने के बाद वही एक सौ तुमान की राशि पूर्णतः समाप्त हो जाती है परन्तु बाद में व्यापार-वाणिज्य के द्वारा पुनः प्राप्त हो जाती है तो क्या हुकूक दूसरी बार भी देय नहीं है ?

**उत्तर:** नहीं, इस परिस्थिति में भी हुकूक देय नहीं है।

46.  **प्रश्न:** निम्नलिखित पवित्र श्लोक के सम्बन्ध में: ‘‘ईश्वर ने तुम पर विवाह करने का नियम लागू किया है।’’ क्या यह आदेश अनिवार्य है या नहीं ?

**उत्तर:** नहीं, यह अनिवार्य नहीं है।

47.  **प्रश्न:** मान लिया कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री को कुंवारी मानकर उससे विवाह किया और दहेज भी अदा किया है परन्तु वर-वधू के सहजीवन प्रारम्भ करने के समय यह स्पष्ट हो जाता है कि वह कुंवारी नहीं है तो क्या सभी खर्चे और दहेज लौटा लिए जाएंगे ? और यदि विवाह की शर्त ही कौमार्य रही हो तो क्या इस पवित्रता के टूट जाने की वह शर्त लागू नहीं होगी ?

**उत्तर:** ऐसी परिस्थिति में सारे खर्चे और दहेज वापस ले लिए जा सकते हैं। पवित्रता टूट जाने की दशा में उपरोक्त शर्त लागू नहीं होगी परन्तु ईश्वर की दृष्टि में दोष को छिपाना और उसके लिए क्षमा कर देना उदार पुरस्कार के योग्य माना जाएगा।

48.  **प्रश्न:** ‘‘तुम्हें सहभोज देने का आदेश दिया गया है।’’ यह आदेश अनिवार्य है या नहीं ?

**उत्तर:** नहीं, यह आदेश अनिवार्य नहीं है।

49.  **प्रश्न:** व्यभिचार, अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध तथा चोरी की सजा और सजा की मात्रा के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** इन दंडों की मात्रा का निर्धारण न्याय मन्दिर करेगा।

50. **प्रश्न:** रिश्तेदारों से विवाह की वैधता के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** ये विषय भी न्याय मन्दिर के न्यासधारियों पर छोड़ दिए गए हैं।

51.  **प्रश्न:** प्रक्षालन के सन्दर्भ में प्रकट किया गया है कि वह जिसे प्रक्षालन के लिए जल उपलब्ध न हो पाँच बार ये शब्द दुहराए: ‘‘परम पावन, परम पावन ईश्वर के नाम से...।’’ क्या अत्यंत ठंढ की दशा में या तब जबकि हाथ और मुँह पर घाव हो गए हों ऐसा करने की अनुमति है ?

**उत्तर:** अत्यंत ठंढ की दशा में गुनगुने पानी का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हाथ और मुँह पर घाव हो गए हों या दर्द हो जिससे कि पानी का प्रयोग करना हानिकारक हो जाए तो प्रक्षालन के लिए व्यक्ति उपरोक्त श्लोक का पाठ कर सकता है।

52.  **प्रश्न:** ‘‘संकेतों की प्रार्थना’’ के बदले में किए जाने वाले श्लोक का पाठ क्या अनिवार्य है ?

**उत्तर:** यह अनिवार्य नहीं है।

53.  **प्रश्न:** सम्पत्ति के उत्तराधिकार के प्रसंग में, यदि सगे भाई या सगी बहने हों तो क्या मातृ-पक्ष के सौतेले भाइयों और सौतेली बहनों को भी सम्पत्ति का अंश मिलेगा ?

**उत्तर:** उन्हें नहीं मिलेगा।

54.  **प्रश्न:** उस महिमावंत ने कहा है: ‘‘यदि मृतक का पुत्र अपने पिता के जीवन-काल में ही दिवंगत हो गया है और यदि उसके बच्चे हैं तो वे अपने पिता के अंश के हकदार होंगे...।’’ यदि पिता के जीवन-काल में पुत्री का निधन हो गया हो तो क्या किया जाए ?

**उत्तर:** उसके उत्तराधिकार का अंश ‘‘ग्रंथ’’ के आदेशानुसार सात श्रेणी के उत्तराधिकारियों में बाँट दिया जाना चाहिए।

55.  **प्रश्न:** यदि मृतक स्त्री हो तो पत्नी वाला अंश किसे मिलेगा ?

**उत्तर:** पत्नी वाला अंश पति को प्राप्त होगा।

56.  **प्रश्न:** मृतक की देह को पाँच चादरों के कफन से ढके जाने के सम्बन्ध में। पाँच से क्या तात्पर्य है ? क्या पाँच अलग-अलग कपड़े जैसा कि परम्परागत रूप से प्रयोग किए जाते थे या पाँच पूर्ण लम्बाई के कफन जो एक के ऊपर एक लपेटे गए हों ?

**उत्तर:** पाँच कपड़ों के प्रयोग के लिए कहा गया है।

57.  **प्रश्न:** कतिपय प्रकटित श्लोकों के बीच विभिन्नताओं के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** अनेक पातियाँ अपने मूल रूप में बिना पुनरीक्षित किए प्रेषित की गई थीं। बाद में, आदेशानुसार, ‘‘परम पावन’’ की उपस्थिति में उन्हें पढ़ा गया और धर्म-विरोधियों के छिद्रान्वेषण से बचाने की दृष्टि से उन्हें व्याकरण के नियमों में बाँधा गया। एक दूसरा कारण यह था कि व्याकरण के नियमों के अनुरूप होने के साथ ही एक नई उदात्त शैली का प्रणयन अग्रदूत ने किया - अग्रदूत के अतिरिक्त अन्य सबकी आत्माएँ उसके लिए न्योछावर हो जाएँ। अतः पवित्र श्लोकों को पुनः ऐसी शैली में प्रकटित किया गया जो अधिकांशतया आधुनिक भाषा-शैली, बोधगम्यता और संक्षिप्तता के अनुरूप थी।

58.  **प्रश्न:** आशीर्वादित श्लोक के विषय में: ‘‘यात्रा करते समय यदि तुम किसी सुरक्षित स्थान पर ठहरो तो छूट गई प्रत्येक अनिवार्य प्रार्थना की जगह तुम धरती पर माथा टेकने की क्रिया सम्पन्न करो।’’ क्या यह क्षतिपूर्ति असुरक्षा की दशा में छूट गई अनिवार्य प्रार्थना के प्रसंग में है अथवा यात्रा की अवधि में अनिवार्य प्रार्थना करनी ही नहीं है और इस कारण धरती पर माथा टेकने की क्रिया सम्पन्न की जानी चाहिए ?

उत्तर: यदि अनिवार्य प्रार्थना के समय सुरक्षा न प्रतीत हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वह सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के बाद प्रत्येक छूट गई अनिवार्य प्रार्थना के बदले धरती पर माथा टेकने की क्रिया सम्पन्न करे। अंतिम बार धरती पर माथा टेकने की क्रिया के बाद वह पालथी मारकर बैठे और निर्धारित श्लोक का पाठ करे। यात्रा की अवधि में यदि सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो तो अनिवार्य प्रार्थना न करने की छूट नहीं है।

59.  **प्रश्न:** यदि किसी यात्री के ठरहने के समय अनिवार्य प्रार्थना का समय आ गया है तो क्या उसे प्रार्थना करनी चाहिए अथवा वह धरती पर माथा टेकने की क्रिया सम्पन्न करे ?

**उत्तर:** असुरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य प्रार्थना न करने की छूट नहीं दी गई है।

60.  **प्रश्न:** यदि छूटी हुई अनिवार्य प्रार्थनाओं के बदले कई बार धरती पर माथा टेकने की क्रिया सम्पन्न करने की जरूरत हो तो क्या प्रत्येक बार धरती पर माथा टेकने के साथ श्लोक का पाठ भी किया जाना चाहिए ?

**उत्तर:** अंतिम बार धरती पर माथा टेकने के साथ निर्धारित श्लोक का पाठ कर लेना पर्याप्त है। अनेक बार धरती पर माथा टेकने के साथ अलग-अलग बार श्लोकोच्चारण आवश्यक नहीं है।

61.  **प्रश्न:** यदि अनिवार्य प्रार्थना का पाठ घर पर रहते हुए न किया गया हो तो क्या इसके लिए भी धरती पर मस्तक टेक कर क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए ?

**उत्तर:** पिछले प्रश्नों के उत्तर में कहा गया था: ‘‘धरती पर मस्तक टेकने की क्रिया द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने सम्बन्धी यह प्रावधान घर पर और यात्रा की अवधि में - दोनों ही अवस्था में लागू है।’’

62.  **प्रश्न:** यदि किसी अन्य उद्देश्य से, किसी ने ‘‘प्रक्षालन’’ किया है और तभी अनिवार्य प्रार्थना का भी समय हो गया हो तो क्या यह ‘‘प्रक्षालन’’ पर्याप्त है या पुनः प्रक्षालन किया जाना चाहिए ?

**उत्तर:** एक ही ‘‘प्रक्षालन’’ पर्याप्त है, पुनः ‘‘प्रक्षालन’’ किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

63.  **प्रश्न:** किताब-ए-अक़दस में अनिवार्य प्रार्थना करने का आदेश दिया गया है जो कि दोपहर में, सुबह और संध्याकाल की जानी चाहिए और जिसमें नौ ‘‘रकात’’ हैं। परन्तु ‘‘अनिवार्य प्रार्थनाओं की पाती’’ तो इससे भिन्न है।

**उत्तर:** किताब-ए-अक़दस में जो प्रकट किया गया है, वह एक अन्य अनिवार्य प्रार्थना के विषय में है। कुछ वर्ष पूर्व उस अनिवार्य प्रार्थना सहित कई अन्य आदेश कतिपय विवेक-सम्मत कारणों से अलग से आंकलित किए गए और संरक्षण की दृष्टि से अन्य पवित्र लेखों के साथ-साथ प्रेषित किए गए। बाद में ये तीन अनिवार्य प्रार्थनाएं प्रकट की गईं।

64.  **प्रश्न:** समय-निर्धारण के लिए क्या घड़ी पर निर्भर किया जा सकता है ?

**उत्तर:** समय-निर्धारण के लिए घड़ी पर निर्भर किया जा सकता है।

65. **प्रश्न:** अनिवार्य प्रार्थनाओं की पाती में तीन प्रार्थनाएँ प्रकट की गई हैं, क्या तीनों प्रार्थनाओं का पाठ आवश्यक है अथवा नहीं ?

**उत्तर:** तीन में से किसी एक प्रार्थना का पाठ आवश्यक है, वही पर्याप्त है।

66.  **प्रश्न:** सुबह की प्रार्थना के लिए किया गया ‘‘प्रक्षालन’’ क्या दोपहर की प्रार्थना के लिए तथा इसी तरह, दोपहर की प्रार्थना के लिए किया गया ‘‘प्रक्षालन’’ शाम की प्रार्थना के लिए भी वैध है ?

**उत्तर:** ‘‘प्रक्षालन’’ का सम्बन्ध उस अनिवार्य प्रार्थना से है जिसके लिए वह किया गया है। प्रत्येक अनिवार्य प्रार्थना के लिए अलग से प्रक्षालन किया जाना चाहिए।

67.  **प्रश्न:** लम्बी अनिवार्य प्रार्थना के प्रसंग में, कहा गया है कि खड़े हो जाओ और ‘‘ईश्वर की ओर उन्मुख हो।’’ इससे ऐसा लगता है कि ‘‘किब्ले की ओर मुख करना आवश्यक नहीं है। क्या यह बात सही है अथवा नहीं ?

**उत्तर:** तात्पर्य किब्ले से ही है।

68.  **प्रश्न:** इस पवित्र श्लोक के सम्बन्ध में - ‘‘प्रत्येक सुबह और शाम तू ईश्वर के श्लोकों का सस्वर पाठ कर।’’

**उत्तर:** अभिप्राय उन सभी श्लोकों से है जो दिव्य वाणी के आकाश से भेजे गये हैं। मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि ‘‘ईश्वर के शब्द’’ का पाठ करने में पावन आत्माएँ उत्सुकता और प्रेम प्रकट करें। असंख्य ग्रंथों को पढ़ने की तुलना में आनन्दमय और दीप्तिमान भाव से एक श्लोक, या बस एक शब्द, का पाठ करना ज्यादा अच्छा है।

69. **प्रश्न:** क्या कोई व्यक्ति अपने वसीयत में यह निर्धारित कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी कुछ सम्पत्ति हुकूकुल्लाह एवं कर्ज के निबटारे के बाद, लोकोपकार के कार्य में लगा दी जाए ? अथवा अपने अंतिम संस्कार तथा अंत्येष्टि-स्थल तक के व्यय के अलावा उसे और कुछ भी निर्धारित करने का अधिकार नहीं है, और अन्त में जो भी सम्पत्ति बच जाती है वह ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारियों के लिए संरक्षित है ?

**उत्तर:** अपनी सम्पत्ति के निपटारे का व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार है। यदि उसने हुकूकुल्लाह अदा कर दिया है और उस पर कोई कर्ज नहीं है तो जो कुछ भी वह अपनी वसीयत में लिखता है वह स्वीकार किए जाने योग्य है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति दी है कि जो कुछ उसे ईश्वर ने प्रदान किया है उसका प्रयोग व्यक्ति अपनी इच्छानुसार करे।

70. **प्रश्न:** मरणोपरांत धारण कराई जाने वाली अंगूठी केवल वयस्कों के लिए है या नाबालिगों के लिए भी ?

**उत्तर:** यह केवल वयस्कों के लिए है। इसी प्रकार मृतकों की प्रार्थना भी केवल वयस्कों के लिए है।

71.  **प्रश्न:** यदि कोई व्यक्ति अला महीने के अतिरिक्त अन्य किसी महीने में उपवास रखना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है या नहीं ? और यदि उसने ऐसा उपवास रखने का प्रण किया है तो यह उचित है अथवा नहीं ?

**उत्तर:** उपवास सम्बन्धी आदेश पहले ही प्रकट किया जा चुका है। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर के नाम पर उपवास का वचन देता है तो पहले की तरह इस युग में भी इसकी अनुमति दी गई है। तथापि उस सर्वमहिमावंत परमेश्वर की आकांक्षा यही है कि ऐसे प्रण या वचन ऐसे उद्देश्यों के लिए हों जो मानव के कल्याण के लिये हों।

72. **प्रश्न:** भवन और व्यक्तिगत परिधान के सम्बन्ध में एक बार फिर प्रश्न पूछा गया है। यदि पुत्र न हो तो क्या ये वस्तुएँ न्याय मन्दिर को प्राप्त होंगी अथवा उनका भी वितरण अन्य सम्पत्तियों की तरह होगा ?

**उत्तर:** भवन और व्यक्तिगत परिधान के दो तिहाई अंश पुत्रियों में बाँटे जायेंगे और एक तिहाई न्याय मन्दिर को मिलेगा जिसे ईश्वर ने लोगों का कोषागार बनाया है।

73.  **प्रश्न:** एक वर्ष की ‘‘धैर्य की अवधि’’ पूरा कर लेने के बाद भी पति यदि तलाक देने से मुकर जाए तो पत्नी क्या करे ?

**उत्तर:** समय समाप्त होते ही तलाक प्रभावी माना जाएगा। तथापि यह आवश्यक है कि उक्त अवधि के प्रारम्भ होने और समाप्त होने का कोई साक्ष्य हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रमाण देने के लिए बुलाया जा सके।

74.  **प्रश्न:** वृद्धावस्था की परिभाषा के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** अरब के निवासियों के लिए वृद्धावस्था आयु की चरम अवस्था है, परन्तु बहा के लोगों के लिए यह सत्तर वर्ष की आयु से प्रारम्भ होती है।

75.  **प्रश्न:** पैदल यात्री के लिए उपवास की सीमा के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** यह सीमा दो घंटे निर्धारित है। यदि इससे अधिक समय लगे तो उपवास तोड़ा जा सकता है।

76.  **प्रश्न:** ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपवास किए जाने के सम्बन्ध में जो कड़ी मेहनत करते हैं।

**उत्तर:** ऐसे लोगों को उपवास न करने की छूट है। ईश्वरीय विधान और उपवास के गौरव के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए यह प्रशंसनीय और उपयुक्त है कि व्यक्ति अल्पाहार ले और एकान्त में भोजन करे।

77. **प्रश्न:** क्या अनिवार्य प्रार्थना के लिए किया गया ‘‘प्रक्षालन’’ सर्वोच्च नाम के पंचानवे बार पाठ के लिए पर्याप्त है ?

**उत्तर:** प्रक्षालन की क्रिया बार-बार करना अनावश्यक है।

78.  **प्रश्न:** ऐसे वस्त्रों और आभूषणों के सम्बन्ध में जो पति ने अपनी पत्नी के लिए खरीदे हों। उसकी मृत्यु के बाद क्या उनका वितरण उसके उत्तराधिकारियों के बीच होगा या वे विशेष रूप से पत्नी के लिए हैं ?

**उत्तर:** उपयोग में आ चुके कपड़ों के अलावा जो कुछ भी शेष है, आभूषण या अन्य कुछ भी, वह सब पति का है सिवा ऐसी वस्तुओं के जो प्रामाणिक रूप से पत्नी को उपहार में मिली थीं।

79. **प्रश्न:** निष्पक्षता के मापदंड के सम्बन्ध में; जब किसी विषय की सत्यता स्थापित करने में दो निष्पक्ष साक्ष्यों पर निर्भर हुआ जाए।

**उत्तर:** निष्पक्षता का मापदंड है लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा का होना। ईश्वरीय सिंहासन के समक्ष ईश्वर के सभी सेवकों का साक्ष्य स्वीकार्य है; चाहे वे किसी भी धर्म या विश्वास में आस्था रखते हों।

80.  **प्रश्न:** यदि मृतक हुकूकुल्लाह तथा अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाया हो तो क्या यह भुगतान उसके भवन, व्यक्तिगत परिधान तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति से अनुपातिक रूप में किया जायेगा अथवा भवन और व्यक्तिगत परिधान मृतक के पुत्र के लिए छोड़ दिये जायेंगे तथा हुकूकुल्लाह का भुगतान शेष सम्पत्ति में से किया जायेगा ? यदि यह सम्पत्ति पर्याप्त न हो तो ऋणों का निपटारा कैसे किया जायगा ?

उत्तर: ऋणों और हुकूक का भुगतान शेष सम्पत्ति में से किया जाएगा। यदि यह सम्पत्ति पर्याप्त न हो तो भुगतान मृतक के भवन और परिधान से किये जायेंगे।

81.  **प्रश्न:** तीसरी अनिवार्य प्रार्थना का पाठ बैठकर किया जाए या खड़ा होकर ?

**उत्तर:** ज्यादा अच्छा है कि विनम्र आस्था प्रकट करने की मुद्रा में खड़ा होकर की जाये।

82.  **प्रश्न:** प्रथम अनिवार्य प्रार्थना के सम्बन्ध में कहा गया है कि ‘‘जब कभी भी कोई व्यक्ति स्वयं को अत्यंत विनम्रता और उत्कट श्रद्धा की अवस्था में अनुभव करे तब ही यह प्रार्थना करे।’’ क्या यह प्रार्थना चौबीस घंटे में एक ही बार करनी चाहिए या और ज्यादा बार ?

उत्तर: चौबीस घंटे में एक ही बार पर्याप्त है। ‘‘दिव्य आदेश की जिह्वा’’ ने ऐसा ही वचन प्रकट किया है।

83. प्रश्न: ‘‘सुबह’’, ‘‘दोपहर’’, और ‘‘संध्याकाल’’ की परिभाषा के सम्बन्ध में।

उत्तर: इनसे क्रमशः सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त से अभिप्राय है। अनिवार्य प्रार्थनाओं के लिए अनुमोदित समय हैं सुबह से दोपहर तक और दोपहर से सूर्यास्त तक तथा उसके दो घंटे बाद तक। प्राधिकार ईश्वर के हाथ में है, जो धारणकर्ता है दो नामों का।

84.  **प्रश्न:** क्या किसी अनुयायी को यह अनुमति है कि वह उससे विवाह करे जो प्रभुधर्म का/की अनुयायी नहीं है ?

**उत्तर:** विवाह में आदान और प्रदान दोनों ही की अनुमति है। इस तरह आदेश दिया है प्रभु ने जब उसने कृपालुता और भव्यता के सिंहासन पर आरोहण किया।

85.  **प्रश्न:** दिवंगतों के लिए प्रार्थना के सम्बन्ध में: क्या यह प्रार्थना दिवंगत को भूमिगत करने के पहले की जाए या बाद में ? और क्या किब्ले की ओर मुँह करना आवश्यक है ?

**उत्तर:** यह प्रार्थना दिवंगत को भूमिगत करने से पहले की जानी चाहिए और जहाँ तक ‘‘किब्ले’’ का प्रश्न है ‘‘तू जिधर भी मुख कर ले, उधर ईश्वर का मुख है।’’[[20]](#footnote-20)

86.  **प्रश्न:** दोपहर के समय, जो दो अनिवार्य प्रार्थनाओं का समय है, दोपहर बाद की जाने वाली लघु प्रार्थना और सुबह, दोपहर तथा शाम में की जाने वाली प्रार्थना क्या यह आवश्यक है कि दो बार प्रक्षालन किया जाए अथवा एक ही बार पर्याप्त है ?

**उत्तर:** पुनः प्रक्षालन अनावश्यक है।

87.  **प्रश्न:** ग्रामवासियों के लिए दहेज के सम्बन्ध में जो कि चाँदी के रूप में देय है: ग्रामवासी से किसका तात्पर्य है - वर का या वधू का ? और ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए यदि एक ग्रामवासी हो दूसरा नगर-निवासी ?

**उत्तर:** दहेज का निर्धारण वर के निवासस्थल से किया जाता है। यदि वह नगर-निवासी है तो दहेज सोने के रूप में होगा और यदि वह ग्रामवासी है तो दहेज चाँदी के रूप में होगा।

88.  **प्रश्न:** यह निश्चित करने का क्या मापदंड है कि कोई नगरवासी है या ग्रामवासी? यदि कोई नगरवासी गाँव में घर बनाकर या कोई ग्रामवासी नगर में घर बनाकर रहने लगे और उसका इरादा वहाँ स्थायी रूप से रहने का हो तो कौन सा नियम लागू होगा ? क्या निर्णय का आधार जन्म स्थान होगा ?

**उत्तर:** स्थायी निवास ही मापदंड है और इसके निर्धारण के बाद ग्रन्थ के विधान का पालन किया जाना चाहिए।

89.  **प्रश्न:** पवित्र पातियों में प्रकट किया गया है कि जब कोई उन्नीस मिस्क़ाल स्वर्ण के मूल्य की सम्पत्ति अर्जित कर ले तो उसे उस धनराशि पर ‘‘ईश्वर का अधिकार’’ भुगतान करना चाहिए। क्या यह व्याख्या की गई है कि इस उन्नीस का कितना भाग चुकाया जाना चाहिए ?

**उत्तर:** ईश्वरीय विधान में एक सौ में से उन्नीस चुकाने का आदेश दिया गया है। गणना इसी आधार पर की जानी चाहिए। तब निर्धारित होगा कि उन्नीस मिस्क़ाल स्वर्ण मूल्य की सम्पत्ति पर कितना अदा करना है।

90.  **प्रश्न:** यदि सम्पत्ति उन्नीस ‘‘मिस्काल स्वर्ण’’ से अधिक की हो जाए तो दुबारा हुकूकुल्लाह अदा करने के लिए क्या उस सम्पत्ति को पुनः उन्नीस के गुणांक तक पहुँचने देना चाहिए अथवा पहले उन्नीस के बाद जितनी भी बढ़ोत्तरी हुई है उस पर हुकूकुल्लाह देय होगा।

**उत्तर:** किसी भी बढ़ोत्तरी पर हुकूकुल्लाह तब तक लागू नहीं होगा जब तक सम्पत्ति पुनः उन्नीस तक न बढ़ जाए।

91.  **प्रश्न:** शुद्ध जल और उस सीमा के विषय में जहाँ जल के बारे में यह मान लिया जाए कि उसका प्रयोग हो चुका है।

**उत्तर:** एक बार हाथ-मुँह धो लेने के बाद जो जल बच जाए, जैसे एक प्याली या दो-तीन प्यालियाँ, तो उस जल को प्रयुक्त समझा जाए। परन्तु एक कुर्र[[21]](#footnote-21) या इससे अधिक जल की मात्रा एक-दो बार हाथ-मुँह धो लेने के बाद भी अपरिवर्तित बना रहता है तो उसका प्रयोग करने का निषेध तब तक नहीं है जब तक तीन तरह से[[22]](#footnote-22) यह परिवर्तित नहीं हो जाता। उदाहरण के लिये, इसका रंग बदल जाये ऐसी अवस्था में इसे प्रयुक्त जल माना जाना चाहिए।

92.  **प्रश्न:** फारसी में विश्लेषित कई प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि परिपक्वता की आयु पन्द्रह वर्ष है। क्या विवाह भी इस परिपक्वता की आयु से सम्बन्ध रखता है, या इस आयु से पहले भी विवाह करने की अनुमति है ?

**उत्तर:** चूँकि ईश्वर के ग्रंथ में दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक बतलाई गई है और चूँकि अपरिपक्व व्यक्ति की सहमति और असहमति का निर्धारण कठिन है; अतः परिपक्वता विवाह की आवश्यक शर्त हैं। परिपक्व अवस्था से पूर्व विवाह की अनुमति नहीं है।

93. **प्रश्न:** बीमार व्यक्तियों के द्वारा उपवास और अनिवार्य प्रार्थना किए जाने के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** वस्तुतः, मैं कहता हूँ कि ईश्वर की दृष्टि में अनिवार्य प्रार्थना और उपवास की महत्ता बहुत बड़ी है। तथापि उनकी शक्ति का अनुभव स्वस्थ शरीर द्वारा ही किया जा सकता है। स्वास्थ्य ठीक न होने की दशा में इन अनिवार्यताओं के पालन की अनुमति नहीं है; हर काल में गौरवान्वित प्रभु की ऐसी ही आज्ञा है। धन्य हैं वे स्त्री-पुरुष जो ध्यान देते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। गौरवगान हो परमेश्वर का जिसने श्लोक दिये हैं और प्रकट किया है असंदिग्ध प्रमाणों को।

94.  **प्रश्न:** मस्जिद, गिरजाघर और मन्दिर के विषय में।

**उत्तर:** एकमेव सत्य ईश्वर की आराधना के लिए जो कुछ भी रचा गया है, जैसे मस्जिद, गिरजाघर या मन्दिर, उनका उपयोग प्रभु-नाम के स्मरण के सिवा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह ईश्वर का आदेश है और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा वह, यथार्थतः, अतिक्रमणकारी समझा जाएगा। इन आराधना-गृहों के निर्माता को कोई हानि नहीं पहुँचेगी क्योंकि उसने ईश्वर के लिए अपना कार्य सम्पन्न किया है और उसे उसका उचित पुरस्कार मिला है और मिलेगा।

95.  **प्रश्न:** व्यक्ति के व्यापार-व्यवसाय के लिए आवश्यक स्थानविशेष के सम्बन्ध में। क्या वे भी हुकूकुल्लाह के भुगतान की परिधि में आते हैं अथवा उनके लिए भी वही नियम है जो घरेलू साज-ओ-सामान पर लागू है?

**उत्तर:** यह घरेलू साज-ओ-सामान के नियम के अंतर्गत है।

96.  **प्रश्न:** न्यास में संरक्षित सम्पत्ति के अन्य प्रकार की सम्पत्ति अथवा नगद के रूप में विनियम के सम्बन्ध में। उनके अवमूल्यन या क्षति के प्रसंग में।

**उत्तर:** न्यास में संरक्षित सम्पत्ति के बदले अन्य प्रकार की सम्पत्ति या नगदी लेन-देन तथा सम्भावित अवमूल्यन या क्षति के प्रसंग में पूछे गए एक लिखित प्रश्न के विषय में कहा गया है कि ऐसा विनिमय किया जा सकता है बशर्ते विनिमय में दी गई वस्तु न्यास में संरक्षित वस्तु के मूल्य के बराबर हो। तेरा प्रभु, यथार्थतः, व्याख्याता, सर्वज्ञाता है और वह है, सत्यतः, विधाता, युगातीत।

97.  **प्रश्न:** शीत और ग्रीष्म ऋतु में पैर धोने के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** दोनों ही ऋतुओं के लिए समान आदेश है। गुनगुने पानी का प्रयोग बेहतर है किन्तु ठंढे जल के प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है।

98. **प्रश्न:** तलाक के विषय में एक और प्रश्न !

**उत्तर:** चूँकि गौरवशाली परमेश्वर तलाक के पक्ष में नहीं है, अतः, इस विषय पर कुछ भी प्रकट नहीं किया गया। तथापि पति-पत्नी के अलग होने से लेकर एक वर्ष की समाप्ति तक दो या अधिक व्यक्तियों का साक्षी होना आवश्यक है। यदि अवधि समाप्त होने पर भी पुनर्मिलन घटित न हो तो तलाक सम्पन्न हो जाता है। आवश्यक है कि तलाक का निबन्धीकरण नगर के धर्मन्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया हो जिसकी नियुक्ति की गई हो न्याय मंदिर के न्यासधारियों द्वारा। इस प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक है ताकि कहीं विवेकसम्पन्न लोगों के हृदय खिन्न न हो जाएँ।

99.  **प्रश्न:** परामर्श के विषय में।

**उत्तर:** यदि लोगों के प्रथम समूह के बीच किए गए परामर्श का अंत असहमति में हो तो नये लोगों को शामिल किया जाना चाहिये। इसके बावजूद असहमति हो तो एक-एक कर चुने हुए लोगों को महानतम नाम की संख्या की लॉटरी के सहारे शामिल किया जाए। इससे परामर्श का रूप नया हो जाएगा। परामर्श का जो भी परिणाम हो उसका पालन किया जाए। यदि तब भी असहमति बनी रहे तो वही प्रक्रिया पुनः दुहराई जाए और बहुमत के निर्णय को स्वीकार किया जाए। वह, वस्तुतः, जिस किसी को भी सन्मार्ग दिखलाना चाहता है, उसका मार्गनिर्देशन करता ही है।

100. **प्रश्न:** उत्तराधिकार के विषय में।

**उत्तर:** उत्तराधिकार के सम्बन्ध में वही आनंददायक है जिसका निर्धारण ‘‘आदि बिन्दु’’ ने कर दिया था, उसके अतिरिक्त अन्य सब की आत्माएँ उसके लिए बलिहारी हों ! जीवित उत्तराधिकारियों को उनका निर्धारित अंश प्राप्त होगा, साथ ही, सर्वोच्च के दरबार में शेष सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए। उसी के हाथ में है प्राधिकार का स्रोत, वह जैसा चाहता है, आदेश देता है। इस विषय में, ‘‘रहस्य-भूमि’’[[23]](#footnote-23) में एक विधान प्रकट किया गया था कि गुमशुदा उत्तराधिकारियों का अंश उस समय तक जीवित उत्तराधिकारियों को दे दिया जाए जब तक कि न्याय मन्दिर की स्थापना नहीं हो जाती और इस विषय में आदेश घोषित नहीं कर दिया जाता। तथापि उन लोगों के उत्तराधिकार जो ‘‘प्राचीनतम’ सौन्दर्य’’ के प्रवासी होने के वर्ष में ही प्रवास कर गए थे, उनके उत्तराधिकारियों को दे दिए जाए। यह उन पर असीम कृपा है परमेश्वर की।

101.  **प्रश्न:** खजाने की प्राप्ति के सम्बन्ध में।

**उत्तर:** यदि कोई खजाना प्राप्त हो जाये तो उसका एक तिहाई अधिकार उसे है जिसने खजाने की खोज की है और शेष दो तिहाई का उपयोग जन-कल्याणार्थ न्याय मन्दिर के लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। न्याय मन्दिर की स्थापना के बाद ऐसा ही किया जाए किन्तु जब तक न्याय मन्दिर की स्थापना नहीं हुई है तब तक यह अंश स्थानीय और क्षेत्रीय विश्वस्त व्यक्तियों के पास सुरक्षित रखा जाए। वह, यथार्थतः, शासक, विधाता, सर्वज्ञाता, सर्वसूचित है।

102.  **प्रश्न:** उस सम्पदा पर हुकूक के सम्बन्ध में जो मुनाफा नहीं देती।

**उत्तर:** ईश्वर का आदेश यह है कि वह सम्पदा जिससे आय की प्राप्ति नहीं होती अर्थात् जिससे लाभ प्राप्त नहीं होता, हुकूक के भुगतान से मुक्त है। वह वस्तुतः, शासक, अति उदार है।

103.  **प्रश्न:** निम्नलिखित पवित्र श्लोक के सम्बन्ध में: ‘‘ऐसे भू-भागों में जहाँ दिन और रात की अवधि लम्बी होती है, वहाँ प्रार्थना के समय का निर्धारण घड़ियों से किया जाए....।’’

**उत्तर:** अभिप्राय ऐसे भू-भागों से है जो सुदूर हैं। तथापि इन जलवायु-प्रदेशों में लम्बाई का अन्तर मात्र कुछ घंटे हैं, अतः यह नियम लागू नहीं है।

104. अबा बदी की पाती में यह पवित्र श्लोक प्रकट किया गया हैः ‘‘यथार्थत्ः, हमने प्रत्येक पुत्र को आदेश दिया है कि वह अपने पिता की सेवा करे।’’ ऐसा ही आदेश है जो हमने ग्रंथ में अंकित किया है।

105. और एक अन्य पाती में ये गौरवशाली शब्द प्रकट किए गए है: हे मुहम्मद ! उस ‘‘प्राचीनतम’’ ने अपना मुखारविन्द तेरी ओर किया है, तेरा उल्लेख किया है और ईश्वर के लोगों को आदेश दिया है कि वे अपने बच्चों को सुशिक्षित करें। यदि कोई पिता किताब-ए-अक़दस में ‘‘अनन्त सम्राट की लेखनी’’ से अंकित यह सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण आदेश की अवहेलना करेगा तो वह पिता होने के अधिकार से वंचित हो जायेगा और ईश्वर के सम्मुख दोषी माना जाएगा। कल्याण हो उसका जो अपने हृदय पर प्रभु की चेतावनी अंकित कर देता है और दृढ़ता से उसका अनुपालन करता है। सत्यततः, ईश्वर अपने सेवकों के लिए वही आदेश देता है, जो उनके लिए सहायक और कल्याणकारी हैं और उसे परमेश्वर के निकट पहुँचने में समर्थ बनाता है। वह आदेशकर्ता, चिरस्थायी है!

106. वह परमेश्वर है, महिमान्वत है वह, ऐश्वर्य और शक्ति का प्रभु ! महामहिमावंत ‘एकमेव सत्य ईश्वर’ ने ही सभी सन्देशवाहकों और चुने हुए देवदूतों को इस उद्देश्य से भेजा है कि सच्चरित्रता और विवेक के जीवन्त जल से वे मानवीय अस्तित्व के वृक्ष को अभिसिंचित कर सकें ताकि लोगों के मध्य से वह प्रकट हो सके जो उनकी अन्तरतम आत्मा में ईश्वर की निधि है। जैसाकि स्पष्टतः देखा जा सकता है, प्रत्येक वृक्ष एक विशेष फल उत्पन्न करता है और फलहीन वृक्ष तो अग्नि में स्वाहा किए जाने योग्य है। इन ‘‘दिव्य शिक्षकों’’ ने जो भी कहा और सिखाया है, उसका एकमात्र उद्देश्य है मनुष्य के गौरवशाली पद की रक्षा करना। कल्याण हो उसका जो ‘‘ईश-दिवस’’ में उसके आदेशों को दृढ़ता से थामे हुए है और जो उसके सत्य और मूलभूत विधान से विचलित नहीं होता। मानव-जीवन रूपी वृक्ष के सर्वाधिक उपयुक्त फल हैं विश्वासपात्रता और दिव्य गुणसम्पन्नता, सत्यवादिता और निष्ठा, परन्तु उस महिमामंडित गौरवशाली ईश्वर की एकता के अभिज्ञान के बाद इन सबसे महान फल है माता-पिता के अधिकारों का सम्मान। यह धर्मोपदेश ईश्वर के समस्त ग्रंथों में प्रतिपादित है और सर्वाधिक उदात्त लेखनी ने भी इसका अनुमोदन किया है। उस पर विचार करो जो दयालु प्रभु ने कुरआन में प्रकट किया है, उदात्त हैं उसके शब्द: ‘‘आराधना कर तू ईश्वर की, उसकी तुलना अन्य किसी से मत कर और अपने माता-पिता के प्रति सद्भाव और उदारता प्रदर्शित कर... ध्यान दो, माता-पिता के प्रति प्रेममय सद्भाव के सम्बन्ध को किस तरह एकमेव सत्य ईश्वर के अभिज्ञान से जोड़ा गया है। प्रसन्न हैं वे जो सच्ची विवेक-बुद्धि से परिपूर्ण हैं, जो गहराई तक देखते हैं, अध्ययन और अनुशीलन करते हैं और उसका पालन करते हैं जिसे ईश्वर ने प्राचीन पवित्र ग्रंथों और इस अतुलनीय, विलक्षण पाती में प्रकट किया है।’’

107. अपनी एक पाती में उसने प्रकट किया है, गौरव हो उसके शब्दों का: हमने ज़कात के विषय में भी यह आदेश दिया है कि तू उसका पालन कर जो कुरआन में प्रकट किया गया है।

**किताब-ए-अक़दस**

**के विधानों और अध्यादेशों का सार  
संकलन और संहिताकरण**

**विषय-सार**

I. बहाउल्लाह के उत्तराधिकारी और उनकी शिक्षाओं के व्याख्याता के रूप में अब्दुल बहा की नियुक्ति।

अ - उनकी ओर उन्मुख हो

ब - उनसे मार्गनिर्देश प्राप्त करो

II. धर्मसंरक्षक की संस्था का पूर्वनिरूपण

III. न्याय मन्दिर नामक संस्था

IV. विधान, अध्यादेश और आदेश

अ - प्रार्थना

ब - उपवास

स - व्यक्तिगत स्थिति सम्बन्धी विधान

द - विभिन्न विधान, अध्यादेश और आदेश

V. विशिष्ट परामर्श, निषेध और चेतावनी

VI. अन्य विषय

**सार संकलन और संहिताकरण**

**1. बहाउल्लाह के उत्तराधिकारी और उनकी शिक्षाओं के व्याख्याता के रूप में अब्दुल बहा की नियुक्ति:**

अ- निष्ठावानों को उनकी ओर उन्मुख होने का निर्देश दिया जाता है, ‘‘जो ईश्वर का प्रयोजन है, जो इस ‘‘पुरातन मूल’’ की शाखा के रूप में प्रशाखित हुआ है।’’

ब- निष्ठावानों को आदेश दिया जाता है कि बहाई लेखों में जो कुछ वे नहीं समझते हैं, उसके लिए वे उसकी ओर उन्मुख हों ‘‘जो शक्तिशाली वृक्ष से प्रशाखित हुआ है।’’

**2. धर्मसंरक्षक की संस्था का पूर्वनिरूपण:**

**3. न्याय मन्दिर नामक संस्था:**

अ- औपचारिक रूप से न्याय मंदिर का आदेश दिया गया है।

ब- उसके कार्य परिभाषित हैं।

स- उसकी आय सुनिश्चित है।

**4. विधान, अध्यादेश और आदेश:**

**अ - प्रार्थना:**

1. बहाई प्रकटीकरण में अनिवार्य प्रार्थनाओं का भव्य स्थान है।

2. किब्ला:

अ- बाब द्वारा वर्णित ‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा।’’

ब- बाब द्वारा किये गये निर्धारण को बहाउल्लाह की पुष्टि।

स- बहाउल्लाह अपने स्वर्गारोहण के बाद अपनी चिरविश्राम स्थली को ‘‘किब्ला’’ निर्धारित करते हैं।

द- अनिवार्य प्रार्थना करते समय ‘‘किब्ले’’ की ओर उन्मुख होने का आदेश है।

3. परिपक्वता की आयु, जो 15 वर्ष है, प्राप्त कर लेने पर अनिवार्य प्रार्थनाएँ

पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अनिवार्य हैं।

4. अनिवार्य प्रार्थनाएँ करने से छूट दी गई है;

अ- उन्हें जो अस्वस्थ हैं।

ब- उन्हें जो 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

स- ऋतुवती नारियाँ बशर्ते ‘‘प्रक्षालन’’ के बाद विशेष रूप से प्रकट किए गये श्लोक का प्रतिदिन 95 बार पाठ करें।

5. अनिवार्य प्रार्थनाएँ व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए।

6. तीन अनिवार्य प्रार्थनाओं में से किसी एक के चयन की अनुमति है।

7. अनिवार्य प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में वर्णित ‘‘सुबह’’, ‘‘दोपहर’’ और ‘‘संध्याकाल’’ का अर्थ क्रमशः सूर्योदय और दोपहर के बीच का समय, दोपहर से सूर्यास्त तक का समय और सूर्यास्त से दो घंटे बाद का समय है।

8. प्रथम (लम्बी) अनिवार्य प्रार्थना का पाठ चौबीस घण्टों में एक बार पर्याप्त है।

9. तीसरी (लघु) अनिवार्य प्रार्थना खड़े होकर करना उत्तम है।

10. प्रक्षालन:

अ- अनिवार्य प्रार्थनाओं के पाठ से पहले ‘‘प्रक्षालन’’ आवश्यक है।

ब - प्रत्येक अनिवार्य प्रार्थना के पहले ‘‘प्रक्षालन’’ आवश्यक है।

स- यदि दो अनिवार्य प्रार्थनाएँ दोपहर में की जाएं तो दोनों के लिए एक

बार ‘‘प्रक्षालन’’ पर्याप्त है।

द- यदि जल अनुपलब्ध हो, या हाथ-मुँह के लिए उसका उपयोग हानिकारक है तो विशेष रूप से प्रकट किये गये एक श्लोक का पाँच बार पाठ करने का निर्धारण किया गया है।

य- अत्यधिक शीतकाल में गुनगुने जल का प्रयोग अनुशंसित है।

र- ‘‘प्रक्षालन’’ यदि अन्य कार्यों के लिए किया गया है तो अनिवार्य प्रार्थना के पाठ से पूर्व उसकी पुनरावृत्ति अपेक्षित नहीं है।

ल- यदि किसी ने पहले स्नान कर लिया है तब भी अनिवार्य प्रार्थना के पहले प्रक्षालन आवश्यक है।

11. प्रार्थना के लिए निश्चित समय का निर्धारण:

अ- अनिवार्य प्रार्थना के लिये समय के निर्धारण हेतु घड़ी पर निर्भर किया जा सकता है।

ब- सुदूर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में स्थित देशों में, जहाँ दिन और रात की अवधि में अंतर है, सूर्योदय या सूर्यास्त का विचार न करके घड़ी पर भरोसा करना चाहिए।

12. संकट की स्थिति में, चाहे उस समय यात्रा पर हों या नहीं, प्रत्येक छूटी हुई अनिवार्य प्रार्थना के लिए धरती पर मस्तक टेक कर एक विशेष श्लोक के पाठ का निर्देश है, जिसके बाद 18 बार एक अन्य विशेष श्लोक का पाठ किया जाना चाहिये।

13. दिवंगतों के लिए प्रार्थना को छोड़कर सामूहिक प्रार्थना का निषेध है।

14. ‘‘दिवंगतों के लिए प्रार्थना’’ का सम्पूर्ण पाठ निर्देशित है, किन्तु जो पढ़ने में असमर्थ हैं-उन्हें उस प्रार्थना के छह विशिष्ट अंशों को दुहराने की आज्ञा है।

15. तीन बार दुहरायी जाने वाली अनिवार्य प्रार्थना, जो सुबह, दोपहर और शाम के समय कही जाती थी, उन्हें बाद में प्रकट की गई अनिवार्य प्रार्थनाओं से बदल दिया गया है।

16. संकेतों की प्रार्थना समाप्त कर दी गई है और विशेष रूप से प्रकट किये गये एक श्लोक ने उसका स्थान ले लिया है। किन्तु, इस श्लोक का पाठ अनिवार्य नहीं है।

17. बाल, मातमी वस्त्र, हड्डियाँ और ऐसी ही अन्य वस्तुएँ किसी की प्रार्थना विफल नहीं करती हैं।

**ब - उपवास:**

1. बहाई प्रकटीकरण में उपवास का भव्य स्थान।

2. उपवास की अवधि अधिदिवसों (लौंद के दिन) के अंत के साथ आरम्भ होती है और नवरूज के उत्सव के साथ समाप्त होती है।

3. सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाद्य और पेय पदार्थों का त्याग अनिवार्य है।

4. परिपक्वता की अवस्था, जो 15 वर्ष निर्धारित की गई है, प्राप्त कर लेने पर उपवास पुरुषों और महिलाओं के लिए अनिवार्य है।

5. उपवास से छूट दी गई है:

क- यात्रियों को

1. बशर्ते यात्रा 9 घण्टे से अधिक की हो।

2. उन्हें जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, बशर्ते यात्रा का समय दो घण्टे से अधिक हो।

3. उन्हें जो 19 दिनों से कम अवधि के लिए अपनी यात्रा भंग करते हैं।

4. जो अपनी यात्रा उपवास काल में ऐसे स्थान पर पहुँचकर भंग कर दे जहाँ 19 दिन ठहरना है उन्हें अपने आगमन से मात्र प्रथम तीन दिनों के लिए उपवास से छूट है।

5. उन्हें जो उपवास काल में घर पहुँच जायें, अपने आगमन के दिन से ही उपवास आरम्भ कर देना चाहिए।

ख- उन्हें जो रोगग्रस्त हैं:

ग- उन्हें जो 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।

घ- महिलाओं को जो बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं।

ङ- उन महिलाओं को जो बच्चों को स्तनपान करा रही हैं।

च- ऋतुवती महिलायें, बशर्ते वे प्रक्षालन कर विशेष रूप से प्रकटित श्लोक का 95 बार पाठ कर लें।

छ- वे, जो कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें परामर्श दिया गया है कि इस विधान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अपने विवेक और आत्मसंयम का परिचय दें।

6. उपवास का संकल्प यदि उपवास के निर्धारित महीने के अतिरिक्त किया गया हो तो यह संकल्प लिया जा सकता है। ऐसे संकल्प जो मानवजाति के लिये कल्याणप्रद हों, ईश्वर की दृष्टि में अधिक अच्छे हैं।

**स- व्यक्तिगत स्थिति सम्बन्धी विधान:**

**1. विवाह:**

क- विवाह अनुशंसित है, किन्तु अनिवार्य नहीं है।

ख- बहुविवाह वर्जित है।

ग- विवाह परिपक्वता की आयु, जो 15 वर्ष निर्धारित की गई है, प्राप्त कर लेने पर दोनों ही पक्षों पर निर्भर है।

घ- विवाह वर एवं वधू तथा उन दोनों के माता-पिता की स्वीकृति पर निर्भर है, चाहे वधू कुमारी हो या नहीं।

ङ- वर और वधू दोनों के लिए विशेष रूप से प्रकट किए गए एक श्लोक का पाठ आवश्यक है जो परमात्मा की इच्छा से उनके सन्तुष्ट होने का सूचक है।

च- अपनी सौतेली माँ के साथ विवाह वर्जित है।

छ- अपने सम्बन्धी के साथ विवाह से सम्बन्धित सभी मामले न्याय मन्दिर को भेजने होते हैं।

ज- गैरबहाइयों से विवाह की अनुमति है।

झ- वाग्दान:

1. सगाई से विवाह के बीच की अवधि 95 दिनों से अधिक न होने पाये।

2. परिपक्व आयु से पूर्व किसी लड़की के साथ सगाई करना विधिसम्मत नहीं है।

ञ- दहेज:

1. विवाह दहेज के भुगतान की शर्त से युक्त है।

2. दहेज नगर-निवासियों के लिये 19 मिस्क़ाल शुद्ध स्वर्ण और ग्रामवासियों के लिए 19 मिस्क़ाल चाँदी निर्धारित है। नगर अथवा ग्राम का निर्धारण पति के स्थायी आवास से सम्बद्ध है, पत्नी के नहीं।

3. 95 मिस्क़ाल से अधिक के भुगतान का निषेध है।

4. यह बेहतर है कि 19 मिस्क़ाल चाँदी के भुगतान से व्यक्ति सन्तुष्ट रहे।

5. दहेज का पूर्ण भुगतान यदि सम्भव नहीं है तो प्रतिज्ञापत्र देने की अनुमति है।

ट- दोनों में से कोई पक्ष, विशिष्ट रूप से प्रकट किये गये श्लोक के पाठ और दहेज के भुगतान के बाद, विवाह की परिपूर्णता के पूर्व यदि दूसरे पक्ष को नापसन्द करता है तो तलाक से पहले प्रतीक्षा काल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन, दहेज की वापसी की अनुमति नहीं है।

ठ- पति जब यात्रा पर जाने का विचार करे तो उसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी वापसी का समय अपनी पत्नी को बताये। यदि किसी समुचित कारण से निर्धारित समय पर वह नहीं आ सकता तो उसे अवश्य ही अपनी पत्नी को इसकी सूचना देनी चाहिए और वापस आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इन दोनों शर्तों को पूरा करने में वह विफल रहता है तो पत्नी को नौ महीने तक अवश्य ही प्रतीक्षा करनी चाहिए, जिस अवधि के बाद स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है; यद्यपि उसके लिए उचित है कि वह और प्रतीक्षा करे। यदि उसकी मृत्यु अथवा हत्या का समाचार स्त्री को मिलता है और इस समाचार की पुष्टि दो विश्वस्त गवाहों अथवा जनसामान्य द्वारा कर दी जाती है, तब नौ महीने के बीत जाने पर स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है।

ड- यदि पति अपनी वापसी की तिथि की सूचना पत्नी को दिये बिना चला जाये और किताब-ए-अक़दस में निर्धारित नियम का उसे ज्ञान हो, तो पत्नी पूरे एक वर्ष प्रतीक्षा के पश्चात् पुनर्विवाह कर सकती है। पति यदि इस नियम से अनभिज्ञ हो तो पत्नी तब तक प्रतीक्षा करे, जब तक उसके पति का समाचार उसे प्राप्त न हो जाये।

ढ- दहेज के भुगतान के बाद यदि पति को पता चले कि पत्नी कुँवारी नहीं है तो दहेज और विवाह के सभी खर्चों की वापसी की माँग की जा सकती है।

ण- विवाह में यदि कौमार्यता की शर्त रखी गयी थी तो दहेज और विवाह के खर्चों की वापसी की माँग की जा सकती है और विवाह को रद्द किया जा सकता है। तथापि, यह बात गुप्त रखना परमात्मा की दृष्टि में अत्यधिक प्रशंसापूर्ण है।

**2. तलाक:**

क- तलाक की अत्यधिक निन्दा की गई है।

ख- यदि पति अथवा पत्नी को एक-दूसरे के प्रति अप्रसन्नता या विरोध हो जाये तो, पूरे एक वर्ष की समाप्ति पर तलाक की अनुमति है। प्रतीक्षा के वर्ष की शुरूआत और समाप्ति दो या अधिक गवाहों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। तलाक की कार्यवाही न्याय मन्दिर का प्रतिनिधित्व करने वाले न्यायाधिकारी द्वारा पंजीकृत की जानी चाहिए। इस प्रतीक्षाकाल में परस्पर समागम का निषेध है और जो कोई इस नियम को तोड़ता है उसे पश्चाताप करना चाहिये और न्याय मन्दिर को 19 मिस्क़ाल स्वर्ण का भुगतान करना चाहिए।

ग- तलाक के बाद अगले प्रतीक्षा-काल की आवश्यकता नहीं है।

घ- वह पत्नी जिसे बेवफाई की वजह से तलाक दिया गया है, उसे प्रतीक्षा काल के दौरान खर्चों को पाने का हक नहीं होता।

ङ- तलाकशुदा से पुनर्विवाह की अनुमति है, बशर्ते उसने किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर लिया हो। यदि उसने ऐसा किया है तो पहले उसे तलाक लेना होगा ताकि उसका पूर्वपति उससे पुनर्विवाह कर सके।

च- प्रतीक्षा-काल में यदि किसी समय दाम्पत्य प्रेम का फिर से संचार होता है, तो विवाह बन्धन विधिसम्मत है। यदि इस समागम के बाद फिर अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर से तलाक की इच्छा हो आती है तो प्रतीक्षा का एक वर्ष फिर से शुरू होगा।

छ- यदि यात्रा करते समय पति और पत्नी के बीच मतभेद हो जाये तो पति के लिए यह आवश्यक है कि पत्नी को यात्रा और उसके पूरे वर्ष का खर्च देकर स्वयं घर भेज दे या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ उसे घर वापस भेजे।

ज- यदि पत्नी वस्तुतः किसी अन्य देश में जाने की अपेक्षा पति को तलाक देने का आग्रह करे तो प्रतीक्षा वर्ष का आकलन उनके पृथक होने के समय से किया जायेगा या उस समय से जब पति जाने की तैयारी कर रहा हो या उसके प्रस्थान के समय से।

झ- तलाकशुदा पत्नी के साथ पुनर्विवाह न करने का इस्लामी विधान रद्द कर दिया गया है।

**3. उत्तराधिकार -**

क- उत्तराधिकार निम्नांकित श्रेणियों में विभक्त हैं:

1. बच्चे 2520 अंशों में से 1080 अंश

2. पति या पत्नी 2520 अंशों में से 390 अंश

3. पिता 2520 अंशों में से 330 अंश

4. माता 2520 अंशों में से 270 अंश

5. भाई 2520 अंशों में से 210 अंश

6. बहिन 2520 अंशों में से 150 अंश

7. शिक्षक 2520 अंशों में से 90 अंश

ख- बाब द्वारा आवंटित, बच्चों का हिस्सा बहाउल्लाह ने दोगुना कर दिया है और प्रत्येक अन्य लाभार्थी के अंश में से समान अनुपात में घटा दिया है।

ग- 1. कोई संतान न होने की स्थिति में बच्चों का भाग अनाथों, विधवाओं और मानवहितों के लिए व्यय किये जाने हेतु न्याय मन्दिर को चला जाता है।

2. यदि मृतक के पुत्र की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और उसकी संतानें हैं तो वे अपने पिता के भाग के उत्तराधिकारी होंगी। यदि मृतक की पुत्री की मृत्यु पहले हो चुकी है और उसकी संतानें हैं तो, उसका भाग पवित्रतम पुस्तक में निर्दिष्ट सात श्रेणियों में बांटा जायेगा।

घ- यदि कोई व्यक्ति अपने पीछे संतान छोड़ता है किन्तु पति या पत्नी में कोई अथवा उत्तराधिकारियों की अन्य श्रेणियों में कोई जीवित नहीं है, तो उनके भागों का दो-तिहाई संतानों को और एक-तिहाई न्याय मन्दिर को जाता है।

ङ- यदि बताये गये लाभार्थियों में से कोई जीवित नहीं है तो उत्तराधिकार की सम्पत्ति के दो-तिहाई भाग मृतक के भाई-बहनों के पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होते हैं। यदि ये नहीं हैं तो यही भाग माता-पिता के भाइयों, बहनों और भाइयों की पत्नियों को जायेंगे और इनके अभाव में उनके पुत्रों और पुत्रियों को मिलेंगे। प्रत्येक दशा में शेष एक तिहाई भाग न्याय मन्दिर को जाता है।

च- यदि मृतक ने पूर्वोक्त उत्तराधिकारियों में से अपने पीछे किसी को नहीं छोड़ा है तो उसकी समस्त सम्पत्ति न्याय मन्दिर को जाती है।

छ- मृत पिता का निवास और उसके व्यक्तिगत वस्त्र पुत्रियों को नहीं, पुत्रों को मिलते हैं। यदि कई आवास हों तो प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण भवन पुत्र को मिलता है। मृतक की शेष सम्पत्ति सहित अन्य भवन उत्तराधिकारियों में बांटे जायेंगे। अगर कोई पुत्र नहीं है तो प्रमुख आवास और मृत पिता के व्यक्तिगत वस्त्रों के दो तिहाई भाग नारी संतान को और शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को जायेंगे। मृत माता के मामले में उसके सभी उपयोग में लाये गये वस्त्र उसकी पुत्रियों में समान रूप से बांटे जायेंगे। उसके उपयोग में नहीं लाये गये वस्त्र अथवा आभूषण और सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जायेंगी, साथ ही उसके उपयोग में लाये गये वस्त्र और आभूषण भी उत्तराधिकारियों के बीच बांटे जायेंगे, अगर उन्हें कोई पुत्री न हों।

ज- मृतक के बच्चे यदि अल्पवयस्क हैं तो उनका भाग या तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दिया जाये अथवा पूंजी निवेश के अभिप्राय से किसी कम्पनी को, उस समय तक के लिए जब तक वे वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं करते हैं, दे दिया जाये और अर्जित सूद का एक भाग उस न्यासधारी को प्राप्त हो।

झ- उत्तराधिकार की सम्पत्ति का तब तक बंटवारा नहीं होगा, जब तक हुकूकुल्लाह (ईश्वर का अधिकार) का भुगतान नहीं हो जाता और मृतक द्वारा लिये गये ऋण का निबटारा नहीं हो जाता तथा मृतक की अंत्येष्टि के खर्च नहीं निकाल लिये जाते।

ञ- यदि मृतक का भाई एक ही पिता से उत्पन्न है तो वह अपने सम्पूर्ण निर्दिष्ट भाग का अधिकारी होगा। यदि वह दूसरे पिता से है तो वह अपने भाग के दो-तिहाई का उत्तराधिकारी होगा, शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को जायेगा। यही नियम मृतक की बहन के लिए लागू होता है।

ट- यदि एक ही माता-पिता से उत्पन्न सहोदर भाई और सहोदर बहनें हैं तो मातृ-पक्ष के भाई-बहन उत्तराधिकारी नहीं है।

ठ- गैरबहाई शिक्षक उत्तराधिकार का अधिकारी नहीं होता। अगर एक से अधिक शिक्षक हैं तो शिक्षक को आवंटित अंश बराबर-बराबर प्राप्त होंगे।

ड- गैरबहाई उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है।

ध- पत्नी द्वारा उपयोग में लाये गये वस्त्रों और आभूषणों के उपहारों से पृथक् या दूसरे रूप में, जो उसे अपने पति से प्राप्त हुए हैं, अन्य जो कुछ पति ने पत्नी के लिए खरीदा है उसे पति की सम्पत्ति मान कर उसके उत्तराधिकारियों में बांटा जायेगा।

न- कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की, जैसा उसे योग्य प्रतीत हो, वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है। शर्त यह है कि वह हुकूकुल्लाह के भुगतान और अपने ऋणों से मुक्ति की व्यवस्था कर दें।

**द- अन्य विधान, अध्यादेश और आदेश:**

**1. अन्य विधान तथा अध्यादेश**

क- तीर्थयात्रा

ख- हुकूकुल्लाह

ग- भेंट

घ- मशरिकुल-अजकार

ङ- बहाई युग की कालावधि

च- बहाई उत्सव

छ- उन्नीस दिवसीय सहभोज

ज- बहाई वर्ष

झ- लौंद के दिन

ञ- परिपक्वता की आयु

त- मृतक की अंत्येष्टि

थ- व्यापार या कारोबार में उद्यमशील होना अनिवार्य माना गया है तथा इसे आराधना का स्तर प्रदान किया गया है।

द- सरकार का आज्ञापालन

ढ- बच्चों की शिक्षा

ण- वसीयत को लिखना

त- ज़कात

थ- महानतम नाम का प्रतिदिन 95 बार उच्चारण

द- पशुओं का शिकार

ध- सेविकाओं से आचार-व्यवहार

न- खोई हुई सम्पत्ति की प्राप्ति

प- अप्रत्याशित रूप से प्राप्त खजाने की व्यवस्था

फ- धरोहर के रूप में रखी गई वस्तुओं का निबटारा

ब- मानवहत्या

भ- सच्चे गवाहों की परिभाषा

म- निषेध

1. पवित्र लेखों की व्याख्या

2. दासों का व्यापार

3. संन्यास

4. वैराग्य

5. भिक्षावृत्ति

6. पुरोहितवाद

7. धर्मोपदेश करने के आसनों का उपयोग

8. हाथ चूमना

9. पापों की अभिस्वीकृति

10. बहुपत्नीत्व

11. मादक पेय

12. अफीम

13. जुआ

14. किसी के घर में आग लगाना

15. व्यभिचार

16. हत्या

17. चोरी

18. समलैंगिकता

19. सामूहिक प्रार्थना, मृतक के लिए छोड़कर

20. पशुओं के प्रति निर्दयता

21. अकर्मण्यता और आलस्य

22. परनिन्दा

23. मिथ्या आरोप

24. अनावश्यक शस्त्र धारण करना

25. फारसी स्नान गृहों के सार्वजनिक तालाबों का उपयोग

26. गृहस्वामी की आज्ञा बिना उसके घर में प्रवेश करना

27. किसी व्यक्ति को पीटना या घायल करना

28. विवाद और झगड़ा

29. पवित्र श्लोकों को राह चलते उच्चरित करना

30. भोज्य पदार्थ में हाथ डुबोना

31. सिर का मुंडन करना

32. पुरुषों के बालों का कान के नीचे तक न बढ़ना

**2. पहले के धर्मों में जो आदेश और अध्यादेश थे, उनको निरस्त करना:**

क- पुस्तकों का विनाश

ख- रेशम पहनने का निषेध

ग- सोने-चाँदी के पात्रों का उपयोग

घ- यात्रा की सीमाबन्दी

ङ- धर्म-संस्थापक को अमूल्य उपहारों की भेंट

च- धर्म-संस्थापक पर प्रश्न करने का निषेध

छ- अपनी तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह का निषेध

ज- अपने पड़ोसी को दुःखी करने वाले को दण्डित करना

झ- संगीत का निषेध

ञ- वस्त्राभूषण और दाढ़ी की सीमाएँ

ट- विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों की अस्वच्छता

1. धातु की अस्वच्छता

ठ- धरती पर माथा टेकने के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली कुछ वस्तुओं की अस्वच्छता

**3. अन्य आदेश:**

क- सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ साहचर्यपूर्वक मिलना

ख- अपने माता-पिता का सम्मान करना

ग- जो कामना स्वयं के लिए न की जाये, उसे दूसरों के लिए न करना

घ- धर्म-संस्थापक के स्वर्गारोहण के बाद धर्म का शिक्षण व प्रसार करना

ङ- धर्म की प्रगति हेतु कटिबद्ध लोगों की सहायता करना

च- पवित्र लेखों में विहित आदेश से विलग न होना और ऐसा करने वालों से विचलित न होना

छ- मतभेद उत्पन्न होने पर पवित्र लेख का संदर्भ देना

ज- पवित्र शिक्षाओं के अध्ययन में स्वयं को तल्लीन करना

झ- किसी की व्यर्थ कल्पना का अनुसरण नहीं करना

ञ- प्रातः और सायंकाल पवित्र श्लोकों का पाठ करना

ट- पवित्र श्लोकों का पाठ सुमधुर स्वर से करना

ठ- अपने बच्चों को मशरिकुल अज़कार में पवित्र श्लोकों के पाठ की शिक्षा देना

ड- मानवजाति के लिए लाभकारी कला और विज्ञान का अध्ययन करना

ढ- मिलकर परामर्श करना

ण- ईश्वरीय विधानों के पालन में रूढ़िग्रस्त नहीं होना

त- अपने पापों के लिए प्रभु के समक्ष पश्चाताप करना

थ- सद्कर्मों से स्वयं को विशिष्ट बनाना:

1. सत्यमय होना

2. विश्वासपात्र होना

3. निष्ठावान होना

4. सदाचारी होना और ईश्वर से डरना

5. न्यायनिष्ठ और निर्मलचित्त होना

6. युक्तिनिपुण और बुद्धिमान होना

7. शिष्ट होना

8. अतिथि सत्कार करने वाला होना

9. धैर्यवान बनना

10. अनासक्त होना

11. ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण

12. दुष्टता नहीं फैलाना

13. पाखण्डी न होना

14. घमण्डी न होना

15. धर्मान्ध न होना

16. स्वयं को पड़ोसी से अधिक महत्व न देना

17. अपने पड़ोसी से विवाद न करना

18. वासनालोलुप न होना

19. दुर्दिन में शोक न करना

20. अधिकारीजनों से विरोध न करना

21. क्रोध न करना

22. अपने पड़ोसी से क्रुद्ध न होना

द- निकटता से एकता के सूत्र में बंधा होना

ध- रोगग्रस्त होने पर श्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श लेना

न- निमंत्रण स्वीकार करना

प- धर्म के संस्थापक के सम्बन्धियों के प्रति उदारता दर्शाना

फ- धर्म के प्रसार के लिए भाषाओं का अध्ययन करना

ब- धर्म के संवर्धन के लिए नगरों एवं देशों का विकास करना

भ- धर्म के संस्थापकों से जुड़े स्थानों का पुनर्नवीकरण करना और उन्हें सुरक्षित रखना

म- स्वच्छता का सार होना:

1. अपने पैर धोना

2. अपने को सुवासित रखना

3. स्वच्छ जल में स्नान करना

4. अपने नाखून काटना

5. मिट्टी लगी वस्तुएं स्वच्छ पानी से धोना

6. दाग-धब्बे रहित वस्त्र पहनना

7. अपने घर की सज्जा व सामग्री का नवीकरण करना

**4. विशेष आदेश, चेतावनियां: किन्‍हें सम्‍बोधित:**

1. सम्पूर्ण मानवजाति को

2. संसार के शासकों को

3. धर्मोपदेशकों के समूह को

4. अमेरिका के शासकों और उसके गणराज्यों के राष्ट्रपतियों को

5. प्राशिया के राजा विलियम प्रथम को

6. आस्ट्रिया के बादशाह, फ्रांसिस जोसेफ को

7. बयान के लोगों को

8. विश्व भर की संसदों के सदस्यों को

**5. अन्य विषय:**

1. बहाई धर्म की अनुभवातीत प्रकृति

2. धर्म के प्रवर्तक का उच्च स्थान

3. परम पावन पुस्तक ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ का सर्वोच्च महत्व

4. ‘‘सर्वोच्च त्रुटिहीनता’’ का सिद्धांत

5. अवतार को पहचानने और उसके विधानों के अनुपालन के दोहरे कर्त्‍तव्‍य और उनकी अपृथकता

6. समस्त ज्ञान का सार: उसे पहचानना जो समस्त ज्ञान का मूल है

7. धन्य हैं वे जिन्होंने इस मूल सत्य को पहचान लिया है कि ‘‘ ‘उससे’ ‘उसके’ कर्मों के बारे में नहीं पूछा जायेगा’’

8. ‘‘महानतम व्यवस्था’’ का क्रान्तिकारी प्रभाव

9. एक भाषा का चयन और एक सामान्य लिपि का प्रयोग पृथ्वी पर सभी के द्वारा अपनाया जाना मानवजाति की परिपक्वता के दो चिह्नों में एक है।

10. ‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’ से सम्बन्धित बाब की भविष्यवाणियाँ

11. धर्म के विरोध से सम्बन्धित भविष्यवाणी

12. उस राजा की प्रशंसा जो धर्म को स्वीकार करने की घोषणा करेगा और उसकी सेवा के लिए कटिबद्ध होगा

13. मानव जीवन के कार्यों का अस्थायित्व

14. सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ

15. समस्त कर्मों की महत्ता परमात्मा की स्वीकृति पर निर्भर है

16. ईश्वरीय विधानों के पालन की प्रेरणा के रूप में ईश्वर के प्रति प्रेम की महत्ता

17. भौतिक साधनों के उपयोग का महत्व

18. बहा के जनों में विद्वानों की प्रशंसा

19. मिर्ज़ा याह्या को क्षमादान का वचन, यदि वह पश्चाताप करे

20. तेहरान को विशेष सम्बोधन

21. कुस्तुन्तुनिया और उसके जनों को विशेष सम्बोधन

22. ‘‘राइन के तटों’’ के नाम सम्बोधन

23. उनकी निन्दा जो गोपनीय ज्ञान का झूठा दावा करते हैं

24. उनकी निन्दा जो अपनी विद्वता पर गर्व करते हैं जिससे वे परमात्मा से दूर हो जाते हैं

25. खुरासान से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ

26. किरमान से सम्बन्धित भविष्यवाणियाँ

27. शेख अहमद-ए-अहसाई का संकेत

28. ‘‘गेहूँ चालने वाले’’ को संकेत

29. हाजी मुहम्मद-करीम खाँ की प्रताड़ना

30. शेख मुहम्मद-हसन की प्रताड़ना

31. नेपोलियन तृतीय को संकेत

32. सैयद-मुहम्मद-इस्फहानी को संकेत

33. प्रभुधर्म सेवा में उठ खड़े होने वाले सभी लोगों को सहायता का आश्वासन

**टिप्पणियाँ**

***1. मेरे परिधान की मोहक सुरभि/अनुच्छेद. 4***

यह एक संकेत है *‘‘कुरआन’’* तथा *‘‘ओल्ड टेस्टामेंट’’* में वर्णित जोसेफ की कथा की ओर। कहते हैं, जब जोसेफ के भाइयों ने उनके वस्त्र पिता जैकब के पास लाए तो उसकी सुगन्ध से जैकब अपने गुमशुदा पुत्र की पहचान कर सके। सुरभिमय *‘‘परिधान’’* का रूपक बहाई लेखों में बहुत ही अधिक प्रयुक्त हुआ है जो ईश्वर के अवतार और उनके प्रकटीकरण की ओर संकेत करता है।

बहाउल्लाह ने अपनी एक *‘‘पाती’’* में अपना वर्णन वह *‘‘दिव्य जोसेफ’’* कहकर किया है जिसका ‘‘अत्यंत तुच्छ मूल्य पर’’ असावधान लोगों ने ‘‘विनिमय‘‘ कर लिया है। *‘‘क़य्यूमुल-अस्मा’’* में बाब ने बहाउल्लाह की पहचान *‘‘सच्चे जोसेफ’’* के रूप में की है और उस दिव्यवाणी की पूर्वघोषणा की है कि ‘‘वह’’ अपने प्रपंची भाई के हाथों सब कुछ सहन कर भी बचे रहेंगे। (देखिये टिप्पणी 190)। इसी तरह शोग़ी एफेन्दी ने भी अब्दुल बहा की उभरती हुई प्रतिभा से उनके सौतेले भाई मिर्ज़ा मुहम्मद अली के हृदय में भर आई प्रबल ईर्ष्‍या की उस विषाक्त ईर्ष्‍या से तुलना की है *‘‘जो जोसेफ की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के कारण उनके भाइयों के दिल में सुलग उठी थी।’’*

***2. हमने शक्ति और क्षमता की अंगुलियों से दिव्य मदिरा का पात्र खोल दिया है/अनु.5***

*‘‘किताब-ए-अक़दस’’* में शराब अथवा अन्य मादक वस्तुओं के प्रयोग का निषेध किया गया है। (अनु. 144 और 170 की टिप्पणियाँ देखें)।

आध्यात्मिक आनन्दातिरेक को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक रूप से उल्लेखित *‘‘मदिरा’’* न केवल बहाउल्लाह के प्रकटीकरण में बल्कि बाइबिल, कुरआन और हिन्दू परम्पराओं में भी वर्णित है।

उदाहरण के लिए *‘‘कुरआन’’* में वचन दिया गया है कि वे, जो सच्चरित्र हैं, उन्हें *‘‘चुनी हुई दिव्य मदिरा’’* का पान करने को दिया जाएगा। अपनी पातियों में बहाउल्लाह ने *‘‘दिव्य मदिरा’’* की तुलना अपने प्रकटीकरण से की है जिसकी *‘‘कस्तूरी सुरभि’’* *‘‘हर रचित वस्तु पर’’* प्रवाहित कर दी गई है। वे कहते हैं कि उन्होंने इस *‘‘मदिरा’’* का *‘‘पात्र खोल दिया है’’*। अर्थात् उन्होंने वे आध्यात्मिक सत्य प्रकट कर दिये हैं जो अब से पहले अज्ञात थे और इसका रसपान करने वालों को *‘‘दिव्य एकता के प्रकाश की आभा पहचानने’’* और *‘‘ईश्वर के ग्रंथों के अंतर्निहित अनिवार्य उद्देश्य को समझने’’* में समर्थ बनाया है।

अपनी एक प्रार्थना में बहाउल्लाह ईश्वर से याचना करते हैं कि वह अपने अनुयायियों को *‘‘उसकी करुणा की विशुद्ध मदिरा’’* प्रदान करे ताकि वे *‘‘तेरे अतिरिक्त अन्य सब कुछ भूल जायें और तेरे धर्म की सेवा के लिए उठ खड़े हों, तेरे प्रति अपने प्रेम में दृढ़ रहें।’’*

***3. हमने तुम्हारे लिए अनिवार्य प्रार्थना का नियम लागू किया है/अनु. 6***

अरबी में प्रार्थना के लिए कई शब्द हैं। यहाँ मूल पांडुलिपि में जो *‘‘स़लात’’* शब्द आया है, वह विशेष प्रकार की प्रार्थनाओं का अर्थ - संकेत देता है, जिन्हें विशेष समय में पाठ करना अनुयायी का आवश्यक कर्त्‍तव्‍य है। इस प्रकार की प्रार्थनाओं और अन्य प्रार्थनाओं में अन्तर दर्शाने के लिए यहाँ *‘‘स़लात’’* शब्द का अनुवाद किया गया है - *‘‘अनिवार्य प्रार्थना।’’*

बहाउल्लाह कहते हैं कि *‘‘ईश्वर की दृष्टि में अनिवार्य प्रार्थना और उपवास की महत्ता बहुत बड़ी है’’* (प्रश्न और उत्तर-93)। अब्दुल बहा इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसी प्रार्थनायें विनम्रता और समर्पण की श्रेणी में आती हैं: *ईश्वर की ओर उन्मुख होना और उसके प्रति श्रद्धा का प्रदर्शन’ करना और इन प्रार्थनाओं के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है, उसके निकट आने की याचना करता है। अपने हृदय के सच्चे प्रियतम से तादात्म्य* *स्थापित करता है और आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त करता है।*

इस श्लोक में निर्दिष्ट अनिवार्य प्रार्थना (देखिये नोट संख्या-9) बाद में बहाउल्लाह द्वारा प्रकटित तीन अनिवार्य प्रार्थनाओं द्वारा बदल दिये गये (प्रश्न और उत्तर-63)। वर्तमान में प्रयुक्त तीन प्रार्थनाओं और उनके पाठ सम्बन्धी निर्देश इस ग्रंथ *‘‘किताब-ए-अक़दस के अनुपूरक अंश’’* नामक खंड में द्रष्टव्य हैं।

*‘‘प्रश्न और उत्तर’’* के अनेक विषय तीन नई अनिवार्य प्रार्थनाओं के सन्दर्भ में हैं। बहाउल्लाह ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तीन में से किसी भी एक अनिवार्य प्रार्थना के पाठ के लिए स्वतंत्र है (प्रश्नोत्तर-65)। अन्य प्रावधानों की व्याख्या प्रश्नोत्तर-66, 67, 81 और 82 में की गई है।

अनिवार्य प्रार्थना सम्बन्धी नियम की व्याख्या *‘‘सार संहिता’’* के खंड 4 अ. 1-17 में की गई है।

***4. नौ रकात/अनु. 6***

रकात का अर्थ है विशेष रूप से प्रकटित श्लोकों का एकाधिक बार घुटने मोड़कर और अन्य प्रकार से अंग-संचालन करते हुए पाठ करना।

बहाउल्लाह द्वारा प्रकटित मूल अनिवार्य प्रार्थना में नौ रकात थे। इस प्रार्थना की रूप-रचना और तत्सम्बन्धी निर्देश अब ज्ञात नहीं क्योंकि यह प्रार्थना खो चुकी है। (देखें टिप्पणी-9)

वर्तमान में लागू अनिवार्य प्रार्थनाओं पर टिप्पणी करते हुए अब्दुल बहा यह संकेत करते हैं कि *‘‘अनिवार्य प्रार्थना के प्रत्येक शब्द और संचालन में ऐसे सन्दर्भ, रहस्य और विवेक निहित हैं, जिन्हें मनुष्य समझ नहीं सकता तथा जो अक्षरों और पन्नों में समा नहीं सकते।’’*

शोग़ी एफेन्दी कहते हैं कि कुछ विशेष प्रार्थनाओं के लिए बहाउल्लाह द्वारा दिए गए सामान्य मार्गनिर्देश न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं बल्कि वे *‘‘प्रार्थना और चिन्तन के क्रम में पूरा ध्यान लगाने’’* में भी व्यक्ति की सहायता करते हैं।

***5. दोपहर, प्रातः तथा संध्याकाल/अनु. 6***

*‘‘प्रातः’’, ‘‘दोपहर’ तथा ‘‘संध्याकाल’’* , को परिभाषित करते हुए बहाउल्लाह ने कहा है कि ये समय क्रमशः *‘‘सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त’’* से सम्बन्धित हैं। (प्रश्नोत्तर 83)। वे विशेष रूप से कहते हैं कि *‘‘अनिवार्य प्रार्थनाओं का आज्ञापित समय है - प्रातःकाल से दोपहर तक, दोपहर से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से दो घंटे बाद तक।’’* पुनः अब्दुल बहा ने कहा है कि सुबह की अनिवार्य प्रार्थना शीघ्रातिशीघ्र प्रभातकाल में की जाए।

*‘‘दोपहर’’* की परिभाषा, *‘‘दोपहर से सूर्यास्त तक’’* लघु और मध्यम दोनों ही अनिवार्य प्रार्थनाओं पर, लागू होती है।

***6. हमने तुम्हें इससे अधिक संख्या से छूट दी है/अनु. 6***

बाबी और इस्लामी धर्मकालों में *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* के नौ रकातों वाली अनिवार्य प्रार्थना की तुलना में पाठ सम्बन्धी ज्यादा विधि-विधान थे। (देखें टिप्पणी-4)

*‘‘बयान’’* में बाब ने उन्नीस रकातों वाली अनिवार्य प्रार्थना दी थी, जिसका पाठ आज के दोपहर से लेकर अगले दिन के दोपहर के बीच एक बार करना था।

मुसलमानों की प्रार्थनाएँ दिन भर में पाँच बार पढ़ी जाती हैं - सुबह, दोपहर, तीसरे प्रहर, संध्याकाल और रात्रि में। प्रत्येक बार के पाठ में रकातों की संख्या भिन्न होती है और पूरे दिन की अवधि में ऐसी सत्रह रकात होती हैं।

***7. जब तुम्हें यह प्रार्थना करने की इच्छा हो, स्वयं को ‘‘मेरी सर्वाधिक पावन उपस्थिति के दरबार’ की ओर उन्मुख कर लो, उस ‘‘पवित्र स्थल’’ की ओर जिसे ईश्वर ने ‘‘अनन्तकाल के नगरों’ के निवासियों का ‘‘उपासना बिन्दु’ निर्धारित किया है/अनु. 6***

*‘‘उपासना बिन्दु’’*, अर्थात् वह बिन्दु जिस ओर उन्मुख होकर अनिवार्य प्रार्थना की जानी चाहिए, *‘‘किब्ला’’* कहलाता है। *‘‘किब्ले’’* की अवधारणा प्राचीन धर्मों में भी है। बहुत पहले यह ‘‘उपासना बिन्दु’’ जेरूसलम था। मुहम्मद साहब ने उसे बदलकर मक्का कर दिया। तदुपरान्त अरबी ‘‘बयान’’ में बाब ने यह निर्देश दिया:

*‘‘किब्ला‘ वस्तुतः ‘‘वह’’ है ‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’, उसके स्थान बदलने के साथ ही किब्ले का भी स्थान परिवर्तित हो जाता है जब तक कि ‘‘वह’ विराम के लिए ठहर नहीं जाता।’’*

बहाउल्लाह ने यह अंश *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* में उद्धृत किया है (अनुच्छेद 137) और उपरोक्त श्लोक में उसका अनुमोदन किया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि *‘‘किब्ले’’* की ओर उन्मुख होना *‘‘अनिवार्य प्रार्थना के पाठ की निर्धारित आवश्यकता’’* है (प्रश्नोत्तर-14 तथा 67)। तथापि अन्य प्रार्थनाओं और उपासना के समय व्यक्ति जिस दिशा में चाहे उधर उन्मुख हो सकता है।

***8. और जब सत्य तथा वाणी का सूर्य अस्त हो जाए, तब तू अपना मुख हमारे द्वारा निर्दिष्ट उसी स्थल की ओर कर/अनु. 6***

अपने स्वार्गारोहण के बाद बहाउल्लाह ने अपने चिरविश्राम की स्थली को *‘‘किब्ला’’* निर्धारित किया है। यह *‘‘परम पवित्र समाधि’’* बहजी, अक्का, में है। अब्दुल बहा ने उस ‘‘स्थल’’ का वर्णन *‘‘प्रदीप्त समाधि’’* तथा वह स्थान कह कर किया है, *‘‘जिसके चारों ओर सर्वोच्च लोक के देवदूत परिक्रमा करते हैं।’’*

शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में *‘‘किब्ले’’* की ओर उन्मुख होने के आध्यात्मिक महत्व की व्याख्या सूर्यमुखी पौधे के दृष्टांत से की गई है:

.....जैसे एक पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर उन्मुख होता है, जिससे वह जीवन और विकास प्राप्त करता है, वैसे ही जब हम प्रार्थना करें तब ईश्वरीय अवतार बहाउल्लाह की ओर उन्मुख हों। हम अपने अंदर के भावों के प्रतीकस्वरूप अपना मुख उधर करते हैं जिधर इस धरती पर *‘‘उसकी’’* धूल समाहित है।

***9. हमने अनिवार्य प्रार्थना की विस्तृत व्याख्या एक अन्य पाती में की है/अनु. 8***

*‘‘विवेकसम्मत कारणों से’’* बहाउल्लाह ने मूल अनिवार्य प्रार्थना एक अलग पाती में प्रकट की थी (प्रश्नोत्तर-63)। उनके जीवनकाल में वह अनुयायियों को भेजी नहीं गई थी, क्योंकि उसका स्थान उन तीन अनिवार्य प्रार्थनाओं ने ले लिया जो अभी प्रयोग में हैं।

बहाउल्लाह के निधन के बाद ही अन्य कई पातियों के साथ इस प्रार्थना को भी संविदाभंजकों में से मुहम्मद अली ने चुरा लिया।

***10. दिवंगतों के लिए प्रार्थना/अनु. 8***

दिवंगतों के लिए प्रार्थना (देखिए *‘‘किताब-ए-अक़दस के कुछ अनुपूरक पाठ’’*) वह एकमात्र अनिवार्य बहाई प्रार्थना है जिसका पाठ समूह में किया जा सकता है। इसका पाठ एक अनुयायी द्वारा किया जाता है और अन्य लोग शांत भाव से खड़े रहते हैं (देखिए टिप्पणी-19)। बहाउल्लाह ने स्पष्ट किया है कि दिवंगतों के लिए प्रार्थना की आवश्यकता सिर्फ तब है जबकि मृतक वयस्क रहा हो (प्रश्नोत्तर-70), इस प्रार्थना का पाठ मृतक के शव को भूमिगत करने से पूर्व किया जाए और इस प्रार्थना का पाठ करते समय *‘‘किब्ले’’* की ओर उन्मुख होने की आवश्यकता नहीं है (प्रश्नोत्तर-85)।

दिवंगतों के लिये प्रार्थना के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत बातों का सारांश *‘‘सार संहिता’’* के खंड 4. अ. 13-14 में है।

***11. ‘‘श्लोकों के प्रकटकर्ता’’ परमेश्वर ने छह विशेष अंश प्रकट किए हैं/अनु. 8***

वे अंश जो *‘‘दिवंगतों के लिये प्रार्थना’’* के खंड हैं, उनमें छह बार *‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’’* (ईश्वर सर्वगरिमामय है) की आवृत्ति है और प्रत्येक आवृत्ति के बाद छह विशेष रूप से प्रकटित श्लोकों में से एक-एक श्लोक को उन्नीस बार दोहराया जाता है। ये श्लोक उन श्लोकों के समान हैं, जिन्हें दिव्यात्मा बाब ने *‘‘बयान’’* में दिवंगतों के लिए प्रार्थना के अंतर्गत प्रकट किया है। बहाउल्लाह ने इन अंशों से पहले एक विनयसूचक याचना जोड़ दी है।

***12. बाल अथवा अन्य कोई भी प्राणहीन वस्तु, जैसे हड्डी इत्यादि, तुम्हारी प्रार्थना को अपवित्र नहीं करती। तुम्हें ऊदविलाव, गिलहरी, नेवले इत्यादि के फर से बने वस्त्रादि पहनने की स्वतंत्रता है/अनु. 9***

कतिपय प्राचीन अवतार-कालों में कुछ विशेष जन्तुओं के बाल से बने वस्त्र या कुछ विशेष वस्तुओं को धारण करना प्रार्थना को अपवित्र करने वाला समझा जाता था। बहाउल्लाह अरबी ‘‘बयान’’ में बाब द्वारा की गई इस घोषणा का अनुमोदन करते हैं कि ऐसी वस्तुओं से प्रार्थना अपवित्र नहीं होती।

***13. हमने तुम्हें आदेश दिया है कि वयस्कता प्राप्त होते ही तुम्हें प्रार्थना और उपवास प्रारम्भ करना चाहिए/अनु. 10***

*‘‘धार्मिक क्रियाकलापों के प्रसंग में परिपक्वता की आयु’’* बहाउल्लाह ने *‘‘स्त्री-पुरुष दोनों के लिए पन्द्रह वर्ष’’* निर्धारित की है (प्रश्नोत्तर-20) उपवास की अवधि के विस्तृत ज्ञान के लिए देखिए टिप्पणी-25।

***14. जो बीमारी अथवा बुढ़ापे के कारण कमजोर हैं, उन्हें प्रभु ने इससे मुक्त किया है/अनु. 10***

जो बीमारी अथवा वृद्धावस्था के कारण कमजोर हैं उन्हें अनिवार्य प्रार्थनाओं और उपवास करने की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। इस सम्बन्ध में *‘‘प्रश्न और उत्तर’’* खंड में विस्तृत बातें कही गई हैं। बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि *‘‘अस्वस्थता की दशा में इन अनिवार्यताओं के पालन की अनुमति नहीं है’’* (प्रश्नोत्तर-93)। इस प्रसंग में वह वृद्धावस्था का निर्धारण सत्तरवें वर्ष से करते है। (प्रश्न और उत्तर-74)। एक प्रश्न के उत्तर में शोग़ी एफेन्दी ने स्पष्ट किया है कि सत्तर वर्ष की आयु के व्यक्ति, चाहे वे दुर्बल हों अथवा नहीं, उपवास से मुक्त किए गए हैं।

कुछ और विशेष श्रेणी के लोगों को उपवास न करने की छूट दी गई है, जिनका उल्लेख *‘‘सार-संहिता’’* के खंड 4 ‘ब’ और 5 में है। विशेष ज्ञान के लिए देखिए टिप्पणियाँ 20, 30, और 31 ।

***15. ईश्वर ने यह तुम पर छोड़ दिया है कि तुम किसी भी साफ-सुथरे स्थान पर धरती पर अपना मस्तक टिकाओ क्योंकि इस विषय में पवित्र पुस्तक में दी गई सीमाएँ हमने हटा ली हैं/अनु. 10***

प्राचीन धर्मकालों में प्रार्थना के साथ धरती पर मस्तक टिकाने की क्रिया अक्सर शामिल की गई थी। अरबी *‘‘बयान’’* में बाब ने अनुयायियों को निर्देश दिया कि धरती पर मस्तक टिकाते समय वे अपने ललाट से स्फटिक पत्थर से बने धरातल को छुएँ। इसी तरह इस्लाम में भी मुसलमानों के धरती पर मस्तक टिकाने वाले धरातल के सम्बन्ध में कई सीमाएँ बाँध दी गई हैं। बहाउल्लाह ने ऐसी सीमाओं को समाप्त कर दिया है और बस इतना ही निर्देश दिया है कि *‘‘कोई भी धरातल जो स्वच्छ हो।’’*

***16. वह जिसे प्रक्षालन के लिए पानी उपलब्ध न हो, पाँच बार इन शब्दों को दुहराए: ‘‘ईश्वर के नाम से, जो परम पावन, परम पावन है’’ और तब वह आराधना करे/ अनु. 10***

अनुयायी प्रक्षालन इसलिए करता है कि वह अनिवार्य प्रार्थना का पाठ करने की तैयारी कर ले। इसके अंतर्गत हाथ और मुख धोने की प्रक्रिया आती है। यदि पानी उपलब्ध न हो तो विशेष रूप से प्रकट किए गए श्लोकों को पाँच बार दुहरा लेने की आज्ञा है। प्रक्षालन के विषय में सामान्य निर्देश के लिए देखिए टिप्पणी-34। पानी उपलब्ध न होने पर प्राचीन धर्मकालों में वैकल्पिक प्रक्रिया जो अपनाई जाती थी, उसके उदाहरण कुरआन और बयान में हैं।

***17. ऐसे भू-भागों में जहाँ दिन और रात की अवधि लम्बी होती है, वहाँ प्रार्थना के समय का निर्धारण घड़ियों तथा समयमापी अन्य यंत्रों से किया जाए/अनु. 10***

निर्देश उन भौगोलिक क्षेत्रों की ओर है जो सुदूर उत्तर या दक्षिण धु्रव में स्थित हैं, जहाँ दिन और रात की अवधि में व्यापक अन्तर होता है। (प्रश्नोत्तर 64 तथा 103) यही नियम उपवास पर भी लागू होता है।

***18. हमने तुम्हें संकेतों की प्रार्थना करने के दायित्व से छुटकारा दिया है/अनु. 11***

संकेतों की प्रार्थना मुसलमानों की एक विशेष प्रकार की अनिवार्य प्रार्थना है, जिसे भूकम्प, ग्रहण तथा ऐसी ही अन्य प्राकृतिक घटनाओं के होने पर करने का आदेश था, अर्थात् ऐसी घटनाओं के घट जाने पर जिनसे भय उत्पन्न होता था और जो ईश्वरीय शक्ति के संकेत समझे जाते थे। इस प्रार्थना के पाठ की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर कोई बहाई यह कह सकता है: *‘‘साम्राज्य ईश्वर का है, वह जो स्वामी है दृश्य और अदृश्य का, प्रभु है जो सृष्टि का।’’* परन्तु यह अनिवार्य नहीं है। (प्रश्नोत्तर-52)

***19. दिवंगतों के लिए की जाने वाली प्रार्थना को छोड़कर सामूहिक प्रार्थना का विधान हटा लिया गया है/अनु. 12***

औपचारिक अनिवार्य प्रार्थना के रूप में सामूहिक प्रार्थना का पाठ बहाई काल में समाप्त कर दिया गया है। ऐसी प्रार्थनाओं का कुछ विशेष कर्मकांडों के साथ पाठ करने की परम्परा इस्लाम में है जबकि प्रत्येक शुक्रवार को मस्जिद में इमाम द्वारा प्रार्थना की जाती है और शेष लोग अनुसरण करते हैं। बहाई विधान में एकमात्र दिवंगतों के लिए की जाने वाली प्रार्थना ही सामूहिक प्रार्थना है (देखें टिप्पणी-10)। इसका पाठ भी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है और शेष लोग शांत भाव से खड़े रहते हैं। पाठ करने वाले का कोई अलग स्थान नहीं है। समूह को ‘‘किब्ले’’ की ओर मुख करने की आवश्यकता नहीं है। (प्रश्नोत्तर-85)

तीन दैनिक अनिवार्य प्रार्थनाओं का पाठ हर अनुयायी स्वयं करता है; ये समूह में पढ़ी जाने वाली प्रार्थनाएँ नहीं हैं।

अन्य अनेक बहाई प्रार्थनाओं के पाठ के सम्बन्ध में कोई निर्धारित बहाई पद्धति नहीं है और लोग स्वतंत्र हैं कि इन प्रार्थनाओं को वे व्यक्तिगत रूप से करें या सामूहिक रूप से। इस सम्बन्ध में शोग़ी एफेन्दी ने कहा है कि:

*‘‘...हालाँकि इस तरह मित्रों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, किन्तु उन्हें यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति कहीं इतनी कठोर न हो जाए कि वह एक संस्था का रूप ग्रहण कर ले। अगर वे बहाई शिक्षाओं के सरल मार्ग से विचलित नहीं होना चाहते तो उन्हें इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए।’’*

***20. ईश्वर ने ऋतुवती नारियों को अनिवार्य प्रार्थना और उपवास से छूट दी है/अनु.13***

ऋतुवती स्त्रियों को अनिवार्य प्रार्थना और उपवास से छूट दी गई है। इसके स्थान पर उन्हें *‘‘प्रक्षालन’’* (देखिए टिप्पणी-34) और एक दोपहर से दूसरे दोपहर के बीच 95 बार इस श्लोक का पाठ करना चाहिए: *‘‘आभा और सौन्दर्य के स्वामी ईश्वर का गुणगान हो।’’* इस प्रावधान का उल्लेख अरबी ‘‘बयान’’ में भी किया गया है।

कुछ प्राचीन धर्मकालों में ऋतुवती स्त्रियों को धार्मिक क्रियाओं के लिए अशुद्ध समझा गया था और उनके लिए प्रार्थना और उपवास करने का निषेध था। बहाउल्लाह ने धार्मिक क्रियाओं के लिए इस अशुद्धता की धारणा को समाप्त कर दिया है। (देखिए टिप्पणी-106)।

विश्व न्याय मन्दिर ने स्पष्ट किया है कि विशेष अनिवार्यताओं और उत्तरदायित्वों से छूट दिए जाने का प्रावधान, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ‘‘छूट’’ है न कि *‘‘निषेध’’*। अतः अनुयायी (स्त्री या पुरुष) स्वतंत्र है कि वह उस छूट का लाभ उठाए या न उठाए। तथापि, विश्व न्याय मन्दिर का परामर्श यह है कि ऐसा करते समय उन्हें विवेक का प्रयोग करना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि बहाउल्लाह ने यह छूट समुचित कारण से दी है।

अनिवार्य प्रार्थना के सम्बन्ध में दी गई छूट हालाँकि नौ *‘‘रकाह’’* वाली पूर्ववर्ती अनिवार्य प्रार्थना के सम्बन्ध में थी किन्तु अब यह वर्तमान अनिवार्य प्रार्थनाओं से सम्बन्धित है।

***21. यात्रा करते समय यदि तुम किसी सुरक्षित स्थान पर ठहरो या विश्राम करो तो तुम, स्त्री या पुरुष समान रूप से, छूट गई प्रत्येक अनिवार्य प्रार्थना की जगह एक बार धरती पर अपना मस्तक टिकाओ.../अनु. 14***

अनिवार्य प्रार्थना न करने की छूट उन्हें दी गई है जो स्वयं को ऐसी असुरक्षित स्थिति से घिरे हुए पा रहे हैं कि अनिवार्य प्रार्थना का पाठ करना सम्भव नहीं है। यह छूट दोनों ही स्थितियों में लागू है-यात्रा के दौरान और घर पर भी।

उपरोक्त स्थिति में, धरती पर अपना मस्तक टिकाना वह विधि है जिसके द्वारा असुरक्षा की दशा में छूट गई अनिवार्य प्रार्थनाओं की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है।

बहाउल्लाह ने यह स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्ति किसी *‘‘सुरक्षित स्थान’’* पर रुके तो *‘‘यात्रा की अवधि में इससे छूट नहीं दी गई है।’’* (प्रश्नोत्तर-58)

प्रश्नोत्तर संख्या 21, 58, 59, 60 और 61 में इस प्रावधान की विस्तृत व्याख्या है।

***22. .....और तब पालथी लगाकर बैठो !/अनु. 14***

अरबी भाषा के शब्द *‘‘हैकलुत्‍तौहीद’’* का अनुवाद यहाँ *‘‘पालथी लगाकर बैठना’’* किया गया है। पालथी की मुद्रा *‘‘एकता की आसन-मुद्रा’’* है और बैठने का एक पारम्परिक ढंग है।

***23. ईश्वर ने मेरे निगूढ़ प्रेम को ख़ज़ाने की कुंजी बनाया है/अनु. 15***

ईश्वर और सृष्टि के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध इस्लामी मान्यता इस तरह है:

*‘‘मैं एक छिपा हुआ ख़ज़ाना था। मैंने इच्छा की कि मैं जाना जाऊँ, इस प्रकार मैंने सृष्टि का सृजन किया ताकि मैं ज्ञात हो जाऊँ।‘’*

बहाई लेखों में इस मान्यता की ओर कई बार संकेत किया गया है। उदाहरण के लिए, अपनी एक प्रार्थना में बहाउल्लाह ने यह वाणी प्रकट की है:

*‘गुणगान हो तेरे नाम का, हे प्रभु, मेरे परमेश्वर ! ‘‘मैं साक्षी देता हूँ कि तू अपने स्मरणातीत अस्तित्व के आवरण में ढका हुआ एक छिपा ‘ख़ज़ाना’ और अपने ही सार-तत्व में निबद्ध एक अभेद्य ‘रहस्य’ था। स्वयं को प्रकट करने की इच्छा से तूने ‘बृहत’ और ‘लघु’ लोकों की रचना की, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में मनुष्य का चयन किया और, हे हमारे प्रभु, हे परम करुणामय ! तूने उसे दोनों लोकों का प्रतीक बनाया।*

*अपनी सृष्टि के सभी जीवों से पहले तूने उसे ही अपने सिंहासन के अधिकारी के रुप में सिरजा। तूने उसे इस योग्य बनाया कि वह तेरे रहस्यों को उद्घाटित कर सके, तेरी प्रेरणा और तेरे ‘‘प्रकटीकरण’’ की ज्योति से विभासित हो सके और तेरे नामों तथा गुणों को प्रकट कर सके। हे अपने ही रचित विश्व के सर्वोच्च शासक! उससे ही तूने अपने सृष्टि रुपी ग्रंथ की भूमिका अलंकृत की है।‘‘*

(प्रार्थना और ध्यान: बहाउल्लाह-38)

इसी प्रकार, वह *‘‘निगूढ़ वचन’’* में स्पष्ट करते हैं:

*‘‘हे मनुष्य के पुत्र ! तेरा सृजन मुझे प्रिय था, इसीलिए मैंने तेरी रचना की। अतः, ‘तू मुझसे प्रेम कर ताकि मैं तेरे नाम की चर्चा कर सकूँ और तेरी आत्मा को जीवन की चेतना से भर सकूँ।’’*

उपरोक्त मान्यता की व्याख्या करते हुए अब्दुल बहा ने लिखा है:

*हे प्रियतम के मार्ग के राही ! तू यह जान ले कि इस पवित्र मान्यता का मुख्य उद्देश्य ‘‘सत्य के मूर्तिमान स्वरूपों’ में, जो कि उसके सर्वमहिमामय अस्तित्व के ‘उदयस्थल’ हैं, ईश्वर की निगूढ़ता और उसके प्राकट्य की अवस्थाओं का उल्लेख करना है। उदाहरण के लिए, अमर्त्‍य ‘अग्नि’ की लपट जलाए और प्रकट किए जाने से पहले भी स्वयं द्वारा स्वयं में ही विश्वव्यापी ‘प्रकटावतारों’ के निगूढ़ परिचय में विद्यमान है और यही ‘छिपे हुए खजाने’ की अवस्था है और जब ‘आशीर्वादित-वृक्ष’ स्वयं में ही स्वयं द्वारा प्रज्‍वलित होता है और जब ‘दिव्य अग्नि’ अपने ही सार-तत्व से अपने ही भीतर दहक उठती है तो यह वह अवस्था होती है जब ‘मैंने इच्छा की कि मैं जाना जाऊँ।’ और जब यह अग्नि संभाव्य और स्थानशून्य लोकों पर ब्रह्माण्ड के ‘क्षितिज’ के ऊपर अनन्त ‘दिव्य नामों’ और ‘गुणों’ के साथ प्रकाशित होती है तब एक नई विलक्षण सृष्टि का अभ्युदय होता है जो, ‘इस प्रकार मैंने सृष्टि का सृजन किया’ की अवस्था है। और जब पावन आत्माएँ समस्त पार्थिव मोह-माया और बन्धन के पर्दे फाड़ डालती हैं, ‘दिव्य उपस्थिति’ को निहारने की अवस्था की ओर शीघ्रता से चल पड़ती हैं, जब उन्हें ‘प्रकटावतार’ को पहचानने का गौरव प्राप्त होता है और जब वे अपने हृदय में ईश्वर के ‘सर्वमहान चिह्न की आभा के साक्ष्य बन जाती हैं तब कहीं जाकर सृष्टि का उद्देश्य, जो है उस ‘अनन्त सत्य’ प्रभु का ज्ञान प्राप्त करना, प्रकट होता है।*

***24. हे सर्वोच्च की महालेखनी/अनु. 16***

*‘‘सर्वोच्च की महालेखनी’’*, *‘‘सर्वश्रेष्ठ लेखनी’’* तथा *‘‘परम उदात्त लेखनी’’* बहाउल्लाह की उपाधियाँ हैं और वे *‘‘ईश्वरीय वाणी के प्रकटकर्ता’’* के रूप में उनके कार्य की ओर संकेत देती हैं।

***25. हमने कम अवधि के लिए तुम्हें उपवास करने का आदेश दिया है/अनु.16***

उपवास और अनिवार्य प्रार्थना बहाउल्लाह द्वारा प्रकट किए गए विधानों के दो स्तम्भ हैं। अपनी एक पाती में बहाउल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अनिवार्य प्रार्थना और उपवास के नियम इसलिए प्रकट किए हैं कि उनके अनुयायी ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकें।

शोग़ी एफेन्दी यह संकेत देते हैं कि उपवास की अवधि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन और जल ग्रहण नहीं किया जाता:

*अनिवार्यतः प्रार्थना और ध्यान की अवधि है और प्रभुधर्म के अनुयायियों को चाहिए कि इस अवधि में वे अपने आंतरिक जीवन में आवश्यक सामंजस्य करें और अपनी आत्मा में निहित आध्यात्मिक शक्तियों को नई ऊर्जा से भर दें। अतः इसका महत्व और उद्देश्य मूलतः आध्यात्मिक है। उपवास एक प्रतीक है जो स्मरण दिलाता है कि हमें स्वार्थ और विषय-वासना से बचना चाहिए।*

कोई भी बहाई जो 15 वर्ष की आयु का हो चुका है, उस पर उपवास का नियम तब तक लागू है जब तक वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।

उपवास सम्बन्धी विधान और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों को उपवास न करने की छूट दिए जाने सम्बन्धी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख *‘‘सार संहिता’’* की खंड संख्या-IV ब. 5 तथा टिप्पणी सं. 14, 20, 30, 31 में है।

उन्नीस दिनों के उपवास की अवधि के साथ ही *‘‘अला’’* (उच्चता) नामक बहाई माह प्रारम्भ होता है जो सामान्यतः 2 से 20 मार्च के बीच अधिदिवसों की समाप्ति के ठीक बाद पड़ता है। (देखिए टिप्पणी-27) और इसके तुरन्त बाद आता है नवरूज़ का सहभोज। (देखिए टिप्पणी-26)।[[24]](#footnote-24)

***26. और इसके अंत में तुम्हारे लिए नवरूज़ का सहभोज निर्धारित किया है/अनु.16।***

दिव्यात्मा बाब ने एक नया पंचांग (कैलेंडर) दिया जिसे बदी या बहाई पंचांग के नाम से जाना जाता है। (देखिए टिप्पणी 27 और 147)। इस पंचांग के अनुसार, एक दिन का अर्थ है एक सूर्यास्त से दूसरे सूर्यास्त के बीच की अवधि। *‘‘बयान’’*, में बाब ने *‘‘अला’’* महीने को उपवास का मास निर्धारित किया, आदेश दिया कि इस अवधि की समाप्ति नवरूज़ के दिन हो और नवरूज़ को *‘‘ईश्वर का दिन’’* बतलाया। बहाउल्लाह बदी पंचांग की पुष्टि करते हैं जिसमें नवरूज़ को सहभोज दिवस के रूप में नियत किया गया है।

नवरूज नए वर्ष का पहला दिन है। यह सामान्यतः 21 मार्च को पड़ता है जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसन्त-सम्पात् का दिन होता है। बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि यह सहभोज-दिवस उसी दिन मनाए जाए जब सूर्य मेष राशि (अर्थात् बसन्त-सम्पात) में प्रवेश करे, भले ही यह प्रवेश सूर्यास्त से एक मिनट पूर्व ही क्यों न हो (प्रश्नोत्तर 35)। इस प्रकार, नवरूज़ सम्पात के समय पर निर्भर है और 20, 21, या 22 मार्च में से किसी भी एक दिन पड़ सकता है।

बहाउल्लाह ने अनेक विधानों की विस्तृत व्याख्या का अधिकार विश्व न्याय मन्दिर को प्रदान किया है। बहाई पंचांग से सम्बन्धित कई विषय भी इनमें शामिल हैं। धर्मसंरक्षक ने कहा है कि नवरूज़ के समय-निर्धारण सम्बन्धी नियम के लिए यह आवश्यक होगा कि पृथ्वी का एक विशेष स्थल सुनिश्चित किया जाए जिससे कि बसन्त-सम्पात का मानक समय निश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि ऐसे स्थल के चयन का निर्णय विश्व न्याय मन्दिर पर छोड़ दिया गया है।[[25]](#footnote-25)

***27. ‘‘अधिदिवस’’ उपवास के महीने के पहले रखे जाएँ/अनु. 16***

बदी पंचांग 365 दिनों, 5 घंटों और 50 विषम मिनटों के सौर वर्ष पर आधारित है। वर्ष में 19 दिवसों के 19 महीने (कुल 361 दिन) होते हैं और अंत में चार दिन (तथा अधिवर्ष में 5 दिन) जोड़ दिए जाते हैं। अपने नये पंचांग में बाब ने *‘‘अधिदिवस’’* के लिए किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया है। किताब-ए-अक़दस में इस प्रश्न का समाधान यह कहकर किया गया है कि *‘‘अतिरिक्त’’* दिनों को *‘‘अला’’* महीने से ठीक पहले जोड़ा जाए, जो कि उपवास का समय है। विस्तृत व्याख्या के लिए *‘‘दि बहाई वर्ल्‍ड’’*, खंड 18 के बहाई पंचांग सम्बन्धी अध्याय को देखें।

***28. हमने निर्धारित किया है कि ये दिवस.... ‘‘हा’’ अक्षर के प्रकटीकरण होंगे/अनु.16***

*‘‘अधिदिवस’’* को अय्याम-ए-हा (हा के दिवस) नाम से जाना जाता है। ‘‘हा’’ अक्षर से सम्बंद्ध बतलाकर *‘‘अधिदिवस’’* को विशेषता प्रदान की गई है। इस अरबी संख्या का मूल्यांक है पाँच जो कि *‘‘अधिदिवस’’* की अधिकतम संख्या का सूचक है।

पवित्र लेखों में *‘‘हा’’* अक्षर के कई आध्यात्मिक अर्थ हैं जिनमें से एक है *‘‘ईश्वर का सारतत्व’’*।

***29. इस आत्म-संयमकाल से पहले आने वाले दान के दिन/अनु. 16***

बहाउल्लाह ने कहा है कि उनके अनुयायियों का कर्त्‍तव्‍य है कि इन दिनों में वे भोज दें, आनन्द मनाएँ और परोपकार के कार्य करें। शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में व्याख्या की गई है कि *‘‘अधिदिवस विशेष रूप से अतिथि-सत्कार करने, दान देने इत्यादि कार्यों के लिए सुनिश्चित किए गए हैं।’’*

***30. यात्रा करने वाले.... इस नियम से मुक्त रखे गऐ हैं/अनु. 16***

यात्रा की वह न्यूनतम अवधि जिसके दौरान अनुयायी को उपवास न करने की छूट दी गई है, बहाउल्लाह द्वारा स्पष्ट कर दी गई है (देखें प्रश्नोत्तर 22 और 75)। इस प्रावधान का विस्तृत उल्लेख ‘‘सार संहिता’’ के खंड 4, ब, 5. अ. 1. क में है।

शोग़ी एफेन्दी ने स्पष्ट किया है कि हालाँकि यात्रियों को उपवास न करने की छूट है, तथापि, यदि वे चाहें तो उपवास रख सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि छूट यात्रा की सम्पूर्ण अवधि के लिए है न कि केवल उन घंटों के लिए जब व्यक्ति कार या ट्रेन आदि में है।

***31. यात्रा करने वाले, बीमार तथा वे औरतें जो बच्चों के साथ हैं या स्तनपान कराती हैं, उन्हें अपनी करुणा के संकेतस्वरूप परमात्मा ने इस नियम से मुक्त रखा है/अनु. 16***

उपवास न करने की छूट उन्हें दी गई है जो बीमार हैं या अधिक आयु के हैं (देखिए टिप्पणी-14), ऋतुवती नारी हैं (देखिए टिप्पणी-20), यात्री हैं (देखिए टिप्पणी 30) और गर्भवती तथा बच्चों को स्तनपान कराने वाली हैं। यह छूट उन्हें भी दी गई है जो कड़ी मेहनत के काम करते हैं, हालाँकि उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि *‘‘ईश्वर के विधान और उपवास की महत्ता के प्रति आस्था प्रकट करने के लिए वे अल्पाहार लें और एकान्त में भोजन करें’’* (प्रश्नोत्तर 76)। शोग़ी एफेन्दी ने संकेत दिया है कि किन कार्यों के लिए उपवास से छूट दी जाएगी उनका निर्धारण विश्व न्याय मंदिर करेगा।

***32. सूर्योदय से सूर्यास्त तक खान-पान से परहेज करें/अनु. 17***

यह आज्ञा उपवास की अवधि से सम्बन्धित है। अपनी एक पाती में यह कहने के बाद कि उपवास का अर्थ खान-पान से परहेज करना है, अब्दुल बहा यह भी संकेत देते हैं कि धूम्रपान भी एक प्रकार का *‘‘पान’’* करना है। अरबी में *‘‘पान करने’’* की क्रिया धूम्रपान के लिए भी प्रयुक्त होती है।

***33. ऐसा आदेश दिया गया है कि ईश्वर में विश्वास करने वाला प्रत्येक अनुयायी प्रति दिन..... पंचानवे बार ‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा का पाठ करेगा/अनु. 18***

‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’’ एक अरबी शब्दावली है जिसका अर्थ है *‘‘ईश्वर सर्वमहिमामय है।’’* यह एक प्रकार से *‘‘ईश्वर का सर्वोच्च नाम’’* है (देखें टिप्पणी-137)। इस्लाम धर्म में एक मान्यता है कि ईश्वर के कई नामों में से एक ‘‘सर्वोच्च’’ नाम है, किन्तु इस ‘‘सर्वोच्च नाम’’ का परिचय निगूढ़ था। बहाउल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि ‘‘सर्वोच्च नाम’’ है ‘‘बहा’’।

*‘‘बहा’’* शब्द की कई व्युत्पत्तियाँ हैं और वे भी *‘‘सर्वोच्च नाम’’* समझी जाती हैं। शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखते हुए उनके सचिव ने व्याख्या की है कि *‘‘सर्वोच्च नाम’’* का अर्थ है बहाउल्लाह का नाम। *‘‘या बहा-उल-अब्हा’’* एक आह्वान है जिसका अर्थ है: ‘‘हे, तू महिमाओं की महिमा’’! ‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’’ एक विनम्र अभिवादन है जिसका अर्थ है ‘‘ईश्वर सर्वमहिमामय है।’’ दोनों बहाउल्लाह की ओर संकेत करते हैं। ‘‘सर्वोच्च नाम’’ से यह अर्थ निकलता है कि बहाउल्लाह ईश्वर के ‘‘सर्वोच्च नाम’’ के रूप में प्रकट हुए हैं अर्थात् वे ईश्वर के ‘‘सर्वोच्च अवतार’’ हैं।

‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’’ नामक अभिवादन तब से प्रयोग में लाया जाने लगा जब बहाउल्लाह एड्रियानोपल में निर्वासित किए गए थे।

पंचानवे बार ‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’’ का पाठ करने से पहले प्रक्षालन कर लेना चाहिए (देखिए टिप्पणी-34)।

***34. अनिवार्य प्रार्थना के लिए ‘‘प्रक्षालन’’ करो/अनु. 18***

प्रक्षालन का सम्बन्ध विशेष प्रार्थनाओं से है। तीन अनिवार्य प्रार्थनाओं, अल्लाह-ओ-अब्हा के 95 बार पाठ और छूट गई अनिवार्य प्रार्थना तथा ऋतुवती नारियों द्वारा उपवास न करने के स्थान पर पढ़े जाने वाले श्लोक से पूर्व प्रक्षालन आवश्यक है। (देखिए टिप्पणी 20)

प्रक्षालन का अर्थ है हाथ और मुख को धो लेना। यह प्रार्थना की पूर्व तैयारी है। मध्यम अनिवार्य प्रार्थना के प्रसंग में, प्रक्षालन के साथ कुछ श्लोकों का पाठ भी जुड़ जाता है। (देखिए बहाउल्लाह द्वारा प्रकट *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* का अनुपूरक पाठ)

प्रक्षालन की महत्ता केवल हाथ-मुँह धोने से कहीं अधिक इस अर्थ में है कि अनिवार्य प्रार्थना के पाठ के पहले अगर किसी ने स्नान भी कर लिया है तब भी प्रक्षालन आवश्यक है। (प्रश्नोत्तर-18)

जब प्रक्षालन के लिए जल उपलब्ध न हो तो एक निर्धारित श्लोक को पाँच बार कहा जाये (देखें टिप्पणी 16) और यह प्रावधान उनके लिए भी है, जिनके लिए पानी का इस्तेमाल शारीरिक रूप से हानिकारक हो। (प्रश्नोत्तर-51)

प्रक्षालन से सम्बन्धित विधान के विस्तृत प्रावधान सार-संहिता के खंड 4 अ 10 अ-ल तथा प्रश्नोत्तर संख्या 51, 62, 66, 77 और 86 में भी दिये गये हैं।

***35. तुम्हें हत्या....... करने से मना किया गया है/अनु. 19***

दूसरों की हत्या करना निषिद्ध है और बहाउल्लाह ने किताब-ए- अक़दस के 73 वें अनुच्छेद में इस निषेध को दुहराया है। यदि पहले से सोच-समझ कर हत्या की गई हो तो इसके लिए दंड निर्धारित किया गया है (देखिए टिप्पणी 86)। यदि किसी मनुष्य की हत्या की जाए तो आवश्यक है कि मृतक के परिवार को एक निर्धारित मुआवजा दिया जाए (देखिए किताब-ए-अक़दस, अनु. 188)।

***36. या व्यभिचार/अनु. 19***

अरबी शब्द *‘‘जे़ना’’* जिसका अनुवाद यहाँ *‘‘व्यभिचार’’* के रूप में किया गया है, व्यभिचार और बलात्कार दोनों ही के लिए प्रयुक्त होता है। यह केवल उस लैंगिक सम्बन्ध का द्योतक नहीं है जो एक विवाहित और अविवाहित व्यक्ति के बीच होता है बल्कि विवाह की परिधि से बाहर का हर लैंगिक सम्बन्ध व्यभिचार ही है। *‘‘बलात्कार’’* भी इसी कोटि में आता है। बहाउल्लाह ने जिस दंड का निर्धारण किया है वह केवल परस्त्रीगमन से सम्बन्धित है। (देखें टिप्पणी-77) अन्य प्रकार के लैंगिक अपराधों के लिए दंड का निर्धारण विश्व न्याय मंदिर के ऊपर छोड़ दिया गया है।

***37. परनिन्दा और मिथ्या दोष..../अनु. 19***

परनिन्दा करना, दूसरों पर कलंक लगाना और उनके दोष निकालना - ये निंदनीय काम हैं, ऐसा बहाउल्लाह ने बार-बार कहा है। निगूढ़ वचन में वे स्पष्ट कहते हैं:

*‘‘हे अस्तित्व के पुत्र ! तू स्वयं के दोषों को भला कैसे भूल गया और दूसरों के दोष निकालने में तूने अपने आप को क्यों व्यस्त कर लिया ? जो कोई भी ऐसा करता है वह मेरे श्राप का भागी बनता है।’’*

और आगे कहते हैं:

*‘‘हे मनुष्य के पुत्र ! जब तक तू स्वयं पाप कर्म में लिप्त है, दूसरे के पापों का विचार भी न कर। यदि तूने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो तू श्रापित बन जाएगा और इसका साक्षी स्वयं मैं हूँ।’’*

यह कठोर चेतावनी पुनः उनकी अंतिम कृति *‘‘मेरी संविदा का ग्रंथ’’* में दुहराई गई है:

*‘‘मैं सत्य ही कहता हूँ, जिह्वा बनी है उसका उल्लेख करने हेतु जो शुभ है, इसे अशोभनीय वार्ता से दूषित न कर। जो बीत गया उसे ईश्वर ने क्षमा कर दिया है। अब से हर कोई वही वाणी बोले जो उचित और शोभनीय है और दूसरों के नाम को कलंकित करने, दूसरों को दुर्वचन कहने और ऐसे हर कार्य से बचे जो हृदय को उदासी से भर देते हैं।’’*

***38. हमने उत्तराधिकार का विभाजन सात श्रेणियों में किया है/अनु. 20***

उत्तराधिकार सम्बन्धी बहाई विधान तभी लागू होता है जब किसी ने वसीयत न लिखी हो। *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* (अनु. 109) में बहाउल्लाह प्रत्येक अनुयायी को अपनी वसीयत लिखने का आदेश देते हैं। एक अन्य स्थान पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अपनी सम्पत्ति पर व्यक्ति का पूरा अधिकार है और वह स्वतंत्र है कि अपनी सम्पत्ति का विभाजन अपनी इच्छानुसार करे और अपनी वसीयत में जिसे चाहे उसे सम्पत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में उल्लिखित करे; चाहे वह बहाई हो या न हो (प्रश्नोत्तर-69)। इस सम्बन्ध में, शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि:

.....यद्यपि किसी भी बहाई को यह स्वतंत्रता है कि अपनी वसीयत में वह अपनी सम्पत्ति का विभाजन अपनी इच्छानुसार करे, किन्तु नैतिक और सैद्धांतिक रूप से उसे सदा यह ध्यान रखना भी अत्यावश्यक है कि धन के सामाजिक पक्ष के सम्बन्ध में बहाउल्लाह के सिद्धांतों को समर्थन प्राप्त हो और धन का अतिसंचयन या उसका केन्द्रीकरण चुने हुए लोगों अथवा लोगों के समूह में न हो जाए।

*‘‘किताब-ए-अक़दस’’* का यह श्लोक बहाउल्लाह द्वारा प्रकटित एक लम्बे अंश की भूमिका प्रकट करता है जिसमें बहाउल्लाह उत्तराधिकार सम्बन्धी बहाई विधान की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यह अंश पढ़ते समय व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि इस विधान की रचना यह मानकर की गई है कि मृतक पुरुष है। यदि मृतक स्त्री हो तो भी आवश्यक परिवर्तन के साथ यही प्रावधान लागू होते हैं।

उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रणाली *‘‘जिनमें मृतक की सम्पत्ति को सात श्रेणियों के उत्तराधिकारियों में बाँटा जाता है’’* (बच्चे, पति/पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन और शिक्षक)-‘‘बयान’’ में बाब द्वारा निर्धारित प्रावधान पर आधारित है। यदि वसीयत न लिखी गई हो तो उत्तराधिकार सम्बन्धी बहाई विधान की प्रमुख विशेषताएँ इस रूप में प्रकट होती हैं:

1. यदि मृतक पिता है और उसकी सम्पत्ति के अंतर्गत उसका आवासीय भवन भी है तो वह भवन उसके ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होगा। (प्रश्नोत्तर-34)।

2. यदि मृतक के पुरूष उत्तराधिकारी नहीं हैं तो भवन का दो तिहाई हिस्सा उसकी पुत्रियों को मिलेगा और शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को (प्रश्नोत्तर 41, 72)। यह विधान किस स्तर के न्याय पर लागू होगा इसके सम्बन्ध में टिप्पणी 42 देखें। (साथ ही टिप्पणी सं. 44 भी देखें)

3. शेष सम्पत्ति का विभाजन सात श्रेणियों के उत्तराधिकारियों में होगा। प्रत्येक श्रेणी को कितने अंश प्राप्त होंगे इसके विस्तृत ज्ञान के लिए प्रश्नोत्तर-5 और *‘‘सार संहिता’’* का खंड 4 स. 3. क देखें।

4. यदि एक श्रेणी में एक से अधिक उत्तराधिकारी हों तो उस श्रेणी को मिलने वाले अंश सभी उत्तराधिकारियों में, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, समान रूप से बाँट दिए जाने चाहिए।

5. ऐसे मामलों में जहाँ कोई संतान न हो, संतान के अंश न्याय मन्दिर को प्राप्त होंगे। (प्रश्नोत्तर 7, 41)

6. यदि किसी मृतक की सन्तान तो हो किन्तु अन्य सभी या कुछ श्रेणियों के उत्तराधिकारी न हों तो उसके दो तिहाई अंश मृतक की संतान को प्राप्त होंगे और एक तिहाई न्याय मन्दिर को प्राप्त होगा। (प्रश्नोत्तर 7)

7. यदि निर्धारित श्रेणियों में से किसी एक भी श्रेणी के उत्तराधिकारी न हों तो सम्पत्ति का दो तिहाई मृतक के माता-पिता के भाई-बहनों की संतानों को मिलेगा। अगर माता-पिता के भाई-बहनों की संतान न हो तो उनके बच्चों को वह अंश मिलेगा। किसी भी स्थिति में शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को प्राप्त होगा।

8. यदि किसी मृतक का उपरोक्त में से कोई भी उत्तराधिकारी न हो तो सम्पूर्ण सम्पत्ति न्याय मन्दिर को प्राप्त होगी।

9. बहाउल्लाह ने कहा है कि गैर-बहाइयों को अपने बहाई माता-पिता या सम्बन्धियों से उत्तराधिकार पाने का कोई अधिकार नहीं है। (प्रश्नोत्तर 34) शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तब ही लागू होगा जब कोई बहाई अपनी वसीयत लिखे बिना मर जाता है तब परिणामतः उसकी सम्पत्ति *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* में प्रकटित विधान के अनुसार बाँटी जाएगी। अन्यथा, प्रत्येक बहाई स्वतंत्र है कि अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकार वह जिसे चाहे उसे दे, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखता हो, बशर्ते वह अपनी वसीयत में अपनी इच्छा का इज़हार करे। अतः एक बहाई के लिए यह सर्वथा सम्भव है कि वह अपने गैरबहाई जीवनसाथी, बच्चों या सम्बन्धियों के पक्ष में वसीयत लिख सके।

उत्तराधिकार सम्बन्धी विधान की और विस्तृत बातें *‘‘सार-संहिता’’* के खंड 4 स. 3 अ से न में उल्लिखित हैं।

***39. भाइयों को पाँच हिस्से.... बहनों को चार हिस्से/अनु. 20***

*‘‘प्रश्न और उत्तर’’* में उत्तराधिकार के अंश सम्बन्धी प्रावधानों, जिसमें मृतक के भाइयों और बहनों का प्रसंग भी है, की विस्तृत व्याख्या है। यदि भाई तथा बहन उसी पिता की सन्तान हैं, जिसका पुत्र मृतक था तो उन्हें सम्पूर्ण देय अंश प्राप्त होगा, परन्तु यदि भाई तथा बहन दूसरे पिता से उत्पन्न हैं तो उन्हें देय अंश का मात्र दो तिहाई प्राप्त होगा और शेष एक तिहाई न्याय मन्दिर को मिलेगा (प्रश्नोत्तर 6)। ऐसी स्थिति में जब मृतक के सगे भाई या सगी बहने हों तो मातृ पक्ष के सौतेले भाई और सौतेली बहनों को उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होगा (प्रश्नोत्तर 53)। परन्तु सौतेले भाई और सौतेली बहनों को, निस्संदेह, अपने पिता की सम्पत्ति से उत्तराधिकार प्राप्त होगा।

***40. शिक्षक/अनु. 20***

अपनी एक पाती में, अब्दुल बहा वैसे शिक्षकों की तुलना ‘आध्यात्मिक पिता’ से करते हैं जो बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने में लगे हैं और जो बच्चों को ऐसा जीवन देते हैं जो अनन्त होता है। वह कहते हैं कि यही कारण है कि ईश्वर के विधान में शिक्षक उत्तराधिकारियों की सूची में दर्ज हैं।

बहाउल्लाह उन स्थितियों को स्पष्ट करते हैं जब शिक्षक को उत्तराधिकार प्राप्त होता है। (प्रश्नोत्तर-33)

***41. जब हमने अब तक अजन्मे बच्चों के कोलाहल सुने तो उनके अंश हमने दोगुना कर दिये और दूसरों के अंश घटा दिये/अनु. 20***

बाब द्वारा प्रकटित उत्तराधिकार सम्बन्धी विधानों में मृतक के बच्चों को नौ हिस्से प्रदान किये गये थे, जो 540 अंशों के बराबर हैं। यह अंश कुल सम्पत्ति की एक चौथाई से भी कम था। बहाउल्लाह ने उनके हिस्से दोगुने अर्थात् 1080 अंश कर दिए और इस तरह जो अंश बढ़ाए गए उन्हें छः श्रेणी के उत्तराधिकारियों के अंशों से घटा दिया गया। बहाउल्लाह संक्षेप में इस श्लोक के अर्थ और उत्तराधिकार सम्बन्धी वितरण के अभिप्राय पर भी प्रकाश डालते हैं। (प्रश्नोत्तर-5)

***42. न्याय मन्दिर/अनु. 21***

किताब-ए-अक़दस में न्याय मन्दिर की ओर संकेत करते हुए बहाउल्लाह ने सदैव विश्व न्याय मन्दिर और स्थानीय न्याय मन्दिर के बीच स्पष्ट अंतर नहीं बतलाया है यद्यपि ‘ग्रन्थ’ में इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना का आदेश दिया गया है। सामान्यतः वे केवल ‘न्याय मन्दिर’ शब्द का उल्लेख करते हैं और यह बात बाद की व्याख्या पर छोड़ देते हैं कि कौन-सा नियम किस स्तर के ‘न्याय मन्दिर’ पर लागू होगा।

एक पाती में स्थानीय बहाई कोष के आर्थिक स्रोतों का निर्धारण करते हुए अब्दुल बहा उन उत्तराधिकारों का उल्लेख करते हैं, जिन्हें किसी भी श्रेणी के उत्तराधिकारी को नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार वे यह संकेत देते हैं कि *‘‘अक़दस’’* के उत्तराधिकार सम्बन्धी अंश में विशेष रूप से निर्देशित *‘‘न्याय मन्दिर’’* स्थानीय न्याय मन्दिर है।

***43. यदि मृतक की सन्तान तो हो परन्तु ..अन्य श्रेणी के उत्तराधिकारी न हों/अनु.22***

बहाउल्लाह ने स्पष्ट किया है कि *‘‘इस नियम का प्रयोग सामान्य भी है और विशेष भी। अर्थात् जब कभी भी बाद वाली श्रेणी के उत्तराधिकारी न होंगे तो उनके दो तिहाई हिस्से संतान को और बाकी एक तिहाई हिस्सा न्याय मन्दिर को मिल जाएगा।’’* (प्रश्नोत्तर-7)

***44. हमने मृतक के घर और निजी पोशाक का अधिकार उसके पुत्रों को दिया है, पुत्रियों को नहीं और न ही अन्य प्रकार के उत्त्राधिकारियों को/अनु. 25***

एक पाती में अब्दुल बहा ने संकेत दिया है कि मृतक के घर और निजी पोशाक पुत्रों को मिलेंगे। वे ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होंगे, उसके न होने पर मँझले पुत्र को और उसके भी न होने पर छोटे पुत्र को। वे स्पष्ट करते हैं कि यह प्रावधान उस नियम की अभिव्यक्ति है जिसमें बड़े पुत्र को पहला अधिकार प्राप्त होता है। इस तरह ईश्वरीय विधान में ज्येष्ठाधिकार की मान्यता को स्वीकृति दी गई है। फारस के एक धर्मानुयायी को सम्बोधित एक पाती में अब्दुल बहा ने लिखा है: *‘‘सभी दिव्य धर्मकालों में ज्येष्ठ पुत्र की विशेषता अद्वितीय रही है। यहाँ तक कि अवतार की उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेना भी उसका जन्मसिद्ध अधिकार रहा है।’’* परन्तु ज्येष्ठ पुत्र की इस विशिष्टता के साथ-साथ उसके उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर के नाम पर उसका नैतिक कर्त्‍तव्‍य होता है कि वह अपनी माता और अन्य श्रेणी के उत्तराधिकारियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखे।

उत्तराधिकार सम्बन्धी विधान के इस पहलू पर बहाउल्लाह ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे स्पष्ट करते हैं कि यदि एक से अधिक भवन हों तो उनमें से सबसे मुख्य भवन पुत्र को प्राप्त होता है किन्तु शेष भवन तथा मृतक की अन्य सम्पदाओं का विभाजन सभी श्रेणियों के उत्तराधिकारियों में होगा (प्रश्नोत्तर 34) और वह यह भी संकेत देते हैं कि पुत्र के न होने पर मृतक के मुख्य भवन और निजी पोशाक के दो तिहाई हिस्से पुत्री को मिलेंगे और एक तिहाई न्याय मन्दिर को प्राप्त होगा (प्रश्नोत्तर 72)। यदि मृतक स्त्री हो तो बहाउल्लाह कहते हैं कि उसके सभी पहने हुए परिधान उसकी सभी पुत्रियों में समान रूप से विभाजित होंगे। जो परिधान उसने न पहने हों तथा आभूषण और सम्पत्ति उसके सभी उत्तराधिकारियों में बाँटे जाएँ। यदि मृतक स्त्री की कोई पुत्री न हो तो उसके पहने गए परिधान भी सभी उत्तराधिकारियों को मिलेंगे (प्रश्नोत्तर 37)।

***45. यदि मृतक का पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में ही दिवंगत हो गया है और यदि उसके बच्चे हैं तो ईश्वरीय ग्रंथ के अनुसार, वे अपने पिता के अंश के हकदार होंगे/अनु. 26***

विधान का यह अंश तब ही लागू होता है जब पुत्र की मृत्यु अपने माता-पिता से पहले हो जाती है। यदि मृतक की पुत्री का निधन हो चुका हो किन्तु उसकी सन्तान हो तो उसका हिस्सा *‘‘परम पवित्र ग्रन्थ’’* में उल्लिखित सात श्रेणियों के उत्तराधिकारियों में बाँटा जाएगा। (प्रश्नोत्तर 54)

***46. यदि मृतक अपने पीछे नाबालिग संतानों को छोड़ गया है तो उत्तराधिकार के उनके अंश अवश्य ही किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दिए जायें/अनु. 27***

*‘‘अमीन’’* शब्द जिसका अनुवाद इस अनुच्छेद में *‘‘विश्वसनीय व्यक्ति’’* और *‘‘न्यासधारी’’* के रूप में किया गया है, अरबी भाषा में बहुत व्यापक अर्थ रखता है।

*‘‘अमीन’’* से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसमें विश्वसनीयता, विश्वासपात्रता का गुण तो हो ही, वफादारी, सच्चरित्रता, ईमानदारी इत्यादि भी भरे हों। कानूनी शब्दावली में *‘‘अमीन’’* से अर्थ है *‘‘न्यासधारी’’*, *‘‘जमानतकर्ता’’*, ‘‘संरक्षक’’, ‘‘अभिभावक’’ और ‘‘किसी वस्तु को अपनी सुरक्षा में रखने वाला’’।

***47. हुकूकुल्लाह अदा कर दिए जाने, कर्जों को निबटाने और अंत्येष्टि सम्बन्धी खर्चों को अलग करने के बाद ही सम्पत्ति का बँटवारा होना चाहिए/अनु. 28***

बहाउल्लाह ने स्पष्ट किया है कि इन खर्चों को प्रस्तावित प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए। सर्वप्रथम अंत्येष्टि सम्बन्धी खर्चे अलग कर लिए जायें, फिर मृतक के कर्जों को निबटाया जाए और तब हुकूकुल्लाह अदा किया जाये (देखिए टिप्पणी 125, प्रश्नोत्तर 9)। वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन खर्चों का निपटारा मृतक की बची हुई सम्पत्ति से किया जाए और यदि यह सम्पत्ति कम पड़े तो उसके भवन और निजी पोशाक भी शामिल कर लिए जायें (प्रश्नोत्तर 80)।

***48. यही वह निगूढ़ ज्ञान है जो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि इसका प्रारम्भ नौ से हुआ है/अनु. 29***

अरबी *‘‘बयान’’* में बाब ने अपने उत्तराधिकार सम्बन्धी विधान को *‘‘ईश्वरीय ग्रन्थ में निहित निगूढ़ ज्ञान के अनुरूप’’* बतलाया है और कहा है कि *‘‘यह वह ज्ञान है जो कभी बदलेगा नहीं।’’* बाब ने यह भी कहा कि उत्तराधिकार को व्यक्त करने वाली संख्याएँ उसे पहचानने में सहायक सिद्ध होंगी *‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’*।

अरबी पाठ में इस *‘‘नौ’’* का उल्लेख ‘‘ता’’ अक्षर के रूप में है, जो अबजद प्रणाली के अनुसार नौ का सममूल्य माना जाता है (देखिए पारिभाषित शब्दावली)। यह बाब द्वारा किए गए उत्तराधिकार के रूप में *‘‘नौ हिस्से’’* निर्धारित करते हैं। नौ का महत्व इस बात में है कि वह *‘‘सर्वोच्च नाम’’ ‘‘बहा’’* का सममूल्यांक है, जैसा कि इस श्लोक में संकेत दिया गया है- *‘‘वह निगूढ़ और प्रकट, वह परमपावन, अगम्य महान नाम।’’* (देखिए टिप्पणी 33)

***49. प्रभु ने आदेश दिया है कि प्रत्येक नगर में एक न्याय मन्दिर स्थापित किया जाए/अनु. 30***

‘‘न्याय मन्दिर’’ नामक संस्था निर्वाचित परिषद है, जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्य करती है। ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ में बहाउल्लाह ने विश्व न्याय मन्दिर और स्थानीय न्याय मन्दिर दोनों ही संस्थायें निर्धारित की हैं। अपने *‘‘इच्छापत्र और वसीयतनामा’’* में अब्दुल बहा ने *‘‘माध्यमिक न्याय मन्दिर’’* का प्रावधान दिया है और विश्व न्याय मन्दिर के निर्वाचन की पद्धति का निर्धारण किया है।

उपरोक्त श्लोक में स्थानीय न्याय मन्दिर की ओर संकेत किया गया है, एक ऐसी संस्था जो हर समुदाय में, जबकि वहाँ वयस्क बहाइयों की संख्या नौ से अधिक हो जाए, चुनी जायेगी। इस उद्देश्य के लिए वयस्कता की आयु का निर्धारण धर्मसंरक्षक ने अस्थायी रूप से 21 वर्ष किया था और यह भी संकेत दिया था कि भविष्य में विश्व न्याय मन्दिर इस आयु-निर्धारण में परिवर्तन कर सकता है।

अभी स्थानीय एवं माध्यमिक न्याय मन्दिर क्रमशः स्थानीय आध्यात्मिक सभा और राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के नाम से जाने जाते हैं। शोग़ी एफेन्दी ने संकेत दिया है कि ये *‘‘अस्थायी नाम’’* हैं और...

*‘‘...जब बहाई धर्म की स्थिति और उसके उद्देश्य को और अधिक समझ लिया जाएगा और अधिक व्यापक रूप से इसे मान्यता प्राप्त हो जायेगी, तब क्रमशः ये नाम ‘‘न्याय मन्दिर’’ की स्थायी उपाधि में बदल जायेंगे। वर्तमान आध्यात्मिक सभाओं की शैली ही नहीं बदलेगी बल्कि उनके वर्तमान कार्यों में ऐसे अधिकार, कर्त्‍तव्‍य और विशेषाधिकार भी जुड़ जाएंगे जो बहाउल्लाह के धर्म की पहचान के बाद आवश्यक हो जाएंगे। प्रभुधर्म का यह अभिज्ञान न केवल विश्व की एक सर्वमान्य धार्मिक प्रणाली के रूप में होगा बल्कि, एक स्वतंत्र सार्वभौम शक्ति के राजधर्म के रूप में भी होगा।’’*

***50. बहा की संख्या/ अनु. 30***

*‘‘बहा’’* शब्द का संख्या-मूल्य *‘‘अबजद’’* प्रणाली के अनुसार नौ है। विश्व न्याय मन्दिर और राष्ट्रीय तथा स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं में सम्प्रति नौ सदस्य होते हैं जो बहाउल्लाह द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या है।

***51. उन्हें चाहिए कि लोगों के बीच वे दयालु ईश्वर के विश्वासपात्र बनें/अनु. 30***

विश्व न्याय मन्दिर और राष्ट्रीय तथा स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के सामान्य अधिकार और कर्त्‍तव्‍य तथा उनकी सदस्यता सम्बन्धी योग्यताएँ बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के लेखों तथा शोग़ी एफेन्दी के पत्रों और विश्व न्याय मन्दिर की व्याख्याओं में निर्धारित हैं। इन संस्थाओं के प्रमुख कर्त्‍तव्‍य विश्व न्याय मन्दिर तथा राष्ट्रीय और स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के संविधान में रेखांकित किए गए हैं।

***52. वे मिलजुल कर परामर्श करें/अनु. 30***

बहाउल्लाह ने परामर्श को अपने धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों में शामिल किया है और अनुयायियों को आदेश दिया है कि *‘‘सभी विषयों में वे मिलजुल कर परामर्श करें।’’* परामर्श का वर्णन वे *‘‘मार्गदर्शन के दीप’’* के रूप में करते हैं जो *‘‘मार्ग दिखलाता है’’* और *‘‘विवेक प्रदान करने वाला’’* है। शोग़ी एफेन्दी ने कहा है कि *‘‘परामर्श का सिद्धान्त’’* बहाई प्रशासनिक व्यवस्था के *‘‘आधारभूत विधानों में एक है।’’*

प्रश्नोत्तर-99 में बहाउल्लाह ने परामर्श की प्रक्रिया को रेखांकित किया है और इस बात पर जोर दिया है कि निर्णय लेने में एकमत होने की स्थिति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है और यदि सभी एकमत न हो सकें तो बहुमत की विजय होगी। विश्व न्याय मन्दिर ने स्पष्ट किया है कि परामर्श सम्बन्धी ये मार्गदर्शन परामर्श विषय पर बहाई शिक्षाओं के सन्दर्भ में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में तब दिए गए थे जब आध्यात्मिक सभायें नहीं बनी थीं। विश्व न्याय मन्दिर पुनः यह भी स्पष्ट करता है कि भले ही आध्यात्मिक सभायें बन गई हों किन्तु प्रश्नोत्तर में जिस प्रक्रिया का उल्लेख है उसके अनुसार परामर्श करने से उन्हें रोका नहीं गया है। यदि बहाई बन्धु चाहें तो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर भी इस तरह परामर्श कर सकते हैं।

***53. समस्त भू-भागों में उपासना मन्दिरों की स्थापना करो/अनु. 31***

बहाई उपासना मन्दिर ईश्वर के गुणगान के लिए समर्पित है। यह *‘‘मशरिकुल-अज़कार’’* (ईश्वर के गुणगान का उदयस्थल) नामक भवन का मुख्य अंश है। *‘‘मशरिकुल-अज़कार’’* एक भवन-समूह है और भविष्य में जब इसका विस्तार होगा तो उपासना मन्दिर के अतिरिक्त इसके कई अन्य अंग भी होंगे जो सामाजिक, शैक्षिक, मानवतावादी और वैज्ञानिक पक्षों से सम्बन्धित होंगे। अब्दुल बहा ने *‘‘मशरिकुल-अज़कार’’* का वर्णन *‘‘विश्व की एक सर्वाधिक आवश्यक संस्था’’* के रूप में किया है और शोग़ी एफेन्दी ने संकेत दिया है कि स्थूल रूप से यह *‘‘बहाई उपासना और सेवा’’* का संयुक्त स्वरूप है। इस संस्था के भावी विकास की पूर्वकल्पना प्रस्तुत करते हुए शोग़ी एफेन्दी ने विचार दिया है कि उपासना मन्दिर और इसकी सहयोगी संस्थायें *‘‘पीड़ितों को राहत, गरीबों को भरण-पोषण, पथिकों को शरण, अनाथों को सांत्वना और अज्ञानियों को शिक्षा प्रदान करेंगी।’’* भविष्य में उपासना मन्दिर प्रत्येक नगर और गाँव में प्रतिष्ठित किए जायेंगे।

***54. ईश्वर ने निश्चित किया है कि तुममें से जो समर्थ हो वह ‘‘पवित्र गृह’ की तीर्थयात्रा करे/अनु. 32***

इस आदेश द्वारा दो पवित्र गृहों की ओर संकेत किया गया है - शीराज स्थित बाब का आवास और बगदाद स्थित बहाउल्लाह का निवास स्थान। बहाउल्लाह ने कहा है कि इनमें से किसी भी एक गृह की तीर्थयात्रा कर लेना पर्याप्त है (प्रश्नोत्तर 25, 29)। *‘‘सूरा-ए-हज’’* (प्रश्नोत्तर 10) नामक दो अलग पातियों में बहाउल्लाह ने इनमें से प्रत्येक गृह की तीर्थयात्रा के सम्बन्ध में विशेष विधि-विधान सुनिश्चित किए हैं। अतः, इस प्रसंग में तीर्थयात्रा का अर्थ सिर्फ *‘‘दो गृहों’’* को देख आना नहीं है।

बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के बाद अब्दुल बहा ने बहजी स्थित बहाउल्लाह की समाधि को तीर्थस्थान निर्धारित किया है। एक पाती में उन्होंने संकेत दिया है कि *‘‘परम पवित्र समाधि, बगदाद स्थित आशीर्वादित गृह और शीराज स्थित बाब का पावन गृह, तीर्थयात्रा के लिए पवित्र बनाए गए हैं’’* और *‘‘यदि व्यक्ति समर्थ है और उसके सामने कोई बाधा नहीं है’’* तो इन स्थलों की यात्रा करना अनिवार्य है। परम पवित्र समाधि की तीर्थयात्रा के लिए कोई विधि-विधान निर्धारित नहीं किया गया है।

***55. और उसने महिलाओं को अपनी दया के रूप में इससे छूट दी है/अनु. 32***

*‘‘बयान’’* में बाब ने अपने ऐसे अनुयायियों को, जो सम्पन्न थे, यह आदेश दिया कि जीवन में एक बार वे तीर्थयात्रा करें। उन्होंने कहा कि यात्रा की कठिनाइयों से बचाने के लिए स्त्रियों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं की गई।

इसी तरह बहाउल्लाह ने भी तीर्थयात्रा से स्त्रियों को मुक्त किया है। विश्व न्याय मन्दिर ने स्पष्ट किया है कि यह छूट है, निषेध नहीं। स्त्रियाँ यदि चाहें तो तीर्थयात्रा कर सकती हैं।

***56. किसी व्यवसाय या पेशे में स्वयं को लगाओ/अनु. 33***

स्त्रियों और पुरुषों के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वयं को किसी व्यवसाय या पेशे में लगायें। बहाउल्लाह ने *‘‘ऐसे कार्यों में व्यक्ति के निरत होने को’’* ईश्वर की *‘‘उपासना का दर्जा’’* दिया है। इस विधान के आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व और इसके पालन के लिए व्यक्ति और समाज के पारस्परिक दायित्व की व्याख्या शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में की गई है:

अनुयायियों का किसी व्यवसाय में निरत होने सम्बन्धी बहाउल्लाह द्वारा दिए गए आदेश के सम्बन्ध में: इस विषय पर ईश्वरीय शिक्षा में काफी जोर दिया गया है। इस आशय का वक्तव्य, जो कि *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* में अंकित है, यह स्पष्ट करता है कि काम से जी चुराने वाले लोगों के लिए इस नई विश्व व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। इस सिद्धान्त के अनुपूरक के रूप में बहाउल्लाह ने आगे कहा है कि समाज में भीख माँगने की प्रथा को न केवल हतोत्साहित किया जाए बल्कि उसे पूर्णतः मिटा डाला जाए। प्रत्येक व्यक्ति को किसी व्यवसाय में पारंगत होने का पूर्ण अवसर मिले और उसकी प्रतिभा का उपयोग हो सके, जिससे जीविकोपार्जन भी सम्भव हो, यह देखना समाज की उस संस्था का दायित्व है जो ऐसे कार्यों के लिए स्थापित की गई है। प्रत्येक व्यक्ति, भले ही वह विकलांग ही क्यों न हो, अवश्य ही किसी कार्य या व्यवसाय में लगा रहे। कार्य, विशेषतः तब, जब वह सेवा-भावना के साथ किया जाए, बहाउल्लाह के अनुसार उपासना की श्रेणी में आता है। इसका उद्देश्य केवल उपयोगितावादी नहीं है, बल्कि इसका अपना महत्व भी है क्योंकि यह हमें ईश्वर के निकट लाता है और हमें और अधिक विवेक देता है कि इस संसार में ईश्वर ने हमें किस उद्देश्य से भेजा है। अतः यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार में सम्पत्ति प्राप्त कर लेने से किसी को निठल्ले बैठे रहने का अधिकार नहीं मिल जाता।

अपनी एक पाती में अब्दुल बहा ने कहा है कि: *‘‘यदि कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन करने में समर्थ न हो या घोर दरिद्रता का मारा हुआ और असहाय हो तो धनिकों और न्याय मन्दिर के सदस्यों का यह कर्त्‍तव्‍य हो जाता है कि वे उसके जीवनयापन के लिए एक मासिक भत्ता निर्धारित करें।’’* (देखिए टिप्पणी 162)

यह पूछे जाने पर कि क्या बहाउल्लाह का यह विधान कि प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन करने के लिए किसी व्यवसाय में लग जाए, पत्नी और माता इत्यादि पर भी लागू होता है, विश्व न्याय मन्दिर ने व्याख्या की है कि इस सम्बन्ध में बहाउल्लाह का निर्देश उन मित्रों के लिए है जो ऐसे व्यवसाय में लगे हैं, जिससे उन्हें भी लाभ हो और दूसरों को भी। गृहस्थी की स्थापना प्रतिष्ठापूर्ण और आधारभूत महत्व का सामाजिक कार्य है।

ऐसे व्यक्ति जो एक विशेष आयु सीमा पर पहुँच गए हैं, उनकी कार्यनिवृत्ति के सम्बन्ध में शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि *‘‘इस विषय में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का न्याय मन्दिर विधान लागू करेगा क्योंकि ‘‘अक़दस’’ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।’’*

***57. परम पावन पुस्तक में हाथ चूमने की क्रिया का निषेध किया गया है/अनु. 34***

कई प्राचीन धर्मकालों और कतिपय सभ्यताओं में किसी धर्मगुरु के हाथ चूमना उसके प्रति आदर और उसकी सत्ता के प्रति समर्पण व्यक्त करना समझा जाता था। बहाउल्लाह ने हाथ चूमने की क्रिया का निषेध किया है। अपनी पातियों में उन्होंने किसी व्यक्ति के आगे दण्डवत की मुद्रा में झुकने की प्रथा को भी निंदनीय माना है और ऐसे सभी आचरणों की भी निन्दा की है जो एक व्यक्ति के सामने दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करता हो। (देखिए टिप्पणी 58)

***58. किसी को भी यह अनुमति नहीं है कि वह किसी दूसरी आत्मा से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करे। अनु. 34***

बहाउल्लाह ने दूसरों के आगे अपने पाप को स्वीकार करने और उससे क्षमादान करवाने का निषेध किया है। इसके स्थान पर व्यक्ति ईश्वर से क्षमा याचना करे। *‘‘बिशारात की पाती’’* में वे कहते हैं कि *‘‘किसी व्यक्ति के सम्मुख की गई पाप की स्वीकृति का परिणाम होता है दूसरे व्यक्ति का मान-हनन।’’* और वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईश्वर *‘‘अपने सेवकों का मान-हनन नहीं चाहता।’*’

शोग़ी एफेन्दी इस सन्दर्भ में कुछ निषेध अंकित करते हैं। उनके सचिव ने उनकी ओर से लिखा है:

*‘‘कैथोलिक ईसाइयों या कुछ अन्य धार्मिक सम्प्रदायों की तरह हमें धर्मगुरु के सम्मुख अपने पापों को स्वीकार करने से मना किया गया है। किन्तु यदि हम अपने गलत कार्य के लिए तत्क्षण आत्मस्वीकृति करना ही चाहते हों, या हममें चरित्र सम्बन्धी कोई दोष हो और किसी व्यक्ति से क्षमा माँग लेना चाहें तो हम ऐसा करने को स्वतंत्र हैं।’’*

विश्व न्याय मन्दिर ने यह भी स्पष्ट किया है कि पापों के लिए क्षमा-याचना न करने सम्बन्धी बहाउल्लाह की आज्ञा बहाई संस्थाओं की छत्रछाया में किए गए परामर्श के दौरान हुए नियमोल्लंघन को आत्म स्वीकार करने से नहीं रोकती। साथ ही इसका यह अर्थ भी नहीं है कि गोपनीय विषयों पर किसी घनिष्ठ मित्र या व्यावसायिक परामर्शदाता से सलाह न ली जाए।

***59. लोगों के बीच वह है जो दरवाजे के पास जूतों के बीच बैठा है, जबकि उसके दिल में सम्मान के आसन की आकांक्षा है/अनु. 36***

पूर्व के देशों में प्रथा है कि किसी सभा में प्रवेश करने से पहले जूते-चप्पल खोल लिए जाएँ। प्रवेश द्वार से दूर एक कक्ष प्रधान कक्ष माना जाता है और वहाँ गणमान्य लोग आकर बैठते हैं। पीछे की ओर वरिष्ठता के क्रम से सामान्य लोग बैठते हैं। जूते-चप्पल भी वहीं खोले जाते हैं और निम्न स्तर के लोग वहीं दरवाजे के पास बैठते हैं।

***60. लोगों के बीच वह है जो अन्तर्प्रज्ञ होने का दावा करता है/ अनु. 36***

संकेत उन लोगों की ओर है जो गुप्त विद्या में पारंगत होने का दावा करते हैं और ईश्वरीय अवतार के प्रकटीकरण की पहचान करने में विफल हो जाते हैं। एक अन्य स्थान पर बहाउल्लाह कहते हैं: *‘‘जो अपनी मनगढ़न्त प्रतिमाओं के उपासक हैं और जिनके लिए ये प्रतिमायें ही ‘‘ईश्वर का सार’’ हैं, वैसे लोग वस्तुतः विधर्मियों में गिने गए हैं।’’*

***61. न जाने कितने लोगों ने स्वयं को भारतवर्ष के किसी एकान्त में अलग-थलग कर लिया, स्वयं को उन वस्तुओं से वंचित कर लिया जिन्हें ईश्वर ने विधिसम्मत बतलाया है, अपने ऊपर अति संयम और तपस्या जैसे विधानों को लाद लिया/अनु.36***

इन श्लोकों में सन्यास और एकान्तवास का निषेध निहित है। देखिए *‘‘सार-संहिता’’*, खंड चार-डी, एक-म, तीन-चार। *‘‘स्वर्ग की पाती’’* में बहाउल्लाह इन प्रावधानों का विस्तार करते हैं। वे कहते हैं: *‘‘एकान्तवास या दैहिक तपस्या में लगे रहना ईश्वरीय उपस्थिति में स्वीकार्य नहीं है।’’* और जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए बहाउल्लाह का आह्वान है कि *‘‘वह करो जो आनन्द और प्रदीप्ति से भर दे।’’* ऐसे लोगों को जो *‘‘किसी पहाड़ की खोह में वास करते हैं’’* अथवा जो *‘‘शमशान में रात बिताते हैं’’* उन्हें बहाउल्लाह यह सब छोड़ देने का निर्देश देते हैं और आज्ञा देते हैं कि वे स्वयं को इस सृष्टि की *‘‘कृपाओं’’* से वंचित न करें, क्योंकि ईश्वर ने इस विश्व को मानव के लिए ही रचा है। *‘‘बिशारात की पाती’’* में यद्यपि बहाउल्लाह संन्यासियों और पुरोहितों के *‘‘शुभकार्यों’’* की सराहना करते हैं परन्तु वह यह भी कहते हैं कि *‘‘वे एकान्तवास त्यागकर खुले विश्व की ओर कदम बढ़ाएं और ऐसे कार्यों में व्यस्त हों जो उन्हें और दूसरों को लाभ दें।’’* बहाउल्लाह उन्हें *‘‘विवाह करने’’* की अनुमति भी देते हैं *‘‘ताकि वे उसे जन्म दे सकें जो ईश्वर का नामोल्लेख करे।’’*

***62. पूरे हजार वर्षों की परिसमाप्ति से पूर्व जो भी सीधे ईश्वर का अवतार होने का दावा करता है/अनु. 37***

बहाउल्लाह का धर्मकाल अगले ईश्वरावतार के आगमन तक चलता रहेगा। ऐसे अवतार का आगमन *‘‘पूरे हजार वर्षों की परिसमाप्ति से पूर्व’’* नहीं होगा। बहाउल्लाह चेतावनी देते हैं कि *‘‘इस श्लोक’’* के *‘‘स्पष्ट अर्थ’’* से भिन्न कोई व्याख्या न की जाए। अपनी एक पाती में वे स्पष्ट करते हैं कि इस हजार वर्ष की अवधि का *‘‘प्रत्येक वर्ष’’* कुरआन के अनुसार बारह महीनों और *‘‘बयान’’* के अनुसार उन्नीस दिनों के उन्नीस महीनों का होगा।

प्रभुधर्म के प्रकटीकरण की पहली अनुभूति बहाउल्लाह को तेहरान के सियाहचाल में अक्टूबर 1852 में हुई थी और यही तिथि बहाउल्लाह के अवतारीय मिशन की शुरूआत की तारीख है और इसलिये अगले ईश्वरावतार का आगमन तब ही होगा, जब इस तारीख के बाद हजार वर्ष या इससे अधिक समय बीत जायेगा।

***63. यह वह है जिसकी हमने पूर्व चेतावनी दे दी है, जब हम ईराक में रह रहे थे और फिर बाद में जब ‘‘रहस्य भूमि’ में वास कर रहे थे और अब इस ‘‘प्रकाशमय स्थल’’ में से/अनु. 37***

*‘‘रहस्य भूमि’’* से एड्रियानोपल तथा *‘‘प्रकाशमय स्थल’’* से अक्का की ओर संकेत है।

***64. लोगों के बीच वह है, जिसके ज्ञान ने उसे अभिमान से भर दिया है..... जब वह अपने पीछे जूतों की आहट सुनता है तो आत्माभिमान में फूल जाता है/अनु. 41***

पूर्व में यह प्रथा रही है कि धार्मिक गुरुओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये उनके अनुयायी उनसे एक या दो कदम पीछे चलें।

***65. नमरूद/अनु. 41***

इस श्लोक में उल्लिखित नमरूद यहूदी और इस्लामी दोनों ही परम्पराओं के अनुसार, एक राजा हुआ है जिसने प्रभुदूत अब्राहम पर अत्याचार किए और घोर अहंकार का प्रतीक बन गया।

***66. अग़सान/अनु. 42***

*‘‘अग़सान’’* (ग़ुस्न का बहुवचन) एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है *‘‘शाखाएँ’’*। बहाउल्लाह ने इस शब्द का प्रयोग अपने वंश के पुरुष सदस्यों के लिए किया है। न केवल जनहित-सम्पत्ति के नियंत्रण के लिए बल्कि बहाउल्लाह और अब्दुल बहा के निधन के बाद के उत्तराधिकार के लिए भी *‘‘अग़सान’’* शब्द का एक विशेष अर्थ है (देखिए टिप्पणी 145)। अपनी *‘‘संविदा की पुस्तक’’* में बहाउल्लाह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल बहा को *‘‘अपनी संविदा का केन्द्र’’* और *‘‘धर्मप्रमुख’’* नियुक्त किया। इसी प्रकार अब्दुल बहा ने अपने *‘‘इच्छा पत्र और वसीयतनामा’’* में अपने ज्येष्ठ नाती शोग़ी एफेन्दी को *‘‘धर्मसंरक्षक’’* और *‘‘धर्मप्रमुख’’* नियुक्त किया।

अतः, *‘‘अक़दस’’* के इस अंश में चुने हुए *‘‘अग़सानों’’* के क्रमिक उत्तराधिकार और धर्मसंरक्षक की संस्था की पूर्वकल्पना है और यह सम्भावना भी व्यक्त की गई है कि यह क्रम टूट सकता है। इस अंश में उल्लिखित व्यवस्था के प्रभावी होने से पूर्व ही 1957 में शोग़ी एफेन्दी का निधन हो गया। इस प्रकार *‘‘अग़सान’’* उत्तराधिकार का क्रम टूट गया जबकि अभी विश्व न्याय मन्दिर की स्थापना भी नहीं हुई थी। (देखिए टिप्पणी 67)।

***67. बहा के लोगों को प्राप्त होंगे/अनु. 42***

बहाउल्लाह उस सम्भावित स्थिति की कल्पना करते है जब विश्व न्याय मन्दिर की स्थापना से पहले ही *‘‘अग़सान’’* उत्तराधिकार का क्रम समाप्त हो जाएगा। वह निर्धारित करते हैं कि ऐसी स्थिति में जनहित की सम्पत्ति बहा के लोगों को प्राप्त होगी। बहाई लेखों में *‘‘बहा के लोगों’’* के अनेक अर्थ हैं। इस प्रसंग में उनका वर्णन ऐसे लोगों के रूप में किया गया है *‘‘जो ईश्वरीय अनुमति के बिना नहीं बोलते और इस पाती में ईश्वर द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया है उसके पृथक कोई निर्णय नहीं लेते।’’* 1957 में शोग़ी एफेन्दी के निधन के बाद और 1963 में विश्व न्याय मन्दिर का निर्वाचन हो जाने तक प्रभुधर्म के विषयों का मार्गनिर्देश *‘‘धर्मभुजाओं’’* ने किया। (अनुच्छेद 183 देखें)

***68. अपने सिर का मुंडन न करो/अनु. 44***

कुछ धार्मिक परम्पराओं में मुंडन कराना आवश्यक समझा जाता है। बहाउल्लाह ने सिर का मुंडन करने का निषेध किया है। वे स्पष्ट करते हैं कि उनके *‘‘सूरा-ए-हज’’* का वह प्रावधान जिसमें शीराज स्थित बाब के *‘‘पवित्र गृह’’* की तीर्थयात्रा करने वालों को मुंडन कराने की आज्ञा थी, अब किताब-ए-अक़दस के इस श्लोक द्वारा हटा दिया गया है। (प्रश्नोत्तर 10)

***69. बालों को कान की सीमा से परे जाने देना शोभनीय नहीं है/अनु. 44***

शोग़ी एफेन्दी ने स्पष्ट किया है कि यद्यपि सिर का मुंडन कराने का निषेध स्त्री-पुरुष दोनों पर लागू है तथापि बालों को कान की सीमा से परे जाने देने का निषेध केवल पुरुषों पर लागू है। इस नियम के सम्बन्ध में विश्व न्याय मन्दिर का निर्देश आवश्यक होगा।

***70. चोर के लिए निर्वासन और जेल का आदेश है/अनु. 45***

बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि अपराध के बड़े और छोटे होने के अनुपात में दंड की मात्रा का निर्धारण विश्व न्याय मन्दिर करेगा (प्रश्नोत्तर 49)। चोरी के लिए दी जाने वाली सजा भविष्य की सामाजिक दशाओं के प्रसंग में है जब विश्व न्याय मन्दिर उसका निर्धारण कर उसे लागू करेगा।

***71. तीसरी बार अपराध करने पर, उसकी ललाट पर, एक चिह्न अंकित कर दो ताकि इस प्रकार पहचाने जाने पर वह प्रभु के नगरों और उसके देशों में स्वीकारा नहीं जायेगा/अनु. 45***

ललाट पर चिह्न अंकित करने का उद्देश्य ऐसे लोगों को चेतावनी देना है जो चोर प्रवृत्ति के हैं। ये चिह्न कैसे होंगे, कैसे लगाए जायेंगे, कब तक के लिए अंकित किए जायेंगे, इनकी व्याख्या का अधिकार बहाउल्लाह ने विश्व न्याय मन्दिर को सौंपा है।

***72. जो भी चाँदी या सोने के बर्तनों का उपयोग करना चाहें वह ऐसा करने को स्वतंत्र हैं/ अनु. 46***

*‘‘बयान’’* में बाब ने सोने और चाँदी के बर्तनों के उपयोग की छूट दी और इस प्रकार इस्लाम में उनके उपयोग की जो निन्दा की गई है उसका खंडन किया। वस्तुतः सोने-चाँदी के पात्रों के उपयोग का निषेध *‘‘कुरआन’’* में नहीं बल्कि इस्लामी परम्पराओं में है। यहाँ बहाउल्लाह बाब के नियम का समर्थन करते हैं।

***73. सावधान रहो, भोजन करते समय तुम कटोरियों और थालियों में रखी भोजन-सामग्री में हाथ न डुबाओ/अनु. 46***

इस निषेध की परिभाषा शोग़ी एफेन्दी ने *‘‘भोजन में हाथ डुबाना’’* कहकर की थी। संसार के कई हिस्सों में सामुदायिक थाली में हाथ से भोजन करने की परम्परा रही है।

***74. ऐसी प्रथा को तुम स्वीकारो जो परिष्कृत हो/अनु. 46***

यह अंश उन अंशों में सर्वप्रथम है जिनमें परिष्कार और स्वच्छता का महत्व दिखलाया गया है। मूल अरबी शब्द ‘‘लताफत’’ जिसे यहाँ ‘‘परिष्कृत’’ कहा गया है, के कई आध्यात्मिक और शारीरिक अभिप्राय हैं। जैसे-उच्चता, भव्यता, स्वच्छता, सुनागरिकता, विनम्रता, भद्रता, लालित्य और उदारता। साथ ही, यह गम्भीर, उत्कृष्ट, पवित्र और शुद्ध होने के अर्थ में भी प्रयुक्त है। किताब-ए-अक़दस के जिन अनुच्छेदों में यह शब्द आया है, उनमें प्रसंगानुसार इसका अनुवाद परिष्कार अथवा ‘‘स्वच्छता’’ के रूप में किया गया है।

***75. वह जो ईश्वर के धर्म का उदयस्थल है, उसकी ‘‘परम दोषमुक्तता‘‘ में कोई हिस्सेदार नहीं है/अनु. 47***

*‘‘इशराकात की पाती’’* में बहउल्लाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि *‘‘परम दोषमुक्तता’’* केवल ईश्वर के अवतार में हैं।

*‘‘कुछ उत्तरित प्रश्न’’* (सम ऑन्सर्ड क्वेश्चन्स) के 45 वें अध्याय में अब्दुल बहा ने ‘‘अक़दस’’ के इस श्लोक की व्याख्या की है। इस अध्याय में वे अन्य बातों के सिवा इस बात पर भी जोर देते हैं कि *‘‘दोषमुक्तता’’*  ईश्वरीय अवतार का अनिवार्य गुण है जो उनसे अलग नहीं किया जा सकता। वे आगे कहते हैं कि *‘‘ईश्वरीय अवतार से जो भी प्रकट होता है वह सत्यस्वरूप है और यथार्थ के अनुरूप है’’*। वे पहले के विधानों की छाया के नीचे नहीं है, और *‘‘वे जो कुछ भी कहते हैं वे ईश्वर की वाणी है और वे जो कुछ भी करते हैं वह उच्च कोटि का कर्म है।’’*

***76. प्रत्येक पिता को यह आदेश दिया गया है कि वह अपने पुत्र और पुत्री को पढ़ने-लिखने की कला सिखाए/अनु. 48***

अब्दुल बहा अपनी पातियों में न केवल माता-पिता का ध्यान अपने बच्चों को शिक्षित करने के कर्त्‍तव्‍य की ओर दिलाते हैं, अपितु वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि *‘‘पुत्रियों को प्रशिक्षित और संस्कारित करना पुत्रों को प्रशिक्षित और संस्कारित करने से अधिक आवश्यक है’’* क्योंकि पुत्रियाँ एक दिन माँ बनेंगी और माँ नयी पीढ़ी की प्रथम शिक्षिका होती है। इसलिए यदि किसी परिवार के लिए अपने सभी बच्चों को शिक्षित बनाना सम्भव न हो तो बच्चियों को शिक्षित करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि शिक्षित माताओं के माध्यम से समाज में ज्ञान का प्रसार अधिक कुशलतापूर्वक और तीव्रता से किया जा सकता है।

***77. ईश्वर ने प्रत्येक व्यभिचारी पुरुष और स्त्री पर अर्थदण्ड लागू किया है, जो न्याय मन्दिर को दिया जायेगा/अनु. 49***

वह शब्द जिसका अनुवाद यहाँ *‘‘व्यभिचार’’* किया गया है, व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होता है। उससे अभिप्राय है विवाहितों या अविवाहितों के बीच विधिविमुख लैंगिक सम्बन्ध (इसकी व्याख्या के लिए टिप्पणी संख्या 36 देखें)। अब्दुल बहा ने स्पष्ट किया है कि यहाँ जो दण्ड निर्धारित किया गया है वह अविवाहित लोगों द्वारा लैंगिक सम्बन्ध रखने पर लागू होता है। वह यह भी संकेत देते हैं कि यह निर्णय विश्व न्याय मन्दिर पर छोड़ दिया गया है कि किसी विवाहित व्यक्ति द्वारा व्यभिचार किये जाने पर क्या दण्ड दिया जाएगा। (देखिए प्रश्नोत्तर 49)

अपनी एक पाती में अब्दुल बहा संकेत देते हैं कि नैतिकता सम्बन्धी नियमों को तोड़ने और इसके फलस्वरूप मिलने वाले दण्ड का आध्यात्मिक और सामाजिक अभिप्राय क्या है। वे कहते हैं कि इस विधान का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट करना है कि व्यभिचार जैसे कार्य ईश्वर की दृष्टि में लज्जास्पद कार्य हैं और यदि यह अपराध प्रमाणित हो जाए और अपराधी पर अर्थदण्ड लागू किया जाये तो उनका पर्दाफाश होगा और वे समाज की दृष्टि में अपमान के पात्र बनेंगे। वह पुष्टि करते हैं कि इस तरह से पर्दाफाश होना ही सबसे बड़ी सजा है।

इस श्लोक में जिस न्याय मन्दिर की ओर संकेत किया गया है वह सम्भवतः स्थानीय न्याय मन्दिर है जिसे आजकल स्थानीय आध्यात्मिक सभा कहा जाता है।

***78. नौ मिस्क़ाल सोना, अगर वे दुबारा अपराध करें तो यह दोगुना कर दिया जायेगा/ अनु. 49***

मिस्क़ाल माप-तौल की एक प्रणाली है। मध्य-पूर्व के देशों में पारम्परिक रूप से जिस मिस्क़ाल का प्रयोग होता है, वह 24 नखूद के बराबर है। परन्तु बहाइयों के लिए एक मिस्क़ाल का मूल्य *‘‘बयान के निर्धारण के अनुसार’’* 19 नखूद है। (प्रश्नोत्तर 23) अतः, नौ मिस्क़ाल 32.775 ग्राम या 1.05374 आउन्स के बराबर हैं।

अर्थदंड लागू किए जाने के सम्बन्ध में बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि बाद का हर अर्थदंड पहले के अर्थदंड से दोगुना है (प्रश्नोत्तर 23)। अर्थदंड भविष्य की सामाजिक दशाओं के लिये प्रयोग में लाया जायेगा, विश्व न्याय मन्दिर इस विधान और इसके अनुपूरक नियमों को लागू करेगा।

***79. हमने इसे तुम्हारे लिये विधिसम्मत बनाया है कि तुम गीत-संगीत सुनो/अनु. 51***

अब्दुल बहा ने लिखा है कि *‘‘पूर्व के कतिपय देशों में संगीत निंदनीय समझा गया था’’*, हालाँकि *‘‘कुरआन’’* में इस विषय पर कोई विशेष मार्गनिर्देश नहीं मिलता परन्तु कुछ मुसलमान संगीत-श्रवण को विधिसम्मत नहीं मानते और कुछ ऐसे भी हैं जो विशेष सीमाओं और शर्तों पर इसे उचित ठहराते हैं।

बहाई लेखों में संगीत की प्रशंसा में कई अंश हैं। उदाहरण के लिए अब्दुल बहा ने जोर देकर कहा है कि *‘‘संगीत का गायन या वादन आत्मा और हृदय के लिये आध्यात्मिक भोजन है।’’*

***80. हे न्याय-पुरुषो ! /अनु. 52***

अब्दुल बहा और शोग़ी एफेन्दी के लेखों में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है कि यद्यपि विश्व न्याय मन्दिर के सदस्य सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं परन्तु माध्यमिक और स्थानीय न्याय मन्दिरों (जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय तथा स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के नाम से जाना जाता है) के सदस्य के रूप में स्त्रियाँ भी चुनी जा सकती हैं।

***81. किसी व्यक्ति को घायल करने या उसे चोट पहुँचाने का दंड न्याय के स्वामी ने एक खास मुआवजा के रूप में निर्धारित किया है, जो चोट की गंभीरता की मात्रा पर निर्भर है/अनु. 56***

यद्यपि बहाउल्लाह ने कहा है कि दंड का निर्धारण *‘‘चोट की गम्भीरता’’* के अनुसार किया जाएगा किन्तु ऐसा कोई विस्तृत आलेख नहीं है कि अपराध की प्रत्येक मात्रा के लिए कितनी क्षतिपूर्ति वसूल की जाए। इसके निर्धारण का दायित्व विश्व न्याय मन्दिर पर है।

***82. वस्तुतः, तुझे प्रत्येक महीने एक सहभोज देने का आदेश है/ अनु. 57***

यह आदेश प्रत्येक महीने बहाई उत्सव आयोजित किए जाने के लिए आधार प्रस्तुत करता है और इस प्रकार उन्नीस दिवसीय सहभोज का निर्धारण करता है। अरबी *‘‘बयान’’* में बाब ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया था कि वे परस्पर प्रेम और आतिथ्य-भाव प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक उन्नीस दिन पर एकत्रित हों। बहाउल्लाह ने इसका अनुमोदन किया है और ध्यान दिलाया है कि यह अवसर किस तरह एकता की भावना को बढ़ाता है।

बहाउल्लाह के बाद अब्दुल बहा और शोग़ी एफेन्दी ने क्रमशः इस आदेश के संस्थात्मक महत्व का उद्घाटन किया। अब्दुल बहा ने इस तरह एकत्रित होने के आध्यात्मिक, निष्ठाजनक और सामाजिक पक्षों की और अधिक व्यापक व्याख्या करते हुए इसके प्रशासनिक तत्वों का भी विकास किया। उन्होंने सहभोज को प्रक्रियाबद्ध रूप से संस्थापित किया और बहाई समुदाय के क्रियाकलापों पर परामर्श तथा सूचनाओं और संदेशों के आदान-प्रदान के भी अवसर उत्पन्न किए।

एक प्रश्न के उत्तर में कि सहभोज अनिवार्य है कि नहीं, बहाउल्लाह ने कहा कि नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। (प्रश्नोत्तर 48) शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए पत्र में यह टिप्पणी की गई है:

*‘‘उन्नीस दिवसीय सहभोज में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक अनुयायी को यह समझना चाहिए कि ऐसे अवसरों पर उपस्थित होना उसका कर्त्‍तव्‍य है और उसे प्राप्त कृपा का सूचक है।’’*

***83. यदि तू शिकारी पशु-पक्षियों की मदद से आखेट करे तो उन्हें शिकार पर भेजते समय तू ईश्वर के नाम का आह्वान कर क्योंकि तब वे जो कुछ भी पकड़ लायेंगे वह तुम्हारे लिए विधिसम्मत होगा, भले ही वह मरा हुआ शिकार हो/अनु. 60***

इस विधान के द्वारा बहाउल्लाह शिकार से सम्बन्धित प्राचीन धार्मिक नियमों को बहुत सरल बना देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि तीर-धनुष, बंदूक तथा ऐसे ही अन्य हथियारों से शिकार करना इस विधान में निहित है किन्तु ऐसे शिकार का भक्षण वर्जित है, जो फंदे या जाल में आकर मर गया है। (प्रश्नोत्तर 24)

***84. अधिक शिकार न करो/अनु. 60***

यद्यपि बहाउल्लाह ने शिकार करना वर्जित नहीं किया है तथापि वे अधिक शिकार करने से मना करते हैं। उचित समय पर विश्व न्याय मन्दिर यह तय करेगा कि *‘‘अधिक शिकार’’* से क्या अर्थ है।

***85. ‘उन्होंने‘ उन लोगों को दूसरों की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं दिया है/अनु.61***

रक्त-सम्बन्धियों के प्रति दयालुता प्रदर्शित की जाए, बहाउल्लाह के इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें दूसरों की सम्पत्ति में हिस्सा दिया जाए। यह शिया मुसलमानों में प्रचलित उस प्रथा से अलग है, जिसमें मुहम्मद के वंशज विशेष कर का एक अंश प्राप्त करने के अधिकारी थे।

***86. यदि कोई जान-बूझकर किसी घर में आग लगाए तो उसे अग्निसात कर दो, यदि कोई जान-बूझकर किसी की जान ले तो तुम उसे भी प्राणदंड दो/अनु. 62***

बहाउल्लाह के विधान में हत्या और आगजनी के लिए प्राणदंड अथवा वैकल्पिक रूप से, आजीवन कारावास का दंड तय किया गया है। (देखें टिप्पणी 87)

अपनी पातियों में अब्दुल बहा यह व्याख्या करते हैं कि प्रतिशोध और दंड में अंतर है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को प्रतिशोध लेने का अधिकार नहीं है, प्रतिशोध ईश्वर की दृष्टि में घृणा के योग्य है। दंड के पीछे प्रतिशोध की भावना नहीं होती बल्कि एक किये गये अपराध के लिए दंड देने की भावना होती है। *‘‘कुछ उत्तरित प्रश्न’’* (सम ऑन्सर्ड क्वेश्चन्स) नामक पुस्तक में अब्दुल बहा इस बात की पुष्टि करते हैं कि समाज को यह अधिकार है कि अपने सदस्यों की रक्षा और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वह अपराधियों को दंड दे सकता है।

इस प्रावधान के सम्बन्ध में शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गये एक पत्र में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है:

*‘‘अक़दस’’* में बहाउल्लाह ने हत्या के लिए प्राणदंड निर्धारित किया है। वैकल्पिक रूप से उन्होंने आजीवन कारावास की अनुमति दी है। दोनों ही दंड उनके विधान के अनुरूप हैं। जब हम अपने सीमित दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम में से कुछ लोग इस विधान के पीछे निहित विवेक को समझने में असफल हो जाते हैं परन्तु हमें इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ईश्वर का विवेक, उसकी करुणा, उसका न्याय पूर्ण है और वे पूरे विश्व की मुक्ति के लिए हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिथ्या आरोप में प्राणदंड दिया गया है तो क्या हम यह विश्वास नहीं कर सकते कि इस मानवीय अन्याय के लिए दूसरे लोक में ईश्वर उसकी हजार गुणा क्षतिपूर्ति करेगा। एक कल्याणकारी विधान को आप सिर्फ इसलिए नहीं त्याग सकते कि कभी किसी दुर्लभ अवसर पर निर्दोष को भी दंड मिल सकता है।

हत्या और आगज़नी के लिए दंड दिये जाने सम्बन्धी बहाई विधान, जो भविष्य के समाज के लिए निर्धारित है, के सम्बन्ध में बहाउल्लाह ने विशेष विस्तृत संदर्भ नहीं दिये हैं। इस विधान सम्बन्धी अनेक विस्तृत बातें, जैसे अपराध की गंभीरता, अपराध करते समय की परिस्थितियों का विचार किया गया या नहीं और उपरोक्त दोनों दंडों में से सामान्यतः कौन-सा दंड लागू किया जाएगा.... इन पर विश्व न्याय मन्दिर इस नियम के लागू किए जाने के समय की परिस्थितियों पर विचार करते हुए निर्णय देगा। दंड किस प्रकार दिया जाएगा, यह निर्णय भी विश्व न्याय मन्दिर पर छोड़ दिया गया है।

आगज़नी के सम्बन्ध में दंड इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का *‘‘घर’’* जलाया गया है। स्पष्टतः अपराध की गम्भीरता पर इस बात से काफी फर्क पड़ता है कि एक खाली गोदाम जलाया गया है या बच्चों से भरा एक विद्यालय।

***87. यदि तुम आगज़नी करने वाले या हत्यारे को आजीवन कारावास में डालना चाहो तो विधिग्रन्थ इसकी अनुमति देता है/***अनु. 62

*‘‘अक़दस’’* के इस श्लोक के सम्बन्ध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में शोग़ी एफेन्दी ने कहा है कि यद्यपि मृत्युदंड की अनुमति है परन्तु *‘‘आजीवन कारावास’’* का विकल्प भी है *‘‘जिससे इस प्रकार के दंड की कठोरता गम्भीरतापूर्वक कम की जा सके’’*। वे कहते हैं कि *‘‘बहाउल्लाह ने हमें एक विकल्प दिया है और इस तरह हमें यह स्वतंत्रता दी है कि उनके विधान द्वारा निर्धारित की गई कतिपय मर्यादाओं के अंतर्गत हम अपने विवेक का प्रयोग कर सकें।’’* बहाई विधान के इस पहलू पर यदि विशेष दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं तो इसका अर्थ यह है कि भविष्य में ऐसे विषय पर विश्व न्याय मन्दिर नियम तय करेगा।

***88. ईश्वर ने तुम पर विवाह का नियम लागू किया है/अनु. 63***

अपनी एक पाती में बहाउल्लाह ने लिखा है कि इस विधान की स्थापना करके ईश्वर ने विवाह को *‘‘कल्याण और मुक्ति का दुर्ग’’* बनाया है। किताब-ए-अकदस तथा *‘‘प्रश्न और उत्तर’’* में दिए गए विवाह तथा विवाह की शर्तों (प्रश्नोत्तर 3, 13, 46, 50, 84 तथा 92), वाग्दान सम्बन्धी नियम (प्रश्नोत्तर 43), दहेज के भुगतान (प्रश्नोत्तर 12, 26, 39, 47, 87 तथा 88), वर-वधू की लम्बी अनुपस्थिति की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं (प्रश्नोत्तर 4 और 27) तथा ऐसी ही अनेकानेक स्थितियों से सम्बन्धित प्रावधानों के संदर्भ में *‘‘सार संहिता’’* खंड चार-सी, एक-क से ण में सारांश और संश्लेषण प्रस्तुत किये गये हैं। (अनुच्छेद 89-99 भी देखें)

***89. सावधान ! तुम दो से अधिक पत्नियाँ न रखो। जो कोई ईश्वर की सेविकाओं में से किसी एक को संगिनी बनाकर संतुष्ट हो जायेगा वे दोनों ही शांति से निवास करेंगे/अनु. 63***

यद्यपि किताब-ए-अक़दस के पाठ से आभास होता है कि द्विविवाह की अनुमति दी गई है तथापि बहाउल्लाह यह परामर्श देते हैं कि परम शांति और सन्तुष्टि की प्राप्ति एकल विवाह से ही होती है। एक अन्य पाती में वे कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जो *‘‘उसे और उसकी संगिनी को सुख प्रदान करे।’’* बहाई लेखों के प्राधिकृत व्याख्याकार अब्दुल बहा कहते हैं कि किताब-ए-अक़दस के पाठ में एकल विवाह प्रभावी रूप से लागू है। अनेक पातियों में उन्होंने इस विषय की व्याख्या की है। उन्हीं में से एक यह भी है:

*‘‘तुम यह जान लो कि ईश्वरीय विधान में बहुविवाह की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि एक ही पत्नी से सन्तुष्ट रहने की भावना स्पष्टतः अंकित है। दूसरी पत्नी रखना इस बात पर निर्भर है कि दोनों पत्नियों के प्रति सदा न्याय और समता का पालन किया जाए। किन्तु दोनों पत्नियों के प्रति न्याय और समता का पालन नितांत असम्भव है। अतः यह तथ्य कि द्विविवाह एक असम्भव शर्त पर आश्रित है, स्पष्टतया इसके निषेध को प्रमाणित करता है। अतः किसी व्यक्ति को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति नहीं दी गई है।’’*

अधिकांश भागों में बहुविवाह की प्रथा अत्यंत पुरानी है। एकल विवाह की भूमिका क्रमशः ईश्वर के सन्देशवाहकों ने ही बाँधी हैं। उदाहरण के लिए, ईश्वर के अवतार ईसा मसीह ने हालाँकि बहुविवाह का निषेध नहीं किया, परन्तु व्यभिचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रसंगों में तलाक समाप्त कर दिया। मुहम्मद ने पत्नियों की संख्या चार तक सीमित कर दी और बहुविवाह के साथ पत्नियों के प्रति समान न्याय की शर्त भी बांध दी तथा तलाक की अनुमति फिर से प्रदान की। बहाउल्लाह, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को एक मुसलमान बहुल समाज में प्रकट किया, ने एकल विवाह के प्रश्न का उद्घाटन क्रमशः विवेक-सम्मत सिद्धान्तों और अपने उद्देश्य के प्रगतिशील प्रकाशन के अनुसार किया। उन्होंने अनुयायियों के बीच अपने लेखों के दोषमुक्त व्याख्याकार अब्दुल बहा को प्रस्तुत किया जिन्होंने बताया कि किताब-ए-अक़दस में बाहरी तौर पर दो पत्नी रखने की अनुमति वस्तुतः एकल विवाह की स्थापना है, क्योंकि दो पत्नियाँ रखने की शर्त पूरा कर पाना असम्भव है।

***90. जो कोई किसी कुमारिका को अपनी सेवा में रखेगा वह मर्यादा के साथ ऐसा करे/अनु. 63***

बहाउल्लाह ने कहा है कि कोई व्यक्ति घरेलू सेवाओं के लिए किसी कुमारी को रख सकता है। शिया मुसलमानों की प्रथा में इसकी अनुमति नहीं थी, बशर्ते कुमारी को नियुक्त करने वाला व्यक्ति उसके साथ वैवाहिक अनुबंध न कर ले। बहाउल्लाह रेखांकित करते हैं कि इस श्लोक में वर्णित *‘‘सेवा’’* विशुद्धतः उस प्रकार की सेवा हैं जो मजदूरी के बदले किसी भी अन्य प्रकार के सेवकों द्वारा की जाती है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध (प्रश्नोत्तर 30)। नियोक्ता को कुमारी के साथ लैंगिक सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार नहीं है। वह *‘‘जब भी चाहे अपना पति चुनने को स्वतंत्र हैं’’* क्योंकि स्त्रियों को खरीदना मना है। (प्रश्नोत्तर 30)

***91. यह तुम्हारे लिये मेरा आदेश है, अपनी सहायतास्वरूप इसका दृढ़ता से पालन करो/अनु. 63***

यद्यपि ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ में विवाह करने की आज्ञा दी गई है तथापि बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि यह अनिवार्य नहीं है। (प्रश्नोत्तर 46)

शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि *‘‘किसी भी रूप में विवाह बाध्यता नहीं है,’’* उन्होंने यह भी कहा है कि *‘‘अंततः यह व्यक्ति के अपने निर्णय पर निर्भर है कि वह पारिवारिक जीवन व्यतीत करना चाहता है या कुँवारा ही रहना चाहता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवनसाथी की खोज में लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा करनी पड़े और अंत में वह कुँवारा ही रह जाए तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह, स्त्री या पुरुष, अपने जीवन का उद्देश्य, जो मूलतः आध्यात्मिक है, पूरा करने में असफल हो गया है।’’*

***92. हमने इसे माता-पिता की अनुमति पर आधारित किया है/अनु. 65***

शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में इस व्यवस्था के सम्बन्ध में उक्त विधान की निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

*‘‘बहाउल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बहाई विवाह के लिए सभी जीवित माता-पिता की सहमति आवश्यक है। माता-पिता बहाई हों या गैर-बहाई, कई वर्षों से तलाकशुदा हों अथवा नहीं, यह नियम तब भी लागू होता है। उन्होंने यह महान विधान इसलिए अंकित किया है कि सामाजिक ताना-बाना मजबूत हो, परिवारों का स्नेह-बंधन प्रगाढ़ हो तथा बच्चों के हृदय में उनके लिए आभार और आदर की भावना रहे, जिन्होंने उन्‍हें जीवन दिया है और उनकी आत्मा को सृष्टिकर्त्‍ता की ओर अनन्त यात्रा करने के लिए भेजा है।’’*

***93. कोई भी विवाह दहेज अदा किये बिना सम्पन्न नहीं किया जा सकता..../अनु.66***

*‘‘सार संहिता’’*, खंड चार-स, एक, ञ-एक-पाँच, में दहेज विषयक प्रमुख प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इन प्रावधानों का पूर्वसम्बन्ध *‘‘बयान’’* से है।

दहेज का भुगतान वर की ओर से वधू को किया जाता है। नगरवासियों के लिए यह 19 मिस्क़ाल शुद्ध सोना और ग्रामवासियों के लिए 19 मिस्क़ाल चाँदी निर्धारित किया गया है (देखिए टिप्पणी 94)। बहाउल्लाह संकेत देते हैं कि यदि विवाह के समय वर पूरा दहेज नहीं दे सकता है तो उसे वधू के पक्ष में वचन-पत्र देने की अनुमति है। (प्रश्नोत्तर 39)

बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के माध्यम से कई सुपरिचित धारणाओं, प्रथाओं और संस्थाओं की नई परिभाषा दी गई है और नए अर्थ प्रदान किए गए हैं। अनेक संस्कृतियों में दहेज एक अत्यंत पुरानी संस्था रही है और उसके कई रूप मिलते हैं। कुछ देशों में दहेज वधू पक्ष के माता-पिता द्वारा वर को दिया जाता है तो कई अन्य देशों में यह *‘‘कन्या-मूल्य’’* के रूप में वर द्वारा वधू के माता-पिता को दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में दहेज की राशि प्रायः यथोचित होती है। बहाउल्लाह के विधान द्वारा ऐसी विभिन्नताओं को समाप्त कर दिया गया है और दहेज एक ऐसी सांकेतिक क्रिया बना दी गई है जिसके द्वारा वर वधू को एक निर्धारित मूल्य की सीमा में उपहार अर्पित करता है।

***94. नगर के निवासियों के लिये 19 मिस्क़ाल विशुद्ध सोना और ग्रामवासियों के लिए उतनी ही चाँदी/अनु. 66***

बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि दहेज का मापदंड वर का स्थायी आवास है न कि वधू का। (प्रश्नोत्तर 87-88)

***95. यदि कोई इससे अधिक अदा करना चाहे तो उसे 95 मिस्क़ाल से आगे बढ़ने से मना किया गया है.... यदि वह न्यूनतम सीमा के भुगतान पर ही संतोष कर ले तो ग्रंथ के अनुसार यह उसके लिये बेहतर होगा/अनु. 66***

दहेज सम्बन्धी एक प्रश्न के उत्तर में बहाउल्लाह ने कहा है:

*‘‘नगर अथवा ग्राम में निवास करने वालों के प्रसंग में जो कुछ ‘‘बयान’’ में प्रकट किया गया है, उसका अनुमोदन किया गया है और उसका पालन किया गया जाना चाहिए। तथापि किताब-ए-अकदस में न्यूनतम सीमा का उल्लेख किया गया है, अर्थात् उन्नीस मिस्क़ाल चाँदी जो कि ‘‘बयान’’ में ग्रामवासियों के लिए निर्धारित है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो ईश्वर के लिए यह अधिक आह्लादकारी है। उद्देश्य है सबके सुख का संवर्धन तथा लोगों के बीच सहमति और एकता की स्थापना। अतः इन विषयों का जितना ध्यान रखा जाए उतना ही अच्छा होगा..., बहा के लोगों को चाहिए कि वे एक-दूसरे के प्रति अत्यंत प्रेम और निष्ठा का व्यवहार करें। उन्हें सबके, विशेष रूप से ईश्वर के मित्रों के, हितों का ध्यान रखना चाहिए।’’*

अपनी एक पाती में अब्दुल बहा ने दहेज की सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ प्रावधानों का सारांश प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित उद्धरण में भुगतान की ईकाई *‘‘वाहिद’’* है और एक *‘‘वाहिद’’* उन्नीस मिश्क़ाल के बराबर है। अब्दुल बहा कहते हैं:

*‘‘नगर निवासी अवश्य ही स्वर्ण के मूल्य में अदा करें और ग्रामवासी चाँदी के मूल्य में। यह वर के सामर्थ्‍य और आर्थिक साधन पर निर्भर है। यदि वह गरीब है तो एक ‘‘वाहिद’’ अदा करेगा, यदि वह मध्यमवर्गी है तो दो ‘‘वाहिद’’ अदा करेगा, यदि वह सम्पन्न है तो तीन ‘‘वाहिद’’, यदि वह धनी है तो चार ‘‘वाहिद’’ और अगर वह अति सम्पन्न है तो पाँच ‘‘वाहिद’’ अदा करेगा। वस्तुतः यह वर, वधू और उनके माता-पिता के बीच सहमति का विषय है। जैसी सहमति हो वैसा ही किया जाना चाहिए।’’*

इसी पाती में अब्दुल बहा ने इस विधान के प्रयोग से सम्बन्धित प्रश्नों के लिए विश्व न्याय मन्दिर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया है, जिसे *‘‘नियम बनाने का अधिकार है’’*। उन्होंने बल देकर कहा है कि *‘‘यही है वह संस्था जो विधानों को क्रियान्वित करेगी और ऐसे माध्यमिक महत्व के विषयों पर नियम बनाएगी जो पवित्र ग्रंथ में प्रत्यक्षतः उल्लिखित नहीं हैं।’’*

***96. यदि कोई सेवक यात्रा पर जाना चाहे तो उसे अपनी पत्नी के लिये अपने वापस लौटने का समय अवश्य ही निर्धारित कर देना चाहिये/अनु. 67***

बहाउल्लाह ने कहा है कि यदि पति किताब-ए-अक़दस के विधान को जानते हुए भी पत्नी को अपनी वापसी की तिथि बतलाए बिना यात्रा पर जाता है और उसका कोई समाचार प्राप्त नहीं होता और कोई अता-पता नहीं चलता तो पत्नी एक वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद दूसरा विवाह कर सकती है। किन्तु यदि पति किताब-ए-अक़दस के इस विधान को नहीं जानता हो तो पत्नी को तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक उसे पति के विषय में कोई समाचार प्राप्त नहीं हो जाता। (प्रश्नोत्तर4)

***97. पत्नी को चाहिये कि वह नौ महीने की अवधि तक इंतजार करे और इसके बाद अपने लिये अन्य पति का वरण करने में कोई रूकावट नहीं है/अनु. 67***

यदि पति निर्धारित समय पर यात्रा से लौटने या देर होने के सम्बन्ध में पत्नी को सूचित करने में असफल रहे तो पत्नी को नौ महीने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस अवधि के बाद वह दूसरा विवाह कर सकती है परन्तु बेहतर होगा कि वह और अधिक प्रतीक्षा करे (बहाई पंचांग के सम्बन्ध में टिप्पणी 147 देखें)।

बहाउल्लाह कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में यदि पत्नी के पास *‘‘उसके पति की मृत्यु या हत्या’’* की सूचना आ जाए तो भी दूसरा विवाह करने से पूर्व उसे नौ महीने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए (प्रश्नोत्तर 27)। एक पाती में अब्दुल बहा ने आगे स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद प्रतीक्षा की नौ महीने की अवधि का पालन सिर्फ तब ही किया जाना चाहिए जब मृत्यु के समय वह बाहर रहा हो न कि घर पर।

***98. उसे वही मार्ग चुनना चाहिये जो प्रशंसनीय है/अनु. 67***

बहाउल्लाह स्पष्ट करते हैं कि *‘‘धैर्य का पालन’’* ही ‘‘प्रशंसनीय’’ है।

***99. दो निष्पक्ष गवाह/अनु. 67***

साक्ष्य के सम्बन्ध में *‘‘निष्पक्षता का मापदंड’’* बहाउल्लाह *‘‘लोगों के बीच सुख्यात होना’’* तय करते हैं। वे कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि साक्षी बहाई ही हो क्योंकि *‘‘ईश्वरीय सिंहासन के सम्मुख ईश्वर के सभी सेवकों का प्रमाण मान्य है, चाहे वे किसी भी मत या विश्वास से सम्बन्ध रखते हों।’’* (प्रश्नोत्तर 79)

***100. यदि पति-पत्नी के बीच प्रतिशोध अथवा विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाये तो पति उसे तलाक न दे, बल्कि पूरे एक वर्ष की अवधि तक धैर्य के साथ रहे/अनु. 68***

बहाई शिक्षाओं में तलाक की कड़ी निन्दा की गई है। तथापि यदि दम्पत्ति में नापसंदगी या प्रतिशोध की भावना विकसित हो ही जाये तो पूरे एक वर्ष की समाप्ति के बाद तलाक लेने की अनुमति है। धैर्य के इस वर्ष में पति के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करे और पति-पत्नी को चाहिए कि वे अपने मतभेदों को मिटाने का प्रयास करें। शोग़ी एफेन्दी ने इस बात की पुष्टि की है कि जब कभी पति अथवा पत्नी, दोनों में से कोई भी एक *‘‘तलाक को आवश्यक समझते हों तो तलाक मांगने का दोनों को बराबर अधिकार है’’*।

‘प्रश्न और उत्तर’ में बहाउल्लाह धैर्य के वर्ष और उसके पालन (प्रश्नोत्तर 12), उसके प्रारम्भ होने की तिथि का निर्धारण (प्रश्नोत्तर 19 और 40) समझौते की शर्तों (प्रश्नोत्तर 73 और 98)’’ के सम्बन्ध में कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। जहाँ तक गवाहों का सम्बन्ध है’’ विश्व न्याय मन्दिर ने स्पष्ट किया है कि तलाक के विषय में गवाह के कर्त्‍तव्‍यों का पालन आध्यात्मिक सभाओं द्वारा किया जाता है।

*‘‘तलाक सम्बन्धी बहाई विधान’’* के विस्तृत प्रावधानों का सारांश *‘‘सार-संहिता’’* के खंड चार-सी दो क से झ में है।

***101. ईश्वर ने उस परम्परा का निषेध किया है, जिसके अंतर्गत पहले तुम पत्नी को तीन बार ‘‘तलाक’ कहकर तलाक दे सकते थे / अनु 68***

इसका सम्बन्ध कुरआन में अंकित इस्लाम धर्म के एक विधान से है जिसमें आदेश दिया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी तलाकशुदा पत्नी से पुनः विवाह नहीं कर सकता जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति ने उससे विवाह करके उसे तलाक न दे दिया हो। बहाउल्लाह कहते हैं कि किताब-ए-अक़दस में इस प्रथा का निषेध किया गया है। (प्रश्नोत्तर 31)

***102. वह जिसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, उससे पुनर्विवाह कर सकता है, बशर्ते दोनों के बीच परस्पर प्रेम और सहमति हो जाये और स्त्री किसी दूसरे पुरुष का वरण न कर चुकी हो या जब तक उसकी परिस्थितियाँ बदल नहीं जाती हैं/अनु.68***

शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गये एक पत्र में कहा गया है कि *‘‘एक मास गुजर जाने’’* का अर्थ कोई सीमा बन्धन नहीं है। यह सम्भव है कि तलाकशुदा पति-पत्नी तलाक के बाद कभी भी पुनर्विवाह कर सकते हैं, यदि उनमें से किसी एक का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से न हुआ हो।

***103. वीर्य अशुद्ध नहीं है/अनु. 74***

कई धार्मिक परम्पराओं तथा शिया मुसलमानों की प्रथा में वीर्य को संस्कार की दृष्टि में अशुद्ध घोषित किया गया है। बहाउल्लाह ने यहाँ इस धारणा का निर्मूलन किया है। (टिप्पणी संख्या 106 भी देखिये।)

***104. तू उत्कृष्टता का दामन थाम/अनु. 74***

अब्दुल बहा ने *‘‘शुद्धता और पवित्रता, स्वच्छता और उत्कृष्टता’’* को *‘‘मानवीय दशा’’* और *‘‘मनुष्य के आंतरिक यथार्थ के विकास’’* पर सुप्रभाव डालने वाला बताया है। वे कहते हैं कि *‘‘शुद्ध और निष्कलुषित देह मनुष्य की चेतना पर एक सुप्रभाव उत्पन्न करती है।’’* (टिप्पणी सं. 74 भी देखिये)

***105. प्रत्येक धूल-धूसरित वस्तु को तू ऐसे जल से स्वच्छ कर जो तीन में से किसी भी एक विधि से प्रदूषित न हुआ हो/अनु. 74***

*‘‘तीन विधि’’* से तात्पर्य है रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन। जल की शुद्धता और वह सीमा जहाँ जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है के सम्बन्ध में बहाउल्लाह ने और भी निर्देश दिए हैं। (प्रश्नोत्तर 91)

***106. ईश्वर ने ‘‘अस्वच्छता’’ की वह धारणा, जिसके अंतर्गत विविध वस्तुओं और लोगों को अशुद्ध करार कर दिया गया है, समाप्त कर दी है/अनु. 75***

संस्कार सम्बन्धी ‘‘अशुद्धता’’ जैसा कि कुछ जनजातीय समाजों और पहले के धर्मकालों में समझा गया था या परम्पराओं में माना गया था, उसे बहाउल्लाह ने समाप्त कर दिया है। वे कहते हैं कि उनके प्रकटीकरण के माध्यम से ‘‘सभी रचित वस्तुएँ पवित्रता के सिन्धु में नहा उठी थीं’’। (टिप्पणी सं. 12, 20 और 103 भी देखिए)।

***107. रिज़वान का पहला दिन/अनु. 75***

संकेत उस घटना की ओर है जब बहाउल्लाह और उनके अनुयायी बगदाद शहर के किनारे बसे नजीबियह उद्यान, जिसे बाद में बहाइयों ने रिज़वान का उद्यान कहा, में पहुँचे थे। यह घटना जो अप्रैल 1863 में नवरूज़ के 31 दिनों बाद घटी थी, उस अवधि का आरम्भ था जब बहाउल्लाह ने अपने अनुयायियों के समक्ष अपने मिशन की घोषणा की थी। एक पाती में बहाउल्लाह अपनी घोषणा को *‘‘सर्वोच्च हर्ष का दिन’’* कहते हैं और रिज़वान के बाग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह *‘‘वह स्थल है जहाँ से उन्होंने सम्पूर्ण सृष्टि पर अपने सर्वकरुणामय नाम की आभा बिखेरी थी’’*। इस्ताम्बुल, अर्थात् वह जगह जहाँ उन्हें देश निकाला दिया गया था, की ओर प्रस्थान करने से पहले बहाउल्लाह उस उद्यान में बारह दिनों तक ठहरे थे।

बहाउल्लाह की घोषणा का दिन प्रत्येक वर्ष बारह दिनों तक चलने वाले रिज़वान महोत्सव के रूप में मनाया जाता है जिसे शोग़ी एफेन्दी ने *‘‘सभी बहाई उत्सवों में सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण’’* बतलाया है। (टिप्पणी सं. 138 और 140 भी देखिए)

***108. बयान/अनु. 77***

बाबी धर्मकाल का मातृग्रंथ बयान बाब द्वारा दो खंडों में प्रकट किया गया.... एक फारसी में और दूसरा अरबी में। फारसी बयान सिद्धांत-सम्बन्घी प्रमुख पुस्तक है और बाब द्वारा आदेशित विधानों का संग्रह है, जबकि अरबी बयान की विषय वस्तु समान है, लेकिन कम पृष्ठों वाली है। यह ग्रंथ बाब के धर्मकाल के विधानों और शिक्षाओं का संग्रह है और इसमें बाब ने अनेक स्थलों पर उसकी ओर संकेत किया है *‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’* जिसके आगमन की पूर्वघोषणा करने बाब अवतरित हुए थे। *‘‘गॉड पासेज बाई’’* (नवयुग की पहली शताब्दी) नामक पुस्तक में शोग़ी एफेन्दी यह संकेत देते हैं कि *‘‘बयान’’* को *‘‘मुख्य रूप से प्रतिज्ञापित अवतार’’* का स्तुति-ग्रंथ समझना चाहिए न कि भविष्य की पीढ़ियों को स्थायी दिशा-निर्देश देने वाले विधानों और अध्यादेशों का संग्रह।

अब्दुल बहा ने लिखा है *‘‘बयान’’* का स्थान किताब-ए-अकदस ने ले लिया है, सिवाय ऐसे विधानों के जिनका उल्लेख और जिनकी पुष्टि किताब-ए-अक़दस में की गई है।

***109. पुस्तकों का विनाश/अनु. 77***

इशराकात की पाती में इस तथ्य की ओर संकेत करते हुए कि बाब ने अपने विधानों को ‘उनकी’ स्वीकृति पर आधारित किया था, बहाउल्लाह ने कहा है कि उन्होंने बाब के कई विधानों को दूसरे शब्दों में किताब-ए-अक़दस में सन्निहित किया है’’ और कुछ विधानों को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया है।

जहाँ तक पुस्तकों को विनष्ट करने का प्रश्न है, *‘‘बयान’’* में बाब ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी कि उन पुस्तकों को छोड़कर, जो ईश्वरीय धर्म की गरिमा बढ़ाने के लिए रचित हैं, शेष पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए। बहाउल्लाह ने *‘‘बयान’’* के इस विधान को अस्वीकृत कर दिया है।

*‘‘बयान’’* में प्रकट किए गए विधानों के स्वरूप और उनकी कठोरता के प्रसंग में शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे एक पत्र में यह टिप्पणी की गई है:

बाब द्वारा प्रकट किए गए विधानों और अध्यादेशों की सराहना और उनका ज्ञान तभी सम्भव है जब हम उनकी व्याख्या बाब के उन कथनों के प्रकाश में करेंगे जो उन्होंने स्वयं अपने धर्मकाल के स्वरूप, उद्देश्य और लक्षण के बारे में प्रकट किए हैं। जैसा कि इन कथनों से स्पष्ट हो जाता है, बाबी धर्मकाल अनिवार्यतः एक धार्मिक-सामाजिक क्रांति के रूप में था और इस कारण इसकी अवधि बहुत छोटी थी, यद्यपि यह छोटी-सी अवधि भी त्रासद घटनाओं और भीषण सुधारों की अवधि थी। बाब तथा उनके अनुयायियों द्वारा अपनाए गए वे कठोर उपाय शिया मुसलमानों की रूढ़िवादिता की नींव हिलाने के लिए थी और इस तरह उनका उद्देश्य था बहाउल्लाह के आगमन के लिए मार्ग तैयार करना। इस बात पर जोर देने के लिए कि आने वाला धर्मकाल एक स्वतंत्र धर्मकाल है और साथ ही, यह बतलाने के लिये कि बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के लिए भूमिका बनाने के उद्देश्य से बाब को अनेक कठोर विधान बनाने पड़े, हालाँकि उनमें से कई विधान कभी लागू भी नहीं हुए, यह तथ्य इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि उन्होंने एक स्वतंत्र विधान की रचना की, ऐसे व्यापक आंदोलन को जन्म दिया और मुल्लाओं में ऐसी खलबली मचाई कि अंततः इसी कारण उन्हें शहीद हो जाना पड़ा।

***110. हमने तुम्हें ऐसे विज्ञान के अध्ययन की अनुमति दी है जो तुम्हारे लिये लाभदायक हों, न कि ऐसे जो निरर्थक विवादों को जन्म देने वाले हों/अनु. 77***

बहाई लेखों में ज्ञान की प्राप्ति और कला तथा विज्ञानों का अध्ययन करने का आदेश दिया गया है। बहाइयों को यह भी आदेश दिया गया है कि वे विद्वान तथा निपुण व्यक्तियों का आदर करें तथा उन्हें चेतावनी दी गई है कि वे ऐसे शास्त्रों में पारंगत बनने का लोभ न करें जिनसे व्यर्थ की झड़प और हाथापाई का वातावरण बने।

अपनी पातियों में बहाउल्लाह अनुयायियों को परामर्श देते हैं कि वे ऐसी कला और विज्ञान का पठन-पाठन करें जो *‘‘उपयोगी’’* हों, जो समाज की *‘‘उन्नति और विकास’’* कर सकें। वे ऐसे शास्त्रों से सावधान करते हैं *‘‘जो शब्द से शुरू होकर शब्द पर समाप्त हो जाते हैं’’* और जिनके अभ्यास से *‘‘निरर्थक विवाद’’* उपजता है। शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखित एक पत्र में ‘शब्द से शुरू होकर शब्द पर समाप्त होने वाले’ शास्त्रों की तुलना *‘‘आध्यात्मिक विषयों के बाल की खाल निकालने वाले व्यर्थ अभियान’’* से की गई हैं। एक अन्य पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे *‘‘विज्ञानों’’* से बहाउल्लाह का मुख्य आशय *‘‘ऐसी आस्तिकतावादी व्याख्याओं और टिप्पणियों से है जो मनुष्य द्वारा सत्य का ज्ञान पाने में साधक तो नहीं किन्तु बाधक जरूर हैं।’’*

***111. उसने, जिसने ईश्वर से वार्तालाप किया/अनु. 80***

यह मूसा की एक पारम्परिक यहूदी और मुसलमानी उपाधि है। बहाउल्लाह कहते हैं कि उनके प्रकटीकरण के साथ ही *‘‘मनुष्य के कान वह सुनने का सौभाग्य पा सके हैं जिसे सिनाई पर्वत पर ईश्वर से वार्तालाप करने वाले ने सुना था।’’*

***112. सिनाई/अनु. 80***

वह पर्वत जहाँ ईश्वर ने मूसा के समक्ष विधान प्रकट किया था।

***113. ईश्वर की चेतना/अनु. 80***

यह वह उपाधि है जिससे इस्लाम और बहाई धर्म में ईसा मसीह को अलंकृत किया गया है।

***114. कार्मल..... ज़ियोन/अनु. 80***

*‘‘ईश्वर की अंगूरवाटिका’’*, कार्मल-पवित्र भूमि में वह पर्वत है जहाँ बाब की समाधि है और बहाई धर्म का प्रशासनिक केन्द्र है। ज़ियोन जेरूसेलम में एक पहाड़ी है। यहाँ राजा डेविड की समाधि-शिला है और यह पर्वत एक पवित्र नगर के रूप में जेरूसेलम का प्रतीक है।

***115. अरुणाभ नौका/अनु. 84***

*‘‘अरुणाभ नौका’’* का अर्थ है बहाउल्लाह का धर्म। उनके अनुयायियों को *‘‘अरुणाभ नौका के सहचर’’* कहा गया है जिनकी प्रशंसा बाब ने *‘‘कय्यूम-उल-अस्मा’’* में की है।

***116. हे आस्ट्रिया के सम्राट ! जब तू अक्सा की मस्जिद की यात्रा पर चला था तो ’वह‘, जो ईश्वरीय प्रकाश का उद्गमस्थल है, अक्का के कैदखाने में रह रहा था/अनु. 85***

फ्रांसिस जोसेफ (फ्रैज़ जोसेफ, 1830-1916), ऑस्ट्रिया के सम्राट और हंगरी के राजा, ने 1869 ई. में जेरूसलम की तीर्थयात्रा की थी। *‘‘पवित्र भूमि’’* में रहते हुए भी उसने बहाउल्लाह का कुशलक्षेम नहीं पूछा जो उस समय अक्का में कैदी थे।

*‘‘अक्सा मस्जिद’’* जिसका शाब्दिक अर्थ है *‘‘सुदूर मस्जिद’’* कुरआन में वर्णित है और उसे जेरूसलम के *‘‘मन्दिर पर्वत’’* के रूप में पहचाना गया है।

***117. हे बर्लिन के सम्राट/अनु. 86***

कैसर विलियम प्रथम (विल्हेम फ्रेडरिक लुडविग, 1797-1888) जो प्रुसिया का सातवाँ राजा था, फ्रांस-प्रुसिया युद्ध में फ्रांस पर जर्मनी द्वारा विजय प्राप्त किए जाने के बाद फ्रांस के वसाईल में, जनवरी 1871 में, जर्मनी का प्रथम सम्राट बना।

***118. जिसकी शक्ति तेरी शक्ति से बढ़-चढ़ कर थी और जिसकी सत्ता मेरी सत्ता से भी श्रेष्ठ थी/अनु. 86***

फ्रांसिसी सम्राट नेपोलियन तृतीय (1808-1873) की ओर संकेत है जो अनेक इतिहासकारों द्वारा अपने युग में पश्चिम का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट कहा गया है।

बहाउल्लाह ने नेपोलियन तृतीय को सम्बोधित करते हुए दो पातियाँ प्रकट कीं, जिनमें से दूसरी पाती में उन्होंने स्पष्ट भविष्यवाणी की कि नेपोलियन का साम्राज्य *‘‘तहस-नहस हो जाएगा’’*, साम्राज्य उसके हाथों से *‘‘फिसल जाएगा’’* और उसकी प्रजा भारी *‘‘उथल-पुथल’’* का शिकार होगी।

एक वर्ष के अन्दर ही, नेपोलियन तृतीय को 1870 के सुडान के युद्ध में कैसर विलियम प्रथम के हाथों भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वह निर्वासित होकर इंगलैड गया जहाँ तीन वर्ष बाद उसकी मृत्यु हुई।

***119. हे कुस्तुन्तुनिया के लोगो/अनु. 89***

*‘‘कुस्तुन्तुनिया’’* के रूप में अनुवादित शब्द मूलतः अर-रूम अथवा *‘‘रोम’’* है। सामान्यतः मध्य पूर्व में इस शब्द का प्रयोग कुस्तुन्तुनिया के सन्दर्भ में तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य के अर्थ में, फिर विजैन्तियम नगरी और उसके साम्राज्य के प्रसंग में तथा पुनः ऑटोमन साम्राज्य को संकेतित करने के लिए किया गया है।

***120. हे दो महासागरों के तटों पर स्थित स्थल/अनु. 89***

संकेत कुस्तुन्तुनिया की ओर है जिसे अब इस्ताम्बुल कहा जाता है। बॉस्फोरस की 31 किलोमीटर लम्बी जलसंधि, जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, पर बसा यह नगर तुर्की का सबसे बड़ा शहर और बन्दरगाह है।

सन् 1453 से 1922 ई. तक कुस्तुन्तुनिया ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी था। इस नगर में बहाउल्लाह के निर्वासन के समय ही नृशंस सुल्तान अब्दुल-अज़ीज़ को राजगद्दी मिली। ऑटोमन सुल्तान खलीफा अर्थात् सुन्नी मुसलमानों का नेता भी हुआ करता था। बहाउल्लाह ने खलीफा की पदवी समाप्त हो जाने की पूर्वघोषणा की थी जो 1924 में सचमुच समाप्त हो गई।

***121. हे राईन नदी के किनारो/अनु. 90***

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) से पहले लिखी गई अपनी एक पाती में अब्दुल बहा ने व्याख्या की है कि बहाउल्लाह का यह कहना कि उन्होंने *‘‘राइन नदी के तटों को खून से लथपथ’’* देखा है, फ्रांस-प्रुसिया युद्ध (1870-71) की ओर संकेत करता है और सूचित करता है कि अभी और भी विपदाएँ आएँगी।

*‘‘गॉड पासेज बाई’’[[26]](#footnote-26)* में शोग़ी एफेन्दी ने कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद उस पर जो *‘‘कठोर और अत्याचारपूर्ण संधि’’* लाद दी गई उससे *‘‘बर्लिन का विलाप’’* प्रतिफलित हुआ जिसकी पूर्वघोषणा बहाउल्लाह द्वारा आधी शताब्दी पहले ही कर दी गई थी।

***122. हे ‘ता’ की भूमि/अनु. 91***

‘ता’ तेहरान के लिए संक्षिप्ताक्षर है, जो ईरान की राजधानी है। बहाउल्लाह ने ज्यादातर उसके संक्षिप्त नाम से ही उसे सम्बोधित किया है। गिनती की *‘‘अबजद’’* प्रणाली के अनुसार ‘ता’ का अंकगणितीय मूल्य है नौ और यही संख्या ‘‘बहा’’ नाम के अंकगणितीय मूल्य के भी बराबर है।

***123. उसकी महिमा का अवतार तुम्हीं में जन्मा था/अनु. 92***

यह संदर्भ तेहरान में 12 नवम्बर 1817 को बहाउल्लाह के जन्म का है।

***124. हे ‘खा’ की भूमि/अनु. 94***

संकेत है ईरान के खुरासान और पड़ोसी प्रांतों की ओर जिसमें इश्काबाद (अश्काबाद) का नगर भी शामिल है।

***125. अगर कोई व्यक्ति एक सौ मिस्क़ाल सोना अर्जित करता है तो उसमें से उन्नीस मिस्क़ाल सोना ईश्वर का है और उस आकाश और धरती के रचयिता को उसे अर्पित किया जाये/अनु. 97***

इस श्लोक द्वारा हुकूकुल्लाह अर्थात् ईश्वर के अधिकार की स्थापना की गई है। बहाउल्लाह के जीवनकाल में यह समर्पण ईश्वरीय अवतार होने के नाते उन्हीं के समक्ष किया जाता था तथा उनके निधन के बाद उनकी संविदा के केन्द्र अब्दुल बहा को। अपनी *‘‘इच्छा-पत्र और वसीयतनामा’’* में अब्दुल बहा ने आदेश दिया है कि हुकूकुल्लाह का भुगतान *‘‘धर्मसंरक्षक के माध्यम से’’* किया जाना चाहिए। चूँकि अब धर्मसंरक्षक नहीं हैं, यह भुगतान विश्व न्याय मन्दिर के माध्यम से किया जाता है। यह धनराशि प्रभुधर्म के विकास तथा विविध मानवतावादी उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है जिसे पूरा करने का दायित्व प्रत्येक बहाई की अंतर्आत्मा पर छोड़ दिया गया है। हालांकि बहाई समुदायों को हुकूकुल्लाह अदा करने का स्मरण दिलाया जाता है परन्तु व्यक्तिगत रूप से इसके भुगतान के लिये किसी से आग्रह नहीं किया जा सकता।

‘‘प्रश्न और उत्तर’’ के कई विषयों में इस विधान की व्यापक व्याख्या की गई है। हुकूकुल्लाह का भुगतान व्यक्ति की सम्पत्ति के मूल्य के माप पर आधारित हैं। यदि व्यक्ति की स्वाधिकृत सम्पत्ति का मूल्य कम-से-कम उन्नीस मिस्क़ाल सोने के बराबर हो गया है तो (प्रश्नोत्तर 4) कुल सम्पत्ति पर एक बार उन्नीस प्रतिशत धन अदा करना व्यक्ति का आध्यात्मिक दायित्व है। तदुपरान्त, सभी खर्च घटाने के बाद जब कभी व्यक्ति की आय पुनः कम-से-कम उन्नीस मिस्क़ाल स्वर्ण-मूल्य के बराबर बढ़ जाती है तो इस वृद्धि पर व्यक्ति को उन्नीस प्रतिशत धन का भुगतान करना चाहिए और इसी प्रकार प्रत्येक बार की वृद्धि पर। (प्रश्नोत्तर 8, 90)।

विशेष प्रकार की सम्पत्ति, जैसे व्यक्ति का घर, हुकूकुल्लाह के भुगतान से मुक्त है (प्रश्नोत्तर 8, 42, 95)। आर्थिक क्षति के मामलों (प्रश्नोत्तर 44, 45), पूँजी से लाभ प्राप्त न होने (प्रश्नोत्तर 102) तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर हुकूक का भुगतान करने (प्रश्नोत्तर 9, 69, 80 तथा टिप्पणी सं. 47) जैसे मामलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

हुकूकुल्लाह के आध्यात्मिक महत्व और इसके लागू होने सम्बन्धी विस्तृत बातों पर प्रकाश डालने वाली पातियों, प्रश्नोत्तरों और लेखों का संकलन ‘‘हुकूकुल्लाह’’ नामक पुस्तक में किया गया है।

***126. अनुयायियों की ओर से हमारे सिंहासन के समक्ष ईश्वर के विधानों के सम्बंध में कई अर्जियाँ पहुँची हैं। परिणामतः हमने यह पवित्र पाती प्रकट की है और इसे ईश्वर के विधानों की ऊर्जा से सुसज्जित किया है ताकि लोग अपने प्रभु के आदेश का पालन कर सकें/अनु. 98***

बहाउल्लाह अपनी एक पाती में कहते हैं, ‘‘कई वर्षों से ईश्वरीय विधान की मांग करते हुए अनेक भू-भागों से परम पावन उपस्थिति में अर्जियाँ प्राप्त हुई हैं परन्तु हमने अपनी लेखनी तब तक रोके रखी जब तक निर्धारित समय नहीं आ गया।’’ तेहरान स्थित सियाहचाल में ईश्वरीय सन्देशवाहक के रूप में अपना मिशन प्रारम्भ करने के बीस वर्षों के बाद बहाउल्लाह ने अपने धर्मकाल के विधानसंग्रह किताब-ए-अक़दस को प्रकट किया। प्रकट किए जाने के बाद भी फारस भेजने से पूर्व बहाउल्लाह ने इसे अपने पास कुछ समय तक रोके रखा। जो इस युग के लिए ईश्वर के आधारभूत विधानों को प्रकट करने में जान-बूझ कर किया गया विलम्ब और इसके प्रावधानों को क्रमशः लागू करने की पुष्टि करता है। प्रत्येक ईश्वरीय सन्देशवाहक के काल में भी यही सिद्धान्त प्रतिफलित हुआ है।

***127. अरुणाभ स्थल/अनु. 100***

संकेत है बंदीगृह अक्का की ओर। बहाई लेखों में ‘‘अरुणाभ’’ शब्द का प्रयोग कई रूपकों और सांकेतिक अर्थों में किया गया है। (देखिए टिप्पणी सं. 115)

***128. सद्रतुल-मुन्तहा/अनु. 100***

शाब्दिक अर्थ है ‘‘सुदूर तरूवर’’ जिसका शोग़ी एफेन्दी ने अनुवाद किया है ‘वह तरूवर जिसके आगे कोई राह नहीं है।’ *‘‘इस्लाम में यह सांकेतिक अर्थ में प्रयुक्त है। जैसे मुहम्मद की ‘‘रात्रि यात्रा’’ के प्रसंग में अम्बर-स्थल का वर्णन मिलता है जिसे ईश्वर तक पहुँचने के लिए, कोई मनुष्य या देवदूत पार नहीं कर सकता। इस प्रकार, इससे मनुष्य के समक्ष प्रकट किए गए दिव्य ज्ञान की चरम सीमा निरूपित की गई है। बहाई लेखों में यह शब्द ईश्वरीय संदेशवाहक की उपाधि है।’’* (देखिए टिप्पणी 164)

**129. मातृग्रंथ/अनु. 103**

*‘‘मातृग्रंथ’’* से तात्पर्य है किसी धर्मकाल का केन्द्रीय धर्मग्रंथ। *‘‘कुरआन’’* तथा इस्लामी हदीस में इस शब्द द्वारा *‘‘कुरआन’’* को ही संकेतित किया गया है। बाबी धर्मकाल में मातृग्रंथ *‘‘बयान’’* है और बहाउल्लाह के धर्मकाल का मातृग्रंथ *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* है। धर्मसंरक्षक की ओर से लिखे गये एक पत्र में कहा गया है कि इस शब्द से *‘‘बहाउल्लाह द्वारा उद्घाटित की गई सम्पूर्ण शिक्षा’’* का समूहवाचक अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग *‘‘प्रकटीकरण के दिव्य कोष’’* के अर्थ में भी किया जाता है।

***130. दिव्य प्रकटीकरण के आकाश से जो भेजा गया है, जो भी उसका अर्थान्तर करेगा और इसके प्रत्यक्ष अर्थ को बदलेगा/अनु. 105***

अपनी कई पातियों में बहाउल्लाह ने रूपकात्मक श्लोकों जिनका अर्थान्तर किए जाने का डर है, और विधानों तथा अध्यादेशों से सम्बन्धित श्लोकों में अन्तर दर्शाया है, अर्थात् ऐसे श्लोक जिनका सम्बन्ध उपासना और धार्मिक विधिव्यवहारों से है, जिनका अर्थ स्पष्ट है और अनुयायियों द्वारा जिनका पालन किया जाना अपरिहार्य है।

जैसा कि टिप्पणी सं. 145 और 184 में स्पष्ट किया गया है, बहाउल्लाह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अब्दुल बहा को अपना उत्तराधिकारी और अपनी शिक्षाओं का व्याख्याता नियुक्त किया। अपने समय में अब्दुल बहा ने अपने ज्येष्ठ नाती शोग़ी एफेन्दी को पवित्र लेखों का व्याख्याकार और धर्म के संरक्षक के रूप में अपना उत्तराधिकार दिया था। ऐसा माना जाता है कि अब्दुल बहा और शोग़ी एफेन्दी की व्याख्या को दिव्य निर्देश प्राप्त हैं, और वे बहाइयों के लिए बाध्यकारी हैं।

प्राधिकृत व्याख्याओं के होने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति बहाई शिक्षाओं का अध्ययन न करें और अपनी निजी राय कायम न करें। बहाई लेखों में प्राधिकृत व्याख्या और अध्ययन-जनित व्यक्तिगत विचार और निष्कर्ष में साफ अन्तर किया गया है। ऐसे निजी विचार व निष्कर्ष प्रत्येक व्यक्ति की अपनी समझदारी पर आधारित है, वे मनुष्य की तर्कशक्ति के परिणाम हैं और सम्भव है उनसे धर्म की और व्यापक समझ हो सके। परन्तु ऐसे विचारों और निष्कर्षों को आधिकारिक वैधता प्राप्त नहीं है। व्यक्तिगत विचार प्रस्तुत करते समय बहाइयों को सावधान किया गया है कि वे प्रकटित शब्दों की सत्ता न भुला दें, प्राधिकृत व्याख्याओं को अस्वीकार न कर दें या उनके विषय में विवाद और बहस न करें बल्कि अपने विचारों को वे ज्ञान के प्रति एक योगदान समझें और स्पष्ट कर दें कि ये विचार उनके केवल अपने विचार हैं।

***131. तुम फारस के सार्वजनिक स्नानागारों के निकट न जाओ/अनु.106***

बहाउल्लाह फारस के पारम्परिक स्नानगृहों के जलकुंडों का उपयोग करने से मना करते हैं। ऐसे स्नानगृहों में एक ही जल कुंड में कई लोग नहाया करते थे और पानी कभी-कभार बदला जाता था। परिणामतः पानी मटमैला, दूषित और अस्वास्थ्यकर हो जाता था और उससे सड़ांध उत्पन्न होती थी।

***132. इसी तरह फारस के घरों के आंगन में जो दुर्गंध से भरे जलाशय हुआ करते हैं, उनसे भी परहेज करो/अनु. 106***

इसी तरह, फारस के कई घरों के आंगन में जलाशयनुमा जलकुंड हुआ करते थे जिनके पानी से सफाई और घरेलू काम किए जाते थे। चूँकि यह पानी स्थिर हुआ करता था और उसे कई सप्ताह तक बदला भी नहीं जाता था, उससे बड़ी बदबू आती थी।

***133. तुम्हारे लिये अपने पिता की पत्नियों से विवाह करने का निषेध है/अनु. 107***

सौतेली माँ से विवाह का यहाँ स्पष्ट शब्दों में निषेध किया गया है। सौतेले पिता से विवाह करने के प्रसंग में भी यही निषेध लागू है। जहाँ कहीं बहाउल्लाह ने स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध में अलग विधान प्रतिपादित किए हैं वे विधान स्त्री और पुरुष दोनों पर ही आवश्यक फेरबदल के साथ लागू होते हैं, बशर्ते प्रसंग के अनुसार ऐसा असम्भव न हो।

अब्दुल बहा और शोग़ी एफेन्दी ने इस बात की पुष्टि की है कि यद्यपि पाठ में सौतेली माँ का उल्लेख हुआ है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि परिवार में अन्य तरह के सम्मिलन (विवाह) की आज्ञा दी गई है। बहाउल्लाह कहते हैं कि *‘‘सगे-सम्बन्धियों से विवाह करने की वैधता अथवा अन्य बातों’’* के लिए विधान बनाने का भार विश्व न्याय मन्दिर पर है। (प्रश्नोत्तर 50) अब्दुल बहा ने लिखा है कि *‘‘वर-वधू के बीच जितना ही दूर का रक्त-सम्बन्ध हो, उतना ही अच्छा है क्योंकि ऐसे ही विवाह मानवजाति के शारीरिक कल्याण के आधार हैं और मानवों के बीच बन्धुत्व बढ़ाने वाले हैं।’’*

***134. पुरुष समलैंगिकता के विषय..../अनु. 107***

इस प्रसंग में पुरुष समलैंगिकता के रूप में अनुवादित शब्द मूल अरबी में पुरुष की पुरुष के साथ लैंगिक सम्बन्ध रखना है। शोग़ी एफेन्दी ने इस निषेध की व्याख्या हर तरह के समलैंगिक सम्बन्ध के सन्दर्भ में की है।

जहाँ तक सेक्स सम्बन्धी नैतिकता का सवाल है, बहाई शिक्षाओं की धुरी है विवाह और परिवार जो मानवीय समाज की संरचना के आधार हैं और जिनकी रचना दिव्य संस्था की सुरक्षा और मजबूती के लिए विवाहित पति-पत्नी तक ही है। शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में कहा गया है:

*‘‘समलिंगी व्यक्तियों के बीच चाहे जितना भी समर्पित और सूक्ष्म प्रेम क्यों न हो, इसे सेक्स सम्बन्धों के रूप में व्यक्त करना गलत है। ऐसे सम्बन्धों के आदर्शवादी होने का दावा करना कोई बहाना नहीं हो सकता। बहाउल्लाह ने वास्तव में हर प्रकार की अनैतिकता का निषेध किया है और वे समलैंगिक सम्बन्धों को भी अनैतिक तथा प्रकृति के विरुद्ध मानते हैं। किसी भी शुद्ध अन्तःकरण वाले व्यक्ति के लिए इस कार्य में लिप्त होना बड़ा कष्टप्रद है। डाक्टरों की मदद और उनकी सलाह तथा दृढ़निश्चय और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति इस कमजोरी पर काबू पा सकता है।’’*

बहाउल्लाह ने अपराध की गम्भीरता के अनुसार व्यभिचार और यौन अनैतिकता के लिए दंड निर्धारित करने का अधिकार विश्व न्याय मन्दिर को दिया है। (प्रश्नोत्तर49)

***135. किसी को यह अनुमति नहीं है कि गलियों और बाजारों में गुजरते हुए वह पवित्र श्लोकों को बुदबुदाता चले/अनु. 108***

इसमें प्राचीन धर्मकालों के विशेष पुरोहित और धर्मगुरुओं द्वारा अपनाई गई प्रथा की ओर संकेत किया गया है जो आडम्बर और पाखण्ड के कारण तथा अनुयायियों की श्रद्धा पाने की दृष्टि से, अपनी पवित्रता दर्शाने हेतु, सार्वजनिक स्थलों पर प्रार्थनाओं का पाठ करना शुरू कर देते थे। बहाउल्लाह ऐसा करने से मना करते हैं और ईश्वर के प्रति विनम्रता और सच्ची भक्ति की भावना रखने पर बल देते हैं।

***136. हर व्यक्ति को वसीयत लिखने का आदेश दिया गया है/ अनु. 109***

बहाउल्लाह की शिक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्‍तव्‍य है कि वह अपनी वसीयत करे। उसे स्वतंत्रता दी गई है कि वह जैसे चाहे, अपनी सम्पत्ति का प्रबंध करे। (टिप्पणी सं. 38)

बहाउल्लाह कहते हैं कि अपना इच्छापत्र लिखते हुए *‘‘व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार है’’* क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुमति दी है कि *‘‘जो कुछ उसे ईश्वर ने प्रदान किया है, उसका वह अपनी इच्छानुसार निष्पादन करे।’’* (प्रश्नोत्तर 69)। यदि वसीयत न की गई हो तो ऐसी दशा में उत्तराधिकार के वितरण का विधान किताब-ए-अक़दस में वर्णित है। (देखिए टिप्पणी 38-48)

***137. सर्वोच्च नाम/अनु. 109***

जैसा कि टिप्पणी सं. 33 में स्पष्ट किया गया है, ईश्वर के सर्वोच्च नाम के कई रूप-भेद हो सकते हैं और यह सभी रूप *‘‘बहा’’* पर आधारित हैं। पूर्वी देशों के बहाइयों ने इस आज्ञा का पालन इस रूप में किया है कि अपनी वसीयत इत्यादि लिखते समय वे सबसे ऊपर में इन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं: *‘‘हे सर्वमहिमावान की महिमा !’’* *‘‘ईश्वर के नाम से जो सर्वमहिमावान है’’* अथवा *‘‘वह है सर्वमहिमावान !’’*

***138. सभी सहभोजों का चरम बिन्दु ‘‘महानतम उत्सवों’’ तथा दो अन्य उत्सव जो दो संयुक्त दिवसों में पड़ते हैं, में निहित है/अनु. 110***

इस अंश द्वारा बहाई वर्ष के चार महान उत्सवों की स्थापना की गई है। बहाउल्लाह द्वारा निरूपित *‘‘दो अति महान उत्सवों’’* में से पहला रिज़वान का उत्सव है, जो अप्रैल-मई 1863 में बगदाद के रिज़वान नामक उद्यान में बहाउल्लाह के बारह दिनों की अवधि में उनके दिव्य मिशन की घोषणा का स्मरण दिलाता है और जिसे बहाउल्लाह ने *‘‘उत्सवों का सम्राट’’* की संज्ञा दी है, तथा दूसरा अति महान उत्सव है बाब की घोषणा का दिन जो मई 1844 में शीराज में घटित हुआ था। रिज़वान के पहले, नौवें तथा बारहवें दिन ‘‘पवित्र दिन’’ (प्रश्नोत्तर 1) हैं और इसी तरह बाब की घोषणा का दिन भी पवित्र दिन है।

*‘‘दो अन्य उत्सव’’* हैं बहाउल्लाह तथा बाब के जन्मदिवस। मुस्लिम पंचांग के अनुसार, ये दोनों ही दिन एक ही क्रम से पड़ते हैं - बहाउल्लाह का जन्मदिन मुहर्रम मास के दूसरे दिन, 1233 हिजरी (12 नवम्बर 1817) और बाब का जन्मदिन उसी मास के प्रथम दिन, 1235 हिजरी (20 अक्टूबर 1819) को। अतः उन्हें ‘‘युगल जन्मोत्सव’’ का नाम दिया गया है और बहाउल्लाह कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में ये दोनों ही दिन एक समान हैं (प्रश्नोत्तर 2)। वे कहते हैं कि यदि ये दिन उपवास की अवधि में आ जायें तो इन दिनों में उपवास करने की आज्ञा लागू नहीं मानी जायेगी (प्रश्नोत्तर 36)। यह देखते हुए कि बहाई पंचांग सौर पंचांग है (देखिए टिप्पणी 26 और 147), ये दोनों जन्मदिवस सौर पंचांग के आधार पर मनाए जायें या चंद्र पंचांग के आधार पर[[27]](#footnote-27), यह सुनिश्चित करने का दायित्व विश्व न्याय मन्दिर पर है।

***139. ‘‘बहा’’ माह का प्रथम दिन/अनु. 111***

बहाई पंचांग में वर्ष के प्रथम माह और प्रत्येक माह के प्रथम दिन को *‘‘बहा’’* नाम दिया गया है। अतः बहा माह के बहा दिन का तात्पर्य है बहाई नववर्ष अर्थात् नवरूज़ जिसे बाब ने एक उत्सव घोषित किया था और यहाँ बहाउल्लाह ने भी उसकी पुष्टि की है। (देखिए टिप्पणी सं. 26 और 147)

‘‘किताब-ए-अक़दस’’ के इन अनुच्छेदों में निर्धारित सात ‘‘पवित्र दिनों’’ के अतिरिक्त बहाउल्लाह के जीवन-काल में *‘‘बाब का बलिदान दिवस’’* भी *‘‘पवित्र दिन’’* के रूप में मनाया जाता था और इसके परिपूरक के रूप में अब्दुल बहा ने *‘‘बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण का दिन’’* भी जोड़ दिया और इस तरह कुल नौ *‘‘पवित्र दिन’’* हो गए। दो अन्य वार्षिकी जो मनाई तो जाती हैं परन्तु उन दिनों काम-काज स्थगित नहीं किया जाता, वे हैं ‘‘संविदा-दिवस’’ और ‘‘अब्दुल बहा का स्वर्गारोहण दिवस’’। (बहाई पंचांग के सम्बन्ध में ‘‘द बहाई वर्ल्‍ड’’, खंड 18, देखें)।

***140. महानतम उत्सव, वस्तुतः, उत्सवों का सम्राट है/अनु. 112***

यहाँ रिज़वान उत्सव की ओर संकेत है। (देखिए टिप्पणी सं. 107 और 138)

***141. पहले ईश्वर ने प्रत्येक अनुयायी के लिये यह कर्त्‍तव्‍य निश्चित किया था कि वे हमारे सिंहासन के समक्ष अपनी सम्पदा में से बहुमूल्य उपहार अर्पित करें। अब... हमने उन्हें इस बाध्यता से मुक्त किया है/अनु. 114***

इस अनुच्छेद द्वारा *‘‘बयान’’* में दिए गए उस विधान को हटाया गया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि *‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’* के प्रकट होने पर उत्कृष्टतम वस्तुएँ उसे समर्पित की जाएँ। बाब ने कहा कि चूँकि ईश्वरीय अवतार एक अतुलनीय पुरुष होता है, अतः जो कुछ भी अनुपम हो उसके लिए संरक्षित रखा जाए, बशर्ते वह ऐसा करने से न रोके।

***142. प्रभात-काल/अनु. 115***

मशरिकुल अज़कार अर्थात् बहाई उपासना मन्दिर में प्रभातकालीन प्रार्थना करने के सम्बन्ध में बहाउल्लाह ने कहा है, यद्यपि *‘‘ईश्वरीय ग्रंथ’’* में निर्धारित *‘‘वास्तविक समय प्रभात-काल है’’* परन्तु यह *‘‘प्रभात-काल से लेकर सूर्योदय तक या उसके दो घंटे बाद तक भी स्वीकार्य है।’’* (प्रश्नोत्तर 15)।

***143. ये पातियाँ उसकी मुहर से अलंकृत हैं, जो प्रभात का कारण है, जिसने आकाश और पृथ्वी के बीच अपनी वाणी ध्वनित की/अनु. 117***

बहाउल्लाह ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर के शब्द के रूप में उनके लेख पूर्णतः एकीकृत हैं। उनकी कुछ पातियाँ उनकी मुहर से भी अंकित हैं। (‘‘द बहाई वर्ल्‍ड’’ खंड-5 पृष्ठ-4 में बहाउल्लाह की कई मुहरों की छायालिपियाँ दी गई हैं।)

***144. यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि वह मनुष्य जो तर्कबुद्धि से सम्पन्न है, ऐसी वस्तु का सेवन करे जो उसे क्षीण कर दे/अनु. 119***

बहाई लेखों में ऐसे कई निर्देश हैं जिनमें मदिरा तथा अन्य मादक द्रवों के उपयोग का निषेध है और ऐसी उत्तेजक वस्तुओं से व्यक्ति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन है। अपनी एक पाती में बहाउल्लाह कहते हैं:

‘‘सावधान, कहीं ईश्वरीय मदिरा के स्थान पर तुम *अपनी मदिरा का पान न करने लग जाओ क्योंकि इससे तुम्हारा मस्तिष्क विमूढ़ होगा और तुम सर्वमहिमावान, अनुपम, अगम्य ईश्वर की मुखमुद्रा से विमुख हो जाओगे। इसके नजदीक न जाओ क्योंकि महान, सर्वशक्तिमान ईश्वर की आज्ञा से इसका निषेध किया गया है।’’*

अब्दुल बहा कहते हैं कि *‘‘अक़दस’’* में *‘‘हल्के और तीव्र मादक पेयों’’* दोनों का निषेध किया गया है। वे यह भी कहते हैं कि मादक पेय पदार्थों का निषेध इसलिए किया गया है क्योंकि *‘‘मदिरा मस्तिष्क को भटका देती है और शरीर को दुर्बल बना देती है।’’*

शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए पत्रों में कहा गया है कि यह निषेध केवल शराब तक सीमित नहीं है बल्कि ऐसी सभी वस्तुओं पर लागू है जो *‘‘मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देती हैं’’*। वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि मदिरा का उपयोग सिर्फ तब ही किया जा सकता है जब यह चिकित्सकीय उपचार का एक हिस्सा हो और *‘‘रोग विशेष के निदान के लिए किसी सक्षम और विवेकी चिकित्सक द्वारा सुझाया गया हो।’’*

***145. अपने मुखड़ों को उसकी ओर उन्मुख करो, जिसे ईश्वर ने इसी उद्देश्य से रचा है और जो इस प्राचीन मूल से फूटी हुई शाखा है/अनु. 121***

बहाउल्लाह अपने उत्तराधिकारी के रूप में अब्दुल बहा की ओर संकेत करते है और अनुयायियों को उनकी ओर उन्मुख होने की आज्ञा देते हैं। अपनी संविदा की पुस्तक, अपने *‘‘इच्छापत्र और वसीयतनामा’’* में, बहाउल्लाह इस श्लोक का तात्पर्य स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं: *‘‘इस पवित्र श्लोक का ध्येय और कोई नहीं बल्कि ‘‘परम महान शाखा’’* है। *‘‘परम महान शाखा’’* एक उपाधि है जो बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को प्रदान की थी। (देखिए टिप्पणी 66 तथा 184)

***146. बयान में ‘हमसे’ प्रश्न पूछने से मना किया गया था/अनु. 126***

बाब ने अपने अनुयायियों को मना किया था कि वे उनके विषय में प्रश्न न पूछे *‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’* (अर्थात् बहाउल्लाह) यद्यपि वे लिखित रूप से प्रश्न कर सकते थे और वे भी ऐसे प्रश्न जो उनके महान पद के अनुरूप हों। (देखिए बाब के पावन लेखों से चयन)

बहाउल्लाह ने बाब द्वारा लागू किए गए इस निषेध को समाप्त कर दिया। वे अनुयायियों को आमंत्रित करते हैं कि वे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं *‘‘जो वे पूछना चाहें।’’* वह उन्हें *‘‘मूर्खतापूर्ण प्रश्न’’* पूछने से बचने की चेतावनी देते हैं, जैसा कि पुराने समय के लोग किया करते थे।

***147. ईश्वर के ग्रंथ में एक वर्ष के महीनों की संख्या उन्नीस निर्धारित की गई है/अनु.127***

बाबी पंचांग के अनुसार, बहाई वर्ष उन्नीस-उन्नीस दिनों के उन्नीस महीनों से बना है, जिसमें सामान्य वर्ष में चार और प्रत्येक अधिवर्ष में पाँच दिनों का अधिदिवस होता है जो कि अठारहवें और उन्नीसवें महीने के बीच पड़ता है। इस प्रकार बहाई पंचांग में सौर प्रणाली से ताल-मेल बिठाया गया है।[[28]](#footnote-28) बाब ने महीनों का नामकरण कुछ ईश्वरीय गुणों के नाम के आधार पर किया है। बहाई नववर्ष-नवरूज़-खगोल विज्ञान के आधार पर सुनिश्चित है और यह बसन्त सम्पात के दिन पड़ता है (देखिए टिप्पणी 26। सप्ताह के दिनों और महीनों के नाम तथा ऐसी ही अन्य विस्तृत बातों के लिए ‘‘दि बहाई वर्ल्‍ड’’, खंड-18, देखें)।

***148. पहले महीने को उस नाम से विभूषित किया गया है, जो सम्पूर्ण सृष्टि को आच्छादित करने वाला है/अनु. 127***

फारसी *‘‘बयान’’* में बाब ने वर्ष के पहले महीने का नामकरण किया है *‘‘बहा’’*। (देखिए टिप्पणी 139)

***149. प्रभु ने आदेश दिया है कि मृतक को शवपेटी में रखा जाये/अनु. 128***

बयान में बाब ने निर्धारित किया कि मृतक को स्फटिक अथवा पॉलिश किए हुए पत्थर के ताबूत में भूमिगत किया जाए। शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रावधान का महत्व यह था कि इसके माध्यम से मानव शरीर, जो ‘‘कभी अमर मानवीय आत्मा से गौरवान्वित था’’, के प्रति सम्मान की भावना प्रकट होती है।

संक्षेप में, मृतक को भूमिगत किए जाने सम्बन्धी बहाई विधान में यह कहा गया है कि मृतक की देह मृत्यु स्थल से एक घंटे से अधिक दूरी तक न ले जाई जाए, मृत देह को रेशम या सूत के कफन से ढका जाए और उसकी अँगुली में एक अँगूठी धारण कराई जाए जिस पर यह अंकित हो: *‘‘मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ/हुई/था/थी और उसी के पास वापस जा रहा/रही हूँ - उसके सिवा अन्य सबसे विरक्त होकर और उस दयालु, करुणावान के नाम को दृढ़ता से थामे हुए।’’* ताबूत स्फटिक, पत्थर या उत्कृष्ट लकड़ी का बना हो। दिवंगतों के लिए एक विशेष प्रार्थना (देखिए टिप्पणी 1) निर्धारित की गई है जिसका पाठ मृतक की देह को भूमिगत किए जाने से पहले किया जाता है। जैसाकि अब्दुल बहा और धर्मसंरक्षक द्वारा स्पष्ट किया गया है, इस विधान में मृतक के दाह-संस्कार का निषेध किया गया है। औपचारिक प्रार्थना और अंगूठी का प्रावधान 15 से अधिक आयु वाले वयस्क बहाइयों के लिए है। (प्रश्नोत्तर 70)

जहाँ तक ताबूत बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का प्रश्न है, इस विधान का आशय यह है कि वह पदार्थ अत्यधिक मजबूत हो। अतः, विश्व न्याय मन्दिर ने कहा है कि *‘‘अक़दस’’* में वर्णित पदार्थों के अलावा कंक्रीट अथवा कड़ी लकड़ी का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में, इस विषय में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रत्येक बहाई को प्राप्त है।

***150. ‘‘बयान का बिन्दु’’/अनु. 129***

*‘‘बयान का बिन्दु’’* उन उपाधियों में से एक है जिससे बाब ने स्वयं को अलंकृत किया है।

***151. मृतक को रेशम या सूत की पाँच चादरों में लपेटा जाये/अनु. 130***

*‘‘बयान’’* में बाब ने निर्धारित किया है कि मृतक की देह को रेशम या सूत की पाँच चादरों से ढक दिया जाना चाहिए।

बहाउल्लाह ने भी इस विधान की पुष्टि की और उसमें आगे यह जोड़ दिया कि *‘‘जिनके साधन सीमित हैं, उनके लिए दोनों में से किसी भी तरह की एक चादर पर्याप्त है।’’*

जब यह प्रश्न किया गया कि विधान में वर्णित ‘‘पाँच चादर’’ से क्या तात्पर्य है - ‘‘पाँच पूर्ण लम्बाई का कफ़न या पाँच वस्त्र जैसा कि पारम्परिक रूप से पहले भी प्रयोग में लाए जाते थे’’ तो बहाउल्लाह ने स्पष्ट किया कि उनका तात्पर्य है ‘‘पाँच वस्त्रों का प्रयोग’’ (प्रश्नोत्तर 56)।

देह को किस तरह से ढका जाए, इस सम्बन्ध में बहाई लेखों में कुछ नहीं है और न ही इस बात की व्याख्या की गई है कि चाहे *‘‘पाँच वस्त्र’’* हों या *‘‘एक चादर’’*, मृत देह को ढका कैसे जाए। वर्तमान में इस विषय में बहाइयों को अपने विवेक के अनुसार चलने की स्वतंत्रता है।

***152. मृतक की देह को नगर से एक घंटे से ज्यादा की दूरी पर ले जाने से तुम्हें मना किया गया है/अनु. 130***

इस आज्ञा का आशय है यात्रा की अवधि को एक घंटे तक सीमित करना चाहे मृत देह को किसी भी तरह के परिवहन से अन्त्येष्टि-स्थल तक ले जाया जाए। बहाउल्लाह कहते हैं कि अंत्येष्टि जितना शीघ्र सम्पन्न हो *‘‘उतना ही उपयुक्त और स्वीकार्य है।’’* (प्रश्नोत्तर 16)

मृत्यु के स्थल की सीमा व्यक्ति की मृत्यु जिस नगर में हुई है उसके दायरे में है। अतः एक घंटे की यात्रा की गणना नगर-सीमा से अंत्येष्टि स्थल तक की जा सकती है। बहाउल्लाह के इस विधान का अभिप्राय यह है कि मृतक स्त्री या पुरुष की अंत्येष्टि उसके मृत्यु-स्थल के निकट हो।

***153. ईश्वर ने ‘‘बयान’’ में यात्रा पर लगाये गये प्रतिबंध को हटा दिया है/अनु. 131***

बाब ने यात्रा सम्बन्धी ऐसे कई प्रतिबंध लागू किए जो बयान के *‘‘प्रतिज्ञापित अवतार’’* के आगमन तक प्रभावी थे। उस समय अनुयायियों को निर्देश था कि वे यदि पैदल हों तो भी यात्रा पर चल पड़ें ताकि उन्हें उस (प्रतिज्ञापित अवतार) के दर्शन हो सकें, क्योंकि *‘‘उसकी’’* उपस्थिति को प्राप्त करना ही उनके अस्तित्व का सुफल और उद्देश्य था।

***154. ‘‘दो पवित्र स्थलों’’ पर तथा अन्य स्थानों में, जहाँ तुम्हारे सर्वदयालु स्वामी ने अपना सिंहासन स्थापित किया था, वहाँ भव्य प्रासादों का निर्माण करो/अनु.133***

‘‘दो गृहों’’ से बहाउल्लाह का तात्पर्य है बगदाद स्थित *‘‘उनका गृह’’* जिसे उन्होंने *‘‘महानतम गृह’’* की संज्ञा दी है तथा शीराज स्थित *‘‘बाब का गृह’’*, ये दोनों ही बहाउल्लाह द्वारा तीर्थस्थल घोषित किए गए हैं। (देखिए प्रश्नोत्तर 25, 32 तथा टिप्पणी सं. 54)

शोग़ी एफेन्दी ने स्पष्ट किया है कि *‘‘अन्य स्थल जहाँ तुम्हारे प्रभु का सिंहासन स्थापित किया गया है’’* वे स्थल हैं जहाँ ईश्वरीय अवतार ने निवास किया था। बहाउल्लाह कहते हैं कि *‘‘इन स्थलों के निकट रहने वाले लोग दोनों ही गृहों, जहाँ उन्होंने निवास किया था, का संरक्षण कर सकते हैं अथवा दोनों में से किसी एक का’’* (प्रश्नोत्तर 32)। बहाई संस्थाओं ने यथासम्भव *‘‘दो ईश्वरीय अवतारों’’* से सम्बन्धित कई ऐतिहासिक स्थलों की खोज की है, उन्हें अधिकार में लिया है और उनके कागजात तैयार किए हैं।

***155. सावधान रहो कहीं तुम वह सुनने से वंचित न रह जाओ, जो इस जीवंत ग्रंथ में अंकित किया गया है/अनु. 134***

‘‘ग्रंथ’’ ईश्वरीय अवतार द्वारा प्रकटित शब्द का संकलन है। ‘‘जीवंत ग्रंथ’’ का तात्पर्य है अवतरित पुरुष।

इन शब्दों से *‘‘जीवंत ग्रंथ’’* के विषय में फारसी ‘‘बयान’’ में बाब द्वारा कहे गए एक कथन की ओर संकेत किया गया है। *‘‘जीवंत ग्रंथ’’* के रूप में बाब ने उसकी पहचान की है *‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा।’’* अपनी एक पाती में बहाउल्लाह ने स्वयं भी कहा है: *‘‘ईश्वरीय ग्रंथ इस दिव्य युवक के रूप में भेजा गया है।’’* ‘‘अक़दस’’ के इस श्लोक में तथा 168 वें अनुच्छेद में बहाउल्लाह स्वयं को जीवन्त ग्रंथ कहते हैं। वह ‘‘प्रत्येक अन्य धर्म के अनुयायियों’’ को चेतावनी देते हैं कि ‘‘अपने पवित्र ग्रंथों में ऐसे तर्क’’ वे न ढूँढें जिनसे उनका इरादा *‘‘जीवन्त ग्रंथ’’* की वाणी का खंडन करना हो। वे लोगों को सचेत करते हैं कि *‘‘ग्रंथ’’* में जो कुछ भी अंकित है वे उन्हें *‘‘उनके’’* पद की महानता को पहचानने तथा इस नए प्रकटीकरण काल में पालन करने योग्य विधानों पर दृढ़ता पूर्वक चलने से न रोक दें।

***156. इस दिव्य प्रकटीकरण के प्रति सम्मानस्वरूप मेरे ‘‘अग्रदूत’’ की लेखनी से प्रवाहित हुये थे/अनु. 135***

वह ‘‘श्रद्धांजलि’’ जो बहाउल्लाह द्वारा इस अंश में उद्धृत है वह अरबी ‘‘बयान’’ से है।

***157. ‘‘किब्ला वह है, ‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’ जब कभी भी वह स्थान बदलेगा, तब ‘‘किब्ले’’ की दिशा भी बदलेगी, जब तक वह चिरविश्रांति को नहीं प्राप्त हो जाता/अनु. 137***

इस श्लोक पर चर्चा के लिए देखिए टिप्पणी सं. 7 और 8।

***158. ‘ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना अवैधानिक है जो बयान में विश्वास नहीं रखता। यदि विवाह सूत्र में बंधने वाला एक पक्ष इस धर्म में विश्वास नहीं करता तो उसकी सम्पत्ति पर दूसरे पक्ष का वैधानिक अधिकार नहीं हो सकता। /अनु.139***

‘‘बयान’’ के उस अंश में, जिसे बहाउल्लाह ने यहाँ पर उद्धृत किया है, अनुयायियों का ध्यान *‘‘उसके’’* शीघ्र आगमन की ओर दिलाया गया है *‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’*। जो बाब के धर्म के अनुयायी नहीं हैं उनके साथ विवाह करने का निषेध और यह प्रावधान कि बाब के अनुयायी पति या पत्नी की सम्पत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती जो बाब के अनुयायी नहीं है, इन विधानों को बाब ने प्रभावी होने से रोक रखा था और उनके प्रभावी होने से पूर्व ही बहाउल्लाह ने उन विधानों को समाप्त कर दिया। इस विधान का उद्धरण देते हुए बहाउल्लाह इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि बाब को यह स्पष्ट पूर्वज्ञान था कि बहाउल्लाह का धर्म बाब के धर्म से भी अधिक प्रखर होकर उभरेगा।

‘‘गॉड पासेज बाई’’ में शोग़ी एफेन्दी यह संकेत देते हैं कि ‘‘ ‘बयान’ को भावी पीढ़ियों के लिए निर्धारित एक स्थायी विधान ग्रंथ न समझकर मुख्यतः प्रतिज्ञापित अवतार के गुणगान में लिखा ग्रंथ मानना चाहिए।’’ उन्होंने आगे कहा है कि निर्धारित विधानों की दृष्टि से जान-बूझकर कठोर और सिद्धान्तों की दृष्टि से क्रांतिकारी यह ग्रंथ मुल्लाओं और जन सामान्य को उनकी चिरतन्द्रा से जगाने तथा भ्रष्ट, पुरातन संस्थाओं को अकस्मात् आवेगपूर्ण आँधी से झकझोरने के लिए रचा गया था। अपने क्रांतिकारी विधानों के माध्यम से इस ग्रंथ ने पूर्वकल्पित युग के आगमन की घोषणा की, उस युग की जब *‘‘दिव्य आह्वानकर्ता कठिन कार्य-व्यवहार के लिए आह्वान करेगा’’*, जब वह *‘‘अपने सम्मुख अस्तित्व रखने वाली प्रत्येक वस्तु को विनष्ट कर देगा, ठीक वैसे ही जैसे ‘‘ईश्वर के संदेशवाहक’’ ने उन सबके मार्ग ध्वस्त कर दिए थे जो ‘‘उससे’ पहले आ चुके थे।’’* (टिप्पणी सं. 109 भी देखिए)।

***159. ‘‘बयान के बिन्दु’’/अनु. 140***

बाब की एक उपाधि।

***160. वस्तुतः, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है/अनु. 143***

बहाई लेखों में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें ईश्वरीय प्रकटीकरण की प्रकृति और ईश्वर के साथ उसके सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है। बहाउल्लाह ने ईश्वरत्व की अनोखी और कल्पनातीत प्रकृति का महत्व दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि *‘‘चूँकि प्रत्यक्ष संयोग का ऐसा कोई बन्धन नहीं है जो एकमेव सत्य ईश्वर को उसकी सृष्टि से बाँध सके’’* अतः ईश्वर ने आदेश दिया है कि *‘‘प्रत्येक युग और धर्मकाल में आकाश और धरती के साम्राज्य में एक विशुद्ध, निष्कलंक ‘‘आत्मा’ का प्रकटीकरण हो’’*। यह ‘‘रहस्यमय और पारलौकिक अस्त्त्वि, अर्थात् ईश्वरीय अवतार, मानवीय प्रकृति से सम्पन्न होता है जिसका सम्बन्ध इस *‘‘पदार्थ जगत’’* से है और, दूसरी ओर, वह आध्यात्मिक प्रकृति से भी सम्पन्न है जो *‘‘साक्षात ईश्वरीय तत्व से उत्पन्न’’* है। ईश्वरीय अवतार *‘‘दोहरे पद’’* से भी सम्पन्न होता है।

‘‘पहला पद, जिसका सम्बन्ध *‘‘उसकी’’* अन्तर्निहित यथार्थता से है, उसे उस आत्मा के रूप में उपस्थित करता है जिसकी वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी है।... दूसरा पद मानवीय पद है जिसका वर्णन इन श्लोकों में है *‘‘मैं तुम्हारी ही तरह मनुष्य हूँ।’’ ‘‘कहो, गुणगान हो मेरे प्रभु का। क्या मैं मनुष्य से अधिक कुछ हूँ, एक देवदूत?’’*

बहाउल्लाह भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आध्यात्मिक जगत में सभी ईश्वरीय अवतारों के बीच एक *‘‘अनिवार्य एकता’’* है। वे सभी *‘‘ईश्वर का सौन्दर्य’’* प्रकट करते हैं और उसके ही प्रकटीकरण को वाणी प्रदान करते हैं। इस विषय में वे कहते हैं:

*‘‘यदि सर्वालिंगनकारी ईश्वरीय अवतारों में से कोई भी यह घोषित करना चाहता है कि ‘‘मैं ईश्वर हूँ’’ तो वह यथार्थतः सत्य कहता है और उसमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बार-बार दिखलाया जा चुका है कि उनके प्रकटीकरण के माध्यम से, उनके गुणों और नामों के माध्यम से, ईश्वर का प्रकटीकरण, ईश्वर के नाम और गुण, इस विश्व में प्रदर्शित किये गये हैं।’’*

हालाँकि ईश्वरीय अवतार ईश्वर के नामों और गुणों को प्रदर्शित करते हैं और वे ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य को ईश्वर और उसके प्रकटीकरण का ज्ञान होता है, परन्तु शोग़ी एफेन्दी कहते हैं कि ईश्वरीय अवतारों की तुलना कभी भी उस *‘‘अगोचर सत्य’’*, उस *‘‘ईश्वरत्व के सारभूत तत्व’’* से नहीं की जानी चाहिए। बहाउल्लाह के सम्बन्ध में धर्मसंरक्षक ने लिखा है *कि ‘‘मानव-मंदिर जो ऐसे शक्तिमान, प्रकटीकरण का माध्यम है’’*, उसकी पहचान ईश्वर के *‘‘यथार्थ’’* के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

बहाउल्लाह के पद की विलक्षणता और उनके प्रकटीकरण की महानता के सम्बन्ध में शोग़ी एफेन्दी कहते हैं कि अतीत के धर्मकालों के धर्मग्रंथों में जिस *‘‘ईश्वरीय दिवस’’* की भविष्यवाणी की गई है, वह बहाउल्लाह के आगमन से पूरी हो गई है।

*‘‘इस्राईल के लिए वे ‘‘अनन्त पिता’’ के अवतार से ज्यादा या कम नहीं थे, ‘‘दस सहस्त्र संतों के साथ’’ ‘‘जनगण के स्वामी’’ का पदार्पण हुआ था, ईसाई जगत के लिए ‘‘पिता की महिमा के साथ’’ यीशु वापस आए थे, शिया मुसलमानों के लिए इमाम हुसैन लौटे थे, सुन्नी मुसलमानों के लिए ‘‘ईश्वर की चेतना’’ (ईसा मसीह) का अवतरण हुआ था, जरूस्थियों के लिए प्रतिज्ञापित शाह बहराम, हिन्दुओं के लिए कृष्णावतार और बौद्धों के पंचम बुद्ध पधारे थे।’’*

बहाउल्लाह ने *‘‘दिव्यता’’* के उस परम पद का वर्णन किया है जो ईश्वर के सभी अवतारों की तरह उनमें भी निहित है:

*‘‘यह वह पद है जिसमें ‘‘वह’ स्वयं के लिए मृत और ईश्वर के लिए जीवित हो उठता है। जब कभी मैं दिव्यता का वर्णन करता हूँ तो उससे मेरी आत्मविरक्ति का बोध होता है। यह वह पद है जिसमें मुझे अपने कल्याण और अपनी वंदना, अपने जीवन या पुनर्जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता।’’*

और ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध के विषय में वे प्रमाणित करते हैं:

*‘‘हे मेरे ईश्वर, जब मैं उस सम्बन्ध का चिन्तन करता हूँ जो मुझे तुझसे जोड़े हुए है तो मैं सृष्टि की सभी वस्तुओं के सामने यह घोषणा करने को विह्वल हो उठता हूँ: ‘‘वस्तुतः मैं ईश्वर हूँ’’ और जब मैं अपने आप का विचार करता हूँ तो, हाय ! मेरा यह अपना स्व मुझे मिट्टी से भी ज्यादा रूक्ष लगने लगता है !’’*

***161. ज़कात का भुगतान/अनु. 146***

*‘‘कुरआन’’* में ज़कात का वर्णन मुस्लिमों पर लागू एक नियमित दान के रूप में किया गया है। कालान्तर में इस धारणा का विकास भिक्षा-कर के रूप में हो गया जिसमें खास प्रकार की आमदनी का एक निश्चित हिस्सा गरीबों के दुःख निवारण, अनेक कल्याणकारी उद्देश्यों और ईश्वर के धर्म की सहायता के लिए दिया जाता था। विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियों और माप के हिस्सों पर छूट की सीमा अलग-अलग हुआ करती थी।

बहाउल्लाह कहते हैं कि ज़कात सम्बन्धी बहाई विधान उसी के अनुसार है *‘‘जो कुरआन में प्रकट किया गया है’’* (प्रश्नोत्तर 107)। छूट की सीमा, सम्बन्धित आय के प्रकार, भुगतान की अवधि तथा विभिन्न प्रकार के *‘‘ज़कात’’* के लिए मूल्य-दर इत्यादि जैसी बातें वर्णित नहीं हैं और उनका निर्धारण भविष्य में विश्व न्याय मन्दिर करेगा। शोग़ी एफेन्दी ने संकेत दिया है कि जब तक इन बातों का निर्धारण नहीं हो जाता, अनुयायियों को अपने साधन और शक्ति के अनुसार बहाई कोष में निरन्तर योगदान करना चाहिए।

***162. भीख माँगना विधान के विरुद्ध है और भीख देने का निषेध किया गया है/अनु.147***

एक पाती में अब्दुल बहा ने इस श्लोक का अर्थ प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि *‘‘भिक्षावृत्ति का निषेध है और उन लोगों को दान देना भी मना है जिनके लिए भीख माँगना एक पेशा है।’’* उसी पाती में वे आगे बतलाते हैं कि *‘‘उद्देश्य है भिक्षावृत्ति को जड़ से नष्ट करना। फिर भी, अगर कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, घोर दरिद्रता से ग्रस्त या असहाय है तो धनिकों अथवा उप-न्यासियों का यह कर्त्‍तव्‍य है कि उसे जीवनयापन के लिए एक मासिक भत्ता प्रदान करें। ‘‘उप-न्यासियों’’ से तात्पर्य है लोगों के प्रतिनिधि अर्थात् न्याय मन्दिर के सदस्य।’’*

भीख मांगने वालों को दान देने का निषेध का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति या आध्यात्मिक सभाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता देने अथवा उन्हें आजीविका कमाने के अवसर या क्षमताएँ प्रदान करने योग्य बनाने से रोक लगा दी गई है। (देखिए टिप्पणी-56)

***163. ऐसे व्यक्तियों के लिए जो दूसरों के दुःख के कारण बनेंगे.... अर्थदंड प्रस्तावित किया गया है/अनु. 148***

बहाउल्लाह ने फारसी *‘‘बयान’’* के उस विधान को समाप्त कर दिया है जिसमें अपने पड़ोसी को खिन्न करने वाले लोगों के लिए अर्थदंड का प्रावधान है।

***164. पावन तरूवर/अनु. 148***

‘‘पावन तरूवर’’ से सद्रतुल मुन्तहा की ओर संकेत किया गया है, अर्थात् *‘‘वह महावृक्ष जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है।’’* (देखिए टिप्पणी सं. 128) यहाँ सांकेतिक रूप से बहाउल्लाह के लिए प्रयुक्त हुआ है।

***165. प्रत्येक सुबह और शाम तुम ईश्वर के श्लोकों का सस्वर पाठ करो/अनु. 149***

बहाउल्लाह कहते हैं कि *‘‘ईश्वर के श्लोकों’’* के पाठ में प्रमुख आवश्यकता इस बात की है कि *‘‘ईश्वरीय शब्द का पाठ’’* करते समय अनुयायियों के हृदय में ‘‘उत्कंठा और प्रेम’’ भरा होना चाहिए (प्रश्नोत्तर 68)।

जहाँ तक *‘‘ईश्वरीय शब्द’’* की परिभाषा का प्रश्न है, बहाउल्लाह कहते हैं कि *‘‘वह सब कुछ जो दिव्य वाणी के आकाश से भेजा गया है’’*, ईश्वरीय शब्द हैं। पूर्व के एक अनुयायी को सम्बोधित एक पत्र में शोग़ी एफेन्दी ने स्पष्ट किया है कि ‘‘ईश्वर के श्लोक’’ के अंतर्गत अब्दुल बहा के लेख नहीं आते।

***166. तुम्हें यह आदेश दिया गया है कि हर उन्नीस वर्ष बाद तुम अपने घर के साज़-ओ-सामान को नया कर लो/अनु. 151***

बहाउल्लाह अरबी *‘‘बयान’’* के उस आदेश की पुष्टि करते हैं जिसमें कहा गया है कि यदि मनुष्य सक्षम हो तो प्रत्येक उन्नीस वर्षों की समाप्ति पर वह घर के साज़-ओ-सामान को नया कर ले। अब्दुल बहा ने इस आदेश का सम्बन्ध उत्कृष्टता और स्वच्छता की भावना के विकास से जोड़ा है। वे स्पष्ट करते हैं कि इस विधान का उद्देश्य यह है कि लोग अपने ऐसे साज़-ओ-सामान बदल डालें जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी चमक-दमक खत्म हो गई है और जो अनाकर्षित करने लगे हैं। यह विधान उन वस्तुओं पर लागू नहीं है जो दुर्लभ हैं, संचय करने योग्य हैं, प्राचीन कलाकृति या आभूषण के रूप में हैं।

***167. अपने पैरों को धोओ/अनु. 152***

‘‘किताब-ए-अक़दस’’ में अनुयायियों को आदेश दिया गया है कि वे नियमित स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और स्वच्छता तथा उत्कृष्टता की प्रतिमूर्ति बनें। *‘‘सार-संहिता’’* के खंड चार द. 3. म. एक से सात, में इस सम्बन्ध में दिए गए प्रावधानों का संक्षेप सार दिया गया है। जहाँ तक पैर धोने का प्रश्न है, बहाउल्लाह कहते हैं कि गुनगुने पानी का प्रयोग ज्यादा अच्छा है किन्तु ठंडे पानी का प्रयोग भी किया जा सकता है (प्रश्नोत्तर 97)।

***168. प्रवचनमंच का प्रयोग करने का निषेध किया गया है। जो कोई तुम्हें अपने प्रभु के श्लोक सुनाना चाहता है उसे एक मंच पर कुर्सी रखकर बैठने दिया जाये.../अनु. 154***

इन प्रावधानों का पूर्वसम्बन्ध फारसी *‘‘बयान’’* से है। बाब ने प्रवचन करने या पवित्र पाठ पढ़ने के लिए उपदेश-मंच का प्रयोग करने से मना किया था। इसके स्थान पर उन्होंने यह निर्देश दिया कि ऊँचे धरातल पर एक कुर्सी रख ली जाए ताकि लोग ईश्वर के शब्द स्पष्टता से सुन सकें।

इस विधान की व्याख्या करते हुए अब्दुल बहा तथा शोग़ी एफेन्दी ने स्पष्ट किया है कि मशरिक़-उल-अज़कार में (जहाँ प्रवचन करने का निषेध है तथा केवल पवित्र धर्मग्रंथों के शब्द पढ़े जा सकते हैं), पाठ करने वाला बैठा या खड़ा रह सकता है तथा यदि अपना पाठ और स्पष्टता से सुनाने की आवश्यकता हो तो वह एक छोटा, चलायमान मंच उपयोग में ला सकता है परन्तु उपदेश मंच जैसी वस्तु कदापि नहीं। मशरिक़-उल-अज़कार के अलावा अन्य सभी स्थलों पर भी वाचक अथवा वक्ता के लिए बैठने या खड़ा होने तथा मंच के प्रयोग की आज्ञा है। अपनी एक पाती में, किसी भी स्थल पर उपदेश-मंच के प्रयोग के निषेध की बात दुहराते हुए अब्दुल बहा ने इस बात पर जोर दिया है कि जब कभी बहाइयों को किसी जनसभा में अपनी बात कहनी हो तो उन्हें पूरी विनम्रता से तथा अहंकाररहित होकर ऐसा करना चाहिए।

***169. जुआ/अनु. 155***

इस निषेध के अंतर्गत कौन-कौन से क्रियाकलाप शामिल हैं, उनकी रूपरेखा बहाउल्लाह के लेखों में नहीं दी गई है। जैसा कि अब्दुल बहा और शोग़ी एफेन्दी दोनों ने ही संकेत दिया है, यह विषय विश्व न्याय मन्दिर पर छोड़ दिया गया है कि इस निषेध के बारे में विस्तृत बातें तय की जायें। यह पूछे जाने पर कि जुआ खेलने सम्बन्धी निषेध के अंतर्गत लॉटरी, बाज़ी लगाना, घुड़दौड़, फुटबॉल, बिंगो तथा ऐसे ही अन्य खेल शामिल हैं कि नहीं, विश्व न्याय मन्दिर ने कहा है कि इन विषयों पर विस्तृत मार्गनिर्देश भविष्य में दिया जाएगा। वर्तमान में आध्यात्मिक सभाओं और व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि इन बातों को वे मुद्दा न बनायें और इन्हें व्यक्ति के अंतःकरण पर छोड़ दें।

विश्व न्याय मन्दिर ने आदेश दिया है कि बहाई कोष इकट्ठा करने का कार्य लॉटरी, सट्टा या संयोग पर आधारित उपायों से करना उचित नहीं है।

***170. अफीम का प्रयोग करने....ऐसे किसी भी तत्व के प्रयोग से सावधान रहो जो शिथिलता और प्रमाद उत्पन्न करता हो/अनु. 155***

अफीम के निषेध को बहाउल्लाह ने *‘‘किताब-ए-अक़दस’’* के अंतिम अनुच्छेद में भी दोहराया है। इस सम्बन्ध में शोग़ी एफेन्दी ने कहा है कि *‘‘सच्चरित्र और पवित्र जीवन’’* की एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि *‘‘अफीम तथा लत लगने वाली ऐसी ही अन्य वस्तुओं से.... पूर्ण परहेज किया जाए।’’* हेरोइन, हशीश तथा सॅनाबिस के अन्य उप-उत्पाद, जैसे मार्जुआना तथा कई मतिभ्रमकारी तत्व जैसे एल. एस. डी., पेयोट और ऐसे ही अन्य पदार्थ भी इस निषेध के अंतर्गत आते हैं।

अब्दुल बहा ने लिखा है:

‘‘जहां तक अफीम का प्रश्न है यह घृणित और अभिशप्त है। अफीम का प्रयोग करने वालों को ईश्वर जो सजा देता है उससे हमें बचायें। सर्वाधिक पवित्र पुस्तक के अनुसार यह निषिद्ध है और इसके सेवन की पूरी तरह से निन्दा की गई है। तर्क यह बतलाता है कि अफीम पीना एक प्रकार का पागलपन है और अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि अफीम का सेवन करने वाला मानव-साम्राज्य से अलग-थलग पड़ जाता हे। इस बुरी लत से ईश्वर बचाये, ऐसी लत जो मानव होने के आधार को ही समाप्त कर देती है और सेवन करने वाला सदा के लिये अपने वश से बाहर हो जाता है। अफीम आत्मा को जकड़ लेती है और मानव-चेतना मर जाती है, उसका मस्तिष्क काम करना बन्द कर देता है और उसकी कल्पना-शक्ति नष्ट हो जाती है। यह जीवित को मृतप्राय कर देती है। यह स्वाभाविक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। अफीम से जितना हानिकारक प्रभाव शरीर पर होता है उससे अधिक हानिकारक प्रभाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भाग्यशाली हैं वे जो इसका नाम तक नहीं लेते, तब सोचो कि सेवन करने वाला कितना निम्नकोटि का होगा।

*‘‘हे ईश्वर के प्रेमियो ! सर्वशक्तिमान ईश्वर के इस चक्र में हिंसा और बल प्रयोग, प्रतिशोध और अत्याचार ये सब निन्दनीय हैं। फिर भी, इस बात की आज्ञा है कि अफीम का प्रयोग जैसे भी हो रोका जाए ताकि कदाचित मानवजाति को इस महाविषकारी प्लेग से बचाया जा सके और जो कोई भी अपने प्रभु के प्रति इस कर्त्‍तव्‍य को निभाने से चूकेगा उस पर विपदाएँ टूटेंगी।’’*

अपनी एक पाती में अब्दुल बहा ने अफीम के सम्बन्ध में कहा है: *‘‘इसे प्रयोग में लाने वाले, इसे खरीदने वाले, इसे बेचने वाले-ये सभी ईश्वर की उदारता और कृपा से वंचित हैं।’’*

एक अन्य पाती में अब्दुल बहा ने लिखा है:

*‘‘हशीश के सम्बन्ध में आपने कहा है कि कुछ फारसी लोग इसकी लत पकड़ चुके हैं। कृपालु परमेश्वर ! यह सभी मादक द्रव्यों में निकृष्टतम है और स्पष्टतः इसका निषेध किया गया है। इसके प्रयोग से विचार-श्रृंखला भंग होती है और आत्मा निस्पंद हो जाती है। नरक के वृक्ष का फल पाने की चेष्टा कोई कैसे कर पाएगा और इसे खाकर कोई कैसे चाहेगा कि वह शैतानी प्रवृत्तियों का उदाहरण बने ? कोई कैसे इस निषिद्ध वस्तु को प्रयोग में ला सकता है और इस तरह स्वयं को सर्वदयालु की कृपाओं से वंचित कर सकता है ?’’*

*‘‘मदिरा विवेक को हर लेती है और मनुष्य को हास्यास्पद कार्य करने को उकसाती है, परन्तु यह अफीम ! नारकीय वृक्ष का यह घृणित फल और यह धूर्त हशीश ज्ञान की लौ को बुझा देता है, चेतना को बर्फ की तरह जमा देता है, आत्मा को पत्थर बना देता है, शरीर को बर्बाद कर देता है और मनुष्य को हारा-थका बनाकर नष्ट करके छोड़ देता है।’’*

यह उल्लेखनीय है कि द्रव्य विशेषों के प्रयोग सम्बन्धी उपरोक्त निषेध तब नहीं लागू होते जब वे द्रव्य कुशल चिकित्सक द्वारा औषधि-उपचार के अंतर्गत प्रस्तावित किए जाते हैं।

***171. ’’सर्वोच्च शासक के चिह्न में निहित महाउत्क्रमण का रहस्य /अनु. 157***

शेख़ अहमद-ए-अहसाई (1753-1831), जो शेख़ी विचारधारा के प्रवर्तक और *‘‘बाब के धर्म के आगमन की पूर्वघोषणा करने वाले दो नक्षत्रों’’* में प्रथम थे, ने यह भविष्यवाणी की थी कि जब *‘‘प्रतिज्ञापित अवतार’’* आएगा तो सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा, जो प्रथम है वह अंतिम और जो अंतिम है वह प्रथम हो जाएगा। अपनी एक पाती में बहाउल्लाह *ने ‘‘सर्वोच्च शासक के चिह्न’’* को *‘‘महाउत्क्रमण के रहस्य’’* के *‘‘सन्दर्भ’’* में लिखा है। उन्होंने कहा है: *‘‘इस उत्क्रमण के द्वारा उसने उच्च को अधम और अधम को उच्च कर दिया है।’’* और वे याद दिलाते हैं कि *‘‘यीशु (ईसा मसीह) के दिनों में सुशिक्षित और धार्मिक लोग ही थे जिन्होंने ‘‘उसे’’ स्वीकार नहीं किया जबकि गरीब मछुआरे उसके साम्राज्य में प्रवेश के लिए उतावले हो गए’’* (टिप्पणी संख्या 172 भी देखें) शेख अहमद-ए-अहसाई के बारे में और जानकारी पाने के लिए पढ़ें ‘‘दि डॉन ब्रेकर्स’’ (शहीदों की गाथा), अध्याय 1 और 10 ।

***172. सीधे अलिफ़ के कारण स्थापित ‘‘छः’’/अनु. 157***

अपने लेखों में शेख अहमद-ए-अहसाई ने अरबी भाषा के *‘‘वाव’’* अक्षर पर विशेष जोर दिया। *‘‘नबील्स नरेटिव’’* (शहीदों की गाथा) में नबील ने लिखा है कि यह अक्षर *‘‘बाब के लिए दिव्य प्रकटीकरण के एक नए युगचक्र के आगमन का प्रतीक था और तब से बहाउल्लाह द्वारा ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ के ऐसे अंशों में संकेतित किया गया: ‘‘महाउत्क्रमण का रहस्य’’ तथा ‘‘सर्वोच्च शासक का संकेत’’।’’*

*‘‘वाव’’* अक्षर के नामार्थ में तीन अक्षर निहित हैं: वाव, अलिफ, वाव। अब्जद गणना प्रणाली के अनुसार, इनमें से प्रत्येक अक्षर का सांख्यिक मूल्य है क्रमशः 6, 1 और 6। पूर्व के किसी अनुयायी को लिखे गए एक पत्र में शोग़ी एफेन्दी की ओर से *‘‘अक़दस’’* के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि *‘‘सीधे अलिफ’’* से संकेत है बाब के आगमन की ओर। पहला अक्षर, जिसका मूल्य छः है और जो अलिफ से पहले आता है, वह बाब से पहले आ चुके धर्मकालों और ईश्वरावतारों का सूचक है और तीसरा अक्षर, जिसका अंक-मूल्य पुनः छः है, बहाउल्लाह के सर्वोच्च प्रकटीकरण का प्रतीक है, जिसे अलिफ के बाद प्रकट किया गया है।

***173. यदि आवश्यक न हो तो तुम्हें हथियार लेकर चलने से मना किया गया है/अनु.159***

बहाउल्लाह ने *‘‘बयान’’* में निहित एक आदेश की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि यदि आवश्यक न हो तो हथियार लेकर चलना विधान के विरुद्ध है। जहाँ तक ऐसी परिस्थितियों का प्रश्न है जिनमें हथियार लेकर चलना किसी व्यक्ति के लिए *‘‘आवश्यक’’* हो सकता है, अब्दुल बहा ने अनुयायियों को आज्ञा दी है कि खतरे की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए वे हथियार रख सकते हैं। शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए एक पत्र में भी यह संकेत दिया गया है कि ऐसी आकस्मिक परिस्थिति में जबकि कानून की शक्ति तक पहुँच पाना सम्भव न हो, अपने जीवन की सुरक्षा करना बहाइयों के लिए उचित ही है। और भी कई परिस्थितियाँ हैं जबकि हथियार की जरूरत पड़ सकती है और उन्हें औचित्यपूर्वक प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे उन देशों में जहाँ भोजन और वस्त्र के लिए लोगों को शिकार करना पड़ता है अथवा धनुर्विद्या, निशानेबाजी, तलवारबाजी जैसे खेलों में।

समाज के स्तर पर, बहाउल्लाह द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त (देखिए, ‘‘चयनिका’, 117), जिसकी व्याख्या शोग़ी एफेन्दी ने की है (देखिए, ‘‘बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था’ में धर्म संरक्षक के पत्र), यह मानकर नहीं चलता है कि बल का प्रयोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा किन्तु वह प्रस्तावित करता है *‘‘एक ऐसी प्रणाली जिसमें बल न्याय का दास है’’* तथा जो शांति बनाए रखने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की व्यवस्था करता है जो *‘‘सम्पूर्ण राष्ट्रमंडल की संघटनात्मक एकता को संरक्षित करेगी।’’* बिशारत की पाती में बहाउल्लाह ने आशा प्रकट की है कि *‘‘पूरी दुनिया में युद्धास्त्रों को रचनात्मक उपकरणों में बदला जा सकेगा और लोगों के बीच संघर्ष और झगड़े समाप्त हो जाएंगे।’’*

उसी पाती में बहाउल्लाह ने दूसरे धर्मावलम्बियों के साथ बन्धुता रखने के महत्व पर जोर दिया है। वे यह भी कहते हैं कि *‘‘ग्रंथ से पवित्र युद्ध का विधान भी हटा दिया गया है।’’*

***174. और तुम्हे रेशमी वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई है/अनु. 159***

इस्लामिक प्रथा के अनुसार, सामान्यतः पुरुषों को रेशमी वस्त्र पहनने की मनाही थी। रेशमी वस्त्र वे सिर्फ पवित्र युद्ध के समय पहन सकते थे। यह निषेध, जो कि *‘‘कुरआन’’* के श्लोकों पर आधारित नहीं था, बाब के द्वारा समाप्त कर दिया गया।

***175. ईश्वर ने तुम्हे उन प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है जो पहले वस्त्र पहनने और दाढ़ी बनाने पर लागू था..../अनु. 159***

वस्त्र सम्बन्धी कई नियमों की उत्पत्ति संसार के धर्मों के विधानों और पारम्परिक प्रथाओं से हुई। उदाहरण के लिए, शिया मुसलमानों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी और लबादा धारण किया और लोगों को पश्चिमी वस्त्र पहनने से मना किया। इस्लामिक प्रथाओं में मूँछ बनाने और दाढ़ी की लम्बाई जैसे विषयों पर भी कई प्रतिबन्ध लगाए गए।

बहाउल्लाह ने लोगों के वस्त्र और दाढ़ी पर लगाए गए ऐसे प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया। ऐसे विषयों को वे व्यक्ति के *‘‘विवेक’’* पर छोड़ते हैं और साथ ही वे अनुयायियों को कहते हैं कि वे औचित्य की सीमा न लाँघें और वेशभूषा में मर्यादा का पालन करें।

***176. हे ‘काफ’ और ‘रा’ की भूमि/अनु. 164***

‘काफ’ और ‘रा’ ईरान के एक नगर तथा राज्य किरमान के पहले दो व्यंजन अक्षर हैं।

***177. हमें उसका अन्तर्बोध हो रहा है जो शनैः शनैः तुम्हारे अन्दर से निकल रहा है..../अनु. 164***

इस अंश में किरमान शहर में मिर्ज़ा यहया के अनुयायियों (देखिए टिप्पणी सं. 190) अर्थात् ‘‘अजलियों’’ के एक दल द्वारा किए गए षड्यंत्रों की ओर संकेत हैं। ऐसे लोगों में मुल्ला जाफर, उसका बेटा शेख अहमद-ए-रूही तथा मिर्ज़ा आका खान-ए-किरमानी (ये दोनों मिर्ज़ा यहया के दामाद थे) और मिर्ज़ा अहमद-ए-किरमानी भी शामिल थे। इन लोगों ने न केवल धर्म की उपेक्षा की बल्कि ऐसे राजनीतिक षड्यंत्र भी चलाए जिनके परिणामस्वरूप नासिरूद्दीन शाह की हत्या हुई।

***178. तुम उस शेख की याद करो जिसका नाम मुहम्मद हसन था/अनु.166***

शेख मुहम्मद हसन शिया इस्लाम का एक प्रमुख विद्वान था जिसने बाब को नहीं माना। शिया न्यायशास्त्र पर विशाल ग्रन्थ लिखने वाला यह व्यक्ति कथित तौर पर 1850 ई. के लगभग मर गया। ‘‘दि डॉन ब्रेकर्स’’ (शहीदों की गाथा) में नबील ने नजफ नामक स्थान में मुल्ला अली-ए-बस्तामी, जो *‘‘जीविताक्षरों’’* में से एक थे, तथा शेख मुहम्मद हसन की भेंट का वर्णन किया है। इस भेंट के दौरान मुल्ला अली ने बाब के प्रकटीकरण की घोषणा की और उनके *‘‘प्रकटीकरण’’* की शक्ति की महिमा का वर्णन किया। शेख के उकसावे पर मुल्ला अली को तुरन्त ही काफिर घोषित किया गया और उन्हें सभा से बाहर निकाल दिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया, फिर इस्ताम्बुल ले जाया गया जहाँ उन्हें कठोर परिश्रम करने का दंड मिला।

***179. गेहूँ और जौ साफ़ करने वाला/अनु. 166***

संकेत है मुल्ला मुहम्मद जाफर, गंदुम पाक-कुन (गेहूँ फटकने वाला) की ओर जो इस्फहान में बाब का धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति था। फारसी *‘‘बयान’’* में उसका उल्लेख किया गया है और उसकी प्रशंसा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसने *‘‘शिष्यत्व के परिधान से स्वयं को अलंकृत किया।’’ ‘‘दि डॉन ब्रेकर्स’’* में भी नबील ने *‘‘गेहूँ फटकने वाले एक कृषक’’* द्वारा दिव्य सन्देश को तुरन्त स्वीकारने तथा इस नए प्रकटीकरण का उत्साहपूर्वक पक्ष लेने का वर्णन किया है। यह व्यक्ति शेख तबरसी के किले की रक्षा करने वाले लोगों में शामिल हुआ और उस पर आक्रमण के समय मारा गया।

***180. सावधान रहो, कहीं नबी नामक शब्द तुम्हें इस ‘‘महानतम घोषणा’’ से रोक न दे/अनु. 167***

बहाउल्लाह ‘‘अंतर्ज्ञान सम्पन्न’’ लोगों को सावधान करते हैं कि पवित्र ग्रंथों से जो अर्थ उन्हें प्राप्त होता है वह उन्हें ईश्वर के अवतार को पहचानने से कहीं रोक न दे। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की प्रवृत्ति यह रही है कि अपने धर्म प्रवर्तक को वे *‘‘ईश्वरीय शब्द’’* का अंतिम प्रकटीकरण मान लेते हैं और इस सम्भावना से इन्कार करते हैं कि उनके बाद भी कोई *‘‘दिव्य संदेशवाहक’’* आएगा। यहूदी धर्म, ईसाई और इस्लाम धर्मों की यही स्थिति रही है। बहाउल्लाह ने *‘‘अंतिम अवतार’’* की इस धारणा का खंडन किया है, चाहे वह पिछले धर्मकालों से सम्बन्धित हो या स्वयं बहाउल्लाह से। जहाँ तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, बहाउल्लाह ने *‘‘किताब-ए-ईकान’’* में लिखा है कि *‘‘कुरआन के लोगों ने ‘‘अवतारों की मुहर’’ शब्दों को अपनी आँखों की पट्टी बना ली है,’’ ‘‘जिनसे उनका ज्ञान ढक गया है और वे ईश्वर की अनेक कृपाओं से वंचित हो गए हैं।’’* वे कहते हैं कि *‘‘यह मान्यता सम्पूर्ण मानवजाति के लिए एक पीड़ादायी परीक्षा रही है।’’* वे उन लोगों के भाग्य पर रोते हैं *‘‘जो इन शब्दों से चिपके हुए हैं और उसी पर अविश्वास किए बैठे हैं जिसने इन शब्दों को वस्तुतः प्रकट किया है।’’* बाब भी इसी मान्यता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं: *‘‘ऐसा न हो कि विभिन्न नाम पर्दा बनकर तुम्हे उसी से ओझल कर दें जो इन नामों का स्वामी है, यहाँ तक कि ‘‘पैगम्बर’’ का नाम भी, क्योंकि ऐसा कोई भी नाम ‘‘उसकी’’ ही वाणी की रचना है।’’*

***181. ‘‘प्रतिनिधित्व’ का कोई संदर्भ तुम्हें उसके साम्राज्य से वंचित न कर दे जो ‘‘ईश्वर के प्रतिनिधि’ का साम्राज्य है/अनु. 167***

जिस शब्द का अनुवाद यहाँ *‘‘प्रतिनिधित्व’’* किया गया है वह मूल अरबी में ‘‘विलायत’’ लिखा गया है। इस शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे प्रतिनिधित्व, अभिभावकत्व, संरक्षकत्व और उत्तराधिकार। इसका प्रयोग स्वयं ईश्वर, उसके अवतार अथवा अवतार के नियुक्त उत्तराधिकारी के लिए किया गया है।

*‘‘अक़दस’’* के इस श्लोक में, बहाउल्लाह सावधान करते हैं कि लोग ऐसी धारणाएँ न रखें जिनसे नए दिव्य अवतार, जो कि ‘‘ईश्वर के प्रतिनिधि’’ हैं, का ‘‘साम्राज्य’’ देखने से वे वंचित रह जाएँ।

***182. करीम को याद करो/अनु. 170***

हाजी मिर्ज़ा मुहम्मद करीम खान-ए-किरमानी (1810-1873) सैयद काजिम की मृत्यु के बाद, जो कि शेख अहमद-ए-अहसाई (देखिए टिप्पणी सं. 171 तथा 172) द्वारा नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी थे, शेख़ी समुदाय का स्वःनियुक्त नेता बना। उसने शेख अहमद की शिक्षाओं के प्रसार के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उसके समर्थकों और विरोधियों दोनों ही के बीच विवाद के विषय बन गए।

वह अपने समय का एक अग्रणी विचारक और विद्वान लेखक माना जाने लगा। तत्कालीन ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में उसने अनगिनत ग्रंथ और पत्र-लेख लिखे। उसने बाब और बहाउल्लाह दोनों का ही सक्रिय विरोध किया और अपनी समस्त तर्क-शक्ति का उपयोग बाब और उनकी शिक्षाओं पर आक्रमण करने में किया। *‘‘किताब-ए-ईकान’’* में बहाउल्लाह ने उसके लेखों की कथ्य-शैली और विषयवस्तु की निंदा की है और विशेष रूप से उसकी एक पुस्तक की आलोचना की है जिसमें बाब के विषय में नकारात्मक बातें कही गई हैं। शोग़ी एफेन्दी ने मुहम्मद करीम का वर्णन यह कहकर किया है कि वह *‘‘दुर्दम्य महत्वाकांक्षी और पाखंडी’’* था। शोग़ी एफेन्दी ने यह भी बतलाया है कि किस तरह *‘‘शाह के विशेष आग्रह पर उसने अपने एक व्याख्यात्मक लेख में ईश्वर के नए धर्म और इसके सिद्धान्तों पर बदनीयती से हमला किया था।’’*

***183. हे बहा के ज्ञानी जनो !/अनु. 173***

बहाउल्लाह अपने अनुयायियों में विद्वानों की प्रशंसा करते हैं। अपनी ‘‘संविदा की पुस्तक’’ में उन्होंने लिखा है: *‘‘बहा के लोगों के बीच आशीर्वादित हैं वे जो प्रशासक हैं, जो विद्वान हैं।’’* इस कथन की ओर संकेत करते हुए, शोग़ी एफेन्दी ने लिखा है:

*‘‘इस पवित्र युगचक्र में एक ओर ‘‘विद्वान’’ हैं धर्मभुजागण और दूसरी ओर शिक्षक तथा दिव्य शिक्षाओं के प्रसारक जो यद्यपि पद में धर्मभुजा के समान नहीं हैं परन्तु जिन्होंने शिक्षण कार्य में उदाहरण देने योग्य स्थान प्राप्त कर लिया है। ‘प्रशासकों’ से अभिप्राय है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्याय मन्दिरों के सदस्य। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्‍तव्‍य भविष्य में निर्धारित किया जाएगा।’’*

धर्मभुजाओं की नियुक्ति विद्वान व्यक्तियों के रूप में बहाउल्लाह द्वारा की गई थी और उन्हें विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, विशेष रूप से प्रभुधर्म के संरक्षण और प्रसार का उत्तरदायित्व। *‘‘मेमोरियल्स ऑफ दि फेथफुल’’* नामक पुस्तक में अन्य प्रमुख धर्मानुयायियों को भी अब्दुल बहा ने ‘धर्मभुजा’ कहकर संकेतित किया तथा *‘‘इच्छापत्र और वसीयतनामा’’* में उन्होंने यह प्रावधान भी जोड़ दिया कि धर्मसंरक्षक अपने विवेकानुसार धर्मभुजाओं की नियुक्ति कर सकते हैं। शोग़ी एफेन्दी ने सर्वप्रथम कई धर्मानुयायियों को उनके मरणोपरान्त धर्मभुजा की उपाधि से अलंकृत किया तथा अपने जीवन के बाद के वर्षों में सभी महाद्वीपों से इस पद पर उन्होंने 32 अनुयायियों को नियुक्त किया। 1957 में शोग़ी एफेन्दी की मृत्यु से लेकर 1963 में विश्व न्याय मन्दिर की स्थापना तक की अवधि में धर्मभुजाओं ने बहाउल्लाह की नवांकुरित विश्व व्यवस्था के प्रमुख कर्णधारों के रूप में प्रभुधर्म के विषय में मार्गदर्शन किया (देखिए टिप्पणी सं. 67)। नवम्बर 1964 में, विश्व न्याय मन्दिर ने निश्चय किया कि वह ऐसा नियम पारित नहीं कर सकता जिससे धर्मभुजाओं की नियुक्ति की जा सके। इसके स्थान पर,1968 में विश्व न्याय मन्दिर के एक निर्णय द्वारा प्रभुधर्म के संरक्षण और प्रसार का कार्य, जो धर्मभुजाओं के जिम्मे था, महाद्वीपीय सलाहकार मंडलों की स्थापना द्वारा भविष्य में उन पर तथा 1973 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र, जिसका आसन पवित्र भूमि में है, उन पर छोड़ दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र तथा महाद्वीपीय सलाहकार मंडल के सदस्यों की नियुक्ति विश्व न्याय मंदिर द्वारा की जाती है। सहायक मंडल सदस्यों की नियुक्ति महाद्वीपीय सलाहकारों द्वारा की जाती है। ये सभी व्यक्ति ऊपर उद्धृत वक्तव्य में शोग़ी एफेन्दी द्वारा दिए गए ‘विद्वानों’ की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

***184. जो भी ग्रंथ में तुम्हें ज्ञात न हो सके उसके लिये तुम उसका निर्देश पाना जो इस शक्तिमान वृक्ष से शाखा बनकर फूटा है/अनु. 174***

बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को अपने पवित्र लेखों की व्याख्या करने का अधिकार सौंपा है। (टिप्पणी सं. 145 भी देखिए)

***185. ज्ञानातीत एकता की पाठशाला/अनु. 175***

इस श्लोक में तथा इसके तुरन्त बाद वाले श्लोकों में बहाउल्लाह अनेक कारणों में से उस एक कारण का खंडन करते हैं जिसके कारण बाब के कुछ अनुयायियों ने बहाउल्लाह के इस दावे को मानने से इन्कार कर दिया कि वे वही अवतार हैं जिनके आने का वचन *‘‘बयान’’* में दिया गया है। उनकी यह अस्वीकृति बाब की उस पाती पर आधारित थी जिसमें उन्होंने उसे सम्बोधित किया था *‘‘जो प्रकट किया जाएगा।’’* इस पाती की दूसरी ओर बाब ने लिखा था: *‘‘जिसे ईश्वर प्रकट करेगा उसकी दृष्टि प्राथमिक पाठशाला में ही इस पत्र को प्रकाशमय कर दे।’’* यह पाती *‘‘बाब के पावन लेखों से चयन’’* नामक पुस्तक में प्रकाशित की जा चुकी है।

बाब के ये अनुयायी यह मानकर चल रहे थे कि बहाउल्लाह, जो बाब से दो वर्ष बड़े थे, के लिए यह सम्भव नहीं था कि इस पाती को वे *‘‘प्राथमिक पाठशाला में ही’’* प्राप्त करते।

बहाउल्लाह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि संकेत उन घटनाओं की ओर है जो अस्तित्व के इस धरातल से परे आध्यात्मिक लोकों में घटित होती हैं।

***186. हमने ईश्वर के उन श्लोकों को स्वीकार किया जो उसने हमारे लिये भेंट किये.../अनु.175***

*‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’* को सम्बोधित अपनी पाती में, बाब ने ‘‘बयान’’ का वर्णन बहाउल्लाह को समर्पित अपनी भेंट के रूप में किया है। (देखिए ‘‘बाब के पावन लेखों से चयन’’)।

***187. हे ‘‘बयान’’ के लोगों/अनु. 176***

बाब के अनुयायियों की ओर संकेत है।

***188. ‘भ’ और ‘व’ अक्षर परस्पर संयुक्त हुए थे/अनु. 177***

शोग़ी एफेन्दी की ओर से लिखे गए पत्रों में ‘भ’ और ‘व’ अक्षरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उनसे बनने वाला शब्द है ‘भव’। जिसका अर्थ है ईश्वर की रचनात्मक शक्ति। वह अपनी आज्ञा से सभी वस्तुओं को अस्तित्व में ला देता है। इसका यह भी अर्थ है: *‘‘ईश्वर के प्रकटीकरण की शक्ति, उसकी महान आध्यात्मिक रचनात्मक शक्ति।’’*

प्रेरणा-बोधक क्रिया ‘भव’ मूल अरबी में ‘कुन’ शब्द है जो दो अक्षरों से बना है: ‘काफ’ और ‘नून’। शोग़ी एफेन्दी ने उनका अनुवाद उपरोक्त विधि से किया है। ‘कुरआन’ में इस शब्द का प्रयोग ईश्वर की उस आज्ञा के रूप में किया गया है जिससे वह सृष्टि को अस्तित्व में आने के लिए कहता है।

***189. यह नई विश्व व्यवस्था/अनु. 187***

फारसी ‘‘बयान’’ में बाब ने कहा है: *‘‘कल्याण हो उसका जिसकी दृष्टि बहाउल्लाह की व्यवस्था पर टिकी है, जो अपने प्रभु को धन्यवाद देता है क्योंकि उसे अवश्य ही प्रकट किया जाएगा। ईश्वर ने अकाट्य रूप से इसे वस्तुतः ‘‘बयान’’ मे निर्धारित किया है।’’* शोग़ी एफेन्दी इस ‘व्यवस्था’ की पहचान उस प्रणाली के रूप में करते हैं जिसे बहाउल्लाह ने *‘‘अक़दस’’* में रूपांकित किया है, जिसमें वे मानव-जीवन पर पड़ने वाले इसके आंदोलनकारी प्रभाव की सत्यता प्रमाणित करते हैं और उन नियमों तथा सिद्धान्तों को प्रकट करते हैं जिनसे यह संचालित होती है।

*‘‘नई विश्व व्यवस्था’’* के लक्षण बहाउल्लाह तथा अब्दुल बहा के लेखों और शोग़ी एफेन्दी तथा विश्व न्याय मन्दिर के पत्रों में वर्णित हैं। बहाई प्रशासनिक व्यवस्था की वर्तमान संस्थाएँ, जो बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था के *‘‘संरचनात्मक आधार’’* तैयार करती हैं, उनका प्रौढ़ीकरण और विकास बहाई विश्व राष्ट्रकुल के रूप में होगा। इस संदर्भ में शोग़ी एफेन्दी यह पुष्टि करते हैं कि *‘‘जब इस प्रशासनिक व्यवस्था के कल-पुर्जे, इसकी संघटनात्मक संस्थाएँ, कुशलता और शक्ति से कार्य करने लगेंगी तो यह दावा करेगा और तदनुरूप क्षमता का प्रदर्शन करेगा कि उसे उस नई विश्व व्यवस्था का केन्द्र-बिन्दु ही नहीं बल्कि विशुद्ध ढाँचे के रूप में देखा जाए, जिस व्यवस्था को इसीलिए निर्धारित किया गया है कि समय आने पर वह पूरी मानवजाति को अपने आलिंगन में समेट ले।’’*

इस नई विश्व व्यवस्था के विकास के विषय में अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए ‘‘बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था’’ (द वर्ल्‍ड ऑर्डर ऑफ बहाउल्लाह) में प्रकाशित शोग़ी एफेन्दी के पत्र इत्यादि देखिए।

***190. हे विकृति के उद्गम/अनु. 184***

मिर्ज़ा याहिया की ओर संकेत किया गया है, जिसे सुब्हेअज़ल (अनन्त का सबेरा) नाम से जाना जाता था, जो बहाउल्लाह का छोटा सौतेला भाई था तथा जो बहाउल्लाह तथा उनके धर्म के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। मिर्जा याह्या को बाब ने बाबी समुदाय के प्रमुख नायक के रूप में मनोनीत किया था, वो भी तब तक जब तक कि *‘‘प्रतिज्ञापित अवतार’’* का प्रकटीकरण नहीं हो जाता। सैयद मुहम्मद-ए-इस्फहानी (देखिए टिप्पणी 192) के बहकावे में आकर मिर्जा याहिया ने बाब के साथ विश्वासघात किया, उनका उत्तराधिकारी होने का दावा किया और बहाउल्लाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि उनके प्राण लेने का भी प्रयास किया। जब बहाउल्लाह ने एड्रियानोपल में औपचारिक रूप से उसे अपना मिशन सुनाया तो इसके उत्तर में मिर्जा याहिया ने स्वयं के एक स्वतंत्र अवतार होने तक का दावा किया। अंत में, कुछ व्यक्तियों को छोड़कर, जिन्हें *‘‘अजली’’* नाम से जाना गया (देखिए टिप्पणी सं. 177), सबने उसके छद्म का बहिष्कार कर दिया। शोग़ी एफेन्दी ने उसका वर्णन *‘‘बाब की संविदा का प्रमुख भंजक’’* कहकर किया है (देखिए ‘‘गॉड पासेज बाई’’, अध्याय क)।

***191. याद कर कि रात-दिन हमने किस भाँति तेरा पालन-पोषण किया कि तू धर्म की सेवा करे/अनु. 184***

‘गॉड पासेज बाई’ में शोग़ी एफेन्दी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि बहाउल्लाह ने, जो मिर्जा याहिया से 13 साल बड़े थे, उसे उचित परामर्श दिए और उसकी प्रारम्भिक युवावस्था तथा प्रौढ़ता के वर्षों में उसकी देखभाल की।

***192. ईश्वर ने उसे अपने अधीन कर लिया है जिसने तुझे पथभ्रष्ट कर दिया था/अनु.184***

सैयद मुहम्मद-ए-इस्फ़हानी की ओर संकेत है जिसे शोग़ी एफेन्दी ने बहाई प्रकटीकरण का विरोधी कहा है। वह एक भ्रष्ट चरित्र तथा घोर व्यक्तिगत लालसाओं वाला व्यक्ति था जिसने मिर्जा याहिया को बहाउल्लाह के विरुद्ध खड़े होने तथा अवतार होने का दावा करने के लिए बहकाया था (देखिए टिप्पणी 190)। यद्यपि वह मिर्जा याहिया का अनुयायी था, तथापि उसे बहाउल्लाह के साथ देशनिकाले पर अक्का भेज दिया गया। वहाँ भी वह बहाउल्लाह के विरुद्ध उत्तेजना फैलाने और षड्यंत्र करने में लगा रहा। उसकी मृत्यु की दशाओं का वर्णन करते हुए ‘‘गॉड पासेज बाई’’ में शोग़ी एफेन्दी लिखते हैं:

*‘‘अब बहाउल्लाह के जीवन के लिए एक नया संकट उत्पन्न हो गया। यद्यपि उन्होंने कई बार मौखिक और लिखित रूप से अपने अनुयायियों को उनके अत्याचारियों से बदला लेने का कोई भी कृत्य करने से कठोर रूप से मना किया था और यहाँ तक कि एक लापरवाह अरब अनुयायी को-जिसने अपने परम प्रिय नेता के साथ किए गए अन्याय का बदला लेने की ठान ली थी - बेरूत लौटा दिया था, फिर भी सात मित्रों ने उन तीन अत्याचारियों को ढूँढ कर उनकी हत्या कर दी, जिनमें सैय्यद मुहम्मद और आका जान शामिल थे।’’*

पहले ही सताये हुए इस समुदाय में उत्पन्न होने वाली भयाकुलता का वर्णन करना असम्भव है। बहाउल्लाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। इस कृत्य के किए जाने के कुछ ही समय बाद प्रकट की गई एक पाती में वे अपनी भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करते हैं: *‘‘यदि हम उसका उल्लेख कर देते जो हम पर बीती है तो ये आसमान फट जाता और पर्वत चूर-चूर हो जाते। एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा, ’’मेरी कैद मुझे हानि नहीं पहुँचा सकती। वह जो मुझे हानि पहुँचा सकता है, उन लोगों का आचरण है जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे सम्बन्ध रखने का दावा करते हैं और फिर भी ऐसे कर्म करते हैं जो मेरे हृदय और मेरी लेखनी की आहों का कारण बन जाते हैं।’’*

***193. तुम मात्र एक भाषा का चयन करो....एक सामान्य लिपि अपनाओ/अनु. 189***

बहाउल्लाह की आज्ञा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा और लिपि अपनाई जाए। उनके लेखों में इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो चरण सुझाए गए हैं। पहले चरण में, वर्तमान भाषाओं में से किसी एक अथवा किसी आविष्कार की गई भाषा को पूरे विश्व के विद्यालयों में मातृभाषा की सहायक भाषा के रूप में पढ़ाये जाने का प्रश्न है। दुनिया की सरकारों का उनकी संसदों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण नियम को लागू करने का आह्वान किया गया है। दूसरा चरण, जो सुदूर भविष्य से सम्बन्धित है, यह होगा कि पूरी धरती पर अंततः एक ही भाषा और लिपि अपना ली जाएगी।

***194. मानवजाति की परिपक्वता के लिये हमने दो चिह्न निर्धारित किये हैं/अनु. 189***

बहाउल्लाह के लेखों में संकेतित मानवजाति की प्रौढ़ावस्था का पहला चिह्न होगा *‘‘दिव्य दर्शनशास्त्र’’* के रूप में वर्णित एक ऐसे विज्ञान का जन्म जिसमें तत्वों की रूप-रचना के लिए एक अत्यंत ही क्रांतिकारी उपाय की खोज शामिल होगी। भविष्य में ज्ञान के अद्भुत विस्तार की भव्यता की ओर यह एक संकेत है।

‘दूसरे’ चिह्न के सम्बन्ध में जिसे किताब-ए-अक़दस में प्रकट किए जाने का संकेत बहाउल्लाह ने दिया है, शोग़ी एफेन्दी ने कहा है कि बहाउल्लाह ने *‘‘अपने परम पावन ग्रंथ में समस्त धरती के लिए एक भाषा और एक सामान्य लिपि चुन लिए जाने की आज्ञा दी है। यह एक ऐसा आदेश है जिसे मानने से यह मानवजाति की प्रौढ़ावस्था का दूसरा संकेत हो जाएगा, जिसकी पुष्टि बहाउल्लाह ने स्वयं ही उस ‘ग्रंथ’ में की है।’’*

मानवजाति की प्रौढ़ावस्था और उसके वयस्क होने की इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में बहाउल्लाह के इस वक्तव्य में और भी अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है:

*‘‘विश्व की प्रौढ़ता का एक संकेत यह है कि कोई भी राजा बनने का भार उठाना नहीं चाहेगा। कोई भी अकेला राजत्व का भार उठाना नहीं चाहेगा। यह वह दिन होगा जब मनुष्यों के बीच विवेक का प्रकटीकरण होगा।’’*

शोग़ी एफेंन्दी ने मानवजाति की प्रौढ़ता का सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव के एकीकरण से जोड़ा है जब एक विश्व राष्ट्रकुल की स्थापना हो जायेगी और *‘‘पूरी मानवजाति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन’’* को एक ऐसी स्फूर्ति प्राप्त होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी।

**शब्दावली**

**अब्दुल बहा**

‘‘बहा के सेवक’’, अब्बास एफेन्दी (1844-1921), बहाउल्लाह के ज्येष्ठ पुत्र और नियुक्त उत्तराधिकारी तथा उनकी संविदा के केन्द्र।

**अब्जद**

वर्णमाला के अक्षरों को सांख्यिक मूल्य प्रदान करने की प्राचीन अरबी प्रणाली, ताकि संख्या का बोध अक्षरों से और अक्षरों का संख्या से किया जा सके। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के शाब्दिक अर्थ और सांख्यिक मूल्य निर्धारित हो सके।

**बाब**

शाब्दिक अर्थ ‘‘द्वार’’, मिर्ज़ा अली मुहम्मद (1819-1850) द्वारा शिराज़ में मई 1844 में अपने उद्देश्य की घोषणा के बाद स्वयं ग्रहण की गई उपाधि। वह बाबी धर्म के संस्थापक और बहाउल्लाह के पहले आने वाले ईश्वरीय दूत थे।

बहा

बहा का अर्थ है महिमा। यह ईश्वर का सर्वमहान नाम है और एक उपाधि है जिससे बहाउल्लाह को सम्मानित किया गया है। यह बहाई वर्ष के पहले महीने का नाम भी है और प्रत्येक बहाई महीने के पहले दिन का नाम भी।

बहाउल्लाह

‘‘ईश्वर की महिमा’’, मिर्ज़ा हुसैन अली (1817-1892) की उपाधि, बहाई धर्म के संस्थापक।

बयान

बयान (दिव्य व्याख्या) बाब द्वारा विधानों के अपने ग्रंथ को दी गई उपाधि है और यह उनके सम्पूर्ण लेख-संग्रह के लिये भी प्रयुक्त होता है। फारसी बयान वह प्रमुख सिद्धांत-संग्रह और विधानों का प्रधान कोष है जो बाब द्वारा आदेशित है। विषय वस्तु में अरबी बयान समान है लेकिन आकार में छोटा और कम सारगर्भित। विभिन्न विषयों की टिप्पणी के संदर्भ फारसी बयान और अरबी बयान में केवल ‘‘बयान’’ शब्द के प्रयोग पाये जाते हैं।

हुकूकुल्लाह

‘‘ईश्वर का अधिकार’’। ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ में संस्थापित यह एक भुगतान है जो धर्म के प्रधान के माध्यम से बहाई लेखों में दिये गये उद्देश्यों के लिये किया जाता है।

मशरिकुल-अज़कार

शाब्दिक रूप से ‘‘प्रभु की स्तुति का उदय स्थल’’, बहाई उपासना मंदिर और इसके सहायक भवनों का नाम।

मिस्क़ाल

तौल की एक इकाई, जो साढ़े तीन ग्राम से थोड़ा अधिक है ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ में विभिन्न उद्देश्यों के लिये सोना और चाँदी की मात्रा के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है, सामान्य तौर पर 9, 19 और 95 मिस्क़ाल की मात्रा में। मीटरिक प्रणाली और आउन्स तौल-प्रणाली जिसका प्रयोग कीमती धातुओं की तौल में किया जाता है इनके समान भार इस प्रकार हैं:

09 मिस्क़ाल = 32.775 ग्राम = 1.05374 आउन्स

19 मिस्क़ाल = 69.192 ग्राम = 2.22456 आउन्स

95 मिस्क़ाल = 345.958 ग्राम = 11.12282 आउन्स

यह गणना शोग़ी एफेन्दी द्वारा दिये गये निर्देश पर आधारित है, जो उनकी ओर से लिखे गये एक पत्र में वर्णित है, जिसमें कहा गया है, ‘‘एक मिस्क़ाल उन्नीस नख़ूद का होता है। चौबीस नख़ूद का भार चार बटा तीन-पाँच ग्राम के बराबर होता है। इस आधार पर हिसाब लगाया जा सकता है।’’ मध्य-पूर्व के देशों में पारम्परिक रूप से मिस्क़ाल का प्रयोग किया जाता है जो 24 नख़ूद का होता है, लेकिन बयान में इसे बदलकर 19 नख़ूद कर दिया गया और बहाउल्लाह ने मिस्क़ाल के रूप में इसकी पुष्टि की है, जिसका वर्णन बहाई विधानों में किया गया है। (प्रश्न और उत्तर 23)

नख़ूद

भार की एक इकाई। देखें ‘‘मिस्क़ाल’’।

क्य़्यूमुल-अस्मा

कुरआन में जोसेफ़ की सूरा पर बाब की व्याख्या। सन् 1844 में प्रकाश में आई इस रचना को बहाउल्लाह ने बाबी युग की ‘‘सभी पुस्तकों में पहली, सबसे बड़ी और प्रभावशाली’’ पुस्तक की संज्ञा दी है।

शोग़ी एफेन्दी

शोग़ी एफेन्दी (1897-1957), सन् 1921 से 1957 तक बहाई धर्म के संरक्षक। वह अब्दुल बहा के ज्येष्ठ नाती थे और उनके द्वारा धर्मप्रमुख के रूप में नियुक्त किये गये थे।

सियाहचाल

शाब्दिक रूप में ‘‘बंद अंधेरी जगह’’। तेहरान की वह अंधेरी, बदबूभरी भूमिगत कालकोठरी जहाँ सन् 1852 में बहाउल्लाह को कैदी बनाकर चार महीने तक रखा गया था।

**संकेत और संदर्भ**

किताब-ए-अक़दस के पाठ की ओर अनुच्छेद संख्या से संकेत किया गया है, ‘‘प्रश्न और उत्तर’’ की ओर प्रश्न संख्या से और टिप्पणियों की ओर टिप्पणी संख्या से। अन्य संकेत सामान्य नियमानुसार पृष्ठ संख्या पर आधारित हैं। अतः

कि. 14 से अर्थ है किताब-ए-अक़दस का 14 वाँ अनुच्छेद

प्र. 10 से अर्थ है 10वाँ प्रश्न (या उत्तर)

टि. 14 से अर्थ है टिप्पणी संख्या 14

102 से तात्पर्य है पृष्ठ संख्या 102

अबा बदी: प्रश्नो. 104

अपमान मान-हनन, कि. 138, कि. 158, टि. 77 टि. 57-58,

अब्दुल अज़ीज़, सुल्तान, टि. 120

अब्दुल बहा, 3 टि. 184,

- बहाउल्लाह के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति, 6, 16, कि. 121, कि. 174, 145, टि. 1

- संविदा के केन्द्र, टि. 66, टि. 125

- जिसे ईश्वर ने इसी उद्देश्य से रचा है, कि. 121, टि. 145

- ईश्वरीय शब्द के व्याख्याकार, कि. 174, टि. 130, टि. 184

- ‘‘परम शक्तिमान शाख’’, टि. 145

- शोग़ी एफेन्दी को धर्मसंरक्षक नियुक्त करते हैं, 5, टि. 66 टि. 130

- (की) दिव्य योजना, 6

- आदर्श पुरुष, 5

- (के) उत्तराधिकारी, 6

- लेख (पातियाँ)

- व्यक्तिगत रचनाएँ

‘‘निष्ठावानों के संस्मरण’’ {मेमोरियल्स ऑफ द फेथफुल} टि. 183

‘‘कुछ प्रश्नों के उत्तर’’ {सम आन्सर्ड क्वेश्चंस} टि. 75, टि. 86

‘‘इच्छापत्र और वसीयतनामा’’ {विल ऐंड टेस्टामेंट} 5, टि. 49, टि. 66, टि 125, टि. 183

‘‘दिव्य श्लोक’’ {वर्सेज ऑफ गॉड}-इसका उल्लेख नहीं है-टि. 165

अब्जद गणना-प्रणाली, टि. 28, टि. 50, टि. 122, टि. 172, 251

अब्राहम, टि. 65

अगसान, कि. 42, कि. 61, टि. 66, टि. 67, टि. 85 (अब्दुल बहा और शोग़ी एफेन्दी भी देखिए)

अक्का, कि. 85, कि. 132, कि. 136, टि. 8, टि. 63, टि. 116, टि. 127, टि. 192

‘‘ओल्ड टेस्टामेंट’’ (देखिए बाइबिल)

औचित्य

- की सीमा का उल्लंघन न करना, कि. 123

- वेशभूषा के सम्बन्ध में, कि. 159, टि. 175

- संगीत के सम्बन्ध में, कि. 51

- कुमारी सेविका के सम्बन्ध में, कि. 63, प्र. 30, टि. 90

- सभी परिस्थितियों में, कि. 145

- पशु पर भार वहन के संबंध में, कि. 187

अंत्येष्टि, टि. 149, (भूमिगत करना भी देखिए)

अंगूठी, (देखिए भूमिगत करना)

‘‘अला’’ महीना, प्र. 71 टि. 25, टि. 26, टि. 27 (उपवास भी देखिए)

अल्लाह-ओ-अब्हा, (देखिए सर्वोच्च नाम) कि.18 प्र.33,34

अमेरिकी गणतंत्र, 18, कि. 88

अक़सा मस्जिद, कि. 85, टि. 116

अर-रूम, टि. 119 (कौस्टेंटिनोपल भी देखिए)

अरब, प्र. 74, टि. 192

अरबी, 12, टि. 28, टि. 172

- (अरबी भाषा पर) बहाउल्लाह का असाधारण अधिकार

- (अरबी) बयान

- किताब-ए-अक़दस, की (अरबी भाषा), 12

(किताब-ए-अक़दस भी देखिए)

- विशेष शब्दावलियों का अनुवाद, टि. 3, टि. 22, टि. 32, टि. 33, टि. 36, टि. 46, टि. 48, टि. 66, टि. 74, टि. 134, टि. 181, टि. 188

अश्काबाद (इश्काबाद), टि. 124

अय्याम-ए-हा, (देखिए लोंद के दिन, अधिदिवस) कि. 16 टि. 29, टि. 147

अज़ली, कि. 164, टि. 177, टि. 190

अस्थि प्रार्थना को खारिज नहीं करते, कि. 9, टि. 12

अविवाहित अवस्था, कुमारावस्था, टि. 91

अपराधी, (देखिए दंड)

अरुणाभ नौका, कि. 84, टि. 115

अरुणाभ स्थल, कि. 100, टि. 127, (अक्का भी देखिए)

असहमति, विरोधाभास

- विवाहितों के बीच, कि. 69, 70, प्र. 19, टि. 100

- लोगों के बीच, कि. 35

- प्रकटित श्लोकों के बीच, प्र. 57, प्र. 63, टि. 109

अविश्वास, कि. 141, कि. 183

अनन्तता, कि. 182

अर्थदंड, कि. 52, कि. 148, टि. 163

- व्यभिचार करने पर, कि. 49, प्र. 23, टि. 77-78

- धैर्य की अवधि में सहवास करने पर, प्र. 11

अतिथि-सत्कार, कि. 16, कि. 57, टि. 29, टि. 82

अज्ञान, कि. 62, कि. 122-123, कि. 144, कि. 159

अनैतिकता, टि. 134, और (देखिए व्यभिचार, यौन पवित्रता, समलैंगिक सम्बन्ध, यौन क्रियाएँ)

अशुद्धता, (देखिए अस्वच्छता)

अचूकता, (दोषमुक्त्तता) पवित्र पाठ की व्याख्या भी देखिए)

अधिवर्ष, टि. 27, टि. 147, (बहाई पंचांग भी देखिए)

अर्थ, विपर्यय क्रम से (स्त्री-पुरुष दोनों पर विधानों का लागू होना), टि. 38, टि. 133

अवहेलना, कि. 40, कि. 134, कि. 171

अनिवार्य प्रार्थना 17, 18, कि. 6, कि. 8-14, कि. 18, 90-97 प्र. 8-67, प्र. 77, प्र. 81-83, प्र. 132-135, टि. 3-22, टि.25, (और देखिए प्रार्थना, दिवंगतों के लिए प्रार्थना, संकेतों की प्रार्थना, रकाह)

- और शुद्धिकरण (देखिए शुद्धिकरण)

शुद्धिकरण के बदले श्लोक, कि. 10, प्र. 51, टि. 16, टि. 34

- एक (अनिवार्य प्रार्थना) का चयन, प्र. 65

- (अनिवार्य प्रार्थना से) छूट, 134, टि. 20

बीमारी की अवस्था में, कि. 10, प्र. 93, टि. 14, टि. 20

वृद्धावस्था में, कि. 10, टि. 14, टि. 20

असुरक्षा की दशाओं में, कि. 14, प्र. 58, 140, टि. 21

बदले में नतमस्तक होना और श्लोक पढ़ना, कि. 14, प्र. 21, प्र. 58-61, 140 टि. 21

- ऋतुवती स्त्रियों के लिए, कि. 13, 139, टि. 14, टि. 20

बदले में श्लोक, कि. 13

- लम्बी (अनिवार्य प्रार्थना), 90-94, प्र. 67, प्र. 82, 139

- मध्यम (अनिवार्य प्रार्थना), 95-96, प्र. 83, प्र. 86, 139, टि. 5,

टि. 34

- अंग संचालन और धरती पर माथा टेकना, कि. 10, 139, टि. 4, टि.15

- किब्ले, (देखिए किब्ले)

- लघु (अनिवार्य प्रार्थना), 97, प्र. 81, प्र. 86, 139, टि. 5

(अनिवार्य प्रार्थना) की पाती, पृ. 94-104, प्र. 63, प्र. 65

यात्रा के समय, कि. 14, प्र. 21, प्र. 58, प्र. 59, 139, टि. 21

अफीम, 17 कि. 155, कि. 190, टि. 170

अत्याचार, कि. 73, कि. 88, कि. 148, टि. 170 और (देखिए बहाउल्लाह को प्राप्त यातनाएँ, अत्याचार)

अध्यादेश, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

अनाथ, कि. 21

अब्दुल बहा का निधन, (देखिए पवित्र दिवस)

अर्थदंड, (देखिए व्यभिचार, आगजनी, गैर-वैवाहिक यौन सम्बन्ध, जनहत्या, बलात्कार, समलैंगिक सम्बन्ध, किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाना, चोरी)

अवतार,

- मुहर, टि. 180, (मुहम्मद भी देखिए), कि. 143, प्र. 106, टि. 160, (ईश्वर के प्रकटित अवतार भी देखिए)

अभिज्ञान, (बहाउल्लाह का)

- बहाई धर्म का समाज में, टि. 49

- ईश्वरीय अवतारों का, कि. 55, कि. 80, कि. 85, कि. 100, कि. 157, कि. 182-183, टि. 1, टि. 48

- अभिज्ञान में बाधक

- सांसारिक वासनाएँ, कि. 39, कि. 82, कि. 86, टि. 23

- ज्ञान, कि. 41, कि. 102, टि. 60

- नाम, टि. 180

- धार्मिक नेतागण, कि. 165, कि. 167

- (बाधाओं को) हटाना, कि. 47, कि. 132, कि. 165, कि. 171

- धर्मग्रन्थ कि. 134, टि. 155

- और विधानों का पालन, जुड़वाँ कर्त्‍तव्‍य, कि. 1

- बहाई धर्म की स्थिति और उद्देश्य, टि. 49

- नियम जो सुव्यवस्था और सुरक्षा के साधन है, कि. 2

- विधानों का उद्देश्य, कि. 2

- ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ का महत्व, 16

- ईश्वर की एकता, प्र. 106

- वस्तुतः ‘‘उसके कर्मों का लेखा-जोखा नहीं मांगा जाएगा’’, कि. 161-163, (अचूकता भी देखिए)

अमेरिकी गणतंत्र, 18, कि. 88

अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध, कि. 107, प्र. 49, टि. 134

अध्ययन

- कला और विज्ञान का, कि. 77, टि. 110

- किताब-ए-अक़दस का, 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19,

- भाषाओं का, कि. 118, 149, (भाषाएं भी देखिए)

- प्रभुधर्म की शिक्षाओं का, कि. 149, कि. 182, (पवित्र पाठ की व्याख्या भी देखिए)

अनुवाद, बहाई लेखों का, 11-13, (किताब-ए-अक़दस भी देखिए)

अस्वच्छता, धार्मिक-सांस्कारिक अवधारणा समाप्त की गई, कि. 75, टि. 20, टि. 103 टि. 106

अभिमान, कि. 36

- जनित कल्पनाएँ कि. 17, कि. 41, कि. 132, कि. 165

आध्यात्म विद्या, टि. 110

आभा, (देखिए ‘‘सर्वोच्च नाम’’)

आयु

- मानवजाति की प्रौढ़ता, (देखिए मानवजाति)

- वयस्कता की, (देखिए वयस्कता की आयु)

- कार्यनिवृत्ति की, टि. 56

आक़ा जान, टि. 192

आगजनी, 17 कि., 62, 158, टि. 86, टि. 87

ऑस्ट्रिया, 18, कि. 85, टि. 116

आस्था, विश्वास (देखिए अभिज्ञान)

आस्तिकतावादी, टि. 110

आचरण, कि. 73, कि. 159, टि. 192, (अन्य शीर्षक सद्गुण के अंतर्गत देखिए)

आजीविका कमाना, कि. 147, टि. 56, टि. 162, (कार्य भी देखिए)

आर्थिक सहायता,

- धैर्य की अवधि में परिवार को, कि. 70, टि. 100

- गरीबों को, टि. 56, टि. 161-162

आग, (देखिए आगजनी)

आलस्य, (निषेध) कि. 33, टि. 56, (कार्य भी देखिए)

आय, (देखिए न्याय मंदिर, हुकूकुल्लाह)

आभूषण, (गहने-जेवर) प्र. 37, प्र. 78, टि. 44, टि. 166, (उत्तराधिकार भी देखिए)

आज्ञाकारिता

- सरकार के प्रति, 17, कि. 64, कि. 95

- ईश्वरीय विधानों के प्रति, कि. 2, 7 कि. 29, कि. 148

- परामर्श के आधार पर लिए गए निर्णयों के प्रति, प्र. 99

आदि-बिन्दु, (देखिए बाब)

आदर भावना,

- माता-पिता के लिए प्र. 104, प्र. 106

- ज्ञानी और सुयोग्य लोगों के प्रति, टि. 110

आत्मरक्षा, कि. 159, टि. 173

आलस्य, निष्क्रियता कि. 33, टि. 56, (भिक्षावृत्ति भी देखिए)

आत्मा,

- पवित्र आत्मा की स्थिति, प्र. 68, टि. 23

- बाधाएँ कि. 161-163, टि. 134, टि. 170

- दिव्य प्रकटीकरण का प्रभाव, कि. 54, कि. 55, कि. 148, 92, 93, टि. 23

- ईश्वरीय अवतार की आत्मा, टि. 160, (और देखिए ईश्वरीय अवतार)

- आत्मा की उन्नति कि. 51, कि. 149, कि. 161, कि. 163, टि. 25, टि. 79, टि. 104

आतंक, कि. 86, कि. 89, कि. 141, (और देखिए अत्याचार)

आवरण, (पर्दा) कि. 132, कि. 165, कि. 171 (और देखिए विरक्ति, अभिज्ञान)

- छिपाने वाले, कि. 47, कि. 175, कि. 176

- धर्मगुरुओं द्वारा तैयार किया गया, कि. 165, कि. 167

- पार्थिव इच्छाओं का, कि. 50, कि. 82, कि. 86, टि. 23

- ज्ञान का, कि. 102, टि. 60

- नामों का, कि. 167, टि. 180

इच्छा

- भ्रष्ट, कि. 2, कि. 29, कि. 39, कि. 59, कि. 165, टि. 25

- पार्थिव (इच्छा), कि. 86

- के बियावान में, कि. 86

इमाम हुसैन, टि. 160

इश्काबाद, (अश्काबाद) टि. 124

इस्लाम, 7, टि. 113, टि. 120, टि. 128, टि. 129, टि. 138, टि. 160,

टि. 180

- विधान, टि. 6, टि. 15, टि. 18, टि. 89, टि. 101, टि. 161

- प्रथाएँ और परम्पराएँ, टि. 19, टि. 23, टि. 33, टि. 65, टि. 72, टि. 79, टि. 85, टि. 90, टि. 103, टि. 111, टि. 174, टि. 175

इस्ताम्बुल, (कौंस्टेंटिनोपल) कि. 89, टि. 107, टि. 119-120, टि. 178

ईश्वर के अवतार, टि. 23, टि. 60, टि. 141, टि. 154, टि. 155, टि. 160, बाब, बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण, मूसा, मुहम्मद)

- अचूकता, दोषमुक्तता, (देखिए अचूकता)

- अगले ईश्वरावतार, कि. 37, टि. 62

- पिछले ईश्वरावतार, कि. 138, टि. 126

ईश्वरीय विधानो के प्रति आज्ञा पालन, कि. 1-2, कि. 17 कि. 45, कि. 62, कि. 71, कि. 97, कि. 134, कि. 138, कि. 147, कि. 171

इत्र का प्रयोग, कि. 76

ईश्वर का गुणगान, (देखिए ईश्वर)

इच्छापत्र, (और देखिए उत्तराधिकार, वसीयत)

- सर्वोच्च नाम से अलंकृत करना, कि. 109, टि. 137

- लिखना अनिवार्य, 17, कि. 109, 149, टि. 136

- सम्पत्ति का वितरण स्वामी का अधिकार, प्र. 69, टि. 38, टि. 136

इच्छापत्र और वसीयतनामा

- अब्दुल बहा का, (देखिए अब्दुल बहा के लेख)

- बहाउल्लाह का, (देखिए बहाउल्लाह के लेख)

ईश विरोधी, टि. 192

ईश्वर के अवतार, (देखिए मुहम्मद)

ईसा मसीह, 16, टि. 89, टि. 171 ‘‘ईश्वरीय चेतना’’ की उपाधि कि. अ. 80, टि. 113, टि. 160)

ईसाई, मत/धर्म, 16, टि. 160, टि. 180

ईश्वर

(ईश्वर के) कार्य, कि. 11, टि. 18

(ईश्वर के) नामालंकरण, (देखिए ईश्वर/बहाउल्लाह के नामालंकरण, उपाधियाँ)

ईश्वरीय आदेश, टि. 188, (बहाउल्लाह के विधान भी देखिए)

ईश्वर से भय, कि. 64, कि. 73, कि. 88, कि. 120, कि. 151, कि. 167, कि. 184

(ईश्वर से) बहाउल्लाह का सम्बन्ध, कि. 39, कि. 86, कि. 88, कि. 132, कि. 134, कि. 143, कि. 163, कि. 168, टि. 160

(ईश्वर की) कृपालुताएँ, कि. 111, कि. 112

- अस्वच्छता की समाप्ति के रूप में, कि. 75

- ईश्वर की चेतावनी के रूप में, कि. 169

- पहले के प्रतिबन्ध हटा लिए जाने से प्रमाणित, कि. 159

- उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रावधानों के माध्यम से प्रमाणित, कि. 29,

प्र. 100

- दी गई छूटों के रूप में, कि. 10

ईश्वरीय धर्म, प्रभुधर्म (देखिए बहाई धर्म)

(ईश्वर) अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करता है, टि. 86

(ईश्वर की) संविदा, (देखिए संविदा)

(ईश्वर का) युग, कि. 80, कि. 88, कि. 138

(ईश्वर का) साम्राज्य, कि. 11, कि. 126, कि. 129, कि. 172, टि. 18

(ईश्वर का) सार-तत्व, टि. 160

-‘‘हा’’ अक्षर एक प्रतीक के रूप में, टि. 28

(ईश्वर का) अपरिवर्तनीय धर्म, कि. 182

(ईश्वर की) क्षमा, कि. 49, प्र. 11, टि. 37, टि. 58 (क्षमाशीलता और पाप भी देखिए)

- मिर्ज़ा याहिया के प्रति, यदि वह ईश्वर की और उन्मुख हो, कि. 184

- उसके प्रति जो हजार वर्षों की परिसमाप्ति से पूर्व ईश्वर का प्रकटीकरण होने का दावा करेगा, बशर्ते वह पश्चाताप करे, कि. 37

(ईश्वर) जैसा चाहता है, करता है, कि. 47, कि. 131

(ईश्वर के) कर्मों के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, कि. 161-162

(ईश्वर का) न्याय, कि. 170

(ईश्वर के) विधान, (देखिए किताब-ए-अक़दस, बहाउल्लाह के विधान)

(ईश्वर के प्रति) प्रेम, दिव्य विधानों के प्रति आज्ञापालन के रूप में

(ईश्वर) स्वयं को प्रकट करते हैं, टि. 23, टि. 160, (ईश्वरीय प्रकटीकरण भी देखिए)

(ईश्वर की) करुणा, कि. 59

(ईश्वर की) निकटता

- संन्यास द्वारा नहीं, कि. 36

- उपवास , टि. 25, संगीत कि. 51, अनिवार्य प्रार्थनायें टि. 3, पवित्र श्लोकों के पाठ कि. 149 और कार्य, टि. 56 द्वारा

(ईश्वर की) एकता, 4 प्र., 106

(ईश्वर का) गुणगान, कि. 40, कि. 50, कि. 172

- अय्याम-ए-हा के दिनों में, कि. 16

- बहाई उपासना गृहों में, कि. 31, कि. 175, टि. 53

(ईश्वर का) उद्देश्य, कि. 125

- हृदयों को जोड़ना, कि. 57

(ईश्वर के) शब्द और आदेशों का अभिज्ञान, कि. 3-4, कि. 7

(ईश्वर से), कि. 134

(ईश्वर का) प्रकटीकरण, (देखिए बहाउल्लाह का प्रकटीकरण)

(ईश्वर का) अधिकार, (देखिए हु.कू.कुल्लाह)

(ईश्वर द्वारा) स्थापित आदर्श, कि. 17

दंड देने में भयावह, कि. 377

(ईश्वर के प्रति) आभार, कि. 33, कि. 111

(ईश्वर में) आस्था, कि. 47, कि. 81, कि. 97, कि. 131, कि. 157

- वैवाहिक श्लोकों में इसका संकेत, प्र. 3

(ईश्वर की) आराधना/उपासना, (देखिए उपासना)

ईश्वरीयता, कि. 108, प्र. 106

ईश्वर के अवतार, टि. 23, टि. 60, टि. 141, टि. 154, टि. 155, टि. 160, टि. 172, टि. 180, टि. 181, टि. 188 और (देखिए बहाउल्लाह, बाब, बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण, मूसा, मुहम्मद)

- अचूकता, दोषमुक्तता, (देखिए अचूकता)

- अगले ईश्वरावतार, कि. 37, टि. 62

- पिछले ईश्वरावतार, कि. 138, टि. 126

ईश्वरीय सन्देशवाहक, (देखिए ईश्वरीय प्रकटीकरण)

ईश्वर का स्मरण, कि. 40, कि. 41

ईश्वर का अधिकार, (देखिए हु.कू.कुल्लाह, उत्तराधिकार, खोई हुई सम्पत्ति भी देखिए)

ईश्वर के नियम, 20 ( और देखिए किताब-ए-अक़दस, बहाउल्लाह के विधान)

ईश्वर की अंगूर-वाटिका, टि. 114

ईश्वर की इच्छा, (देखिए ईश्वर)

ईश्वरीय शब्द, कि. 54, कि. 55, कि. 167, कि. 169, टि. 180

- पाठ करने का आदेश, कि. 149, प्र. 68, (और देखिए पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

- ईश्वरीय अवतारों द्वारा प्रकटित, टि. 75, टि. 143, टि. 155, टि. 165, टि. 180

उपासना-बिन्दु, कि. 6, टि. 7, (‘‘किब्ले’’ भी देखिए)

उपवास, 6, 17, कि. 10, कि. 16

(उपासना के लिए) वयस्कता की आयु, कि. 10, टि. 13, टि. 25

खाने-पीने से परहेज, कि. 17, टि. 25, टि. 32

धूम्रपान भी नहीं, टि. 32

(उपवास के) घंटे, कि. 17, टि. 17. टि. 25

(उपवास की) अवधि, कि. 16-17, टि. 26-27

निर्धारित दिनों के अलावा (उपवास), प्र. 71

आयु, कि. 10, टि. 10, टि. 25 टि. 31, बहाई पवित्र दिवसों प्र. 16, टि. 138, बीमारी कि. 10, कि. 16, प्र. 93, टि. 14, टि. 31, कठिन श्रम प्र. 76, टि. 34, ऋतु-काल कि. 13, टि. 20, टि. 31, टि. 34 गर्भावस्था और स्तनपान कि. 16, टि. 31 और यात्रा कि. 16, प्र. 22, प्र. 75, टि. 30-31 के आधार पर छूट

(उपवास का) महत्व, कि. 17, प्र. 76, प्र. 93, टि. 25

उपहार, भेंट (दहेज भी देखिए)

परोपकार के कार्यों के लिए, टि. 162

अधिदिवस की अवधि में, कि. 16, टि. 29

ईश्वरीय प्रकटीकरण को समर्पित, कि. 114, टि. 141

उपासना मंदिर, (देखिए मशरिकुल अज़कार)

उत्तराधिकार, कि. 20, प्र. 5, टि. 38, (बाब (के विधान) भी देखिए)

- उत्तराधिकारी का न होना

स्त्रियाँ, प्र. 37, प्र. 54, टि. 42,

पुरुष, कि. 26, प्र. 41, प्र. 72, टि. 42,टि. 45

अन्य श्रेणियाँ, कि. 22-24

शिक्षक, प्र. 28, प्र. 33

- सम्पत्ति और उसके अंशों का वितरण, कि. 20, प्र. 5, टि. 38

भाई, कि. 20, प्र. 5, प्र. 6, टि. 38, टि. 39

सौतेले भाई, प्र. 6, प्र. 53, टि. 39

बच्चे, कि. 20, कि. 22, कि. 29, प्र. 5, प्र. 28, प्र. 33, टि. 38,

टि. 41

बच्ची, प्र. 37, प्र. 41, प्र. 54, प्र. 72, टि. 44-45

बच्चा, कि. 25, टि. 44

अवयस्क, कि. 27, टि. 46

पिता, कि. 20, प्र. 5, टि. 38

पौत्र इत्यादि, कि. 26, टि. 45

माता, कि. 20, प्र. 5, टि. 38

भतीजे-भतीजियाँ, कि. 23, टि. 38

बहनें, कि. 20, प्र. 5, टि. 38

सौतेली बहनें, प्र. 6, प्र. 53, टि. 39

दम्पत्ति, कि. 20, प्र. 5, प्र. 55, टि. 38

शिक्षक, कि. 20, प्र. 5, टि. 38, टि. 40

गैरबहाइयों को सम्पत्ति का अधिकार नहीं, प्र. 33

चाचे-चाचियाँ इत्यादि, कि. 23, टि. 38

वस्त्रों का बंटवारा, कि. 25, टि. 44

मृतक स्त्री के पहने हुए वस्त्र, प्र. 37, प्र. 78, टि. 44

- कर्ज का भुगतान, कि. 28, प्र. 9, प्र. 69, प्र. 80, टि. 47

- कफन-दफन के खर्चे, कि. 28, प्र. 9, टि. 47

- हुकूकुल्लाह का भुगतान, कि. 28, प्र. 9, प्र. 69, प्र. 80, टि. 47

- उत्तराधिकार का नियम तभी लागू होगा जब वसीयत छोड़ी नहीं गई हो, टि. 38

- आभूषण, (गहने-जेवर) प्र. 37, प्र. 78, टि. 44

- गैरबहाई सगे-सम्बन्धी और वसीयत का न होना, प्र. 34, टि. 38

- प्रमुख आवास, कि. 25, प्र. 34, टि. 44

- उत्तराधिकार विश्व न्याय मंदिर को प्राप्त होना, कि. 24, प्र. 100,

टि. 42

बच्चों के हिस्से, कि. 21, प्र. 7

पुरुष उत्तराधिकारियों के हिस्से, प्र. 41, प्र. 72, टि. 44

अन्य श्रेणियों के हिस्से, कि. 22-23, प्र. 28, टि. 38, टि. 43

अवयस्क उत्तराधिकारियों के लिए न्यासधारियों की नियुक्ति, कि. 27,

टि. 46

- वसीयत, प्र. 69, टि. 38

उत्सवों का सम्राट (देखिए उत्सव, बहाई पवित्र दिवस, रिज़वान)

उपद्रव, कि. 64, कि. 123, पृ.

उन्नीस दिवसीय सहभोज, कि. 57, प्र. 48, टि. 82

उपासना-बिन्दु, (देखिए किब्ले)

उपदेश-मंच/उच्चासन (का प्रयोग वर्जित), कि. 154, टि. 168

उत्कृष्टता, कि. 74

- अरबी शब्द की परिभाषा, टि. 74

- प्रभाव, टि. 104

उपदेश, टि. 168

उपाधि, (देखिए अब्दुल बहा, बाब, ईश्वर अथवा बहाउल्लाह के नामालंकरण और विभूषण)

उल्लंघन, अतिक्रमण, कि. 143, कि. 155, कि. 162

- औचित्य की सीमा का, टि. 175

- आत्मस्वीकृति, कि. 34, टि. 58

- ईश्वरीय विधानों का, कि. 29, प्र. 94, टि. 37

उदी खमार,

उच्चारण, (वाणी) (देखिए वाणी)

उपासना, पूजा, (और देखिए उपवास, अनिवार्य प्रार्थना/एँ, प्रार्थना)

- ईश्वर के लिए स्वीकार्य होना, कि. 36, टि. 60

- उपासना मंदिर, (देखिए मशरिकुल-अशकार)

- पवित्र श्लोकों का पाठ, कि. 149, (और देखिए पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

- कार्य को उपासना का दर्जा प्राप्त, (देखिए कार्य)

ऋण, कर्ज, कि. 28, प्र. 9, प्र. 69, प्र. 80, टि. 47, (उत्तराधिकार भी देखिए)

ऋतुकाल, (रजोस्राव)

- उपवास के दिनों में, कि. 13, टि. 20, टि. 34, 142

- और अनिवार्य प्रार्थना, कि. 13, 139, टि. 20, टि. 34

एड्रियानोपल, कि. 37, प्र. 100, टि. 33, टि. 63, टि. 190

एल.एस.डी., टि. 170

एकान्तवास, 34, कि. 36, टि. 61

एकल विवाह, 17, कि. 63, टि. 89

एकता, (देखिए ईश्वरीय एकता)

- बहाइयों की, कि. 57-58, कि. 65, कि. 70, टि. 82, टि. 95

- बहाई धर्म की, 8, 12, 17

- ईश्वरीय अवतारों की, टि. 160

- मानवजाति की, 15, 17, कि. 189, टि. 173, टि. 194

- एकता का आसन, टि. 22

कला (यें),

- पढ़ने-लिखने की, (देखिए पढ़ने-लिखने का प्रशिक्षण)

- ऐसी कलाओं का ज्ञान जिनसे मानवजाति को लाभ हो, 151, टि. 110

कन्नाबिस, टि. 170

कर्म,

शुभ (कर्म), कि. 1, कि. 70, कि. 73

(कर्मों की) स्वीकृति ईश्वर की सद्कृपा पर निर्भर, कि. 36, कि. 73,

कि. 157

निरर्थक/निष्फल बनाए गए, कि. 46

जाल की तरह, कि. 36

कार्मेल, कि. 80, टि. 114

कैथोलिक, टि. 58

करुणा, सावधान रहो कि यह तुम्हें विधानों के पालन से रोक न दे, कि. 45

कंक्रीट का ताबूत, टि. 149, देखें भूमिगत करना

कौस्टेंटिनोपल, (इस्ताम्बुल) कि. 89, टि. 107, टि. 119-120, टि. 178

क्रोध, 152, कि. 153

कर्त्‍तव्‍य, (देखिए बहाइयों के कर्त्‍तव्‍य, न्याय मंदिर, बहा के लोगों के बीच ज्ञानीजन)

कल्पनाएँ, (निरर्थक) कि. 17, कि. 35, कि. 37, कि. 178

कारावास,

- हत्या और आगजनी के लिए, कि. 62, टि. 86-87

- चोरी के लिए, कि. 45, टि. 70

काफ़, टि. 188, और (देखिए-काफ़ और रा की भूमि)

किरमान, कि. 164, टि. 176, टि. 177

किताब-ए-अक़दस,

- का चरित्र, 3, 16, 20

- प्रभुदूत ईशाइया द्वारा पूर्वचिन्तित पिछले धर्म-कालों से सम्बन्ध, 16

- बाइबिल के उत्तरखंड (एपोकैलिप्स) के लेखक द्वारा पूर्वचिंतित, 16

- सबका आलिंगन करता है, 21

- पिछले धर्मकालों के पवित्र ग्रंथ, 11

- बयान, 11, कि. 142, टि. 108, टि. 109

- प्राचीन धर्मग्रंथों पर आधारित व्यवस्थाएँ, 3-4

- अंग्रेजी अनुवाद, 1-2, 13-15

- आज्ञाएँ, (देखिए आज्ञाएँ)

- धर्मसंरक्षक की संस्था की पूर्वकल्पना, 6, (धर्मसंरक्षक और शोग़ी एफेन्दी भी देखिए)

- न्याय मन्दिर का निर्धारण, कि. 30, कि. 42, टि. 49, टि. 66-77, (न्याय मन्दिर भी देखिए)

- बहाउल्लाह के उत्तराधिकारी का संकेत, (देखिए अब्दुल बहा)

- विधान और अध्यादेश, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

- विधानों के प्रति आज्ञापालन के लिए सभी प्रेरित, प्र. 10, (बहाउल्लाह के विधान भी देखिए)

- सिद्धांत (देखिए बहाई धर्म के सिद्धांत)

- निषेध (देखिए निषेध)

- मूल अरबी पाठ का प्रकाशन, 11

- प्रकटीकरण, 21 (बहाउल्लाह का प्रकटीकरण भी देखिए)

+ तिथि कि. 98, टि. 126

+ बहाउल्लाह के धर्ममंत्रित्वकाल का सबसे विलक्षण कार्य, 16

- महत्व, 3, 16-20, कि. 186

- रचनाकार के मस्तिष्क सबसे ज्योतिर्मय प्रस्फुटन, 16

- भविष्य की विश्व-सभ्यता का दस्तावेज/प्रारूप, 3-4, 16-18, टि.189, (देखिए विश्व व्यवस्था)

- परम पावन पुस्तक, 3, 152

- बहाई धर्मकाल का मातृग्रंथ, टि. 129

- लोगों के बीच स्थापित ‘‘अचूक तराजू’’ 17-18 (और देखिए तराजू)

- विशिष्ट व्यक्तियों और राष्ट्रों का आह्वान, 152-4, 19-20

- सार संहिता, (देखिए सार संहिता)

- चेतावनियाँ, (देखिए बहाउल्लाह की चेतावनियाँ)

- किताब-ए-अक़दस के अनुपूरक रूप में बहाउल्लाह की अन्य कृतियाँ, 89

+ प्रश्न और उत्तर

+ किताब-ए-अक़दस के बाद प्रकटित बहाउल्लाह की पातियाँ, 12, 88

कृष्ण, टि. 160

कल्पतरू, (सद्रतुल मुन्तहा देखिए)

कय्यमुल अस्मा, (देखिए बाब के लेख)

किब्ले, 18, कि. 6, कि. 137, टि. 7

- अनिवार्य प्रार्थना के लिए ध्यान-बिन्दु, कि. 6, प्र. 67, टि. 7, 94, 102

- बाब ने बहाउल्लाह के रूप मे किब्ले की पहचान की, कि. 137, टि. 7

- और अन्य प्रार्थनायें जो अनिवार्य नहीं हैं, 10

- और दिवंगतों के लिए प्रार्थना, प्र 85, टि. 10, टि. 19

- बहाउल्लाह का विश्राम-स्थल, कि. 6, 138, टि. 8

कुरान, 17, टि.1, टि. 2, टि. 16, टि. 129, टि. 188

- इस्लामी प्रथाएँ (कुरान से) नहीं निकलीं, कि. 9 टि. 72, टि. 79,

टि. 174

- (कुरआन के) विधान

+ जो निरस्त किए गए, कि. 11, कि. 68, टि. 101

+ जिन्हें स्वीकृत किया गया, प्र. 106, प्र. 107, टि. 161

कफन, (देखिए भूमिगत करना)

कुशलता, (क्षमता) टि. 162 (देखिए व्यवसाय में रत होने की अनिवार्यता)

कर, टि. 85, (जकात भी देखिए)

क्रोध, (न करना) कि. 153

कार्य-निवृत्ति, (देखिए आयु)

कोषागार, कोष प्र. 72, टि. 42, और (देखिए न्याय मन्दिर)

कौमार्य,

- और दहेज, 138, 139, प्र. 47,

- और विवाह हेतु माता-पिता की सहमति, प्र. 13, पृ.

कल्याण, जनकल्याण, प्र. 101, और (देखिए मशरिकुल अशकार)

कार्य, (और देखिए कर्म)

- ईश्वर की पूजा का दर्जा प्राप्त, 17, कि. 33, टि. 56

- कठिन कार्य, उपवास की अवधि में, प्र. 76, टि. 31

- व्यापार, शिल्प, व्यवसाय में निरत होना अनिवार्य, 17, कि. 33, 149, टि. 56, टि. 162

- पवित्र दिवसों में कार्य स्थगित, प्र. 1

- (कर्म की) स्वीकृति ईश्वर पर निर्भर, कि. 36, कि. 167

- ईश्वर मनुष्य के कर्म पर निर्भर नहीं, कि. 59

खगोलशास्त्र, टि. 147

खलीफा का पद, कि. 89, टि. 120

खर्चा, कि. 28, कि. 69, प्र. 47, प्र. 69, टि. 47, टि. 125

खुरासान, कि. 94, टि. 124

खोई हुई सम्पत्ति, प्र. 17

- चुगलखोरी के कारण, टि. 37

- (खिन्नता) न उत्पन्न करना, (प्र. 98)

- अर्थदंड निरस्त किया गया, कि. 148, टि. 163

खड़ा होना,

- बोलने के लिए, टि. 168

- अनिवार्य प्रार्थना की अंग मुद्राएं, टि. 4

- अनिवार्य प्रार्थना के पाठ के लिए, प्र. 10, टि. 19

- दिवंगतों की प्रार्थना के पाठ के लिए, टि. 10, टि. 19

खजाना,

- निगूढ़, कि. 15, टि, 23

- प्राप्ति, कि. 101

खिन्नता, (देखिये उदासी भी)

ग्रंथ, कि. 186, टि. 184, (बयान, बाइबिल, कुरान भी देखिए) संविदा का ग्रंथ/की पुस्तक टि. 37, टि. 66, टि. 145, टि. 183

- सृष्टि की पुस्तक, टि. 23

- पुस्तकों को नष्ट करना, कि. 77, टि. 109

- ईश्वरीय ग्रंथ, कि. 6, कि. 47, कि. 99, कि. 127, कि. 148, कि. 165, कि. 168, टि. 155

- पवित्र (ग्रंथ), (देखिए धर्मकाल, पूर्वकाल के धर्म)

- जीवन (का ग्रंथ), कि. 138

- जीवंत (ग्रंथ), कि. 134, कि. 168, टि. 155

- परम पावन (ग्रंथ), (देखिए किताब-ए-अक़दस) कि, 103, टि. 129

गिरजाघर, प्र. 94

गिरा देना, कि. 123

गूढ़ ज्ञान, टि. 60

गन्दुम-पाक-कुन, (गेहूँ ओसाने वाला) कि. 166, टि. 179

गैर-बहाई,

- साक्षी के रूप में स्वीकार्य, प्र. 79, टि. 99

- और उत्तराधिकार का विधान, प्र. 34, टि. 38, टि. 158

- (के साथ) विवाह की अनुमति है, कि. 139

- विवाह के लिए माता-पिता की सहमति, टि. 92

गरीब/दरिद्र,

- गरीबों को सहायता, कि. 16, टि. 53, टि. 56, टि. 161, टि. 162

- बच्चों की शिक्षा के लिए गरीबों की सहायता, कि. 48

- गरीबों द्वारा दहेज दिया जाना, टि. 95

गरीबी, (गरीब भी देखिए)

- उन्मूलन, कि. 147

गर्भावस्था, कि. 16, टि. 31

गेहूँ ओसाने वाला, (देखिए गन्दुम-पाक-कुन)

गाना, कि. 51, (संगीत भी देखिए)

गली में, (पवित्र श्लोक बुदबुदाना), कि. 108, टि. 135, (सार्वजनिक स्थान भी देखें)

गाँव, उपासना मंदिर की स्थापना, (प्रत्येक गाँव में), कि 115, टि. 53

ग्रामवासी,

- द्वारा देय दहेज-राशि, कि. 66, प्र. 87, टि. 93-95

- की परिभाषा, प्र. 88

घर,

- बिना आज्ञा के प्रवेश न करना, कि. 145

- साज-ओ-सामान को नया रूप देना, कि. 151, प्र. 8, प्र, 42, प्र. 95, टि.166

घमंड, गर्व, कि. 41, कि. 82, कि. 86, कि. 89, कि. 122, कि. 148, कि. 149, टि 64, टि. 65

घरेलू नौकर, कि. 63, प्र. 30, टि. 90

घड़ी, प्र. 64

घायल करना, (व्यक्ति को) कि. 56, टि. 81

घुटने मोड़ना, टि. 4

चेतावनी,

चाची, (मामी बुआ) कि. 23, टि. 38 (और देखिए उत्तराधिकार)

चुगली, कि. 19, टि. 37

चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे भाई-बहन, कि. 23, टि. 38, (उत्तराधिकार भी देखिए)

चिकित्सक, कि. 113, टि. 134

- अल्कोहल या अन्य मादक द्रव से उपचार का परामर्श दे सकते हैं, टि. 144, टि. 170

चाँदी, (देखिए दहेज)

चेतना,

- ईश्वर की चेतना, ईसा मसीह की नामोपाधि, कि. 80, टि. 113

चुराना, (देखिए चोरी)

चोट, (किसी व्यक्ति को) पहुँचाना कि. 148

- इसके लिए अर्थदंड कि. 56, टि. 81

चोरी,

- दंड का निर्धारण, कि. 45, प्र. 49, टि. 70

- चोर क ललाट पर चिह्न अंकित करना, कि. 45, टि. 71

- परवर्ती अनिवार्य प्रार्थना की चोरी, टि. 9

चाचा, कि. 23, टि. 38, (उत्तराधिकार भी देखिए)

छूट, (देखिए उपवास, हुकूकुल्लाह, अनिवार्य प्रार्थनाएँ, तीर्थयात्रा)

छह वर्षीय योजना,

छल-कपट, धोखेबाजी, टि. 1, टि. 190

जन्तु, पशु, कि. 9 कि. 123, टि. 12, - (शिकार भी देखिए)

- जन्तुओं के प्रति क्रूरता का निषेध, कि. 187

जन्मदिवस, (बहाउल्लाह और बाब के) (देखिए पवित्र दिवस)

जन्मसिद्ध अधिकार, (ज्येष्ठ पुत्र का) कि. 25, टि. 44

ज्वलंत झाड़, कि. 103

जनहित कार्य,

- (जनहित कार्य के लिए) समर्पित सम्पत्ति, कि. 42

- जनहित के कार्य, कि. 16, प्र. 69, टि. 29, (गरीबों (को मदद), जकात)

जनहित सम्पत्ति, कि. 42, टि. 66-67

जायदाद, (उत्तराधिकार भी देखें)

जुआ, कि. 155, टि. 169

जर्मनी, टि. 117, टि. 121

जैकब, टि. 1

जेरूसलम, टि. 7, टि. 114, टि. 116

जोसेफ, टि. 1

जनहत्या, कि. 188, टि. 35

ज्येष्ठ पुत्र, टि. 38, टि. 44, टि. 66, (उत्तराधिकार भी देखिए)

जन्मदिवसद्वय, (देखिए पवित्र दिवस)

जल, पानी, कि. 57, कि. 135

- शुद्धिकरण के लिए, प्र. 51, (शुद्धिकरण भी देखिए)

- सब जल से रचित, कि. 148

- फारसी जलाशयों में, कि. 106, टि. 131-32

- शुद्ध जल

+ परिभाषा, प्र. 91

+ प्रयोग आवश्यक, कि. 74, कि. 106, टि. 105

- संकेत रूप में जल, कि. 29, कि. 50, कि. 54, कि. 80, कि. 135

- स्वयं को धोने के लिए, प्र. 106

- वस्तुओं को धोने के लिए, कि. 74, टि. 105

- गर्म (जल) का प्रयोग करने की अनुमति प्र. 51, प्र. 97, टि. 167

ज़कात, (टीद) कि. 146, प्र. 107, टि. 161

ज़िना, टि. 36, और (देखिए व्यभिचार)

ज़िओन, कि. 80, टि. 114

जरथुस्त्री, टि. 160

डेविड, (सम्राट) टि. 114

तराजू, (ईश्वरीय ग्रंथ) कि. 99, कि. 148, कि. 183

ताबूत, (देखिए भूमिगत करना)

तलाक, (विवाह, पुनर्विवाह भी देखिए)

- (तलाक की) निन्दा, कि. 70, प्र. 98, टि. 100

- विश्वासघात, कि. 70

- दहेज की वापसी, प्र. 12, प्र. 47

- पुनर्विवाह, कि. 68, टि. 101-102

- अलगाव, कि. 68 कि. 70, प्र. 19, प्र. 98

+ पति या पत्नी की अनुपस्थिति के कारण, कि. 67, प्र. 4, टि. 96-99

- धैर्य की अवधि, कि. 69, प्र. 4, प्र. 12, टि. 100

+ पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण, कि. 70, टि. 100

+ (की) गणना, प्र. 98

+ स्नेह का फिर से ताजा होना, कि. 68, प्र. 11, प्र. 19, प्र. 38, प्र. 40

+ (के) साक्षी, प्र. 73, प्र. 98, टि. 100

तत्वों का रूपांतरण, टि. 194

तीर्थयात्रा,

- का आदेश है, कि. 32, प्र. 25

- स्थल उल्लिखित हैं, प्र. 29, टि. 54, टि. 154

- बालों का मुंडन, प्र. 10, टि. 68

- स्त्रियों को छूट, कि. 32, टि. 55

तर्कशक्ति, कि. 119, टि. 130, टि. 144, टि. 170

तेहरान, टि. 122

- तेहरान को सम्बोधित अंश, कि. 91-92

- बहाउल्लाह की जन्मभूमि टि. 123

- बहाउल्लाह का प्रकटीकरण, टि. 62, टि. 126

तुर्की, टि. 120

ताबूत की लकड़ी, कि. 128, टि. 149, और (देखिए भूमिगत करना)

देवदूत, कि. 53, कि. 170, टि. 128

दूसरों को चोट पहुँचाना मना है

- शारीरिक कि. 56, कि. 148, टि. 81

- मौखिक कि. 19, टि. 37

दिव्य सद्गुण, (देखिए-बहाउल्लाह, दिव्य सद्गुणों के नाम, ईश्वर या बहाउल्लाह के नाम और दिव्य सद्गुण)

दाढ़ी, कि. 159, टि. 175

द्विविवाह, कि. 63, प्र. 30, टि. 89

देशों का विकास कि. 160

दिव्य चक्र, टि. 170, टि. 172, टि. 183

दिवस, (देखिए पंचांग, बहाई पवित्र दिवस, अधिदिवस, उन्नीस दिवसीय सहभोज)

- संविदा (के दिवस), टि. 139

- ईश्वर (के दिवस), कि. 80, कि. 88, कि. 138

दूषित करना, (देखिए स्वच्छता, मैल)

दहेज, कि. 66,

- राशि का निर्धारण, प्र. 26, प्र. 87-88, टि. 94-95

- वचन-पत्र, प्र. 39, प्र. 93

- पुर्वप्राप्ति, प्र. 12, प्र. 47

- पुनर्परिभाषित, टि. 93

देशनिकाला, (चोरों के लिए दंड) कि. 45, टि. 70

दुःख, (देखिए खिन्नता)

दयालुता, कि. 61, प्र. 106, टि. 85

दासी, सेविका, कि. 63, प्र. 30, टि. 90

दवा, औषधि, टि. 144, टि. 170, (चिकित्सक भी देखिए)

दोपहर,

- परिभाषा (अनिवार्य प्रार्थना के उद्देश्य से) कि. 6, प्र. 83, टि. 5-6, और (देखिए अनिवार्य प्रार्थना/एँ, पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

दुनिया के लोग, (देखिए मानवजाति)

दृढ़संकल्प,

दर्शनशास्त्र/विचार-दर्शन, (दिव्य) टि. 194

दिवंगतों के लिए प्रार्थना, कि. 8, टि. 10-11, टि. 149

दंड, टि. 86

- पुरस्कार और दंड,

- अनेक अपराधों के लिए

+ व्यभिचार, प्र. 23, टि. 77, (व्यभिचार भी देखिए)

+ हत्या और आगजनी, टि. 86, टि. 87, (और देखिए आगजनी, हत्या, मृत्युदंड)

+ धैर्य की अवधि में यौन सम्बन्ध, प्र. 11

+ चोरी, टि. 70, (चोरी भी देखिए)

+ अफीम का उपयोग, टि. 170, (अफीम भी देखिए)

- जो कोई ईश्वर का प्रत्यक्षागत अवतार होने का दावा करेगा, कि. 37 दीप्ति/दीप्तभाव, पवित्र लेखों का पाठ करते समय अनिवार्यतः अपनाई जाने वाली भाव-मुद्रा, कि. 149, प्र. 68, टि. 165

दास-प्रथा का निषेध, कि. 72

दम्पत्ति, (देखिए व्यभिचार, तलाक, उत्तराधिकार, विवाह)

दृढ़ता, कि. 134, कि. 164, कि. 173, कि. 183, (आज्ञाकारिता भी देखिए)

धर्म-प्रर्वतक, (देखिए बाब, बहाउल्लाह)

धर्मसंरक्षकत्व, टि. 181, (अगसान, पवित्र पाठ की व्याख्या, शोग़ी एफेन्दी भी देखिए)

धर्मभुजा, टि. 67, टि. 183 (देखिए ज्ञानीजन, बहा के लोगों के बीच)

धर्मप्रमुख, टि. 166, टि. 125, (और देखिए अब्दुल बहा, विश्व न्याय मंदिर, शोग़ी एफेन्दी)

धैर्य, कि. 87

- विवाह में, कि. 45, प्र. 4, टि. 98

- धैर्य का वर्ष, (देखिए तलाक)

धर्म, (बहाई धर्म के अलावा) कि. 7, (और देखिए अतीत के धर्मकाल)

- अनुयायी, कि. 73, टि. 180

+ बहाउल्लाह के उपदेश ‘‘जीवन्त जल’ की तरह, कि. 29

+ मिलजुल कर रहना, कि. 75, कि. 144, टि. 173

+ नेताओं/धर्मगुरुओं द्वारा धर्म का खंडन, कि. 99, कि. 101-104, कि. 165-166, टि. 64, टि. 171

- मातृग्रंथ, टि. 129

- भविष्यवाणियों (वचनों) का पूरा होना, कि. 35, कि. 80, टि. 140

- धार्मिक ग्रंथ, कि. 136, कि. 138, कि. 168, टि. 2, टि. 160, टि. 180

- धूम्रपान, टि. 32

धार्मिक कर, (ज़कात़)

धोखा, कि. 165, कि. 97, कि. 149

धोना, कि. 74, कि. 76, टि. 34, (और देखिए अस्वच्छता, जल)

- मुख धोना, (देखिए शुद्धिकरण)

- पैर धोना, कि. 152, प्र. 97, टि. 167

- हाथ धोना, (देखिए शुद्धिकरण)

- स्वयं को, कि. 106, टि. 131-32

- धूल से मैली वस्तुओं को, कि. 74, कि. 76, टि. 105

धूर्तता, कि. 64, कि. 123

नौका, (देखिए अरूणाभ नौका)

नगर, (अश्काबाद, बगदाद, कौस्टेंटिनोपल, पवित्र नगर, किरमान और तेहरान भी देखिए)

(नगरों का) विकास, कि. 160

(नगरों में) न्याय मन्दिर की स्थापना, कि. 30, टि. 49

(नगरों में) बहाई उपासना मन्दिर {मश्रिकुल अशकार} की स्थापना,

कि. 115

नगरवासी,

(नगरवासियों) द्वारा देय दहेज की राशि, कि. 66, प्र. 87, टि. 93-95

परिभाषा, प्र. 88

नागरिक कानून,

नागरिकता, टि. 47, (सौजन्य भी देखिए)

निर्णय लेना, प्र. 99, टि. 52, (परामर्श भी देखिए)

नायब, (देखिए न्याय मन्दिर)

निष्पक्षता, कि. 4, कि. 40, कि. 187

निष्ठा, कि. 7, कि. 97, कि. 120, कि. 149

निगूढ़ ज्ञान, कि. 29, टि. 48

निगूढ़ खजाना, कि. 15, टि. 23

न्याय मन्दिर, (देखिए स्थानीय न्याय मन्दिर, राष्ट्रीय/माध्यमिक न्याय मन्दिर, विश्व/अंतर्राष्ट्रीय न्याय मन्दिर)

- बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करता है, कि. 48

- सम्बन्धियों के बीच विवाह के विषय में नियम देता है, प्र. 50, टि. 133

- शासनिक मामले,

- (की) सदस्यता

+ गठन, टि. 80

+ संख्या, टि. 50

+ उप-न्यासधारी कहे गए, कि. 147, टि. 56, टि. 162

+ न्यायधारी कहे गए, प्र. 50, प्र. 98

- ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ में निरूपित, कि. 30, टि. 49

- अधिकार और कर्त्‍तव्‍य, टि. 51

- यौन अपराधों के लिए अर्थदंड प्राप्त करता है, कि. 49, प्र. 11, टि. 77

- सभी अर्थदंडों का एक तिहाई प्राप्त करता है, कि. 52

- खजाना प्राप्त होने पर दो तिहाई प्राप्त करता है, प्र. 101

- बहाउल्लाह द्वारा अ-विशिष्ट रूप से प्रयुक्त सन्दर्भ, टि. 42

- ख़ज़ाना, (कोष) प्र. 72, टि. 42

न्याय, (न्याय मन्दिर भी देखिए)

- धरती पर न्याय का प्रकटीकरण, कि. 158

- बहाई विधानों में न्याय, कि. 56, कि. 63, कि. 70, कि. 72, टि. 86,   
टि 89

- न्यायपालन की आज्ञा, कि. 26, कि. 52, कि. 60, कि. 88, कि. 134, कि. 167, कि. 187

- ईश्वरीय न्याय, कि. 97, कि. 157, कि. 170

नियम देना, (न्याय मन्दिर भी देखें)

नैतिकता, (सम्बन्धी विधानों के उल्लंघन के अभिप्राय) टि. 77

नबील-ए-आज़म, टि. 172, टि. 178,ख् टि. 179

नाखून काटना, कि. 106

नजफ, टि. 178

नजीबिया उद्यान, टि. 107, (रिज़वान भी देखिए)

नखूद, प्र. 23, टि. 78

नाम

- ईश्वरीय प्रकटीकरण के अभिज्ञान में बाधक के रूप में, कि. 167,

टि. 180

- महीनों के नाम, (देखिए बहाई पंचांग)

- आद्यक्षरों से संकेतित स्थानविशेषों के नाम, टि. 122

नामालंकरण, (ईश्वर या/और बहाउल्लाह के), कि. 18, कि. 60, कि. 110, टि. 23, टि. 147

- सर्वशक्तिमान, कि. 6, कि. 16, कि. 37, कि. 38, कि, 40, कि. 49, कि. 80, कि. 101, कि. 163, कि. 175, कि. 176, कि. 177, टि. 86, टि. 144, टि. 170

- दिनों से भी प्राचीन, कि. 80, कि. 86, कि. 97, प्र. 96, प्र. 105

- उत्तरदाता, कि. 129

- प्रतिशोधकर्ता, कि. 153

- सौन्दर्य, कि. 13, कि. 38, टि. 20, टि. 160

- प्रियतम, टि. 3, टि. 23

- परम प्रियतम, कि. 4, कि. 80, कि. 129

- दाता, कि. 97

- सर्व (सदा) कृपालु, कि. 34, कि. 36, कि. 42, कि. 46, कि. 86, कि. 97, कि. 114, कि. 151, कि. 163, कि. 184, कि. 189

- परम करूणावान, कि. 14, कि. 24, कि. 31, कि. 45, कि. 75, कि. 129, कि. 150, कि. 179, टि. 23, टि. 149

- सर्वबाध्कारी, कि. 40

- सृष्‍टा, सृजनकर्ता, (देखिए सृष्टि)

- सभी संकेतों के उदय-स्थल, कि. 169

- लोकों की कामना, कि. 1, कि. 157

- अनन्त सत्य, कि. 54, कि. 125, टि. 23

- चिरस्थायी, कि. 14, कि. 88, कि. 104

- अनन्त सत्य, कि. 54, कि. 125, टि. 23

- प्रशंसित, कि. 30, कि. 56, कि. 80, कि. 94, कि. 132, टि. 144

- सर्वोत्कृष्ट, कि. 134

- व्याख्याकार, कि. 10, प्र. 96

- निष्ठावान, कि. 109

- रूप देने वाले, कि. 97, कि. 167

- सदा क्षमाशील, कि. 10, कि. 14, कि. 49, कि. 74, कि. 75, कि. 88, कि. 151, कि. 163, कि. 169, कि. 184

- परम उदार, मित्र. 10, कि. 16, कि. 32, कि. 75, कि. 97, कि. 114, कि. 142, कि. 169

- सर्वमहिमावान, कि. 9, कि. 36, कि. 50, कि. 55, कि. 73, कि. 94, कि. 137, टि. 11, टि. 23, टि. 33, टि. 137, टि. 144, (महानतम नाम भी देखिए)

- सर्वभव्य, सर्वकरूणावान, कि. 21, कि. 34, कि. 86, कि. 97, कि. 106

- संकटों में सहायक, कि. 82, कि. 149, कि. 168, कि. 175, कि. 180

- परम उच्च, कि. 2, कि. 16, कि. 22, कि. 24, कि. 30, कि. 86, कि. 136, कि. 137, कि. 142, कि. 170, कि. 175, प्र. 100, टि. 24

- अगम्य, टि. 144

- अतुलनीय, कि. 18, कि. 50, कि. 53, कि. 74, कि. 76, कि. 106,

कि. 143

- सर्वसूचित, कि. 40, कि. 60, कि. 97, कि. 130, कि. 143, कि. 164, कि. 189, प्र. 101

- न्याय, कि. 170

- वचन निभाने वाले, कि. 56

- सर्वज्ञाता, कि. 9, कि. 39, कि. 40, कि. 52, कि. 53, कि. 56, कि. 88, कि. 89,, कि. 93, कि. 123, कि. 124, कि. 130, कि. 168, कि. 189

- सभी मानवों के, कि. 8, कि. 16, कि. 26, कि. 154

- सभी नामों के प्रभु, कि. 49, कि. 132

- सभी धर्मों के स्वामी/प्रभु, कि. 31, कि. 36

- सभी लोकों के स्वामी/प्रभु, कि. 10, कि. 44, कि. 85, कि. 98, कि. 38

- आदि और अन्त के स्वामी, कि. 16, कि. 28

- अस्तित्व के प्रभु, कि. 139

- सृष्टि के प्रभु, कि. 139

- महिमा, भव्यता के प्रभु, कि. 14

- न्याय के प्रभु, कि. 18, कि. 56

- दृश्य और अदृश्य के प्रभु, कि. 11, कि. 98, टि. 18

- आभा के प्रभु, कि. 13, टि. 20

- स्वर्ग और धरती के सिंहासन के स्वामी, कि. 86

- दिव्य वाणी के प्रभु, कि. 88

- स्नेहिल कल्याण भावना, कि. 3, कि. 29, कि. 75, कि. 117

- स्वर्गों के रचयिता, कि. 18

- सर्वदयामय, कि. 2, कि. 3, कि. 7, कि. 21, कि. 29, कि. 30, कि. 30, कि. 40, कि. 73, कि. 74, कि. 86, कि. 101, कि. 107, कि. 110, कि. 116, कि. 129, कि. 133, कि. 136, कि. 137, कि. 138, कि. 139, कि. 150, कि. 158, कि. 165, कि. 173, कि. 175, कि. 178, कि. 184, टि. 51, टि. 107, टि. 149, टि. 170

- दया, करूणा कि. 59, कि. 136, कि. 140

- शक्ति, कि. 42, कि. 82, कि. 129, कि. 177

- शक्तिमान, कि. 8, कि. 39, कि. 42, कि. 56, कि. 115, कि. 132, कि. 134, कि. 183, कि. 184

- सर्वशक्तिमान, कि. 6, कि. 24, कि. 110, कि. 132, कि. 184

- सर्वज्ञ, कि. 6, कि. 24, कि. 110, कि. 132, कि. 110, कि. 132, कि. 138, कि. 143, कि. 160, कि. 164, कि. 175, कि. 179, प्र. 96,

प्र. 101

- सर्वोच्च विधाता, कि. 6, कि. 12, कि. 24, कि. 56, कि. 81, कि. 88, कि. 110, कि. 128, कि. 129, कि. 137, कि. 159, प्र. 96, प्र. 101, प्र. 105

- क्षमादाता, क्षमाकर्ता, कि. 8, कि. 21, कि. 34

- अनुपम, कि. 86, टि. 144

- सर्वप्रशंसित, कि. 40, कि. 49, कि. 115, कि. 134

- संरक्षक, कि. 39, कि. 78, कि. 84, कि. 100, कि. 149, कि. 167, कि. 172, कि. 184

- स्वयंजीवी, कि. 41, कि. 78, कि. 82, कि. 100, कि. 109, कि. 167, कि. 172, कि. 184

- स्वयंपर्याप्त, कि. 61, कि. 182

- संकेतों के प्रकटकर्ता, कि. 42

- आज्ञा के स्रोत, कि. 6

- दिव्य प्रेरणा के स्रोत, उद्गम, कि. 1

- प्रकटीकरण के स्रोत, उद्गम, कि. 82

- अनन्तता के सम्राट, कि. 96

- साम्राज्य, कि. 20, कि. 78, कि. 103, कि. 115, कि. 167, कि. 178

- शक्ति, कि. 44

- सर्ववशकारी, कि. 132

- आह्वानकर्ता, टि. 158

- सर्वोच्च, महानतम, कि. 81, कि. 109, कि. 128, कि. 129, कि. 137, कि. 180, टि. 24

- दंड देने में भयावह, कि. 37

- सत्य, कि. 33, कि. 36, कि. 71, कि. 73, कि. 80, कि. 120, कि. 166, कि. 168, कि. 176, प्र. 94, प्र. 106, टि. 160

- सत्य के सूर्य, कि. 6, टि. 8

- अप्रतिबाधित, कि. 54, कि. 131, कि. 166

- ब्रह्मांड के रूपसर्जक, कि. 167

- विश्व के अधिनायक, टि. 23

- अदृश्य, अगोचर, कि. 30

- श्लोकों के प्रकटकर्ता, कि. 8, कि. 36, कि. 146

- विवेक, कि. 44, कि. 68, कि. 98, कि. 101, कि. 177, कि. 180,

टि. 86

- सर्वबुद्धिमान, कि. 12, कि. 37, कि. 39, कि. 40, कि. 88, कि. 120, कि. 132, कि. 138, कि. 146, कि. 160, कि0 163

- परम क्रोध, कि. 170

नेपोलियन तृतीय, कि. 86, टि. 118

नासीरुद्दीन शाह, टि. 177

नौ-रूज, (और देखिए बहाई पंचांग, पवित्र दिवस)

- तिथि-निर्धारण की पद्धति, प्र. 35, टि. 26

नमरूद, कि. 41, टि. 65

निषेध, 6, 17, 151-152

नतमस्तक होना, कि. 14

- दूसरों के सामने नतमस्तक होने का निषेध, टि. 57

- स्वच्छ धरातल पर, कि. 10, टि. 15

- क्षतिपूर्ति के लिए नतमस्तक होना, प्र. 21, प्र. 58, प्र. 59, प्र. 60, प्र. 61, टि. 21, टि. 22 (अनिवार्य प्रार्थना/एँ भी देखिए)

न्याय का आसन, कि. 23, (ओर देखिए न्याय मन्दिर)

निष्ठा, कि. 29, कि. 108, प्र. 106, टि. 95

निर्णय में एकमतता, प्र. 99, टि. 52

पापों से मुक्ति, कि. 34, टि. 58

प्रतीक, टि. 2, टि. 121, टि. 127, टि. 130

प्राचीन कलाकृतियाँ, टि. 166

पक्षी, (देखिये शिकार)

परनिन्दा, मिथ्या दोषारोपण, कि. 19, टि. 37

प्रभुधर्म (देखिए बहाई धर्म)

प्रकटीकरण होने का दावा, कि. 37, टि. 62

पादरी, (धर्मगुरु), कि. 9, टि. 158

- जिन्हें सम्बोधित किया गया, कि. 41, कि. 99-104, कि. 165-172,

- (द्वारा) विरोध, कि. 164, टि. 109

- प्रथाएँ जिनका निषेधा किया गया या जिन्हें समाप्त किया गया, टि. 61, टि. 135, टि. 175

- (के सामने) पाप की स्वीकृति का निषेध, टि. 158

प्रौढ़/परिपक्व होना, (देखिए मानवजाति)

पाप स्वीकृति, कि. 34, टि. 58

परामर्श,

- और न्याय मन्दिर, कि. 30

- (परामर्श की) पद्धति, प्र. 99, टि. 52

- उन्नीस दिवसीय सहभोज में, (परामर्श) (देखिए उन्नीस दिवसीय सहभोज)

परिषद, (देखिए न्याय मन्दिर)

प्रथाएँ, (हदीस भी देखिए)

- अतीत के धार्मिक अवतार-काल, परम्पराओं की पुनः व्याख्या की गई और नए अर्थ दिए गए टि. 93

पुत्रियाँ,

- शिक्षा, कि. 48, टि. 76, (बच्चों की शिक्षा भी देखिए)

- उत्तराधिकार, कि. 23, प्र. 37, प्र. 54, टि. 38, टि. 44-45, (उत्तराधिकारी भी देखिए)

प्रातःकाल में प्रार्थना, कि. 33, कि. 115, प्र. 15, टि. 5, टि. 142

पुस्तकों को नष्ट करना, कि. 77, टि. 109

प्राचीन धर्मकाल, (बाब, इस्लाम, प्रथाएँ भी देखिए)

- बहाउल्लाह द्वारा विधानों को खारिज किया जाना,

- अपरिहार्य एकता, टि. 160

- पवित्र ग्रंथ, कि. 17, कि. 19, कि. 149, कि. 163, टि. 129, टि. 155

- पुरुष-प्रधानता का नियम, टि. 44

- प्रथाएँ, (निम्नलिखित सम्बन्धी)

+ देह शुद्धिकरण, टि. 16

+ वस्त्र, कि. 159, टि. 174-175

+ पुस्तकों को नष्ट करना, टि. 109

+ शिकार/आखेट, टि. 83

+ हाथों को चूमना, टि. 57

+ विवाह और तलाक, प्र. 37, प्र. 43, टि. 89-90, टि. 93, टि. 101

+ एकान्तवास और संन्यास, टि. 61

+ संगीत, टि. 79

+ प्रार्थना, टि. 6-7, टि. 15, टि. 135

सामूहिक, (प्रार्थना) टि. 19

ऋतुवती नारियों को छूट, टि. 20

+ ‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’ से प्रश्न पूछने पर प्रतिबंध, कि. 126, टि. 146

+ यात्रा पर प्रतिबंध कि. 131, टि. 153

+ सांस्कारिक अपवित्रता, टि. 12, टि. 20, टि. 103, टि. 106

पूर्वी देशों की परम्पराएँ, टि. 59, टि. 64

पुतले, कि. 31

पाप, कि. 2, कि. 37, कि. 39, कि. 41, कि. 59, कि. 164

परिवार, टि. 76, टि. 91, टि. 133 (विवाह भी देखिए)

पिता, कि. 45, कि. 107, टि. 133

(पिता पर) पुत्र-पुत्रियों की शिक्षा का दायित्व, कि. 48, प्र. 105,

टि. 76

(पुत्र पर पिता की) सेवा का दायित्व, 104

पैरों को धोना, कि. 152, प्र. 97, टि. 167

पैदल यात्रा, प्र. 75, टि. 153

पूर्वज, कि. 10, कि. 180

पवित्र ग्रंथ, कि. 149, कि. 168, प्र. 106, टि. 155

पवित्र नगर, टि. 114, पेज 12, (जेरूसेलम भी देखिए)

पवित्र दरबार, (देखिए किब्ले)

पवित्र दिवस,

- बहाउल्लाह का स्वर्गारोहण, टि. 139

- संविदा का दिन, टि. 139

- बाब की घोषणा का दिन, कि. 110, टि. 138

- उपवास के दिनों में, प्र. 36

- नवरूज़, (बहाई नववर्ष) कि. 16, कि. 111, टि. 139

- ईश्वर का युग, टि. 26

- के तुरन्त बाद उपवास शुरू होता है, कि. 16, टि. 25, टि. 26

- अब्दुल बहा का निधन, टि. 139

- रिज़वान का उत्सव, (बहाउल्लाह की घोषणा) कि. 110, प्र. 1, टि. 107, टि. 138

- पहला, नौवाँ और बारहवाँ दिन, प्र. 1

- उत्सवों का सम्राट, कि. 112, टि. 138, टि. 140

- जन्मदिवस, कि.. 110, प्र. 2, टि. 138

- बाब का जन्म, प्र. 2

- बहाउल्लाह का जन्म, प्र. 2

- उपवास के दिनों में, प्र. 36, टि. 138

- दो परम महान उत्सव, कि. 110, टि. 138

पवित्र भूमि, कि. 103, टि. 114, टि. 116, टि. 183

पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल,

- शीराज स्थित बाब का घर, (देखिए दो पावन गृह)

- बगदाद स्थित बहाउल्लाह का घर, (देखिए दो गृह)

- बहाउल्लाह की समाधि, टि. 8, (किब्ले भी देखिए)

- दो पावन गृह,

- और अन्य स्थल, उनका अधिग्रहण और संरक्षण, कि. 133, प्र. 32,

टि. 154

- की तीर्थ यात्रा, कि. 32, प्र. 25, प्र. 29, टि. 54, टि. 68 (तीर्थयात्रा भी देखिए)

पवित्र (धर्म) युद्ध, टि. 173

पति, (देखिए तलाक, दहेज, उत्तराधिकार, विवाह, पुनर्विवाह)

पाखंड, कि. 36, 148

प्रेम, कि. 4, कि. 15, कि. 36, कि. 132, टि. 23

+ मानवीय प्रेम, टि. 134

+ प्रेम और विवाह, कि. 65

प्रौढ़ता की आयु, (और देखिए मानवजाति की प्रौढ़ता)

- बहाई प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, टि. 49

- सगाई और विवाह के लिए, प्र. 43, प्र. 92

- धार्मिक क्रियाकलापों के लिए, प्र. 20, प्र. 92, टि. 13, टि. 25

- दिवंगतों के लिए प्रार्थना और अंगूठी, प्र. 70, टि. 10, टि. 149

- आवश्यक उत्तराधिकारी, कि. 27, टि. 46

पुरुष, (और देखिए तलाक, उत्तराधिकार, विवाह, से स्त्री-पुरुष दोनों के लिए समान विधानों का लागू होना, पुनर्विवाह)

- मृतक की अंगूठी

- बालों की लम्बाई, कि. 44, टि. 69

- वैवाहिक श्लोक, प्र. 3

- विश्व न्याय मन्दिर की सदस्यता केवल पुरुषों को, टि. 80

- तीर्थयात्रा का आदेश, प्र. 29

- सेवक, (देखिए सेविका)

- रेशमी वस्त्र पहनना, कि. 159, टि. 174

- काम करने की आज्ञा, कि. 56

परम महान घोषणा, कि. 167, टि. 180

पवित्र श्लोक, (सार्वजनिक स्थलों पर बुदबुदाते चलना) कि. 108, टि. 135 और (देखिए पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

पड़ोसियों के प्रति व्यवहार, टि. 163

पवित्रता, कि. 64, कि. 148, कि. 149, कि. 157, टि. 61, टि. 135

पत्नियाँ, (देखिए एकल विवाह)

पूर्व धर्मकालीन प्रथाएँ, (देखिए अतीत के धर्मकाल)

प्रार्थना, टि. 4, टि. 25 और (देखिए शुद्धिकरण, मशरिकुल-अशकार)

- प्रार्थना के समय स्वच्छता, कि. 76

- सामूहिक, (प्रार्थना) कि. 12, टि. 19

- उषाकाल/प्रभात, कि. 33, कि. 115, प्र. 15, टि. 142

- दिवंगतों के लिए, (देखिए दिवंगतों के लिए प्रार्थना)

- संध्याकाल, कि. 33

- बाल खारिज नहीं करते, कि. 9, टि. 12

- सार्वजनिक स्थलों पर श्लोक बुदबुदाना, कि. 108, टि. 135

- भयावह प्राकृतिक घटनाएँ, (देखिए संकेतों की प्रार्थना)

- अनिवार्य, (देखिए अनिवार्य प्रार्थना/एँ)

पवित्र स्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण, (देखिए पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल)

पाखंड़ी, कि. 37, कि. 117, कि. 184, टि. 190

पुरुष-प्रधानता, टि. 44, (उत्तराधिकार भी देखिए)

प्रगतिशील प्रकाशन/प्रकटीकरण, (देखिए बहाउल्लाह के विधान, बहाउल्लाह का प्रकटीकरण)

प्रतिज्ञापित अवतार, कि. 35, कि. 88, टि. 108, टि. 153, टि. 158, टि. 160,

टि. 171, टि. 185, टि. 190, (बहाउल्लाह भी देखिए)

- प्राचीन धर्मकालों के वचन का पूर्ण होना, कि. 35, कि. 80, टि. 160,

(प्रगतिशील प्रकाशन भी देखिए)

प्रमाण, (देखिए बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के प्रमाण), कि. 136, कि. 165, कि. 167, कि. 183

- (प्रमाण के) प्रकटकर्ता ईश्वर, प्र. 93

- बाब के स्वतंत्र धर्मकाल के, (प्रमाण) टि. 109

प्रुसिया, टि. 117

पवित्रीकरण

- सभी वस्तुओं का, कि. 75, टि. 106

- सम्पत्ति और जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं/साधनों का, कि. 97,

कि. 146

पवित्रता, (स्वच्छता भी देखिए)

- जल की, प्र. 91, टि. 105

- हृदय की, कि. 116, कि. 157, कि. 175, कि. 179

प्रश्न करना/पूछना

- ईश्वरीय सत्ता पर प्रश्न करना, कि. 7, कि. 49, कि. 162

- वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा से प्रश्न करना, (कि. 126, टि. 146

प्रश्न और उत्तर, 7, 8, प्र. 9, 103-104

पढ़ना-लिखना/पाठ

- बच्चों का प्रशिक्षण, कि. 48, टि. 76

- पवित्र श्लोकों का, कि. 36, कि. 138

- पवित्र श्लोकों के पाठ का सही तरीका, कि. 149, प्र. 68, टि. 165,

टि. 168

पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ, कि. 116, कि. 150, प्र. 52, (मशरिकुल अज़कार भी देखिए)

- प्रतिदिन

- ‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’ का, कि. 18, टि. 33

- अनिवार्य प्रार्थनाओं का, प्र. 14, टि. 3-7, टि. 19

(अनिवार्य प्रार्थनाएँ भी देखिए)

- श्लोकों का, कि. 149, प्र. 68, टि. 165

- दिवंगतों के लिए प्रार्थना का पाठ, कि. 8, प्र. 85, टि. 10, टि. 19

- सार्वजनिक स्थानों पर, कि. 154, टि. 168 और (देखिए सार्वजनिक स्थानों पर पवित्र श्लोकों को बुदबुदाना)

- संकेतों की प्रार्थना के बदले प्रकट किए गए श्लोक का पाठ, कि. 11,

प्र. 52

- शुद्धिकरण के बदले में श्लोक का पाठ, कि. 10, प्र. 51, टि. 16, टि. 34

- उपवास के बदले में श्लोक का पाठ, कि. 13, टि. 34

- अनिवार्य प्रार्थना/ओं के बदले में श्लोक का पाठ, कि. 13, कि. 14,

प्र. 58,

प्र. 60

पुनर्विवाह

- पति या पत्नी की मृत्यु के कारण, कि. 67, प्र. 27, टि. 97, टि. 99

- पति या पत्नी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण, कि. 67, प्र. 4, टि. 96, टि. 97-98

- पूर्व पति/पत्नी से, कि. 68, प्र. 31, टि. 101-102

पश्चाताप, (देखिए पाप)

पवित्र स्थलों का अधिग्रहण, (देखिए पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल)

प्रकटीकरण,

- प्रकटीकरण की प्रकृति, टि. 23, टि. 129, टि. 160

- प्रगतिशील प्रकटीकरण,

- और ईश्वरीय अवतार की सत्ता, कि. 129, टि. 75

- पिछले धर्मकालों के वचनों का पूरा होना, कि. 80, कि. 142, टि. 108, टि. 109, टि. 156, टि. 158, टि. 160, टि. 185

- भविष्य, कि. 37, टि. 62

- और अभिज्ञान कि. 167, टि. 155, टि. 180

- ईश्वरीय अवतारों की एकता, कि. 80, कि. 103, कि. 175-177, टि. 111, टि. 160

- उद्देश्य, प्र. 106

प्रकटीकरण का साम्राज्य, कि. 91, कि. 109

प्रतिशोध, टि. 86

पुरस्कार और दंड, (देखिए दंड)

पवित्र गृह, (देखिए बगदाद स्थित बहाउल्लाह का गृह, शीराज स्थित बाब का गृह)

पवित्र ग्रंथ, (देखिए अब्दुल बहा के लेख, बाब के लेख, बहाउल्लाह के लेख, बयान, पवित्र पाठ की व्याख्या, किताब-ए-अक़दस, धर्म (बहाई धर्म के अलावा), पवित्र श्लोक)

पवित्रता का सागर, कि. 75, टि. 106

पाप

- पाप स्वीकृति, कि. 34, टि. 58

- क्षमा, कि. 49, कि. 184, प्र. 11, प्र. 47, टि. 37, टि. 58

- पश्चाताप, कि. 34, कि. 37, कि. 49, कि. 184

पाती, पातियाँ, लेख

- अब्दुल बहा के, (देखिए अब्दुल बहा, लेख)

- बाब के, (देखिए बाब के लेख बयान)

- बहाउल्लाह के, (देखिए बहाउल्लाह के लेख, किताब-ए-अक़दस)

प्रभुधर्म का शिक्षण, 152, टि. 183

- बच्चों को, कि. 150, (बच्चे भी देखिए)

- शिक्षण के लिए उठ खड़े होने का उपदेश, और (देखिए सेवा)

- प्रत्येक की 18, कि. 38, कि. 53

- सम्राटों की, कि. 84

- ज्ञानीजनों की, कि. 173

- धार्मिक नेताओं की, कि. 169

- शिक्षकों की सहायता करने का आदेश, कि. 117

- प्रभुधर्म के शिक्षण के लिए भाषाएँ सीखना, कि. 118

- वाणी की शक्ति, कि. 73, कि. 160

- दिव्य सहायता का वचन, कि. 38, कि. 53, कि. 74

- शिक्षक का महान पद, कि. 117

प्रथाएँ, परम्पराएँ, टि. 2, टि. 22, टि. 65, टि. 114, और (देखिए अतीत के धार्मिक अवतार-काल, हदीस)

प्रशिक्षण, (देखिए शिक्षा)

पवित्र श्लोक, (और देखिए बहाई लेख)

- रूपकात्मक, टि. 130

- परिभाषा, टि. 165

- तुलनात्मक अन्तर, प्र. 57, प्र. 63, टि. 109

- प्रभाव, कि. 116, कि. 148-149

- पाठ (देखिए पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

- शुद्धिकरण के बदले में, कि. 10, प्र. 51, टि. 34

- उपवास के बदले में, कि. 13, टि. 34

- अनिवार्य प्रार्थनाओं के बदले में, कि. 13-14, प्र. 58, प्र. 60, टि. 20-21, टि. 34 और (देखिए अनिवार्य प्रार्थनाएँ)

- वैवाहिके श्लोक, प्र. 3, (विवाह भी देखिए)

- पवित्र श्लोकों का मनन, कि. 136

पुण्यमयता, सद्गुण कि. 71

परिणय, (विवाह) और (देखिए सगाई, दहेज, विवाह)

- सगाई के 95 दिनों के भीतर हो जाए, प्र. 43

पत्नी, (देखिए तलाक, दहेज, उत्तराधिकार, विवाह, पुनर्विवाह)

पवित्र श्लोक, (सार्वजनिक स्थलों पर बुदबुदाते चलना) कि. 108, टि. 135 और (देखिए पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

प्रमाण, 20 कि. 136, कि. 140, कि. 165, कि. 167, कि. 170

- इच्छापत्र और वसीयतनामा, कि. 109, टि. 137

- साक्षियों (गवाहों) के प्रमाण, कि. 67, प्र. 79, टि. 99 और (देखिए साक्ष्य)

पवित्र पाठ, (बहाउल्लाह के शब्द और देखिए पवित्र पाठ की व्याख्या, किताब-ए-अक़दस), बहाउल्लाह के विधान, पवित्र लेखों और श्लोकों के पाठ, बहाई लेखों का अनुवाद

- अरबी भाषा का प्रयोग, 12

- सत्ता और समग्रता, कि. 53, कि. 117, टि. 143

- (पवित्र पाठ से) दूर भटकना, कि. 117

- प्रकाशन

- उच्चासन का निषेध, टि. 168, (पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ भी देखिए)

- मतभेद दूर करने के लिए पवित्र पाठ की ओर निर्देशित होना, कि. 53

- प्रकटीकरण, कि. 184, प्र. 57

- अध्ययन, कि. 149, कि. 182

- अनुवाद

फ्रांसिस जोसफ, आस्ट्रिया के सम्राट कि. 85, टि. 116

फ्रांस-परसिया युद्ध, टि. 117, टि. 121

फारस, (ईरान) टि. 44, टि. 122, टि. 124, टि. 126, टि. 131-132, टि. 176

फारसी स्नानागार, कि. 106, टि. 131

फारसी जलाशय, कि. 106, टि. 131-132, और (देखिए फारसी स्नानागार)

बहाई प्रशासनिक व्यवस्था, 5-6, 16, टि. 52, टि. 82, टि. 114, टि. 189

बहाई वार्षिकोत्सव, टि. 139 (पवित्र दिन भी देखिए)

बहस, (देखें विवाद, संघर्ष)

बहाउल्लाह का स्वर्गारोहण, (देखिए बहाउल्लाह)

बहाई आध्यात्मिक सभाएँ, (देखिए न्याय मन्दिर)

- सदस्यता, टि. 50, टि. 80

- आदेश दिया, कि. 30, टि. 49

- अधिकार और कर्त्‍तव्‍य, टि. 51, टि. 100, टि. 162

बाब

- बहाउल्लाह उनकी ओर संकेत करते हैं, कि. 135-136, कि. 140-143

- जन्म, (जन्म दिवसद्वय में से एक) (प्र. 2, पवित्र दिवस भी देखिए)

- घोषणा, (देखिए पवित्र दिवस)

- धर्मयुग, 8, टि. 109, टि. 172

- (बाब के) अनुयायी-बाबी, कि. 137, कि. 140, कि. 176, टि. 178, टि. 179, टि. 185, टि. 187

- ‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’’ की ओर संकेत, 149, 162 टि. 189

- बहुमूल्य उपहार समर्पित करने की आज्ञा, कि. 114, टि. 141

- अनुयायियों को प्रश्न पूछने से मना करना, कि. 126, टि. 146

- उनसे ‘‘किब्ले’’ का सम्बन्ध जोड़ना, कि. 137, 155

- ‘‘बयान’ के विधान उनकी अनुमति पर निर्भर, 10, टि. 109

- ‘‘जीवन ग्रंथ’’ के रूप में संकेत, टि. 155

- उनके प्रति ‘‘पाती’’, कि. 176, टि. 185, टि. 186

- उनके प्रति आदर-वचन, कि. 135, 36, टि. 156

- पवित्र गृह (शीराज स्थित), (देखिए पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल, तीर्थयात्रा)

- विधान, (देखिए बयान के विधान)

- मिर्ज़ा याह्या की नियुक्ति, टि. 190

- विरोधी, कि. 166, कि. 170, टि. 178, टि. 182

- बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था की पूर्वकल्पना, टि. 189

- समाधि, (बाब की) टि. 114

- बहाउल्लाह के कष्टों का पूर्वचित्रण, टि. 1

- उपाधियाँ

- बयान के बिन्दु, कि. 129, कि. 140, टि. 150, टि. 159

- आदि (प्रमुख) बिन्दु, प्र. 8, प्र. 29, प्र. 32, प्र. 100

- ‘‘सच्चरित्र अलीफ’’, (अवतरण के संकेतस्वरूप) कि. 157, टि. 172

चेतावनी, टि. 180

लेख, (बयान भी देखिए)

कय्यमुल-अस्मा, टि. 1, टि. 115, 252

बाब के लेखों से चयन, टि. 185, टि. 186

बहाउल्लाह को सम्बोधित पाती, कि. 175-176, टि. 185, टि. 186

बदी पंचांग, टि. 26, टि. 27, टि. 147, टि. 148, (बहाई पंचांग भी देखिए)

बगदाद, प्र. 29, टि. 54, टि. 107, टि. 138, टि. 154

बहा (देखिए बहाउल्लाह, सर्वोच्च नाम)

- बहा, (महीना) कि. 127

- बहा, (की संख्या) कि. 30, टि. 50

- बहा (के लोग), (देखिए बहाई)

बहाई धर्म, (प्रभुधर्म)

- धर्म स्वीकारना, कि. 1, कि. 132, कि. 166, कि. 182, टि. 179

- ‘‘अरूणाभ नौका’’ की ओर संकेत, टि. 115

- अस्वीकार करना, कि. 140, कि. 167, कि. 169, कि. 170, कि. 179, टि. 171, टि. 180

- कार्यों का दिशा-निर्देश, टि. 67, टि. 183, और (देखिए अब्दुल बहा, न्याय मन्दिर, शोग़ी एफेन्दी)

- आर्थिक सहयोग, (देखिए बहाई कोष, हु.कू.कुल्लाह, ज़कात)

- धर्म प्रमुख, (देखिए अब्दुल बहा, न्याय मन्दिर, शोग़ी एफेन्दी)

- पवित्र स्थान, (देखिए पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल)

- (का) विरोध कि. 73, कि. 135, कि. 164, प्र. 57, टि. 109, टि. 177, टि. 182, टि. 190, टि. 192

विरोध की पूर्वघोषणा, कि. 37, 163

- (की) प्रधानता, कि. 167

- घोषणा, कि. 75, कि. 80, कि. 103, कि. 118, कि. 132, कि. 134, कि. 143, कि. 163, कि. 168, टि. 158

- प्रसार, (देखिए प्रभुधर्म का शिक्षण)

- संरक्षण, टि. 183

- राजधर्म के रूप में स्वीकृति, टि. 49

- बाब के धर्म से सम्बन्ध, 10, कि. 129, कि. 136, कि. 139, कि. 140, कि. 179-180

- (की) सेवा, 17-18, कि. 35, कि. 74, कि. 184, 91, टि. 2, (सहायता भी देखिए)

- एकता, (देखिए एकता)

- विजय

अनुयायियों की सहायता से, कि. 42, कि. 84, कि. 164, कि. 178

विधानों की सहायता से, कि. 4

- विश्व प्रशासनिक केन्द्र, टि. 114

- लेख, (शीर्षकों का उल्लेख ‘‘बहाई लेख’’ के अंतर्गत है)

बहाई, धर्मानुयायी, बहाउल्लाह के अनुयायी, वे जो प्रिय हैं, बहा के लोग)

- उन पर जो आचरण और चरित्र लागू हैं, 16-17, 170-171,

(और देखिए आचरण, अतिरिक्त शीर्षक सद्गुण के अंतर्गत देखें)

- कर्त्‍तव्‍य, 144 -162

विधानों का पालन, 15, कि. 1

ईश्वरीय प्रकटीकरण की पहचान, 15, कि. 1

- जो लागू है, जिनके लिए आदेश है, 14-15, 159-161

- अनेक कार्य जिनका निषेध है, 157-158

- गैरबहाई, कि. 29, कि. 75, कि. 144, प्र. 33-35, प्र. 84, टि. 38

- अब्दुल बहा की ओर उन्मुख होना, कि. 121, टि. 145

बहाई विश्व, टि. 27, टि. 139, टि. 143, टि. 147

बहाउल्लाह,

- अवतार, कि. 82, कि. 85, कि. 88, कि. 165, कि. 177, टि. 33, टि. 108, टि. 153, टि. 158, टि. 160, टि. 172

- स्वर्गारोहण, 1, कि. 38, कि. 53, कि. 121, टि. 9, टि. 54, टि. 125, टि. 139

- जन्म, कि. 92, कि. 110, प्र. 2, टि. 123, टि. 138

- कैद, टि. 192

- आदेश, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

- (बहाउल्लाह की) संविदा, 3, कि. 37, कि. 121, कि. 174, और (देखिए अब्दुल बहा, संविदा का प्रमुख भंजक टि. 9)

- मिशन की घोषणा, कि. 75, टि. 107, टि. 138 (पवित्र दिवस भी देखिए)

- अपना परिचय देते हैं, टि. 1, टि. 160

- निर्वासन, टि. 33

- पवित्र गृह, (बगदाद स्थित) कि. 32, कि. 133, प्र. 25, प्र. 29, प्र. 32, टि. 54, टि. 154

- अचूकता, (देखिए अचूकता)

- (बहाउल्लाह द्वारा) प्रवर्तित संस्थाएँ, 3, 12-14, कि. 30, कि. 42, टि. 49, टि. 66-67 और देखिए धर्म संरक्षक का पद, न्याय मन्दिर, पवित्र लेखों की व्याख्या)

- सच्चा जोसेफ, टि. 1

- (का) ज्ञान, मानवीय ज्ञान से परे, कि. 39, कि. 97, कि. 175-177

- (के) विधान, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

- अरबी भाषा पर अधिकार, 9

- मिर्ज़ा याह्या को मिशन के बारे में बताना, टि. 190

- नाम और उपाधियाँ, टि. 23, टि. 160

प्राचीनतम सौन्दर्य, प्र. 100

युगों से प्राचीन, कि. 180

प्राचीनतम मूल, कि. 121, टि. 145

परम प्रियतम, कि. 129, कि. 141

परम करूणावान, कि. 150

परामर्शदाता, कि. 52

उदय स्थल (अरूणोदय), कि. 74, कि. 113, कि. 143, कि. 149, कि. 186, टि. 23

- सौन्दर्य का, (उदय स्थल) कि. 68

- प्रभुधर्म का, कि. 47, टि. 75

- प्रकटीकरण का, कि. 42, कि. 60

- आभा का, कि. 15

- वाणी का, कि. 29

दिवास्रोत (प्रभात), कि. 3, कि. 4, कि. 102, कि. 143, कि. 186

- दिव्य एकता का, कि. 175

- ईश्वरीय प्रकाश का, कि. 85, टि. 116

- भव्यता का, कि. 88

- सर्वोत्कृष्ट उपाधियों का, कि. 143, कि. 173

- नामों (नामालंकरणों) का, कि. 88

- प्रकटीकरण का, 15, कि. 1, कि. 80, कि. 86, कि. 109, कि. 148, 99)

- ईश्वरीय संकेतों का, कि. 35, 97

- दिवानक्षत्र (सूर्य), कि. 3, कि. 4, कि. 102, कि. 143, कि. 186

- दिव्य वाणी का, कि. 16

- विश्व की अभिलाषा, (लोकों की कामना) कि. 1, कि. 157

- ईश्वरीय विधान का उद्गम, (निर्झर) कि. 1, कि. 50

- वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, (बहाउल्लाह भी देखें)

- उसे अमूल्य उपहार भेंट करना, कि. 114, टि. 141, 151

- प्रश्न करना, कि. 126, टि. 146, 151

- बाब के सम्बन्ध में वक्तव्य, (बाब देखें) कि. 135, कि. 137, कि. 139, टि. 7, टि. 48, टि. 108, टि. 141, टि. 146, टि. 155, टि. 157-158, टि. 185-186

- गुप्त रहस्य, प्र. 96

- जो प्रभात के उदय का कारण है, कि. 117, टि. 143

- सम्राटों का सम्राट, कि. 82

- विधानों का रचयिता, प्र. 7

- जीवन्त ग्रंथ, कि. 134, कि. 168, टि. 155

- शक्तिमान शाखा, कि. 174, टि. 184

- रहस्यमय कपोत, कि. 174

- बुलबुल, कि. 139

- महाशक्तिशाली महासागर, कि. 96

- महालेखनी

- अनन्त सम्राट की, प्र. 105

- गरिमा की, प्र. 89

- आज्ञा की, कि. 67

- आदेश की, कि. 68

- न्याय की, कि. 72

- सर्वोच्च महिमामयी, कि. 17, कि. 41, कि. 179, प्र. 106, टि. 24

- परम महान की, कि. 2, कि. 16, कि. 24, कि. 86, कि. 136, कि. 142, कि. 175

- प्रतिज्ञापित अवतार, कि. 35, कि. 88, टि. 108, टि. 153, टि. 158, टि. 185, टि. 190 (प्रतिज्ञापित अवतार भी देखिए)

- मोक्षदाता, 16

- श्लोकों के प्रकटकर्ता, कि. 146

- सत्य और वाणी के सूर्य, कि. 6

- संचित प्रतीक, 96

- एक करने वाले, समस्त मानवता को, 16

- ईश्वर के राजप्रतिनिधि, कि. 167, टि. 181

- विधानों के प्रति आज्ञापालन, कि. 1

- उद्देश्य, कि. 172

- अभिज्ञान, टि. 48

- अन्यायियो पर प्रभाव, कि. 38, कि. 55

- सम्बन्धित आदेश, कि. 50, कि. 55, कि. 132, कि. 134-136, कि. 157, कि. 183, टि. 155, टि. 172

- पादरियों को, (आदेश) कि. 41, कि. 100, कि. 102, कि. 165-166

- सम्राटों को, (आदेश) कि. 82, कि. 85-86

- बयान के लोगों को, (आदेश) कि. 137-141, कि. 179

- मनुष्य का पहला कर्त्‍तव्‍य, कि. 1

- अस्वीकार करना, कि. 35, कि. 41, कि. 85, कि. 139-140, कि. 141, कि. 166

- बाब से सम्बन्ध, कि. 20, कि. 110, कि. 175, कि. 179, टि. 108-109, टि. 158, (बाब भी देखिए)

- बाब से पाती प्राप्त होना, कि. 175-176, टि. 185-186

- ईश्वर से सम्बन्ध, कि. 143, टि. 160

- (अगसान) के सम्बन्धी, 6, कि. 42, कि. 61, 161, टि. 66-67, टि. 85

- ‘‘भावातीत एकता की विचारशाला’’, कि. 175-177, टि. 185

- समाधि (परम पवित्र), कि. 6, टि. 8, टि. 54

- सम्प्रभुता, कि. 69, कि. 82, कि. 134, कि. 167, टि. 181

- लोगों के हृदय पर, (सम्प्रभुता/प्रभुत्व) 17, कि. 83

- पद, उच्चता, कि. 47, कि. 142-143, कि. 162, टि. 160, (बहाउल्लाह तथा नाम और उपाधियाँ भी देखिए)

- उत्तराधिकारी 5 (अब्दुल बहा भी देखिए)

- यातनाएँ, उत्पीड़न 15 कि. 86, कि. 141, कि. 158, कि 184, टि. 1, टि. 190, टि. 193

- (बहाउल्लाह के) शब्द, (पवित्र पाठ की व्याख्या भी देखिए), पवित्र लेख: शक्ति और प्रभाव कि. 3, कि. 54, कि. 129, कि. 136, कि. 167, कि. 169

- (बहाउल्लाह की) विश्व व्यवस्था, 15, 246 कि. 181, टि. 189, (बहाई प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय मन्दिर भी देखिए)

- (बहाउल्लाह के) पवित्र लेख, टि. 189, टि. 193, टि. 194, (किताब-ए-अक़दस, प्रश्नोत्तर, पवित्र पाठ भी देखिए)

- पातियों में अन्तर, प्र. 57

- व्यक्तिगत श्रेणी, 6

- निगूढ़ वचन, टि. 23, टि. 37

- किताब-ए-अहद, (मेरी संविदा का ग्रंथ) टि. 37, टि. 66, टि. 145, टि. 183

- किताब-ए-ईकान, टि. 180, टि. 182

- अनिवार्य प्रार्थना, (देखिए अनिवार्य प्रार्थना)

- दिवंगतों के लिए प्रार्थना, (दिवंगतों के लिए प्रार्थना देखिए)

- प्रार्थना और ध्यान टि. 123

- ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ का अनुपूरक, 2

- प्रश्न और उत्तर (देखिए प्रश्न और उत्तर)

- ‘‘किताब-ए-अक़दस’’ के बाद प्रकटित बहाउल्लाह की पातियाँ

- बिशारत (की पाती), टि. 58, टि. 61, टि. 173

- इशराकात (की पाती), टि. 75, टि. 75, टि. 109

- स्वर्ग के शब्द, टि. 61

- सूरी-ए-हज, प्र. 10, टि. 54, टि. 68

- आबा बदी की पाती, प्र. 104

- नेपोलियन तृतीय को लिखी गई पाती, टि. 118

- इच्छापत्र और वसीयतनामा, (किताब-ए-अहद देखिए)

बहजी, टि. 8, टि. 54, (किब्ले भी देखिए)

बयान,

- वर्णन, कि. 179, टि. 108, टि. 129, टि. 158, टि. 186

- अरबी और फारसी (बयान), 246

- (बयान के) विधान, 4 कि. 142, टि. 109, टि. 158

- (विधान) जिन्हें बहाउल्लाह ने निरस्त कर दिया, 10

- पुस्तकों को नष्ट करना, कि. 77, टि. 109

- दूसरों को खिन्न करने पर अर्थ दण्ड, टि. 163

- गैर अनुयायी से विवाह, कि. 139, टि. 158

- ‘‘वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा’ को बहुमूल्य उपहार समर्पित करना, टि. 141

- प्रश्न पूछने का निषेध, कि. 126, टि. 146

- यात्रा पर प्रतिबन्ध, कि. 131, टि. 153

(विधान) जिनकी बहाउल्लाह ने पुष्टि की, विस्तार किया,

सुधार किया, 10

- मृतक को भूमिगत करना, टि. 11, टि. 149, टि. 151

(भूमिगत करना भी देखिए)

- मृतक को पहनाई जाने वाली अंगूठी, उस पर अंकित श्लोक, कि. 129

- पंचांग, टि. 26, टि. 139, टि. 147-148, (बहाई पंचांग, पवित्र दिवस भी देखिए)

- हथियार लेकर चलना, टि. 173

- दहेज, दहेज की राशि, टि. 95

- उपवास, टि. 20, टि. 26

- सोने-चाँदी के बर्तनों का उपयोग, टि. 72

- बाल या अस्थि प्रार्थना को खारिज नहीं करते, टि. 12

- हुकूकुल्लाह, (हुकूकुल्लाह भी देखिए)

- उत्तराधिकार, कि. 20, प्र. 100, 146-147,127 टि. 3, टि. 41 (उत्तराधिकारी भी देखिए)

- विवाह (के लिए अनुमति), कि. 65

- मिस्काल (भार), प्र. 23, टि. 78

- उन्नीस दिवसीय सहभोज, टि. 82, (उन्नीस दिवसीय सहभोज सभा भी देखिए)

- अनिवार्य प्रार्थना, टि. 6, टि. 16, टि. 20, (अनिवार्य प्रार्थना भी देखिए)

- तीर्थयात्रा, टि. 55

- नतमस्तक होना, टि. 15

- उपदेश-मंच के प्रयोग का निषेध, टि. 168

- किब्ले, कि. 137, 139, टि. 7, (किब्ले भी देखिए)

- घरेलू साज-ओ-सामान को नया रूप देना, टि. 166

- रेशमी वस्त्र पहनना, टि. 174

- बहाउल्लाह को पहचानने में बाधक न हो, कि. 179

- सम्बोधित किए गए लोग, कि. 137-143, कि. 176-180

- प्रतिज्ञापित अवतार, टि. 153, टि. 185

- (बयान से) उद्धरण, कि. 135, कि. 137, कि. 139, टि. 7, टि. 48, टि. 156, टि. 157, टि. 158, टि. 179, टि. 189

- (बयान का) किताब-ए-अक़दस से सम्बन्ध, 4, कि. 142, टि. 108, टि. 109, टि. 189

- (बयान का) ज्ञान, कि. 180

बेरूत, टि. 192

बर्लिन, कि. 86, कि. 90, टि. 117, टि. 121

बाइबिल, टि. 2, (देखिए ओल्ड टेस्टामेंट)

बॉस्फोरस, टि. 120

बुद्ध, टि. 160

बाइजैथियम, टि. 119

बहाई पंचांग, 149, टि. 126

- सौर वर्ष पर आधारित, टि. 27, टि. 138, टि. 147

- दिन, अवधि, टि. 26

- अधिदिवस, (अय्याम-ए-हा, लोंद के दिन) (देखिए अधिदिवस)

- महीने

- महीनों के नाम, कि. 127, टि. 139, टि. 148

- वर्ष भर में संख्या, कि. 127, टि. 27, टि. 147

- दिनों की संख्या, टि. 27, टि. 147

- उपवास की अवधि, (देखिए उपवास)

- पवित्र दिवसों का स्थान, (देखिए पवित्र दिवस)

- विस्तृत बातों का उल्लेख विश्व न्याय मन्दिर करेगा, टि. 24, टि. 138 बच्चे

- बच्चों की शिक्षा, कि. 48, प्र. 105

- पुत्रियों की शिक्षा का प्राथमिक महत्व, टि. 76

- आध्यात्मिक शिक्षा, कि. 150, टि. 40

- आर्थिक सहारा, तलाक की स्थिति में, टि. 100

- उत्तराधिकार सम्बन्धी विधान, (देखिए उत्तराधिकारी)

- माता-पिता के लिए आदर-भाव, प्र. 104, प्र. 106, टि. 92

बोध, (देखें पवित्र लेखनी की व्याख्या)

बहाई धर्मकाल, 10 कि. 142, कि. 148, प्र. 8, प्र. 42, टि. 19, टि. 44, टि. 126, टि. 129, टि. 160, टि. 172

(बहाई धर्मकाल की) अवधि 3, 16, 17, कि. 37, टि. 62

बहाई चुनाव, टि. 49, टि. 80, टि. 183, (न्याय मन्दिर भी देखिए)

बन्धुता

- बहाइयों के बीच, कि. 57, टि. 82

- सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ, कि. 75, टि. 173

बहाई उत्सव, कि. 110, कि. 112, प्र. 1-2, टि. 138, टि. 140, (पवित्र दिवस भी देखिए)

बल का प्रयोग, टि. 170, टि. 173

बलात्कार, टि. 36, टि. 89 (व्यभिचार भी देखें)

बहाई कोष, टि. 125, टि. 161, टि. 169 (न्याय मन्दिर भी देखिए)

बच्चियाँ, (बेटियाँ, स्त्रियाँ भी देखिए)

- सगाई, प्र. 43

- शिक्षा, टि. 76

बहाई धर्म के संरक्षक, (देखिए शोग़ी एफेन्दी)

बन्दूक, कि. 159, प्र. 24, टि. 83, टि. 173

बाल

- चूमना, कि. 34, टि. 57

- (भोजन में हाथ) डुबोना, कि. 46, टि. 73

- धोना, (देखिए शुद्धिकरण)

बढ़-चढ़ कर बोलने वाला, कि. 37

बर्लिन का विलाप, (देखिए बर्लिन)

बहाउल्लाह के विधान, 18, 19 और (देखिए किताब-ए-अक़दस)

- पूर्ववर्ती, टि. 16, टि. 20, टि. 93, टि. 168

- समान रूप से स्त्री-पुरुष दोनों पर लागू, 9, टि. 38, टि. 133

- प्रगतिशील, 8 टि. 89, टि. 126

- प्रत्येक बहाई और बहाई संस्था पर लागू, 8

- संक्षिप्तता, 9

- केन्द्रीय सार तत्व 11

- बहाउल्लाह द्वारा निरूपित, 26

- जीवन की साँस, कि. 2

- जिससे हृदय आनन्दित हो जाएंगे, कि. 96

- दयालुता की कुंजी, कि. 3

- स्नेहिल कल्याण-भावना के दीपक, कि. 3, कि. 29

- परम महान विधान, कि. 81

- केवल नियम-संग्रह नहीं, कि. 5

- जीवन्त जल, कि. 29

- सब लोगों के समक्ष गुरूतम प्रमाण, 8

- भविष्य की सामाजिक दशा के अनुरूप, टि. 78, टि. 86

- बहाउल्लाह द्वारा विस्तृत व्याख्या और अनुपूरक व्यवस्था, (देखिए प्रश्न और उत्तर)

- विश्व न्याय मन्दिर द्वारा विस्तृत व्याख्या, (देखिए न्याय मन्दिर अधिकार और कर्त्‍तव्‍य)

- छूट, (देखिए उपवास, हुकूकुल्लाह अनिवार्य प्रार्थना, तीर्थयात्रा)

- द्वारा निर्धारित संस्थाएँ, 8

- धर्मसंरक्षक, 6

- न्याय मन्दिर, (देखिए न्याय मन्दिर) 5

- आज्ञापालन के लाभ, कि. 7, कि. 67, कि. 57, कि. 148

- सच्ची स्वतंत्रता देती है, कि. 125

- लागू है, आदेश है, कि. 17, कि. 29, कि. 62, कि. 67, कि. 71, कि. 147, कि. 148, प्र. 10

- का सम्बन्ध ईश्वरीय प्रकटीकरण के अभिज्ञान से है, कि. 1

- आज्ञापालन के पीछे ईश्वर से प्रेम की भावना, कि. 4

- अवहेलना करने पर चेतावनी, कि. 17, कि. 30, कि. 45, कि. 106, कि. 134, कि. 138, कि. 171, प्र. 105

- विशेष रूप से पुरुषों के लिए, (देखिए पुरुष)

- विशेष रूप से स्त्रियों के लिए, (देखिए स्त्रियाँ)

- आज्ञापालन का उद्देश्य

- प्रेम, समरसता, एकता रखना, कि. 65, कि. 70

- व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना, कि. 2

- मानवीय पद की गरिमा का उन्नयन और संरक्षण, कि. 45, कि. 97, कि. 123-125, कि. 155, प्र. 105

- पिछले विधानों और प्रथाओं से आगे है, कि. 138, टि. 93

- बाब के विधानों से सम्बन्ध, कि. 65, कि. 129, कि. 139-142, कि. 179, टि. 108-109, टि. 163, टि. 168, (बयान भी देखिए)

- उल्लंघन का निषेध, कि. 2, कि. 29, कि. 30, कि. 107

बहा के लोगों के बीच ज्ञानीजन, कि. 173, टि. 183

बहुमत का निर्णय, प्र. 99, टि. 52

बच्चों का लालन-पालन करने वाली माताएँ और उपवास, कि. 16, टि. 31

बहा के जन, (देखिए बयान)

बयान के लोग, (देखिए बयान)

बयान के बिन्दु, (देखिए बाब)

बहुविवाह, टि. 89

बहाइयों के लिए आवश्यक गुण, (देखिए सहयोग, परोपकारिता, यौन पवित्रता, सुनागरिकता, स्वच्छता, स्थिरता, संतोष, सौजन्य, अनासक्ति, निष्पक्षता, निष्ठावानता, ईश्वर से भय, बन्धुता, वफादारी, धैर्य, क्षमाशीलता, ईश्वरीयता, अतिथि-सेवा, विनम्रता, न्यायपरायणता, दयालुता, ज्ञान, प्रेम, आज्ञाकारिता, माता-पिता के लिए दया और आदर की भावना, अध्यव्यसाय, पवित्रता, औचित्य, तर्कसम्पन्नता, उत्कृष्टता, ईश्वर का स्मरण, आदर-भाव, सेवा, विश्वसनीयता, दृढ़ता, कार्यकुशलता, मृदुलता, विश्वासपात्रता, सत्यनिष्ठा, समझदारी, एकता, सच्चरित्रता, सद्गुण, दूरदृष्टि, विवेकशीलता)

बहाउल्लाह का प्रकटीकरण, (और देखिए बहाई धर्म, बहाउल्लाह के लेख, बहाई धर्मकाल, बहाउल्लाह के विधान, पवित्र पाठ)

- बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का ईश-विरोधी, टि. 192

- बहाउल्लाह के प्रकटीकरण का सियाहचाल में जन्म, टि. 62, टि. 126

- व्याख्या करने का निषेध, कि. 105, टि. 130

- ‘‘निगूढ़ खजाना’’ का रूपक, टि. 23

- ‘‘परम महान अचूकता’ का रहस्योद्घाटन, कि. 47, टि. 75

- प्रगतिशील प्रकटीकरण का सिद्धान्त, कि. 98, कि. 183, टि. 89, टि. 126, टि. 180

- प्राचीन धर्मकालों के वचनों का पूरा होना, कि. 80, कि. 142, टि. 156, टि. 158, टि. 160, टि. 185

- प्रमाण, कि. 136, कि. 165, कि. 167, कि. 183

- अभिज्ञान आवश्यक, कि. 1, कि. 85-86, कि. 134, टि. 1, टि. 155

- अतीत की धारणाओं और प्रथाओं की पुर्नव्याख्या, कि. 138, टि. 2, टि 93

- बाब के धर्म से सम्बन्ध, (देखिए बाब)

- ‘‘बाब’’ अक्षर का प्रतीक, टि. 172

बहनें, (देखिए उत्तराधिकार)

बैठना, कि. 154, टि. 168

- अनिवार्य प्रार्थनाओं के प्रसंग में, प्र. 81

- क्षतिपूर्ति के लिए प्रकटित श्लोकों के प्रसंग में, प्र. 58, टि. 22

- मशरिकुल अशकार में, कि. 115

- अल्लाह-ओ-अबहा का पाठ करते समय, कि. 18

बर्तन, पात्र (सोने और चाँदी के), कि. 46, टि. 72

बहाउल्लाह की चेतावनियाँ, कि. 163

- कुस्तुन्तुनिया को, कि. 89, टि. 120

- धर्मगुरुओं को, 15 और (देखिए धर्मगुरु)

- अनुयायियों को, 15

- धरती के सम्राटों को, कि. 82

- ईश्वर का प्रत्यक्षागत अवतार होने का दावा करने पर, कि. 37

- धर्म के विरोध के बारे में, कि. 37, टि. 63

- विलियम प्रथम को, कि. 86

बुद्धिमत्ता, विवेक

- दिव्य, कि. 45, कि. 53, कि. 68, कि. 97, कि. 182

- विधानों और शिक्षण में, कि. 29, कि. 33, टि. 86, टि. 89

- मानवजाति की आगामी प्रौढ़ता से सम्बन्धित, टि. 194

- छूट का लाभ उठाने के प्रसंग में, टि. 20

- ईश्वरीय विधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में, प्र. 112

बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था, टि. 173, टि. 189

बाब

बहाउल्लाह द्वारा उल्लेख, कि. 135-136, कि. 140-143

जन्म, का (दो एक जन्मदिवस), प्र.2 (पावन दिवस भी देखें,

घोषणा, का (पवित्र दिवस देखें)

अनुयायी, के, कि. 137, कि. 0क. 176, टि. 185, 187

वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, टि. 189, 154

बहुमूल्य उपहार अर्पित करना, कि. 114, टि. 141

उससे प्रश्न पूछने को मना करना, कि. 126, टि. 146

क़िब्ला की दिशा, कि. 137, 145

बयान के विधान, टि. 109

उसकी पाती, कि. 175, 176, टि. 185, टि. 186

उसके प्रति सम्मान, कि. 135-136, टि. 156

मिर्ज़ा याह्या को मनोनीत कर, टि. 190

विरोधी, कि. 166, कि. 170, टि. 182

समाधि, की, टि. 114

उपाधियाँ

-बयान के बिंदु, कि. 129

-आदि बिन्दु, प्रश्न 8, 29, 32, 100

-सीधे अलीफ, आगमन के प्रतीक के रूप में, कि. 157

लेख (’बयान’ भी देखें)

-क़य्यामुल अस्मा7255-256

-बाब के पावन लेखों से चयन, टि. 186

-बहाउल्लाह को सम्बोधित पाती, कि. 175-176, टि. 186

भिक्षा-कर, (देखिए जकात)

‘‘भ’ और ‘‘व’ (अक्षर), कि. 177, 96, टि. 188

भीख मांगना, (देखिए भिक्षावृत्ति)

भाई, (उत्तराधिकारी के रूप में) कि. 20, प्रनो. 53, टि. 38-39, (उत्तराधिकार भी देखिए)

भूमिगत करना, (मृतक को) प्र. 157

मृतक को पहनाई जाने वाली अंगूठी, कि. 128-129, प्र. 70, टि. 149

ताकत, कि. 128, टि. 149

दफनाने का निषेध, टि. 149

खर्चे (अंत्येष्टि के) कि. 28, प्र. 9, प्र. 69, टि. 47

एक घंटे की यात्रा-अवधि, कि. 130, प्र. 16, टि. 149, टि. 152

प्रार्थना, (दिवंगतों के लिए प्रार्थना देखिए)

कफन, कि. 130, प्र. 56, टि. 149, टि. 151

भोजन में हाथ डुबोना, कि. 46, टि. 73

भोजन, (देखिए माँस (सड़ा हुआ), भोजन में हाथ डुबोना, उपवास)

भारतवर्ष, कि. 36, टि. 61

भूमि

- पवित्र, (देखिए पवित्र भूमि)

- ‘‘काफ’ और ‘‘रा’ की भूमि, कि. 164, टि. 176, (किरमान भी देखिए)

- ‘‘खा’ की भूमि, कि. 94, टि. 124 (खुरासान भी देखिए)

- रहस्य भूमि, कि. 37, प्र. 100, टि. 63, (एड्रियानोपल भी देखिए)

- ‘‘ता’ की भूमि, कि. 91, टि. 122, (तेहरान भी देखिए), भाषाएँ और (देखिए)

- अरबी

धर्म-शिक्षण के लिए, कि. 118

- विश्व (भाषा), कि. 189, टि. 193-194

भौतिक साधनों (का उपयोग), कि. 66, कि. 113

भिक्षावृत्ति, 18, कि. 33, कि. 147, टि. 56, टि. 162

भयावह प्राकृतिक घटनाएँ, कि. 11, टि. 18

भतीजे

भतीजियाँ, कि. 23, टि. 38, (उत्तराधिकार भी देखिए)

भावावेश, कि. 2, कि. 41, कि. 64, कि. 89, कि. 184

भविष्यवाणियाँ

- राईन और बर्लिन के सम्बन्ध में, कि. 90, टि. 121

- नेपोलियन तृतीत के पतन के सम्बन्ध में, टि. 118

भव्य, कि. 82, (सम्राट भी देखिए)

मेष राशि, प्र. 35, टि. 26

मिल-जुलकर रहना

- सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ, कि. 144, 159

- बहा के लोगों के बीच, टि. 82, टि. 95

मुल्ला अली बस्तामी, टि. 178

मृत्युदण्ड, कि. 62, टि. 86-87, (आगजनी और हत्या भी देखें)

माँस, (सड़ा हुआ) कि. 60, प्र. 24, टि. 83, (शिकार भी देखिए)

मृतक को ले जाना, कि. 130, प्र. 16, टि. 149, टि. 152, (भूमिगत करना भी देखिए)

मृत्यु, (भूमिगत करना, उत्तराधिकार, दिवंगतों के लिए प्रार्थना इत्यादि भी देखिए)

- हत्या या आगजनी के लिए दंड, कि. 62, टि. 86-87

- यात्रा की अवधि में पति या पत्नी की मृत्यु, कि. 67, प्र. 27, टि. 97

मैल, कि. 74, कि. 76, टि. 105, (स्वच्छता, धूल भी देखिए)

मतभेद, प्र. 19, प्र. 99, (असहमति भी देखिए)

मादक पेय, टि. 2, (मादक पदार्थ/द्रव्य भी देखिए)

लत लगने वाले मादक द्रव्य, कि. 155, टि. 170, (अफीम भी देखिए)

मूर्खता, कि. 51, कि. 89, कि. 178

महानतम नाम/सर्वोच्च नाम, कि. 127, टि. 33, टि. 137, टि. 148

मार्गदर्शन

- परामर्श की प्रक्रिया में, प्र. 99, टि. 52

- दिव्य (मार्गदर्शन), 5, कि. 143, टि. 130

मानवजाति, (मानवता, मनुष्य, लोग-समाज भी देखिए)

- परिपक्व (वयस्क/प्रौढ़) होना, कि. 189, टि. 194

- दशा, 8, कि. 39, कि. 54, कि. 64, कि. 72, कि. 122, टि. 104

- रचना, कि. 160

- गहरी नींद में, कि. 39

- मानवजाति और ईश्वरीय विधान, 4 कि. 1, कि. 3, कि. 7, कि. 99, कि. 124-125, कि. 148, कि. 186

- मानवजाति का जीवन आंदोलित, कि. 54, कि. 181, टि. 189

- मानवजाति की सीमाएं, टि. 128

- आवश्कताएँ, 4, कि. 124, कि. 189

- दर्जा, उच्चता, कि. 119, कि. 120, कि. 123, प्र. 106, टि. 3

- एकता, एकीकरण, कि. 58, टि. 194

मुल्ला जाफर, टि. 177

मिर्ज़ा आक़ा खान किरमानी, टि. 177

मार्जुआना, टि. 170

मशरिकुल-अशकार, (उपासना मन्दिर) कि. 31, कि. 115, टि. 53

- बच्चों द्वारा पातियों का पाठ, कि. 150

- सुबह की प्रार्थना, कि. 115, प्र. 15, टि. 142

- निर्भर वस्तुएँ, टि. 53

- उपदेश और उपदेश-मंच का प्रयोग निषिद्ध, टि. 168

मक्का, टि. 7

मध्यम मार्ग, कि. 43

मस्तिष्क, कि. 122, टि. 144, टि. 170, (तर्क शक्ति भी देखिए)

मूसा, टि. 111-112

मस्जिद, प्र. 94, टि. 19

- अग्सा, कि. 85, टि. 116

महानतम सौन्दर्य, (देखिए बहाउल्लाह)

महानतम उत्सव, (देखिए पवित्र दिवस, रिज़वान)

महानतम विधान, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

महानतम कारागार, (देखिए अक्का)

माता, (उत्तराधिकार भी देखिए)

- प्रथम शिक्षिका, टि. 76

मातृग्रंथ, कि. 103, टि. 129

माता-पिता

- विवाह के लिए सहमति, कि. 65, प्र. 13, टि. 92

- बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व, कि. 48, कि. 150, प्र. 105,

टि. 76

- और उत्तराधिकार, (देखिए उत्तराधिकार)

- (माता-पिता के प्रति) आदर भावना और दयालुता, प्र. 104, प्र. 106, टि 92

मुहम्मद, 4, टि. 7, टि. 85, टि. 89, टि. 128, टि. 158

मुहम्मद अली, बहाउल्लाह की संविदा तोड़ने वालों में अग्रणी, टि. 1, टि. 9

मुहम्मद-ए-इस्फहानी, कि. 184, टि. 190, टि. 192

मुहम्मद-ए-इस्फहानी, सैयद, कि.184, 164 टि. 190, 192

मुहम्मद करीम खाँ-ए-किरमानी, हाजी मिर्जा, कि. 170, 164, टि. 182

मुहर्रम, प्र. 2, टि. 138

मुसलमान, (देखिए इस्लाम)

महाप्रलय, कि. 157, टि. 171, टि. 172

मुहर

- पैगम्बरों की, टि. 180, (और देखिए मुहम्मद, ईश्वर के सन्देशवाहक), अलंकृत पातियाँ कि. 117, टि. 143

मुंडन, कि. 44, प्र. 10, टि. 68, टि. 69

मुख्य कर्णधार, टि. 183, (धर्मभुजा भी देखिए)

मन्दिर, (देखिए मशरिकुल अशकार)

- मानव-शरीर रूपी मन्दिर, कि. 96, कि. 120, कि. 155, टि. 160

- ईश्वरीय अवतार रूपी, कि. 86

मृदुलता, कोमलता, कि. 126, कि. 184, 90

महावृक्ष, जिसके आगे राह नहीं, (देखिए सद्रतुल मुन्तहॉ)

मजदूरी, सेवकों को देय, प्र. 30 टि. 90, और (देखिए दास प्रथा का निषेध)

मदिरा, कि. 119, टि. 144, टि. 170 (मादक द्रव्य और मदिरा भी देखिए)

- प्रतीक रूप में, कि. 4-5, कि. 150, कि. 173, टि. 2

यहूदी धर्म, टि. 1, टि. 65, टि. 111, टि. 180

यथार्थ, (ट. 75)

यौन आचरण, और (देखिए यौन पवित्रता, अनैतिकता)

- विधि-सम्मत, टि. 134, (विवाह भी देखिए)

- विधि-विमुख

- व्यभिचार, कि. 19, कि. 49, प्र. 23, प्र. 49, टि. 36, टि. 77, टि.90

- परिणाम, कि. 49, टि. 36, टि. 77, टि. 134

- धैर्य की अवधि में, प्र. 11

- समलैंगिकता, टि. 134

यौन पवित्रता, टि. 170, (व्यभिचार, समलैंगिक सम्बन्ध भी देखिए)

याचना, (देखिए प्रार्थना)

युक्ति, कि. 73

यात्रा

- उपवास की अवधि में, कि. 16, प्र. 22, प्र. 75, 142-143, टि. 30

- और वैवाहिक सम्बन्ध, कि. 67, कि. 69, प्र. 4, प्र. 27, 144-146, टि. 99

- और तीर्थयात्रा, टि. 55

- के दौरान अनिवार्य प्रार्थना, कि. 14, प्र. 21, प्र. 58-61, टि. 21-22

- ‘‘बयान’’ में लागू प्रतिबन्धों की समाप्ति, कि. 131, टि. 153

यथार्थता, (देखिए सत्य)

युद्ध, टि. 173

या-बहा-उल-अब्हा, (देखिए सर्वोच्च नाम)

याहिया, मिर्जा (सुबह-ए-अज़ल), कि. 184, कि. 190, टि. 177, टि. 190-192

- यदि वह पश्चाताप करे तो क्षमा का आश्वासन, कि. 184

- अनुयायी, टि. 177

रिज़वान का उद्यान, टि. 117, टि. 121

राष्ट्रीय/माध्यमिक न्याय मन्दिर, टि. 49-51, टि. 80, टि. 183

रोग

- चिकित्सक से परामर्श, कि. 113

- उपवास के दौरान छूट, कि. 10, कि. 16, प्र. 93, टि. 14, टि. 31

- अनिवार्य प्रार्थना, कि. 10, प्र. 93, टि. 14

रहस्य-भूमि, कि. 37, प्र. 100, टि. 63, (एड्रियानोपल भी देखिए)

राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा, (देखिए राष्ट्रीय/माध्यमिक न्याय मन्दिर)

रात्रि, (सन्ध्याकाल और सूर्यास्त भी देखिए)

- प्रार्थना और उपवास के लिए समय का निर्धारण, कि. 10

- श्लोकों का पाठ, कि. 149, प्र. 68, टि. 165, और (देखिए पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

- उपवास का समय-काल, कि. 17, टि. 25, टि. 32, (उपवास भी देखिए)

राज्याध्यक्ष, कि. 88

रक़ाह, कि. 6, कि. 8, प्र. 63, टि. 4, टि. 6, टि. 9, टि. 20, (अनिवार्य प्रार्थनाएँ भी देखिए)

राईन, कि. 90, टि. 121

रिज़वान, कि. 75, टि. 107, टि. 138, टि. 140, (बहाई उत्सव और पवित्र दिवस भी देखें)

रेशम

- कफन के लिए, कि. 130, टि. 149, टि. 151

- वस्त्र धारण करना, कि. 159, टि. 174

राज्य के विषय, (देखिए न्याय मन्दिर)

राजप्रतिनिधित्व, कि. 167, टि. 181

लॉटरी/सट्टा, टि. 169, और (देखिए जुआ, संयोगाश्रित खेल)

लिप्सा, लोलुपता, कि. 64

पुरुष का पुरुष के साथ लैंगिक सम्बन्ध, कि. 107, टि. 134

लेखनी, (देखिए बहाउल्लाह के नामालंकरण)

लेख, (में निर्देश) कि. 48, टि. 76, और (देखिए इच्छापत्र)

- बहाई लेख, (देखिए अब्दुल बहा के लेख, बाब के लेख, बहाउल्लाह के लेख, बयान, पवित्र पाठ की व्याख्या, किताब-ए-अक़दस, पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ, शोग़ी एफेन्दी के लेख, पवित्र पाठ, बहाई लेखों के अनुवाद, पवित्र श्लोक)

- इस्लामी लेख, टि. 113, और (देखिए, इस्लाम, कुरान)

- शेख मुहम्मद हसन के लेख, टि. 178

वयस्क, (देखिए वयस्कता की आयु)

व्यभिचार, टि. 36

- मना है, कि. 19, 158

- दंड, कि. 49, प्र. 49, टि. 77

- प्रत्येक अपराध के लिए अर्थदंड, प्र. 23

विधानों और प्रथाओं को रद्द अथवा निरस्त करना, 7, 11, 151 (‘‘बयान’, विधान भी देखें)

- विधान और प्रथाएँ

- निषेध

- बहाउल्लाह के विधान

व्यवहार, (देखिए आचरण, कर्म, गुण)

वधू, (विवाह भी देखिए)

और दहेज, प्र. 39, टि. 93, (दहेज भी देखिए)

पवित्रता, (यौन) प्र. 13, प्र. 47

वर (द्वारा देय दहेज) (देखिए दहेज)

व्यापार

(में) निवेश, कि. 27,

(का) स्थान हुकूकुल्लाह से मुक्त, प्र. 95

वस्त्र, पोशाक

- सम्बन्धित स्वच्छता, कि. 74, कि. 76, 153, टि. 167 (मृतक के वस्त्र, देखिए उत्तराधिकार)

- पहले के प्रतिबन्ध उठा लिए गए, कि. 159, टि. 175

- जीव-जंतुओं के रोएँ, कि. 9, 141, टि. 12

- रेशमी (वस्त्र), कि. 159, 151, टि. 174

विश्वसंघ, टि. 173, टि. 183, टि. 189, टि. 194, (विश्व व्यवस्था भी देखिए)

विवाद, कि. 73, कि. 148, कि. 92, कि. 177, टि. 110, अि. 130

- बहाई लेखों की अधिकृत व्याख्या के विषय में विवाद न करना, टि. 130

- प्रभुत्वशाली लोगों के साथ विवाद न करना, कि. 95

विवाहित जोडे़, (देखिए तलाक, विवाह)

वंशज, प्र. 6, टि. 38, (उत्तराधिकार भी देखिए)

- बहाउल्लाह के (वंशज), टि. 66, (बहाउल्लाह के सगे-सम्बन्धी भी देखिए)

- मुहम्मद के वंशज, टि. 85

विरक्ति, कि. 54, कि. 83, कि. 84, कि. 129, कि. 178, टि. 149

विभेद, 17 कि. 79, कि. 177, टि. 110

वेश-भूषा (वस्त्र भी देखिए) औचित्य, कि. 159

वीर, कि. 94

वह जिसे ईश्वर प्रकट करेगा, (देखिए बहाउल्लाह)

- बहुमूल्य उपहार समर्पित करना, कि. 114, टि. 141

- प्रश्न पूछना, कि. 126, टि. 146

- के सम्बन्ध में बाब के कथन, (देखिए बाब)

विश्व/अंतर्राष्ट्रीय न्याय मन्दिर

- बहाउल्लाह द्वारा अधिकार सम्पन्न 5

- संविधान, टि. 51

- दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त, 5

- चुनाव प्रणाली, 6, टि. 49

- स्थापना, कि. 42, टि. 66-67

- सदस्यता

- केवल पुरुष, टि. 80

- संख्या, टि. 50

- अधिकार और कर्त्‍तव्‍य, टि. 51

- जनहित सम्पत्ति की देखभाल, कि. 42, टि. 66-67

- भविष्य के नियम

- हत्या और आगजनी के लिए दंड लागू करना, टि. 86-87

- यौन अपराधों के लिए दंड लागू करना, प्र. 49, टि. 36, टि. 77-78, टि. 134

- चोरी की गम्भीरता और उसके लिए दंड लागू करना, 37, टि. 70-71

- बहाउल्लाह के विभिन्न विधानों को लागू करने के स्वरूप का निर्धारण, टि. 31, टि. 69, टि. 81, टि. 95, टि. 161, टि. 169

- नियमन किए जाने योग्य अन्य विषय, टि. 56, टि. 138, टि. 169

- वैधानिक कार्यप्रणाली की रूपरेखा, 3, 234

- हुकूकुल्लाह प्राप्त करता है, टि. 125

- अपने ही बनाए नियम निरस्त करता है, 10

- पवित्र पाठ को निरस्त नहीं कर सकता, 10

विनम्रता, कि. 3, टि. 135, टि. 168

विधानों का क्रियान्वयन, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

विवाह 6, 9, 17 (देखिए सगाई, तलाक, दहेज, परिवार, पुनर्विवाह, यात्रा, कौमार्य)

- पति/पत्नी की अनुपस्थिति, कि. 67, प्र. 4, टि. 96-99

- मृत्यु, कि. 67, प्र. 27

- जीवनसाथी का चयन, कि. 65, कि. 107, प्र. 30, प्र. 92

- माता-पिता की सहमति, कि. 65, प्र. 13, टि. 92

- एकल वैवाहिक, कि. 63, टि. 89

- विवाह अनिवार्य नहीं, प्र. 46, टि. 91

- एकता और धैर्य रखने का आदेश, कि. 67, कि. 70, प्र. 4, टि. 98

- उद्देश्य, कि. 63, टि. 88, टि. 133, टि. 134

- सगे-सम्बन्धियों से विवाह की सीमाएं, कि. 107, प्र. 50, टि. 133

- गैर-बहाइयों से विवाह, कि. 139, प्र. 84

- वैवाहिक श्लोक, प्र. 3, प्र. 12

व्यवसाय में लिप्त होना आवश्यक, कि. 33, टि. 56, टि. 162, (कार्य भी देखिए)

विरोध, (देखिए बहाई धर्म का विरोध)

व्यवस्था, (प्रशासनिक व्यवस्था भी देखिए)

- समाज में, (व्यवस्था) कि. 2, कि. 64

- विश्व में, 15 कि. 181, टि. 189

विकृति का उद्गम, (देखिए मिर्ज़ा याहिया)

विश्वप्रेम, टि0. 125, और (देखिए हुकूकुल्लाह, मशरिकुल अशकार, जकात)

व्यक्तिगत सम्पत्ति

- ईश्वरीय प्रकटीकरण को समर्पित किए जाने का कर्त्‍तव्‍य निरस्त, कि. 114,टि. 141

- क्षणभंगुरता, कि. 40, कि. 86

व्यवसाय (में लिप्त होना), कि. 33, टि. 56, टि. 162

वचन, (देखिए प्रतिज्ञापित अवतार)

- दिव्य सहायता का वचन, कि. 38, कि. 53, कि. 74

- वचन पूरा करना, कि. 35, कि. 80, कि. 156, टि. 160

विचारशाला

- ईश्वर की, कि. 176-177, टि. 185

- अंतरंग अर्थ और व्याख्या की, कि. 175

- भावातीत एकता की, कि. 175

विज्ञान

- दिव्य दर्शनशास्त्र, टि. 194

- अत्यंत दृढ़ आधार, कि. 189

- उद्देश्य, कि. 77, टि. 110

वीर्य, कि. 74, टि. 103

वाणी, कि. 160, और (देखिए भाषा/एँ, पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ)

- वाणी से ईश्वर की सहायता, कि. 73

- वाणी प्रकट करने का तरीका, टि. 168

वसन्त सम्पात, टि. 26

वसीयत, इच्छापत्र (देखिए संविदा)

व्यापार, (देखिए व्यवसाय, कार्य)

- दास-व्यापार, कि. 72

विश्वास, आस्था, न्यास

- ईश्वर में, कि. 33, कि. 153, कि. 160

- न्यास में सम्पत्ति, (धरोहर) प्र. 96, 152, और (देखिए न्यासी/न्यासधारी)

विश्वासपात्रता, कि. 120, प्र. 106, टि. 46

विश्व न्याय मन्दिर, (देखिए न्याय मन्दिर)

विलायत, टि. 181

विचार-दर्शन, दृष्टि, (और देखिए समझदारी)

- बहाउल्लाह के विचार-दर्शन

- विश्वव्यापी, 3-4, 15

- अस्‍पर्द्धेय, कि. 101

विधवा/एँ कि. 21, कि. 89

विलियम प्रथम, परसिया का सम्राट, 19, कि. 86, टि. 117-118

विश्व (देखिए मानवजाति, समाज)

- सभ्यता, 3, कि. 181, और (देखिए बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था, विश्वसंघ, विश्व व्यवस्था)

- (विश्व का) सन्तुलन बिगड़ना, कि. 181, टि. 189

- (विश्व) भाषा, (देखिए भाषाएँ)

- प्रौढ़ता, टि. 194

- एकीकरण, 3-4

- विश्व, आध्यात्मिक कि. 79, कि. 166, कि. 177

- वृहत और लघु विश्व कि. 55, टि. 23

वाग्युद्ध, बहस (देखिए विवाद)

वर्ष (और देखिए बहाई पंचांग)

- की अवधि टि. 27, टि. 62, टि. 147

- धैर्य का (देखिए तलाक)

- प्रतीक्षा का (देखिए खोई हुई सम्पत्ति)

शुद्धिकरण/प्रक्षालन 10, 13, 18, 107, 115, 117, 118, 121, 123

- अनिवार्य प्रार्थनाओं से पहले, कि. 18, 101, प्र. 62, प्र. 66, प्र. 86, टि. 34

- ‘‘अल्लाह-ओ-अब्हा’’ जपने से पहले, कि. 18, प्र. 77, टि. 33

- ऋतुवती महिलाओं द्वारा पढ़े जाने वाले श्लोक से पहले, कि. 13, टि. 20

- नहाने के बाद भी आवश्यक, प्र. 18

- पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में पढ़ा जाने वाला श्लोक, कि. 10, प्र. 51, टि. 16

- पानी का उपयोग यदि हानिकारक हो तो उस स्थिति में प्रयोग किए जाने वाला श्लोक, प्र. 51, टि. 34

शेख अहमद-ए-अहसाई, कि. 157, टि. 171, टि. 172, टि. 182

शेख अहमद-ए-रूही, टि. 177

शरीर, देह

- की देखभाल, कि. 155, टि. 104, टि. 144, टि. 170,

(स्वच्छता, बीमारी, चिकित्सक भी देखिए)

- हाड़-मांस की कामनाएँ, कि. 2, कि. 58, कि. 64, टि. 25,

के लिए आदरभाव टि. 149, (भूमिगत करना भी देखिए)

शाप देना/परनिन्दा 29, 145, 170

- अध्ययन के क्षेत्र

- कला और विज्ञान, कि. 77, 152

- भाषाएँ, 86

- बच्चों की शिक्षा, कि. 48, कि. 150, प्र. 105, टि. 40

- पुत्रियों का प्राथमिक अधिकार, टि. 76

- दिव्य प्रकटीकरण के माध्यम से मानवजाति की शिक्षा, कि. 45, प्र. 106

- शिक्षा और मशरिकुल अशकार, टि. 53

शिकार, कि. 60, प्र. 24, टि. 83-84, टि. 173

शेख मुहम्मद हसन, कि. 166, टि. 178

शक्ति

- ईश्वर की, (देखिए ईश्वर)

- सम्राटों की, कि. 86, कि. 93, टि. 118

- तार्किक, टि. 130

- वाणी की, कि. 160

शासक, कि. 88, कि. 89, कि. 91 (और देखिए न्याय मन्दिर, सम्राट)

- और ज्ञानीजन, टि. 183

शाह, टि. 177, टि. 182

शाह बहराम, टि. 160

शेखी विचारधारा, टि. 171, टि. 182

शिया इस्लाम, टि. 109, टि. 160, टि. 178, (इस्लाम भी देखें)

- प्रथाएँ, टि. 66, टि. 125, टि. 130

- धर्मभुजा

- नियुक्ति, टि. 183

- पवित्र पाठ के व्याख्याकार, टि. 130, 6

- और किताब-ए-अक़दस, 4, 6, 8, 9

- किताब-ए-अक़दस की टीका, 8-9

- ‘‘गॉड पासेज बाई’’ में वर्णन, 2, 16-20

- सार और नियम संग्रह

- अनुवाद, 12-13

- निधन, टि. 66, टि. 67, टि. 183

- लेख

- व्यक्तिगत रचनाएँ

‘‘गॉड पासेज बाई’’, 15, 108

‘‘वर्ल्‍ड ऑर्डर ऑफ बहाउल्लाह’’, टि. 173, अि. 189

शिक्षक, (उत्तराधिकार भी देखिए)

- बहाई धर्म के, (देखिए प्रभुधर्म का शिक्षण)

- दिव्य शिक्षक, (देखिए ईश्वरीय अवतार)

- शिक्षक और बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा, टि. 40

शब्द

- बहाउल्लाह के, (देखिए बहाउल्लाह के लेख, पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ, पवित्र पाठ)

- ‘‘भव’’ (होना), की परिभाषा, टि. 188

- और आध्यात्मिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, कि. 116, टि. 4

- ईश्वरीय प्रकटीकरण के अभिज्ञान में आवरण स्वरूप, कि. 117, कि. 167, टि. 180

श्रम, (देखिए कार्य)

(सच्चरित्र) अलीफ, कि. 157, टि. 172

संकेत, 1, 36, 37

सौहार्द, कि. 144

संन्यास, कि. 36, टि. 61

सहायता, (मदद)

- प्रभुधर्म की, कि. 84, कि. 159

- दिव्य (सहायता), कि. 53, कि. 74, कि. 157

- सम्राटों की (सहायता) जो उठ खड़े होंगे, कि. 84

- विधानों की, कि. 4

सत्ता, (अधिकार, प्रभुत्व) 177, 191 (अचूकता भी देखिए)

- अब्दुल बहा की, 5-6, 17, कि. 121, कि. 174, टि. 66, टि. 130, टि. 145-(अब्दुल बहा भी देखिए)

- ईश्वर, की कि. 93, कि. 161-163, प्र. 83, प्र. 100

- पवित्र पाठ की, 7-8, 17, कि. 53, कि. 99, प्र. 10

- न्याय मन्दिर की, 7-8, 17, कि. 42, टि. 95 (न्याय मन्दिर भी देखिए)

- व्याख्या का (अधिकार), टि. 130 (और देखिए पवित्र पाठ की व्याख्या)

- ईश्वरीय प्रकटीकरण की, कि. 7, कि. 47, कि. 53, कि. 81-82, कि. 132, कि. 143, कि. 183, टि. 75, टि. 160

- शोग़ी एफेन्दी की, टि. 66, टि. 130 (धर्मसंरक्षक का पद और शोग़ी एफेन्दी भी देखिए)

- कोई भी उनसे विवाद न करे जो लोगों पर प्रभुत्व रखते हैं, कि. 95, 153

सहायक मंडल, टि. 183

स्नानागार, कि. 106, टि. 131, (पवित्रता और धोना भी देखिए)

- फारस के सार्वजनिक, (स्नानागार)

सगाई, प्र. 43, (विवाह भी देखिए)

समारोह, उत्सव, (देखिए पवित्र दिवस)

सभ्यता, 3, 4, कि. 189

स्वच्छता, 190, (स्नानागार, धोना, जल भी देखिए)

- (स्वच्छता का) मानव-चेतना पर प्रभाव, कि. 76, टि. 104

- स्वयं को सुगंधित करना, कि. 76, टि. 104

- परिष्कार, कि. 74, कि. 151, टि. 74, टि. 104, टि. 166, टि. 167

- घरेलू साज-ओ-सामान को नया रूप देना, कि. 151, टि. 166

सामूहिक सुरक्षा, (टि. 173)

सर्वोच्च स्वर्ग के सहचर, कि. 71, कि. 76, कि. 89, कि. 132

- किब्ले की परिक्रमा करते हैं, कि 6

- द्वारा सहयोग का वचन, कि. 53

संघर्ष, टि. 173

सहमति, (देखिए विवाह)

स्थिरता, कि. 163-164, (दृढ़ता भी देखिए)

संतोष, कि. 63, कि. 66, प्र. 26, प्र. 38, टि. 89

सलाहकार

- महाद्वीपीय सलाहकार मंडल, टि. 183

- व्यावसायिक (सलाहकार), टि. 58

सौजन्य, कि. 120, टि. 74

संविदा

- बहाउल्लाह की (संविदा), टि. 37, टि. 66, टि. 145, टि. 183,

(अब्दुल बहा भी देखिए)

- संविदा-भंजन/संविदा तोड़ना, कि. 37, टि. 190, (देखिए अजाली, मुहम्मद अली, मिर्जा याह्या)

सृष्टि

- सभी वस्तुएँ पवित्र बना दी गईं, कि. 75, टि. 106

- (सृष्टि की) पुस्तक, टि. 23

- अस्तित्व में ला दिया गया, टि. 23, टि. 188

- (सृष्टि के) प्रभु, कि. 11

- ईश्वर का उद्देश्य और ज्ञान, टि. 23

स्फटिक, कि. 50, कि. 128, टि. 15, टि. 149

संकट के समय, (देखिए अनिवार्य प्रार्थनाएँ, संकेतों की प्रार्थना)

सामाजिक-आर्थिक विकास, कि. 160, टि. 53

सन्देह, कि. 134, कि. 163, कि. 164

सन्देश-पत्र, (देखिए बहाउल्लाह के लेख)

स्त्री-पुरुष की समानता, 06

सम्पात्, टि. 26, टि. 147

सायंकाल, (अनिवार्य प्रार्थनाएँ भी देखिए)

- पवित्र लेखों और श्लोकों का पाठ

- अनिवार्य प्रार्थना के सम्बन्ध में सूर्यास्त की व्याख्या, कि. 6, प्र. 83, टि. 5

सहिष्णुता, कि. 153

स्वर्ण, कि. 36, (दहेज, अर्थदंड, हु.कू.कुल्लाह और क्षतिपूर्ति भी देखिए)

- सोने के बर्तन, कि. 46, टि. 72

सुनहला नियम, कि. 148

सरकार, (संसद भी देखिए)

- के प्रति आज्ञापालन, 144, कि. 95

सिर, (देखिए बाल, बाल मुंडाना)

स्वास्थ्य, (देखिए शरीर, रोग)

समलैंगिक सम्बन्ध, कि. 107, 150, टि. 134

स्थानीय न्याय मन्दिर, 126 टि. 183

- तलाक के मामलों को देखता है, प्र. 98, टि. 100

- गरीबों को आर्थिक सहायता, कि. 147, टि. 56, टि. 162

- जो उत्तराधिकारी नहीं हैं उनकी सम्पत्ति का अधिकार, कि. 21-22, प्र. 6-7, प्र. 28, प्र. 33, प्र. 41, प्र. 72, प्र. 100, टि. 38-39, टि. 42-44

- सदस्यता

- स्त्री-पुरुष दोनों सदस्य हो सकते हैं, टि. 80

- संख्या, टि. 50

- बहाउल्लाह द्वारा निर्धारित, कि. 30, टि. 49

सैय्यद काज़िम, टि. 182

साम्राज्य, कि. 1, कि. 79, कि. 83, कि. 84

- सृष्टि का, कि. 47, कि. 94, कि. 109

- की भाषा, कि. 177

- प्रकटीकरण का, कि. 91, कि. 109

सम्राट, शासन-प्रमुख, 51, कि. 85, कि. 86, कि. 91, टि. 118

(देखिए फ्रांसिस जोसेफ, नेपोलियन तृतीय, विलियम प्रथम)

- सामूहिक रूप से सम्बोधित, कि. 78-83, कि. 87

- जो धर्म की सहायता के लिए उठ खड़े होंगे, कि. 84, 154

स्वतंत्रता, कि. 122-125

संगीत, कि. 51, टि. 79

समाचार/सूचना, टि. 82

सुदूर उत्तर, कि. 10, टि. 17, टि. 26

संख्या, (देखिए अब्ज़द गणना की प्रणाली)

स्वर्ग, कि. 46, टि. 106

- स्वर्ग की वाणी, टि. 61

संसद, (सरकार भी देखिए)

- विश्व भाषा और विश्व लिपि अपनाएँ, कि. 189, टि. 193

सम्पत्ति

- दूसरों की सम्पत्ति पर अगसानों का अधिकार नहीं, कि. 61, टि. 85

- मृतक की सम्पत्ति, (देखिए उत्तराधिकार, वसीयत)

- न्यास में रखना, प्र. 96

- खोई हुई (सम्पत्ति), प्र. 17

- हुकूकुल्लाह का भुगतान, प्र. 8, प्र. 42, (हुकूकुल्लाह भी देखिए)

संरक्षण

- बहाई/प्रभुधर्म का, टि. 183

- बहाउल्लाह के विधानों से संरक्षण, कि. 45, कि. 123-125, कि. 155, टि. 86, टि. 170

- स्वसंरक्षण, कि. 159, टि. 173

सीधा मार्ग, कि. 14, कि. 112, कि. 186

संकेतों की प्रार्थना, कि. 11, प्र. 52, टि. 18

सिद्धान्त, (देखिए बहाउल्लाह के विधान)

समस्या/एँ

- व्यक्तिगत, टि. 52

सार्वजनिक स्थान

- सार्वजनिक स्थानों पर पापों की आत्मस्वीकृति, टि. 58

- श्लोक बुदबुदाना, कि. 108, टि. 135

- फारसी स्नानागार, कि. 106, टि. 131

सहायता, (गरीब और पीड़ितों की) टि. 53, टि. 161

सम्पदा, (देखिए सम्पत्ति)

सद्रतुल मुन्तहा, कि. 100, कि. 148, टि. 128, टि. 164

सन्त, टि. 160

सलात, टि. 3, (अनिवार्य प्रार्थना देखिए)

सामान्य लिपि, कि. 189, टि. 193, टि. 194

सुरक्षा, कि. 2, प्र. 58

- सामूहिक सुरक्षा, टि. 173

सुडान का युद्ध, टि. 118

सेवा, कि. 125, कि. 178, टि. 2, टि. 56, और (देखिए प्रभुधर्म का शिक्षण)

- सेवा के लिए उठ खडे़ होने का आदेश, कि. 35, कि. 38

- सम्राटों को आदेश, कि. 82, कि. 84

- दिव्य सहायता का वचन, कि. 53, कि. 74

समाधि, (देखिए बाब, बहाउल्लाह)

सियाहचाल, टि. 62, टि. 126

समाज

- की दशा, कि. 39, कि. 40, कि. 124, टि. 170

- सामाजिक दशा के परिप्रेक्ष्य में ईश्वरीय विधान, 5, 8, 9, टि. 89

- सामाजिक दशा पर दिव्य प्रकटीकरण का प्रभाव, 3, कि. 54, कि. 75, कि. 79, कि. 110, कि. 181, टि. 93, टि. 106, टि. 109

- समाज का आधार, टि. 134

- समाज में सम्पत्ति का कार्य, टि. 38

- समाज की भावी स्थिति, 5, 8, 9, कि. 189, टि. 56, टि. 173, टि. 189, टि. 194

- समाज के लिए आवश्यक संस्थाएँ, 180, टि. 53, टि. 82, टि. 134

- समाज की भूमिका

- उद्यमिता के विकास हेतु टि. 56

- न्याय के विकास हेतु टि. 86, टि. 173

- दिव्य विधान की भूमिका, 24 कि. 3, कि. 29, कि. 99, कि. 186,  
टि. 92

- व्यक्ति की भूमिका, कि. 120, कि. 144, कि. 173, प्र. 71, टि. 56, टि. 61, टि. 76, टि. 110

सुदूर दक्षिण, कि. 10, टि. 17

सम्प्रभुता का चिह्न, कि. 157, टि. 171

सम्प्रभुता, साम्राज्य

- बहाई धर्म की, टि. 26, टि. 49

- ईश्वर की, कि. 74, कि. 172, कि. 182

- सम्राटों के पद से सम्बन्ध, कि. 82

स्थल

- अक्का, कि. 37, कि. 81, कि. 100, टि. 63,टि. 127

- बगदाद, कि. 133, प्र. 32, टि. 154

- कुस्तुन्तुनिया (कौस्टेंटिनोपल), कि. 89, टि. 120

- रिज़वान का उद्यान, कि. 107

- किब्ले, कि. 6, टि. 7, टि. 8

- शीराज, कि. 133,प्र. 32, टि. 154

सौतेली माँ/सौतेले पिता, से विवाह का निषेध, 9, कि. 107, टि. 133

सीधा रास्ता, कि. 14, कि. 186

संघर्ष, कि. 169, टि. 173

सुबह-ए-अज़ल, (देखिए मिर्ज़ा याह्या)

सूर्य

- विधानों के प्रतीक रूप में, कि. 7, कि. 108

- ईश्वरीय अवतार के प्रतीक रूप में, कि. 6, कि. 41, कि. 53, टि. 8

सुन्नी इस्लाम (के धर्मगुरु), टि. 120, (इस्लाम भी देखिए)

सूर्योदय

- प्रभात काल की प्रार्थना, कि. 33

- मशरिकुल अशकार में, कि. 115, प्र. 15, टि. 142

- अनिवार्य प्रार्थना का समय, प्र. 83, 140, 141, टि. 5, (अनिवार्य प्रार्थना भी देखिए)

- उपवास का समय, कि. 17, टि. 25, टि. 32, (उपवास भी देखिए)

सूर्यास्त

- नवरूज़ की तिथि का निर्धारण, प्र. 35

- अनिवार्य प्रार्थना का समय, प्र. 83, 140, 141, टि. 5, और (देखिए अनिवार्य प्रार्थना)

- उपवास का समय, कि. 17, टि. 25, टि. 32, (उपवास भी देखिए)

सार-संहिता, 132-150

सिंहासन, कि. 133, और (देखिए पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल)

सत्य

- बहाउल्लाह के शब्दों का, कि. 70, कि. 134, कि. 182-184

- और ज्ञान, टि. 110

- बहाउल्लाह के विधानों का, कि. 3, कि. 7, कि. 162-163

- सत्य की शक्ति, कि. 38, कि. 64, कि. 98, कि. 140, कि. 142

- सत्य का सूर्य, कि. 6, टि. 8

सत्यप्रियता, कि. 120, प्र. 106

समझदारी, और (देखिए विचार दर्शन)

- और परामर्श, टि. 52

- व्यक्तिगत समझ और पवित्र पाठ की व्याख्या, कि. 167, टि. 130,   
टि. 180

- ईश्वरीय विधानों की समझ, 7

- और अभिज्ञान, कि. 140, प्र. 106, (अभिज्ञान भी देखिए)

‘‘सच्चरित्र अलीफ’’, कि. 157, टि. 172

सच्चरित्रता, प्र. 106

सम्पत्ति, कि. 40, कि. 48, और (देखिए लोकोपकार, धन, सम्पदा)

- और लोकोपकार के कार्य, कि. 147, टि. 162

- और दहेज, कि. 66, टि. 95, (दहेज भी देखिए)

- और हुकूकुल्लाह, प्र. 90, (हुकूकुल्लाह भी देखिए)

- और कार्य करने की अनिवार्यता, टि. 56

- सामाजिक कार्य, टि. 38

सप्ताह, टि. 147, और (देखिए बहाई पंचांग)

साक्ष्य, (न्यायनिष्ठ)

- परिभाषा, प्र. 79, टि. 99

- पति/पत्नी की मृत्यु का, कि. 67, प्र. 79, टि. 99

- धैर्य के वर्ष का, प्र. 73, प्र. 98, टि. 100, (तलाक भी देखिए)

स्त्री, स्त्रियाँ और (देखिए सगाई, तलाक, शिक्षा, उत्तराधिकार, सेविका, विवाह, विपर्यय क्रम, स्त्री-पुरुष दोनों पर विधानों का लागू होना, पुनर्विवाह, पत्नी)

- दिवंगता की अंगूठी पर अंकित श्लोक, कि. 129

- ऋतुस्राव के दिनों में अस्वच्छता की अवधारणा समाप्त, टि. 20

- आध्यात्मिक सभाओं के सदस्य होने की अर्हता, टि. 80

- उपवास से छूट, कि. 13, 142-143, टि. 20, टि. 31

- वैवाहिक श्लोक, प्र. 3

- अनिवार्य प्रार्थना से छूट, कि. 13, 142-143, टि. 20, टि. 34

- तीर्थयात्रा से छूट कि. 32, कि. 55

- दिवंगतों की प्रार्थना में नए शब्द, 104

हथियार लेकर चलना, कि. 159, 151, टि. 173

हठधर्मिता, कि. 144, 18

हदीस, टि. 23, टि. 33, टि. 72, टि. 129, (प्रथा/परम्परा भी देखिए)

हाथ,

- चूमना, कि. 34, टि. 57

- (भोजन में हाथ) डुबोना, कि. 46, टि. 73

- धोना, (देखिए शुद्धिकरण)

हानि, क्षति, कि. 123, कि. 155, प्र. 94, टि. 170, और (देखिए बहाई धर्म, बहाई धर्म का विरोध, बहाउल्लाह को प्राप्त यातनाएँ)

हशीश, टि. 170

हेरोइन, 170, (अफीम भी देखिए)

हिन्दू, टि. 160

हुकूकुल्लाह, (ईश्वर का अधिकार) 16, कि. 97, टि. 125

- अदा करने की शर्तें, प्र. 8, प्र. 44-45, प्र. 89-90, टि. 125

- मृतक की अचल सम्पत्ति, कि. 28, प्र. 9, प्र. 69, प्र. 80, टि. 47

- छूट, प्र. 8, प्र. 42, प्र. 95

- आय प्रदान न करने वाली अचल सम्पत्ति, प्र. 102

हाथ चूमना, कि. 34, टि. 57

हत्या, कि. 19, कि. 73, टि. 35, (जनहत्या भी देखिए)

- बहाउल्लाह के प्राण लेने के प्रयास, टि. 190

- अर्थदंड, कि. 62, टि. 86, टि. 87

- सैय्यद मुहम्मद-ए-इश्फहानी (की हत्या), टि. 192

हिंसा का निषेध, टि. 170, और देखिए विवाद, हत्या)

हथियार, अस्त्र, टि. 83, टि. 173

क्षमाशीलता, प्र. 47, टि. 58, (पाप और पश्चाताप भी देखिए)

क्षतिपूर्ति, (अर्थदंड भी देखिए)

- जनहत्या के लिए, कि. 188, टि. 35

- किसी व्यक्ति को घायल करने या चोट पहुँचाने पर, कि. 56, टि. 81

ज्ञान, कि. 138, टि. 130, टि. 194, और (देखिए शिक्षा)

- ज्ञान की प्राप्ति, कि. 48, कि. 77, टि. 76, टि. 110

- ईश्वरीय प्रकटीकरण को पहचानने में बाधक, कि. 41, कि. 102, कि. 166-168, कि. 170, टि. 64, टि. 171, टि. 182

- ईश्वरीय/दिव्य (ज्ञान), कि. 99, कि. 101, कि. 176-177, कि. 180, टि. 128

- दुर्बोध (ज्ञान), कि. 36, टि. 60

- निगूढ़ (ज्ञान), कि. 29, टि. 48

- ज्ञान का उद्देश्य, कि. 102, 154

1. एड्रियानोपल [↑](#footnote-ref-1)
2. अक्‍का [↑](#footnote-ref-2)
3. नैपोलियन तृतीय [↑](#footnote-ref-3)
4. तेहरान [↑](#footnote-ref-4)
5. खुरासान [↑](#footnote-ref-5)
6. बाब ने [↑](#footnote-ref-6)
7. बाब [↑](#footnote-ref-7)
8. बहाउल्‍लाह [↑](#footnote-ref-8)
9. बाब ने [↑](#footnote-ref-9)
10. बहाउल्‍लाह [↑](#footnote-ref-10)
11. बाब [↑](#footnote-ref-11)
12. ईश्‍वर के अवतार बहाउल्‍लाह सद्रतुल-मुन्‍तहा [↑](#footnote-ref-12)
13. किरमान [↑](#footnote-ref-13)
14. बाब ने [↑](#footnote-ref-14)
15. बहाउल्‍लाह [↑](#footnote-ref-15)
16. इस्‍लामी चन्‍द्र पंचाग का पहला महीना [↑](#footnote-ref-16)
17. अरबी के उपरोक्‍त दोनों श्‍लोकों में अलग-अलग लिंग हैं [↑](#footnote-ref-17)
18. इसका सम्‍बंध यात्रा की उस न्‍यूनतम अवधि से है जिसके दौरान यात्री को उपवास न करने की छूट दी गई। [↑](#footnote-ref-18)
19. उत्‍तरी गोलार्ध में वासन्तिक सम्‍पात (जब दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं) [↑](#footnote-ref-19)
20. कुरआन 2:115 [↑](#footnote-ref-20)
21. तात्‍पर्य एक क्‍यूबिक मीटर के आधे हिस्‍से से है [↑](#footnote-ref-21)
22. रंग, स्‍वाद और गंध [↑](#footnote-ref-22)
23. एड्रियानोपल [↑](#footnote-ref-23)
24. विश्‍व के बहाइयों को 10 जुलाई 2014 को लिखे पत्र में विश्‍व न्‍याय मन्दिर ने नवरूज 172 (20 मार्च 2015) से बदी कलैण्‍डेर लागू होने की घोषणा की। उपवास के महीने का पहला दिन अब अगले वर्ष के नवरूज के अनुसार बदलेगा। [↑](#footnote-ref-24)
25. नवरूज 172 से बदी कैलेण्‍डर के लागू होने की घोषणा करते हुए विश्‍व न्‍याय मंदिर ने 10 जुलाई 2014 के अपने पत्र में पृथ्‍वी पर तेहरान को वह स्‍थान निर्धारित किया है जो विश्‍वस्‍त सूत्रों से प्रापत खगोलीय संगणना के अनुसार उत्‍तरी गोलार्ध में वसंत सम्‍पात का दिन होगा और इस प्रकार वह नवरूज का पहला दिन होगा। [↑](#footnote-ref-25)
26. हिन्‍दी में ‘नवयुग की पहली शताब्‍दी’ [↑](#footnote-ref-26)
27. बदी कैलेण्‍डर को लागू करने से सम्‍बन्धित घोषणा करते हुए विश्‍व न्‍याय मन्दिर ने 10 जुलाई 2014 के अपने पत्र में कहा है कि युगल जन्‍मोत्‍सवों के समारोह नवरूज के बाद आठवें नवचन्‍द्र के उदित होने से पहले और दूसरे दिन को मनाये जायेंगे, जिसका निर्धारण तेहरान का वह स्‍थान मान कर किया जायेगा जो खगोलीय तालिका पर आधारित होगा। [↑](#footnote-ref-27)
28. जैसाकि विश्‍व न्‍याय मंदिर द्वारा 10 जुलाई 2014 के पत्र में कहा गया है, बदी कैलेण्‍डर के लागू होने के साथ ही अधिदिवसों की संख्‍या हर साल वसंत सम्‍पात के अनुसार परिवर्तित होती रहेगी। [↑](#footnote-ref-28)